रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०)—73 REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976 (पौष 27, 1897)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976 (PAUSA 27, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
लेखा और व्यय विभाग
बंबई, 17 जनवरी 1976

जो प्रतिभूतियां खो, आदि गयी हैं और जिनके संबंध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः आधार है और उनके आवेदकों का दावा न्यायपूर्ण है, उनकी निम्नलिखित (30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुई तिमाही की) सूची का विज्ञापन पब्लिक डेट अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अधीन भारत सरकार द्वारा बनायी गयी और 20 अप्रैल, 1946 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित (दिनांक 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) (70)-बी०/52 के अधीन संशोधित) की गयी नियमावली के नियम, 18 के अनुसार इसके द्वारा किया जाता है। जिन सम्बन्धित दावेदारों के नाम दिये गये हैं उनको छोड़कर अन्य जिन व्यक्तियों, का इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो, उन सबको चाहिए कि वे मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, लेखा और व्यय विभाग, केन्द्रीय ऋण अनुभाग, बंबई को तुरंत सूचित करें।

सूची 'क'

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रुपये/ग्राम	किसके नाम में जारी की गयी	किस दिनांक से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने और/या भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावा करने वाले (लों) का (के) नाम	जारी किये आदेशों की संख्या और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बंबई सर्किल					
3% परिवर्तन ऋण, 1946					
बीयाई 398329	1000/-	क्लेरा साइमन्स और एरिक डिसूजा या इन में से कोई एक	16-3-1967	एरिक डिसूजा (क्लेरा साइमन्स के उत्तरजीवी)	केस सं० एल०-1530 उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 40 दिनांक 3-8-1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4¼% ऋण, 1985			
बीवाई 006375	100/-	होरमुसजी रतन जी कोल्हापुर वाला	12-7-1972	होरमुसजी रतनजी कोल्हापुर-वाला	केस सं० एल-1601, उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 123, दिनांक 27-9-1974
बीवाई 006376	200/-				
बीवाई 006377	200/-				
बीवाई 006378	500/-				
बीवाई 006379	1000/-				
बीवाई 006380	1000/-				
		5½% ऋण, 1992			
बीवाई 005721 -23 (3×1000)	3000/-	बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड	15-7-1970	आचार्य श्री नरेंद्रप्रसाद जी आनंद प्रसादजी और पटेल पोपटलाल पदमशी	केस सं० एल०-1528 उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 91 दिनांक 7-9-1974
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 ('ए' सिरीज)			
बीवाई 00575	702 ग्राम	अनंतराय पी० मेहता	25-2-1976	अनंतराय पी० मेहता	केस सं० एल० 1590, उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 7, दिनांक 9-7-1974
बीवाई 000568	1171 ग्राम	प्रभावती अनंत राय मेहता	15-1-1966	प्रभावती अनंतराय मेहता	केस सं० एल० 1592, उप प्रबंधक के आदेश डायरी स० सी० ओ० 73, दिनांक 27-7-1974
बीवाई 005477	351 ग्राम	——वही——	25-2-1966	——वही——	
बीवाई 006060	1374 ग्राम	विनोद शिवप्रसाद वैद	7-1-1966	विनोद शिवप्रसाद वैद	केस सं० एल० 1608, उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 71, दिनांक 30-8-1974
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 ('बी' सिरीज)			
बीवाई 002637	107 ग्राम	विनोद शिवप्रसाद वैद	7-1-1966	विनोद शिवप्रसाद वैद	केस सं० एल० 1608, उप प्रबंधक के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 71, दिनांक 30-8-1974
		कलकत्ता सर्किल			
		3% परिवर्तन ऋण, 1946			
**सीए 200512	25000/-	मईया साहेबा राजकुमारी देवी और मेजर जनरल शंकर शमशेर जंग बहादुर राना	16-3-1967	मईया साहेबा राजकुमारी देवी और मेजर जनरल शंकर शमशेर जंग बहादुर राना	केस सं० 782, आई० 2179 उप प्रबंधक के आदेश, दिनांक 9-8-1974
सीए 112959	1000/-	हरीपाद कुमेर	16-3-1967	प्रभात चंद्र कुमेर	केस सं० 784, आई० 2263 उप प्रबंधक के आदेश, दिनांक 11-9-1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3% 1896-97			
*सीए 026721	400/-	नीलमणि बनर्जी	31-12-1970	नीलमणि बनर्जी	केस सं० 783, आई० 2269 उप प्रबंधक के आदेश, दिनांक 11-9-1974
		4% 1760-70			
सीए 062675-81	1000/-	हरीपाद कुमेर	15-3-1953	प्रभातचंद्र कुमेर	केस सं० 784, आई० 22-63, उप प्रबंधक के आदेश, दिनांक 11-9-1974
सीए० 062782-83	5000/- प्रत्येक	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
		नई दिल्ली सर्किल			
		3½% राष्ट्रीय योजना ऋण, 1964			
*डी०एच० 035168	100/-	भारतीय रिजर्व बैंक	19-4-1954	केवल कृशन (उनके एटार्नी, श्री दुर्गादास के द्वारा)	एल० एन० 532 दिनांक 16-7-1974
		3% प्रथम विकास ऋण, 1970-75			
*डी०ए० 018273	500/-	भारतीय रिजर्व बैंक	1-1-1949	सिरीचंद ओबेराय	एल० एन० 533 दिनांक 5-9-1974
		6½% स्वर्ण बांड, 1977			
डीएच010045	10000/-	कृशन चंद मलहोत्रा	12-5-1973	कृशन चंद मलहोत्रा	एल० एन० 534 दिनांक 28-9-1974
डीएच 010044	10000/-	ईश्वर देवी	12-5-1973	ईश्वर देवी	एल० एन० 535 दिनांक 28-9-1974
डी०एच 010037	20/-	शन्नो देवी	12-5-1973	शन्नो देवी	एल० एन० 536 दिनांक 28-9-1974
डी०एच010038	500/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
डीएच010039-42	1000/- प्रत्येक	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
डीएच010043	5000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
डीएच010046	10000/-	प्रेम लता	—वही—	प्रेम लता	एल० एन० 537, दिनांक 28-9-1974
डीएच010088	10000/-	मुनीश्वर लाल मलहोत्रा	—वही—	मुनीश्वर लाल मलहोत्रा	एल० एन० 538 दिनांक 28-9-1974
		मद्रास सर्किल			
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 ('ए' सिरीज)			
@एमएम008806	10 ग्राम	के० गोविंदा अचन	27-10-1966	के० गोविन्दा स्वामी अचन	प्रबंधक के आदेश सं० डी० बाई० सी० ओ० 422/-एल० एन० 1068 दिनांक 12-7-1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3½% राष्ट्रीय योजना, 1964			
एमएस 044651	100/-	श्रीमंथुला गोपाल राव	19-4-1954	श्री मंथुला गोपाल राव	प्रबंधक के आदेश सं० डी० बाई० सी० ओ० 498/-एल० एन० 1016 दिनांक 22-8-1974

*शिथिल की गयी किस्तविधि के अधीन 3 वर्षों के बाद अनुलिपि जारी करने/भुगतान मूल्य अदा करने का प्राधिकार दिया गया है।

**प्रतिभूतियों का आधा भाग है।

@तत्काल अनुलिपि जारी करने और संचित ब्याज अदा करने का प्राधिकार दिया गया है।

डब्ल्यू० जे० एफ० वाज,
मुख्य लेखाकार,
भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
लेखा और व्यय विभाग,
केन्द्रीय ऋण अनुभाग,
बंबई-400038.

धारा 7 या 98 इन्स्योरेंस एक्ट के अन्तर्गत जमाओं की सूची जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के संरक्षण में 31 दिसम्बर, 1973 पर्यन्त रखी गयी थी ।

जमा देने वालों के नाम	ऋण अथवा जमा का विवरण	मूल्य	कुल अंकित मूल्य	कैश (रोकड़)	कुल खाता मूल्य प्रतिभूतियों का तथा कैश (रोकड़)
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
कलकत्ता क्षेत्र :					
एटलस एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1953-83	पा० 15,200		—	—
	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1954-84	पा० 36,700	पा० 51,900	—	3,55,314.98
ब्रिटिस एवियेसन इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	5¾ प्रतिशत पश्चिम बंगाल 1984	4,87,600	4,87,600	1,77,543.13	6,65,143-13
ब्रिटिश ट्रेडर्स इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	—	—	—	1,61,200-00	1,61,200-00
कलकत्ता हासपिटल एण्ड नर्सिंग होम बेनीफिट्स एसोसियेसन लिमिटेड, कलकत्ता ।	2¾ प्रतिशत 1976	38,800			
	5½ प्रतिशत 2000	50,500			
	5¾ प्रतिशत 2002	1,01,100	1,90,400	—	1,88,799-50
कमर्शियल यूनियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	5 प्रतिशत 1982	5,10,000			
	5 प्रतिशत 1983	1,05,500			
	5 प्रतिशत 1984	65,300			
	5¼ प्रतिशत 1987	25,000			
	5½ प्रतिशत 2000	1,63,200			
	4½ प्रतिशत आई० एफ० सी० 1974	1,00,000			
	5¾ प्रतिशत आई० एफ० सी० 1983	1,50,000			
	5¾ प्रतिशत पश्चिम बंगाल 1982	34,300			
	5¾ प्रतिशत पश्चिम बंगाल 1983	25,000			
	5 प्रतिशत यू० पी० एस० ई० बी० बांड्स 1976	2,00,000	13,78,300	136-89	13,48,954-39

1	2	3	4	5	6
[**कलकत्ता क्षेत्र**—जारी है]		रु०	रु०	रु०	रु०
फायर/एण्ड जनरल इन्स्योरेंस कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड (अपाकरण अन्तर्गत), कलकत्ता।	—	—	—	98,473-06	98,473-06
जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता।	3 प्रतिशत कोन० 1946	5,06,900			
	4¼प्रतिशत कोन० 1975	3,27,500			
	4½प्रतिशत कोन० 1977	26,000			
	4½प्रतिशत कोन० 1986	1,66,200			
	5 प्रतिशत कोन० 1983	1,01,200			
	5 प्रतिशत एन० डी० ऋण 1981	3,36,900	14,64,700	71-23	13,41,730-96
गार्जियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1953-83	पा० 12,000			
	डिबेन्चर 1954-84	पा० 47,900	पा० 59,900	—	4,76,134-97
लिवरपुल एण्ड लण्डन एण्ड ग्लोब इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¼प्रतिशत 1975	3,73,000			
	4¼प्रतिशत 1976	14,000	3,87,000	4-62	3.87676-52
लण्डन गारन्टी एण्ड एक्सीडेन्ट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1953-83	पा० 7,200			
	डिबेन्चर 1954-84	पा० 2,600	पा० 9,800		
	5¼प्रतिशत डब्लू० बी० 1982	1,70,000			
	5¼प्रतिशत डब्लू० बी० 1984	1,83,400	3,53,400	2,726-96	4,93,006-96
लण्डन एण्ड लंकाशायर इन्स्योरेंस	4¼प्रतिशत 1975	2,27,800			
कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¼प्रतिशत 1976	2,75,700	5,03,500	594-01	5,03,852-34
न्यूजीलैन्ड इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4 प्रतिशत 1979	3,35,000			
	5 प्रतिशत 1984	1,29,900			
	4½प्रतिशत आई० एफ० सी० 1974	25,000			
	5¼प्रतिशत डब्लू० बी० 1984	1,82,400	6,72,300	53-86	6,71,079-36

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
(कलकत्ता क्षेत्र—जारी है)					
नोविच यूनियन फायर इन्स्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1954-84	पा० 12,000	96,900	—	96,900-00
पीयरलेस जनरल इन्स्योरेंस एण्ड इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	3 प्रतिशत कोन० 1946	20,00,000	20,00,000	—	11,82,640-00
फोइनेक्स एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डेबेन्चर 1953-83	पा० 6,800			
	,, ,, 1954-84	4,600	पा० 11,400		
	3 प्रतिशत 1896-97 (नानटरमिनेबल)	35,000			
	5¾ प्रतिशत गुजरात 1981	1,48,800			
	5¾ प्रतिशत महाराष्ट्र 1982	49,500			
	5¾ प्रतिशत डब्ल्यू० बी० 1982	1,41,100			
	5¾ प्रतिशत ,, बी 1984	69,200	4,43,600	3,93,963-14	9,75,751-04
प्राची इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कटक।	6 प्रतिशत महाराष्ट्र एस० ई० बी० बांड्स 1982	40,000	40,000	—	39,960-00
प्रुडेन्सियल एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¾ प्रतिशत 1978	3,61,600	3,61,600	12-00	3,61,612-00
रिलायन्स मेरीन इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेन्चर 1953-83	पा० 10,900			
	डिबेन्चर 1954-84	पा० 13,300	पा० 24,200	1,28,000-00	3,66,503-28
रोयल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¼ प्रतिशत 1975	6,02,800			
	4¼ प्रतिशत 1976	17,000			
	5 प्रतिशत 1982	1,50,000	7,69,800	1,207-03	7,70,391-43
रूबी जनरल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	5 प्रतिशत एन० डी० 1981	3,25,000			
	5 प्रतिशत 1983	3,51,700			
	5¾ प्रतिशत डब्लू० बी० 1979	5,00,000			
	5¾ प्रतिशत उड़ीसा 1979	1,75,000	13,51,700	58-50	13,53,900-00

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
(कलकत्ता क्षेत्र—जारी है)					
ट्री-टोन इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¾ प्रतिशत 1979	10,29,800	10,29,800	—	10,29,800-00
यूनाइटेड स्काटिश इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	4¼ प्रतिशत 1975	2,74,800			
	4½ प्रतिशत आई० एफ० सी० 1974	75,000			
	5¾ प्रतिशत डब्लू० बी० 1984	2,61,900	6,11,700	29-42	6,10,431-50
वेलफेयर इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता।	5 प्रतिशत 1984	4,82,700			
	5¾ प्रतिशत डब्लू० बी० 1984	24,000	5,06,700	83-08	5,04,369-58
वेस्टर्न एस्योरेंस कंपनी, कलकत्ता।	4¼ प्रतिशत 1975	4,60,700			
	4¾ ,, 1978	8,06,900	12,67,600	35-48	12,67,635-48
बम्बई क्षेत्र :					
एलको कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	3¾ प्रतिशत 1974	15,600	15,600	288-60	15,600-00
आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट म्यूचुअल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पूना (अपाकरण अन्तर्गत)	3 प्रतिशत 1896-97	37,500			
	3 प्रतिशत कोन० 1946	37,500	75,000	—	74,671-87
भाभा मेरीन इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोरबन्दर	5¾ प्रतिशत ए० आर० सी० बांड्स 1982 (II सीरीज)	18,000			
	4½ प्रतिशत 10 साल डी० डी० सर्टीफिकेट	10,000			
	4¾ प्रतिशत 1978	18,000			
	5 प्रतिशत ऋण 1983	18,000	64,000	90-00	64,000-00
ब्रिटिश इण्डिया जनरल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	4 प्रतिशत कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट डिबेन्चर 1915-75	60,000			
	5½ प्रतिशत ऋण 2000	3,35,000			
	3½ प्रतिशत बी० एम्० डी० 1947-77	50,000			
	5½ प्रतिशत बी० सी० 1999	3,40,000			
	5¼ प्रतिशत 1986	4,00,000			
	5¾ प्रतिशत 2002	2,64,300	14,49,300	—	14,27,397.50

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
(बम्बई क्षेत्र—जारी है)					
कोर्नहिल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	5½ प्रतिशत 2000	59,500	59,500	95·00	59,595·00
गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र	4¾ प्रतिशत महाराष्ट्र 1976	10,17,900	10,17,900	—	10,00,086·75
ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5 प्रतिशत महाराष्ट्र एस० ई०बी० बांड्स 1976	2,50,000			
(यूनिट : गर्लिंग ग्लोबल)	5 प्रतिशत बी० एम० डी० 1964-76	4,00,000			
	5¼ प्रतिशत ऋण 1986	3,65,100	10,15,100	181·48	9,94,329·13
ग्रेट ईस्टर्न लाइफ एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	3 प्रतिशत कोन० 1946	2,00,000	—	2,00,000	2,00,000·00
हबीब इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	—	—	—	2,03,649·94	2,03,649·94
हरि लाल जेठा भाई बीमा-वाला, बम्बई।	—	—	—	76·20	76·20
हेलवेटिया स्वीज फायर इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	5½ प्रतिशत 1999	1,40,700			
	4¼ प्रतिशत 1976	1,00,000			
	4¾ प्रतिशत 1979	1,14,600	3,55,300	400·00	3,55,700·00
जाला-नाथ इन्स्योरेंस लिमिटेड	6 प्रतिशत बम्बई म्यु० डिबेंचरस 1981	1,50,000			
	4¼ प्रतिशत 1976	1,75,000			
	3½ प्रतिशत 1974	1,80,000			
	5¾ प्रतिशत महाराष्ट्र 1982	1,00,000			
	5¾ प्रतिशत महाराष्ट्र 1980	1,00,000			
	5½ प्रतिशत 2000	1,50,000	8,55,000	—	8,43,355·00
कल्याण मेरीन इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पोर-बन्दर।	4¾ प्रतिशत 1978	36,000			
	पी० ओ० 7 साला० एन्० एस्० सी०	10,000			
	5 प्रतिशत 1983	18,000	64,000	90.00	64,000·00
मर्चेंट्स जनरल इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, बम्बई।	4 प्रतिशत 1979	10,000	10,000	—	10,000·00
नेशनल इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड	5½ प्रतिशत 2000	10,00,000	10,00,000	—	9,81,050·00
(यूनिट: मिल ओनर्स-म्यूचअल)					

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
(बम्बई क्षेत्र—जारी है) ।					
मोटर ओनर्स इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बेलगोम	3 प्रतिशत सी० एल० 1946	3,07,100	3,07,100	—	2,39,603-00
नारानजी भानाभाई एण्ड कंपनी लिमिटेड, भावनगर।	4½प्रतिशत 1978 शेयरस आफ महाराष्ट्र स्टेट फिनान्सियल कॉर-पोरेशन एन्० डी० सर्टी-फिकेट	18,000 4,500			
	6 प्रतिशत ए० पी० एस्० ई० बी० बांड्स 1982	5,600 18,000			
	5 प्रतिशत 1983	18,000	64,100	135-00	64,112-50
नेशनल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूनिट : एन० ई० एम०)	4 प्रतिशत 1980	5,00,000			
	4¾ प्रतिशत 1989	3,50,000			
	3 प्रतिशत सी० एल० 1946	10,000			
	5 प्रतिशत 1983	2,51,900	11,11,900	59-50	10,89,987-50
नेशनल सिक्योरिटी एन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अपाकरण) अन्तर्गत) बम्बई।	5½ प्रतिशत 1995	1,50,400			
	4¼ प्रतिशत 1975	1,50,100	3,00,500	66-62	3,00,116-32
न्यू मर्चेन्ट्स इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोरबन्दर	12-साला एन० डी० सर्टी-फिकेट	25,000			
	5 प्रतिशत 1983	18,000			
	4¾ प्रतिशत 1978	21,000	64,000	189-12	64,099-12
पोरबन्दर इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पोरबन्दर।	5 प्रतिशत 1984	10,000			
	3 प्रतिशत पोरबन्दर वाटर प्रोजेक्ट ऋण 1950-75	50,000			
	पी० ओ० 12 साला एन्० डी० सर्टीफिकेट	5,000	65,000	50-00	60,134-00
यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (यूनिट : प्रोविन्सियल)	5 प्रतिशत पोर्ट आफ कल-कत्ता डिबेन्चर ऋण 1923	पा० 2,100			
	5 प्रतिशत पोर्ट आफ कल-कत्ता डिबेन्चर ऋण 1924	पा० 19,000	21,100	—	1,76,889-16
श्री महासागर बीमा कंपनी लिमिटेड, पोरबन्दर।	4 प्रतिशत टी० एस्० डी० सर्टीफिकेट	10,000			
	3 प्रतिशत पोरबन्दर वाटर प्रोजेक्ट ऋण 1950-75	25,000			
	5 प्रतिशत 1983	18,000			
	4¾ प्रतिशत 1978	12,800	65,800	163-70	65,8 75-00

1	2	3	4	5	6
बम्बई क्षेत्र—जारी		रु०	रु०	रु०	रु०
वार्डन इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, (अपाकरण अन्तर्गत), बम्बई।	—	—	—	409.00	409.00
ओरियेन्टल फायर एन्ड जनरल इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड (यूनिट : योर्कशायर)	5 प्रतिशत कलकत्ता पोर्ट डेवेन्चर 1924	पा० 12,900	पा० 12,900	—	1,79,955.00
नई दिल्ली क्षेत्र :					
भारत जनरल रि-इन्सोरेन्स लिमिटेड, नई दिल्ली।	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत आई० एफ० सी० बांड्स 1982	2,50,000			
	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत आई० एफ० सी० बांड्स 1980	2,00,000			
	6 प्रतिशत यू० पी० फिनान्सियल कॉरपोरेशन बांड्स 1981	1,00,000	5,50,000	—	5,47,650.00
भारत इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।	$3\frac{3}{4}$ प्रतिशत ऋण 1974	24,200	24,200	—	23,837.00
मुसलिम इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, लाहौर।	3 प्रतिशत ऋण 1896-97	87,600			
	3 प्रतिशत यू० पी० ऋण 1961-66	2,000			
	पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट	7,500			
	3 प्रतिशत कोन० ऋण 1946	67,600	1,64,700	54,356.25	2,01,616.62
नार्दर्न इंडिया ट्रान्सपोर्टस इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, जलंधर सिटी।	$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 2000	1,50,000	1,50,000	1,153.34	1,51,153.34
सेंट्रल मर्केन्टायल एसोरेन्स कंपनी लिमिटेड	—	—	—	92.17	92.17
स्टर्लिंग जनरल इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।	$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत टी० डी० डी० सी०	50,000			
	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत उड़ीसा एस० एफ० सी० बांड्स 1979	20,000			
	जे० के० एस० एफ० सी० गेयर्स	30,000			
	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत यू० पी० एफ० सी० बांड्स 1978	30,000			
	6 प्रतिशत जे० के० एस० एफ० सी० बांड्स 1981	50,000	1,80,000	28.62	1,78,028.62

1	2	3	4	5	6
मद्रास क्षेत्र :		रु०	रु०	रु०	रु०
लीगल एण्ड जनरल एसोरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, मदुराई।	पोर्ट आफ, कलकत्ता 5 प्रतिशत : डिबेंचर 1923	पा० 2,000			
	पोर्ट आफ कलकत्ता 5 प्रतिशत डिबेंचर 1924	पा० 6,000	पा० 8,000	—	94,550.00
कोआपरेटिव फायर एन्ड जनरल इन्सोरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, मद्रास।	4½ प्रतिशत एम्० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेंचर 1967-77	10,000			
	4½ प्रतिशत ए० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेंचर 1971-76	62,600			
	4¼ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेंचर 1964-74	10,000			
	4¾ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेंचर 1971-78	25,000			
	4¾ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेन्चर 1971-81	5,500			
	4¾ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेन्चर 1972-82	10,000			
	5¾ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेंचर 1981 (71वीं सीरीज)	70,000			
	5¾ प्रतिशत एम० सी० सी० एल० एम० बैंक डिबेन्चर 1981 (73वीं सीरीज)	22,400			
	4 प्रतिशत 10 साल टी० एस्० डी० सी०	40,000			
	5¾ प्रतिशत आई० एफ० सी० बांड्स 1980	2,00,000			
	5¾ प्रतिशत आई० एफ० सी० बांड्स 1981	78,000			
	3 प्रतिशत कोन० ऋण 1946	1,26,600			
	4½ प्रतिशत ऋण 1989	20,000			
	5½ प्रतिशत ऋण 1992	5,000			
	5¾ प्रतिशत मद्रास ऋण 1979	51,000			
	5¾ प्रतिशत तामिलनाडु ऋण 1981	3,35,700	10,71,800	11,636.25	10,74,685.75

1	2	3	4	5	6
मद्रास क्षेत्र—जारी		रु०	रु०	रु०	रु०
इण्डियन म्यूचुअल जनरल इन्सोरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, मद्रास ।	5 प्रतिशत नेशनल डिफेन्स ऋण 1981	2,00,000			
	5 प्रतिशत ऋण 1983	17,600			
	3 प्रतिशत कोन० ऋण 1946	1,74,000			
	3¼ प्रतिशत ऋण 1974	4,900			
	4 प्रतिशत ऋण 1979	30,000			
	5½ प्रतिशत ऋण 1999	25,600			
	5½ प्रतिशत ऋण 2000	2,00,000			
	4½ प्रतिशत मद्रास ऋण 1974	10,000			
	5½ ,, ,, 1977	19,500			
	5½ ,, ,, 1978	1,400			
	5¾ ,, ,, 1979	2,100			
	5¾ ,, ,, 1980	24,500			
	5¾ प्रतिशत तामिलनाडु ऋण 1982	6,000			
	5½ प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट ऋण 1978	2,100			
	6 प्रतिशत तामिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ऋण 1982	49,000	7,66,700		7,64,437.40
प्रेमीयर इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, मद्रास ।	5¾ प्रतिशत केराला स्टेट डिबेंचर ऋण 1979	1,500			
	4¾ प्रतिशत मद्रास ऋण 1976	42,700			
	5¾ प्रतिशत मैसूर स्टेट डिबेंचर ऋण 1979	59,200	1,03,400	50,361.89	1,51,875.39
प्रोवीडेन्ट कम्पनीज :					
कलकत्ता क्षेत्र :					
मालन्दा प्रोवीडेन्ट इन्सोरेन्स लिमिटेड, बरीसाल ।	—	—	—	5,590.69	5,590.69
नान्-गेजेटेड आफिसरस प्रोवीडेन्ट सोसाइटी लिमिटेड, चिटागांग	12 साधा एन्० एस्० सर्टिफिकेट	5,000	5,000	—	5,000.00
सुन्दरबन प्रोवीडेन्ट इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	—	—	—	5,000.00	5,000.00

1	2	3	4	5	6
बम्बई क्षेत्र		रु०	रु०	रु०	रु०
ईस्ट एन्ड वेस्ट प्रोवीडेन्ट सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई ।	—	—	—	600.00	600.00
महाराष्ट्र प्रोवीडेन्ट इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड (अपाकरण अन्तर्गत), कराड ।	3 प्रतिशत कोन० ऋण 1946	5,500	5,500	1,659.94	7,159.94
सब्स्टांसियल प्रोवीडेन्ट इन्सोरेन्स कंपनी लिमिटेड, बम्बई ।	—	—	—	5,712.21	5,712.21
नई दिल्ली क्षेत्र					
इण्डियन पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स वर्कर्स म्यूचुअल प्रोवीडेन्ट सोसाइटी (अपाकरण अन्तर्गत), नई दिल्ली ।	—	—	—	6,426.55	6,426.55
स्वस्तिका प्रोवीडेन्ट इन्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली ।	—	—	—	5,060.19	5,060.19

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 नवम्बर 1975

सं० 5 एस० सी० ए० (1) 7/75-76.—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1)/19/73-74 दिनांक 21-1-74 (2) 4 सी० ए० (1)/6/75-76 दिनांक 31-7-75 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :

क्रम सं०	स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	8166	श्री के० जोसेफ जार्ज, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट एलेजिकल बिल्डिगस, पेलेस वार्ड ऐलेपी केरेला	13-11-75
2.	15405	श्री राय के० लूकोस, ए०सी०ए० चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट ए०/26 किलपाक गार्डन कालोनी मद्रास-600010	17-11-75

दिनांक 29 नवम्बर 1975

सं० 4 एस०सी०ए० (1)/9/75-76.—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण श्री पी० के० पतावीरामन एसटेंट डिवीजनल मेनेजर, एल०आई०सी० आफ इण्डिया डिवीजनल आफिस, पो० बाक्स 3810, कोयम्बटूर-641018 का नाम 9-11-75 से हटा दिया है उन की सदस्य सं० 2590 है।

सं० 8-एस०सी०ए० (1)/3/75-76.-भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टस नियमावली 1964 की नियमावली 10(1) के अधिनियम (3) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री ए० एस० कृष्णण, एफ० सी० ऐ०, 4-6-528/31, मेघ राज बिल्डिंग, हमामिया बाजार, हैदराबाद का प्रेक्टिस सर्टिफिकेट 15-10-1975 से रद्द किया जा चुका है क्योंकि यह प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट को रखने के इच्छुक नहीं है। उन का सदस्य सं० 1708 है।

दिनांक 18 दिसम्बर 1975

सं० 4 सी०ए० (1)/12/75-76.—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से श्री वी० वी० भगवत, 1182, सदाशिव पेथ, पूना-30 (स०सं० 2982) का नाम 1-7-1975 से अपनी प्रार्थना पर हटा दिया गया है।

सं० 8 सी०ए० (1)/14/75-76.—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्रम सं०	स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	13304	श्री एम० संकरानारायनन आय्यर ए०सी०ए०, ए०-23, श्री विष्ण भगवान को० आप० हाउसिंग सोसाइटी लि०, विष्ण बाग, 137, एम० वी० रोड, अन्धेरी (वेस्ट), बम्बई-400058	1-12-1975
2.	16571	श्री वी० के० साहनी, ए०सी०ए०, डी०-13/2, माडल टाऊन, दिल्ली-110009	11-9-75

पी० एस० गोपोला कृष्णन
सचिव

दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स
एकाउन्टैन्ट ऑफ इन्डिया
(कास्ट एकाउन्टेन्ट्स)

कलकत्ता, दिनांक 22 नवम्बर 1975

सं० 18-सी० डब्ल्यू० आर० (23)/75.—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इनस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस आफ इन्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री के० एम० थोमस, बी० ए० ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० कोटियाथ हाउस, पी० ओ०, बेल्ला, कोचीन-682025 (सदस्यता संख्या 406) के नाम को 10 नवम्बर 1975 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया ।

दिनांक 8 दिसम्बर 1975

सं० 16-सी० डब्ल्यू० आर० (154)/75.—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इनीस्टट्च्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इन्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा दिए गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सुबोध कुमार बसु, एम० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, एफ० सी० एम० ए०, 11, राम स्वरूप खेट्टी रोड, कलकत्ता-53 (सदस्यता संख्या 676) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 23, नवम्बर 1975 से सदस्य पंजिका से हटा दिया ।

एस० एन० घोष,
सचिव

केंद्रीय रेशम बोर्ड
(उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय)
(औद्योगिक विकास विभाग)

बम्बई-400002, दिनांक 8 अक्तूबर 1975

सं० सी०एस०बी०/(16)2(5)/74-ई० एम०.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली 1955 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, मैसूर के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शरीर विज्ञान) डा० जी० शुक्रवाराव को 30 मई, 1975 (पूर्वाह्न) से उसी संस्था में सहायक निदेशक (रेशम) के रूप में 1100-50-1600 के वेतनमान में नियुक्त करता है तथा केन्द्रीय मूगा एवं एरी अनुसंधान केन्द्र, डीटाडारु में उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

एम० मुनिराजु,
अध्यक्ष

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

जयपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 1975

स० एडवर्ड/III(IV)/28/75—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के शेयरधारियों की पन्द्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में सोमवार, 23 फरवरी, 1976 को पूर्वाह्न बारह बजे (मानक समय) होगी, जिसमें 31 दिसम्बर 1975 को समाप्त हुये वर्ष की बैलेंस-शीट व लाभ-हानि लेखा, वर्ष के दौरान बैंक के कार्य पर निदेशकों की रिपोर्ट और बैलेंस-शीट एवं लेखों के सम्बन्ध में आडिटर की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

मंडल के आदेशानुसार,
म य देव,
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

30 जून 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23(5) के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया और धारा 18(5) के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रस्तुत निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

अगस्त 1974

निदेशक बोर्ड

(30 जून 1974 को)

श्री एम० जगन्नाथन (अध्यक्ष)
श्री वी० वी० चारी (उपाध्यक्ष)
डा० आर० के० हजारी
श्री एस० एस० शिरालकर
श्री आर० के० शेषाद्रि
प्रो० एम० एल० दांतवाला
श्री ए० एन० हक्सर
डा० भरत राम
श्री सी० रामकृष्ण
डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर
डा० ए० एम० खुसरो
डा० भबतोष दत्त
श्री एम० पी० चितले
डा० के० कानूनगो
डा० वी० कुरियन
श्री जी० पार्थसारथी
श्री एन० सी० सेन गुप्ता

क्षेत्रीय समितियों के सदस्य

अध्यक्ष : श्री वी० वी० चारी

पूर्वी क्षेत्र

श्री के० एन० मुकर्जी
डा० यू० एन० बरदोलाई
डा० एच० पी० मिश्रा
श्री भास्कर मित्तर
श्री ए० एन० हक्सर
डा० सदाशिव मिश्रा
श्री रणछोड़ प्रसाद

दक्षिणी क्षेत्र

श्री एस० विश्वनाथन
श्री वी० आई० चाकू
श्री एम० एस० पार्थसारथी
डा० वी० षण्मुगसुंदरम्
श्री डी० सी० कोठारी
श्री सी० रामकृष्ण
श्री एम० के० रामचन्द्र

उत्तरी क्षेत्र

श्री हरवंस सिंह
श्री विश्वंभर दास कपूर
प्रो० एन० एल० हिंगोरानी
डा० ए० एम० खुसरो
श्री के० एन० सप्रू
श्री जी० आर० मट्टू

आर्थिक प्रवृत्तियों की समीक्षा : 1973-74

1972-73 के दौरान परिलक्षित मूल्य वृद्धि का दबाव आलोच्य वर्ष के दौरान बढ़ता ही रहा और इसके फलस्वरूप यह वर्ष योजना के इन तेईस वर्षों में अभूतपूर्व मूल्य-वृद्धि का वर्ष हो गया है। खाद्यान्नों, मूल-धातुओं, पैट्रोलियम पदार्थों और पैट्रोलियम आधारित सभी पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों ने प्रचंड रूप धारण किया है। औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में अधिकतम वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में प्रायः स्थिरता आ गई है और बिजली, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पैट्रोलियम-आधारित पदार्थों तथा कागज जैसी आवश्यक सामग्रियों की कमी और परिवहन के गत्यवरोध इस स्थिरता के मुख्य कारण हैं।

2. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 1973-74 के अनुसार राष्ट्रीय आय (1960-61=100) के वस्तुतः 6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके बावजूद यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त वृद्धि दर कम निष्पत्तिवाले (1972-73 की अनुमानित वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत है) वर्ष से संबंधित है। इस वृद्धि का कारण खाद्यान्नों और अन्य पदार्थों जैसे कृषि उत्पादनों में होनेवाली भारी वृद्धि ही है। चौथी योजना अवधि के दौरान शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में हुई 5.5 प्रतिशत की योजनाबद्ध वृद्धि दर से तुलना करने पर इस वर्ष प्राप्त की गई वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है।

3. यह अनुमान है कि 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1972-73 के 9.5 करोड़ मीटरी टन के मुकाबले 10.6 करोड़ मीटरी टन से लेकर 10.8 करोड़ मीटरी टन के बीच हुआ है। फिर भी चौथी योजना के मूल लक्ष्य 12.9 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में इस वर्ष की उपलब्धि संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्नों में (1972-73 के 15.3 प्रतिशत के मुकाबले) 19.4 प्रतिशत की भाव वृद्धि का कारण यह हो सकता है कि किसानों को अपने घरेलू उपभोग और उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए अपने रीते भंडारों को फिर से भरने की चाह थी। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की उपज के अधिशेष में कमी हो सकती है। मूल्यों में निरन्तर वृद्धि की जोरदार संभावनाओं से सट्टेबाजी और साथ ही वास्तविक उपभोग, दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं के लिए मांग का दबाव बढ़ सका है। इसके अलावा, उगाही लक्ष्यों में कमी होने के कारण खाद्यान्नों का जनता में निर्बाध वितरण नहीं किया जा सका जिससे कि मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित किया जा सके।

4. 1973-74 में औद्योगिक उत्पादन में नाम-मात्र की वृद्धि हुई है। 1973-74 के दौरान मूल, उत्पादक और उपभोक्ता मालवाले उद्योगों में नकारात्मक वृद्धि हुई है। बिजली की कमी और परिवहन के गत्यवरोध जैसे परिचालनगत निरोध ही औद्योगिक उत्पादन की कम वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी थे। इस पर लगभग एक माह लंबी रेलवे हड़ताल का भी निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करनेवाले अन्य कारण ये हैं—कच्चे माल की कमी, तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध, चढ़ती कीमतें और क्षमताअवरोध। औद्योगिक उत्पादन में मंदी आ जाने के कारण पहले से वर्तमान कमी, विशेष रूप से उपभोक्ता उद्योगों के माल की कमी, और अधिक बढ़ गई तथा वह अर्थ व्यवस्था के गंभीर तनावों का कारण बनी। औद्योगिक क्षेत्र की निष्पत्ति का और अधिक ब्यौरेवार मूल्यांकन अगले खंड में दिया गया है।

5. कृषि और अन्य निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं (अर्थात् मजदूरीवाले माल) की चढ़ती हुई कीमतों से निर्याह-सूचकांक 21 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे उन औद्योगिक यूनिटों की लागत में आंशिक वृद्धि हो गई है जिन्हें पहले ही औद्योगिक कच्चे माल की लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा था।

6. रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान अर्थ व्यवस्था में व्याप्त अप्रत्याशित ऋण वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए ऋण की लागत में वृद्धि, आरक्षित अनुपात में वृद्धि और चयनात्मक विनिधान सहित अनेक उपाय किये हैं। इसके बावजूद उत्पादन और व्यापार की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर उपाय किये गये हैं किन्तु बैंकिंग प्रणाली से बाहर अत्यधिक नकदी के मौजूद रहने के कारण रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक ढंग से जो विवेकात्मक नीति अपनाई गई है, उसमे अवांछित क्षेत्रों में बैंकेतर उधार के प्रवाह को न रोका जा सका।

7. निर्यात में आलोच्य वर्ष के दौरान वृद्धि-दर 22.9 प्रतिशत है जो कि पिछले वर्ष (22 प्रतिशत) से थोड़ी सी अधिक है। अधिक यूनिट मूल्य प्राप्त होने के कारण निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हुई है परन्तु निर्यात की अधिक कीमतों और प्राप्त राशियों का लाभ आयात की कीमतों और मूल्यों में वृद्धि के कारण, (जिसमें 1972-73 की 1.5 प्रतिशत कमी की तुलना में 46.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है) नहीं मिल पाया। परिणामतः पण्यवस्तु लेखे में 225 करोड़ रुपयों की कमी हुई है। व्यापारिक दृष्टि

से कमी का प्रमुख कारण यह है कि खाद्यान्नों, तेल और तेल आधारित उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अत्यधिक होने के कारण आयात बिल में करीब 47 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद देश की कमियों को आयातों के द्वारा आवश्यक सीमा तक दूर नहीं किया जा सका। आयात मूल्यों में वृद्धि का धातु अथवा रसायन आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है क्योंकि इसके कारण इनकी निवेश-लागत अत्यधिक बढ़ गयी है। इंजीनियरी माल (आस्थगित शर्तोंवाले माल सहित) के निर्यात में वृद्धि जारी रही है और वह 1972–73 के 130 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1973-74 में 175 करोड़ रुपये हो गई है। पूंजीगत उपस्कर और क्रांतिक (क्रिटिकल) कच्चे माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात में अत्यधिक वृद्धि करना आवश्यक होगा ताकि बढ़ते हुए आयात बिल के प्रभाव को बराबर किया जा सके।

8. मूल्य वृद्धि और उपभोक्ता-व्यय में वृद्धि के कारण 1973-74 में बचत और निवेश की दरों में कमी हुई है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शुद्ध घरेलू बचत (वर्तमान मूल्यों पर), 1971-72 के 11.4 प्रतिशत से कम होकर 1972-73 में 11 प्रतिशत रह गई है और 1973-74 में वह और कम होकर 9.9 प्रतिशत ही रह गई है। (सारणी 1) इस प्रकार चौथी योजना के लक्ष्य 13.2 प्रतिशत के परिप्रेक्ष्य में उसमें 1973-74 के दौरान कमी हुई है। 1973-74 की यह कमी सरकारी क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और थोड़ी मात्रा में कम्पनी क्षेत्र के कारण हुई है। सरकारी क्षेत्र की बचत में कमी का कारण सरकारी क्षेत्र के वर्तमान व्यय में हुई वृद्धि और विभागीय उपक्रमों, मुख्यतः रेलवे, की बचतों में हुई कमी है। गैर-विभागीय उपक्रमों की बचतों में सुधार के बावजूद सरकारी बचतों की समग्र दर में कमी हुई है। अनंतिम अनुमानों के अनुसार 1973-74 में वर्तमान मूल्यों पर घरेलू क्षेत्र की बचतों के राष्ट्रीय आय से सीमांत अनुपातों में काफी मात्रा में कमी हुई है। एक ओर जहां बीमा किस्तों, भविष्य निधि और जमा राशियों के रूप में करारवाली बचतों में 1973-74 के दौरान कुछ सुधार हुआ है वहीं दूसरी ओर बैंक की जमाराशियों की वृद्धि दर में मंदी आयी है।

9. वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में जो वास्तविक निवेश (वर्तमान दरों पर) 1972-73 में 11.8 था, वह 1973–74 में घटकर 10.5 रह गया है। घरेलू बचतों की दर में कमी से निवेश दर की मंद गति का व्यापक स्पष्टीकरण मिल जाता है। इसके अलावा, 1972-73 का जो पूंजी आगम 0.8 प्रतिशत था, वह 1973-74 में कम होकर 0.6 प्रतिशत रह गया है और इसके कारण निवेश अनुपात और भी कम हो गया है।

10. अर्थव्यवस्था की चौथी योजना के दौरान इस निष्पत्ति और विशेषकर गत वर्ष की निष्पत्ति की पृष्ठभूमि में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में अच्छे कार्य-परिणाम की बहुत उज्जवल संभावनाएं नहीं हैं। वाणिज्य बैंकों के साधनों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि पिछले दो वर्षों में हुई थी। अर्थव्यवस्था की भावी निष्पत्ति बहुत कुछ उस सफलता पर निर्भर करती है जो बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में प्राप्त की जा सकेंगी तथा बहुत कुछ वर्तमान मानसून और इस पर निर्भर रहेगा कि खाद्यान्नों की उपज कैसी होती है।

	यूनिट	1968-69	1969-70
1	2	3	4
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन (1960-61 मूल्य)	करोड़ रुपयों में	17057	17955
प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन (1960-61 मूल्य)	रुपये	329.9	339.4
कृषि उत्पादन (जुलाई-जून)	सूचक अंक : 1961-62 को समाप्त त्रिवर्षविधि=100	114.8	122.5
खाद्यान्न उत्पादन (जुलाई-जून)	दस लाख मीटरी टन	94.01	99.50
औद्योगिक उत्पादन (अपरिष्कृत)	सूचक अंक : 1960=100	166.1	178.4
निर्यात	करोड़ रुपयों में	1358	1413
आयात	—वही—	1909	1582
विदेशी मुद्रा साधन (मार्च के अंत में)	—वही—	577	821
जनता के पास मुद्रा उपलब्धि (मास के अंत के आंकड़ों का औसत)	—वही—	5428	6011
मुद्रा साधन (मास के अंत के आंकड़ों का औसत)	—वही—	7794	8814
थोक मूल्य (औसत)			
(1) सभी वस्तुएं	सूचक अंक : 1961-62=100	165.4	171.6
(2) खाद्यान्न	,,	201	208
(3) औद्योगिक कच्चा माल	,,	157	180
(4) इंधन, शक्ति, प्रकाश और चिकनाई	,,	149	155
(5) निर्मित माल	,,	134	144
(6) मशीनें और परिवहन उपस्कर	,,	133	136
जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगर)	सूचक अंक : 1949=100	212	215
वर्तमान मूल्यों पर वास्तविक घरेलू बजत का वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन (वा० रा० उ०) से प्रतिशत		8.4	8.5
(1) सरकारी बचतों का वा० रा० उ० से प्रतिशत		2.0	2.2
(2) निजी कंपनियों की बचतों का वा० रा० उ० से प्रतिशत		0.2	0.4
(3) घरेलू बचतों का वा० रा० उ० से प्रतिशत		6.2	5.9
पूंजी के आगम (इनफलो) का वा० रा० उ० से प्रतिशत		1.3	0.8
वास्तविक निवेश का वा० रा० उ० से प्रतिशत		9.7	9.3

सारणी 1—चुने हुए आर्थिक निशर्देक (अप्रैल-मार्च)

1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	वृद्धि की वार्षिक दर		चौथी योजना के दौरान चक्रवृद्धि दर से वृद्धि (%)
				1972-73	1973-74	
5	6	7	8	9	10	11
18708	19033	19101	20247@	0.4	6.0@	3.5@
345.8	343.6	337.5	350.3@	−1.8	3.8@	1.2@
131.4	130.4	118.5	134.5@	−9.1	13.5@	3.2@
108.42	105.17	95.20	106.108@	−9.5	11.3-13.4@	2.4-2.8@
183.8	189.8	199.9	201.0@	5.3	0.5@	3.9@
1535	1608	1961	2411@	22.0	22.9@	12.0
1634	1825	1997	2636@	−1.5	46.7@	6.7@
732	849	847	947	−0.2	11.8	10.4
6729	7557	8559	10033	13.3	17.2	13.1
9979	11476	13304	15846	15.9	19.1	15.3
181.1	188.4	207.1	254.0	9.9	22.6	9.0
207	215	248	296	15.3	19.4	8.0
197	191	204	299	6.8	46.6	13.7
162	172	181	214	5.2	18.2	7.6
155	167	177	206	6.0	16.4	9.0
148	159	168	183	5.7	8.9	6.6
226	233	251	304	7.7	21.1	7.5
10.1	11.4	11.0	9.9			
2.2	2.0	1.9	1.7			
0.6	0.5	0.3	0.2			
7.3	8.9	8.8	8.0			
1.2	1.5	0.8	0.6			
11.3	12.9	11.8	10.5			

(@)ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियां : 1973–74

11. आलोच्य वर्ष में औद्योगिक उत्पादन प्रायः स्थिर बना रहा। यह वर्ष चौथी योजना के दौरान न्यूनतम वृद्धि दर का वर्ष रहा है। चौथी योजना में कुल मिलाकर 3.9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जबकि वृद्धि का लक्ष्य 8–10 प्रतिशत वार्षिक रखा गया था।

12. 1973–74 के औद्योगिक उत्पादन के प्रारंभिक अनुमानों से यह पता लगता है कि इस वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में नाममात्र की वृद्धि हुई है। सारणी 2 में उद्योगों के व्यापक वर्गों के अन्तर्गत वास्तविक निष्पत्ति दर्शायी गई है। योजना के सभी वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह लक्ष्य से कम है। सभी उद्योग समूहों की वार्षिक वृद्धि दर एक जैसी नहीं है; पूंजीगत माल की वृद्धि दर सब से अधिक है और उत्पादक पदार्थ उद्योगों की वृद्धि दर सब से कम है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि पूंजीगत माल उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग समूहों के उत्पादन में 1973–74 के दौरान कमी हुई है।

13. अनुबंध I और II में 1968–74 के दौरान चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े, 1973–74 के उनके उत्पादन लक्ष्य और वृद्धि दरें दी गई हैं। जिन उद्योगों में चक्रवृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक वार्षिक वृद्धि की दर पाई गई है वे इस प्रकार हैं—मशीनी औजार (24.0 प्रतिशत), सूती कपड़े की मशीनें (20.5 प्रतिशत), नाइट्रोजन उर्वरक (14.4 प्रतिशत), बाल और रोलर बेयरिंग (13.5 प्रतिशत), कृषि ट्रैक्टर (8.3 प्रतिशत), मानव निर्मित तंतु (6.6 प्रतिशत) और पेट्रोलियम से बनी चीजें (5.1 प्रतिशत)। इस के बावजूद यह देखा गया है कि अधिकांश उद्योगों में चौथी योजना के लक्ष्यों के संदर्भ में कमी हुई है। पांच वर्षों की अवधि में जिन उद्योगों की वार्षिक दर में कमी हुई है, उनमें सिलाई मशीनों (9 प्रतिशत), रेलवे वैगन (5.5 प्रतिशत), बाईसिकल टायर (3.5 प्रतिशत), जूट से बनी चीजें (2.5 प्रतिशत), मिल का कपड़ा (1.3 प्रतिशत), तैयार इस्पात (1 प्रतिशत) और वनस्पति (0.8 प्रतिशत) आते हैं। चीनी और साबुन जैसी प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है।

सारणी 2—चौथी योजना अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत वृद्धि/ह्रास)

उद्योग समूह	मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष					चक्र वृद्धि दर से वृद्धि	वृद्धि दर का लक्ष्य
	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74*		
मूल उद्योग	9.4	3.4	6.9	7.3	(2.4)	4.9	9.9
पूंजीगत माल उद्योग	1.4	6.0	0.4	10.4	11.9	5.9	17.1
उत्पादक पदार्थ उद्योग	3.8	1.2	3.6	4.3	(1.1)	2.3	5.8
उपभोक्ता पदार्थ उद्योग	10.2	4.5	5.2	1.4	(2.9)	3.6	5.3
कुल उद्योग	7.4	3.0	3.3	5.3	0.5	3.9	8.10

*समूहवार परिवर्तन बड़े उद्योगों के अद्यतन उत्पादन आंकड़ों पर आधारित हैं।

स्रोत : (i) आर्थिक सर्वेक्षण 1973-74 भारत सरकार, (ii) भारत में चुने हुए उद्योगों के उत्पादन के मासिक आंकड़े और (iii) चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, भारत सरकार।

14. चुने हुए उद्योगों के क्षमता-उपयोग से सम्बन्धित आंकड़े नीचे की सारनी 3 में दिए गए हैं। (देखिए अनुबंध III)। इससे यह मालूम होगा कि क्षमता का जो औसत उपयोग 1968–69 में 78 प्रतिशत था वह 1973–74 में कम होकर 70 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के क्षमता उपयोग में सबसे अधिक कमी हुई है।

सारणी 3—चुने हुए उद्योगों का क्षमता-उपयोग

उद्योग समूह	तुलनात्मक अंक	औसत (तुलना किया गया) उपयोग अनुपात		
		1968-69	1973-74	परिवर्तन
1	2	3	4	5
मूल उद्योग	6.070	73	63	—10
पूंजीगत माल उद्योग	4.046	54	59	+5
उत्पादक पदार्थ उद्योग	7.687	83	75	—8
उपभोक्ता माल उद्योग	7.678	95	77	—18
चुने गए सभी उद्योग	25.481	78	70	—8

15. यदि क्षमता के कम उपयोग से औद्योगिक उत्पादन की मंदी परिलक्षित होती है तो औद्योगिक उत्पादन में भावी वृद्धि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के निर्माण किये जाने पर निर्भर होगी। यह मानते हुए कि उत्पादन क्षमता का 80 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा और स्थापना से लेकर उत्पादन होने तक कुछ व्यवधान होंगे, इस क्षमता में यदि लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो तो उत्पादन में लगातार 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करना संभव हो सकेगा। परन्तु चौथी योजना के दौरान, जैसा कि सारणी 4 में दिखाया गया है, चुने हुए उद्योगों में वास्तविक क्षमता का निर्माण, इसकी अपेक्षा कम ही हुआ है।

सारणी 4—चौथी योजना के दौरान चुने हुए उद्योगों में क्षमता के निर्माण की प्रगति

उद्योग समूह	तुलनात्मक अंक	निर्मित क्षमता का (तुलना किया गया सूचकांक)		चक्रवृद्धि दर में वृद्धि (% प्रति-वर्ष)
		1968-69	1973-74	
मूल उद्योग	11.440	100	129	5.3
पूंजीगत माल उद्योग	4.046	100	145	7.8
उत्पादक पदार्थ उद्योग	19.477	100	111	2.2
उपभोक्ता माल उद्योग	17.118	100	118	3.4
सभी चुने हुए उद्योग	52.081	100	120	3.8

टिप्पणी :—1973-74 में क्षमता के अनुमान पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों से लिए गए हैं।

16. यह देखा गया है कि पूंजीगत माल उद्योगों में क्षमता का सबसे अधिक निर्माण हुआ है और उत्पादक पदार्थ उद्योगों में सब से कम क्षमता का निर्माण हुआ है। (देखिए अनुबंध IV) नीचे की सारणी में कुछ चुने हुए उद्योगों की उत्पादन क्षमता के निर्माण की तुलना उनके योजना लक्ष्यों से की गई है।

सारणी 5—कुछ चुने हुए उद्योगों में क्षमता का निर्माण—चौथी योजना के दौरान आयोजित और प्राप्त

उद्योग	यूनिट	तुलनात्मक अंक	क्षमता का निर्माण			लक्ष्य से प्रतिशत कमी
			1968-69	1973-74 (अनुमानित)	1973-74 (आयोजित)	
1	2	3	4	5	6	7
नाइट्रोजन उर्वरक	हजार मीटरी टनों में	0.336	1024	1938	3000	35
तैयार इस्पात	दस लाख मीटरी टनों में	3.800	6.9	8.1	9.0	10
एल्यूमिनियम	हजार मीटरी टनों में	0.144	177	195	230	15
बिजली उत्पादन	दस अरब किलोवाट	5.370	14.29	18.90	23.15	18
कृषि ट्रैक्टर	हजारों में	0.005	20	47	68	31
पेट्रोलियम पदार्थ	दस लाख मीटरी टनों में	1.340	16.25	24	28	14
14 चुने हुए उद्योग		11.771	100	133	163	18

टिप्पणी : (1) 1973-74 में क्षमता के अनुमान पांचवीं पंचवर्षीय योजजना के प्रारूप और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों से लिए गये हैं।

(2) जिन शेष उद्योगों की तुलना की गई है उनके औसतों का हिसाब लगाया गया है, उनमें फास्फेटी उर्वरक ($पी_2 ओ_5$), कृत्रिम रबड़, बिक्री हेतु ढलवां लोहा, तांबा, जस्ता, कागज और लुगदी की मशीनें, मशीनी औजार और अखबारी कागज आते हैं।

17. औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक क्षमता के निर्माण दोनों में ही वृद्धि की धीमी गति के कई कारण हैं। क्षमता निर्माण में कमी के कारण ये हैं—निवेश के अन्तराल, परियोजना निर्माण कार्य में प्रारम्भिक अपर्याप्तता और आवश्यक सामग्री के समय पर न मिलने के कारण परियोजना का श्रीगणेश करने में विलम्ब, विभिन्न एजेन्सियों से लाइसेंस और अनुमतिपत्र प्राप्त करने में विलम्ब, मशीनों की सुपुर्दगी में देरी, सरकारी क्षेत्र के निवेश में मंदी जिसके कारण कि निजी क्षेत्र के निवेशों पर क्षेत्रीय संबद्धता से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और उत्पादन बढ़ानेवाली सभी चीजों की उपलब्धि तथा बाजार की अनिश्चित भावी संभावनायें। इन कारणों में जो कि आपस में पूर्णतया संबद्ध है, अर्थव्यवस्था के क्षमता-अर्जन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

18. जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है एक ओर जहां वह क्षमता निर्माण में विघ्न डालने वाले उक्त कारणों से प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर अन्य विभिन्न कारणों ने अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन को विभिन्न प्रकारों से प्रभावित किया है। इनमें से बिजली और आवागमन अवरोध, इस्पात, सीमेंट, अलौह धातुएं, कोयला और पेट्रोलियम आधारित पदार्थों जैसी प्रमुख सामग्रियों की अनुपलब्धि, प्रबन्धकों और कर्मचारियों दोनों के बीच के तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध तथा सामाजिक अनुशासन का अभाव जैसे कारण उल्लेखनीय हैं। उत्पादन और वितरण दोनों ही स्तरों पर संयंत्रों का अपर्याप्त रख-रखाव और उनकी परिचालन-क्षमता पर कम ध्यान दिये जाने के कारण बिजली पूर्ति में विशेष रूप से व्यवधान होते रहे हैं।

19. आलोच्य वर्ष के दौरान औद्योगिक नीति में हुए प्रमुख परिवर्तनों में से निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय हैं :

औद्योगिक मंजूरियों की क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार ने कुछ निर्णयों की घोषणा की है जो 1 नवम्बर 1973 से प्रभावी हुए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमतिपत्र जारी करना है। सभी मामलों के लिए सामान्य समय-सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है; जहां कहीं एकसाथ आवेदन-पत्र दिये जाते हैं वहां 120 दिनों में एक साथ अनुमति-पत्र देने का लक्ष्य है। जहां एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अनुमति पत्र दिया जाना है वहां 150 दिनों की समय सीमा रखी गई है।

—छोटे और मझोले उद्यमकर्ताओं को सहायता देने की दृष्टि से लाइसेंस रहित क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक के निवेशों की प्रक्रियाओं को भी सरल बना दिया गया है क्योंकि उक्त उद्यकर्ता ही इस क्षेत्र में भाग लेने के योग्य हैं। ऐसे उद्यमकर्ताओं के लिए अब यह संभव हो सकेगा कि वे पहले ही औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना पूंजीगत माल के लिए अनुमतिपत्र हेतु सीधे ही आवेदन कर दें बशर्ते कि वे इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

—औद्योगिक मशीनों, मशीनी औजारों, मुद्रण-मशीनों और रबड़ मशीनों के संबंध में अभिकल्पों (डिजाइन) और आलेखनों (ड्राइंग) के आयात के लिए सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई है ताकि इन उद्योगों में आयात प्रतिस्थापनों को बढ़ावा मिले और इंजीनियरी उद्योगों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

—मूलभूत कच्ची सामग्री, वेतन लागत और अन्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने हाल के महीनों में जिन विभिन्न उद्योगों में कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी है, वे उद्योग हैं—इस्पात [पतरे (प्लेट) संरचनाओं और रेल-सामग्रियों के लिए 75 रु० प्रति मीटर टन और अन्य वर्ग के इस्पात के लिए काफी ऊंची कीमतें], व्यावसायिक वाहन (3.25 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत तक), सीमेंट (50 रु० प्रति मीटर टन), नाइट्रोजन-उर्वरक (नियंत्रित खुदरा कीमत का 90 प्रतिशत), वनस्पति (1,800 रु० से 2,200 रु० तक प्रति मीटरी टन) और अल्यूमिनियम (1,150 रु० प्रति मीटरी टन)।

—1975-75 के संघीय बजट के द्वारा एक वर्ष की विकास छूट के प्रवर्तन को ऐसे मामलों में एक वर्ष के लिए लागू कर दिया गया है जहां यह दर्शाने के लिए निश्चित साक्ष्य हो कि मशीन और संयंत्र की खरीद के करार 1 दिसम्बर, 1973 से पहले ही पूरे हो गये थे। तेलवाले वाष्पित्रों को कोयलेवाले वाष्पित्रों में बदलने के हेतु विकास छूट को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्षों तक के लिए लागू कर दिया गया है।

भाऔवि बैंक के संवर्धन कार्यकलाप

20. देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए पिछले चार वर्षों में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से भा० औ० वि० बैंक ने जो प्रयत्न किये हैं, उनके अन्वेषण चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए वर्ष 1973-74 उल्लेखनीय है। भाऔवि बैंक के संवर्धन कार्यकलापों के अन्वेषण की प्रारम्भिक प्रावस्था अब तक किये गये अनुवर्ती उपाय और भविष्य में जो उपाय करने होंगे उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे के पैराग्राफों में दिया गया है।

अन्वेषण की प्रावस्था

21. पिछड़े राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के सर्वेक्षण

किसी क्षेत्र के विकास के लिए युक्ति (स्ट्रेटिज) का पालन करने में जो मूलभूत कार्य हाथ में लिया जाना है वह उस विशेष क्षेत्र में उद्योग के विकास में विघ्न डालनेवाले कारणों का पता लगाना और फिर उसकी क्षमता का निरूपण करना है। जैसा कि इसके पहले की रिपोर्टों में उल्लेख किया जा चुका है भाऔवि बैंक ने अन्य आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं के सहयोग से निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता के सर्वेक्षण कराने के लिए मई/जून 1970 में इस प्रयोजन से पहल की थी कि साधन सम्पन्नता

मांग की संभावना तथा अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अगले पांच से दस वर्षों के भीतर कार्यान्विति के लिए विशिष्ट परियोजना-सूझबूझों का पता लगाया जा सके। पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अंदमान तथा निकाबार द्वीप समूहों को छोड़कर पिछड़े जिलों के रूप में निर्धारित किये गये सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष के दौरान अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। औद्योगिक क्षमता के जो 18 सर्वेक्षण संयुक्त सांस्थानिक अध्ययन दलों द्वारा किये गये हैं उनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से संबंधित रिपोर्टें मुद्रित और प्रकाशित हो गई हैं। दादरा और नागर हवेली की जो रिपोर्ट मूलतः गोवा, दमन और दीव में शामिल की जानी थी वह अब अलग से निकाली जा रही है और वह छप रही है। आंन्ध्र प्रदेश की रिपोर्ट भी मुद्रणाधीन है। अंदमान और निकोबार द्वीप समूह की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

22. संयुक्त सांस्थानिक अध्ययन दलों ने अपनी रिपोर्टों में ऐसी अनेक औद्योगिक परियोजनाओं/संभावनाओं की सिफारिश की है जिनको कार्यान्वित किया जा सकता है। इनमें 171.5 करोड़ रुपयों की पूंजीगत लागतवाली 48 परियोजनाएं या तो कार्यान्वित हो चुकी हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं और 284.9 करोड़ रुपयों की लागतवाली 15 परियोजनायें वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन हैं। (देखिए अनुबन्ध V) अखिल भारतीय और राज्य स्तर की दोनों ही प्रकार की विकास संस्थाओं द्वारा शेष औद्योगिक संभावनाओं को ठोस परियोजनाओं का मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

23. राज्य औद्योगिक विकास निगम (राऔवि निगम)/राज्य औद्योगिक निवेश निगम (राऔनि निगम) से संबंधित कार्यकारी दल

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राऔवि निगम/राऔनि निगम के कार्यों का अध्ययन करने और उसको भाऔवि बैंक के कार्यकलाप के समूह के साथ समेकित करने की संभावनाओं का सुझाव देने के लिए एक दल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया था। वर्ष 1973 के दौरान अक्तूबर और दिसम्बर में इस कार्यकारी दल की दो बैठकें हुई हैं। इसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट भाऔवि बैंक को 1974 में प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की सिफ़ारिशों पर जो कार्रवाई की जानी है वह भाऔवि बैंक के विचाराधीन है।

24. उद्यम संबंधी समस्याओं का प्रतिरूप (प्रोटो-टाइप) अध्ययन

भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ मैनेजमेंट), अहमदाबाद ने गुजरात के छोटे यूनिटों की उद्यम और प्रबन्ध संबंधी समस्याओं के भाऔवि बैंक द्वारा शुरू किये गये अध्ययन को इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया है। इस अध्ययन का क्षेत्र गुजरात के 15 जिलों में स्थित सूती वस्त्र, रसायन, धातु आधारित और मशीनों के निर्माण जैसे बड़े उद्योगों समूहों तक ही सीमित रखा गया है। इस अध्ययन में "उपक्रम (इन्सेप्शन) अवस्था" और "परिचालन अवस्था" दोनों में ही छोटे उद्यमकर्ताओं के सामने आनेवाली समस्याओं पर विचार किया गया है। उपक्रम अवस्था की समस्याओं का पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, प्रशिक्षण और पिछले अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। परिचालन अवस्थाओं की जो समस्याएं उपक्रम-अवस्थाओं की समस्याओं से अधिक प्रखर हैं वे मुख्यतः आवश्यक कच्ची सामग्री की उपलब्धता, वित्त और तैयार माल के बाजार से संबंधित हैं। अध्ययन दल ने परियोजना के प्रणालीबद्ध आयोजन पर जोर दिया है ताकि बेहतर परिणाम सुनिश्चित किये जा सकें और उपक्रम और परिचालन अवधियों के बीच समय अंतराल को कम किया जा सके। इस रिपोर्ट को उचित परिवर्तनों के साथ विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों/राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को भेजने का इरादा है ताकि वे अन्य क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं की समस्याओं से संबंधित प्रणालीबद्ध अध्ययन का/को प्रवर्तन कर सकें/हाथ में ले सकें।

अनुवर्ती उपाय

25. राज्य स्तर के आंतर सांस्थानिक दल

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बारह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आंतर सांस्थानिक दल (आंसां दल) कार्यरत थे और शेष राज्यों में इन दलों की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इस वर्ष के दौरान 4 और राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में ऐसे दलों का निर्माण हो चुका है। इनमें से अधिकांश आंसां दलों की समय-समय पर बैठकें होती हैं और वे सामान्यतः संबंधित राज्य के औद्योगीकरण से संबंधित समस्याओं और विशेषतः नयी परियोजनाओं का पता लगाने, उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और नये उद्यमकर्ताओं का प्रवर्तन करने आदि पर विचार विमर्श करते हैं। इन दलों के आयोजकों के लाभ के लिए उनके कार्य से संबंधित परिचालन के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त भाऔवि बैंक द्वारा परिचालित किये गये हैं। आंसां दलों से यह आशा की जाती है कि वे अपने राज्य के निर्धारित पिछड़े जिलों के सर्वेक्षण की व्यवस्था करेंगे, नयी परियोजनाओं का पता लगायेंगे और उनमें संबंधित कारगर अनुवर्ती कार्रवाई करने पर ध्यान देंगे। भाऔवि बैंक ने आंसां दलों के लाभ के लिए जिला सर्वेक्षण कराने के मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किये हैं। अब तक सोलह आंसां दलों में से दस ने इस प्रयोजन के लिए उप समितियां पहले ही नियुक्त कर ली हैं और कुछ जिलों के सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं।

26. तकनीकी परामर्श सेवा केन्द्रों (तपसे केन्द्रों) की स्थापना

पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि फरवरी, 1972 में केरल औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (किटको) की स्थापना हो गई है। मई 1973 में गोहाटी में भाऔवि निगम, भाऔऋवि निगम, अग्रणी बैंकों और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा

भाग्रौवि बैंक के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन, सीमित (निटको) नामक एक क्षेत्रीय संगठन का प्रवर्तन किया गया है। इन दोनों परामर्श संगठनों के कार्यकलापों की संक्षिप्त समीक्षा इस रिपोर्ट में आगे दी गई है।

27. एक और तकनीकी परामर्श सेवा संगठन अर्थात् बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्श संगठन, सीमित (बिटको) पिछले वर्ष पटना में भाग्रौवि बैंक की पहल पर भाग्रौवि निगम, भाग्रौविऋनि निगम, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा पांच अग्रणी बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया है।

28. पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की सूचना पुस्तिका

पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि एक ऐसी विवरणिका (ब्रोशुयोर) तैयार की जा रही है जिसमें संभावित उद्यमकर्ताओं के लिए उपयोगी मूलभूत जानकारी एक ही स्थान पर दी जायगी। इस पुस्तिका में सम्बन्धित कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा हो गया है और वह छप गई है। इस पुस्तिका में नीचे लिखी बातें दी गई हैं :—

(i) पता लगायी गई परियोजनाओं के ब्यौरों सहित पिछड़े जिलों की औद्योगिक क्षमता के सर्वेक्षण की भाग्रौवि बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के सारांश;

(ii) अग्रणी बैंकों, व्यवहारिक अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् (एन० सी० ए० ई० आर०) भारतीय विदेशी व्यापार संस्था, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, राज्य स्तरीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिए सुझायी गई परियोजना सूझ-बूझ;

(iii) विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित जो नई प्रक्रिाएं/उत्पादन उद्योग के व्यवसायिक उपयोग के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही प्रत्येक ऐसी नयी प्रक्रिया/उत्पादन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण;

(iv) राविनिगमों/राग्रौवि निगमों जैसी विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी और उपलब्ध परियोजनाओं की रूपरेखाओं/व्यवहार्यता रिपोर्टों की सूची।

(v) देश में उपलब्ध उद्यम और प्रबन्ध-प्रतिभा के विकास के लिए परिचालनगत प्रशिक्षण की योजनाएं;

(vi) (क) केन्द्रीय सरकार का 'पूंजी उपदान' और 'परिवहन उपदान' जैसी,

(ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती वित्तपोषण के रूप में,

(ग) बिजली, पानी, कच्ची सामग्री, वित्तपोषण, तकनीकी मार्गदर्शन विपणन, व्यवहार्यता/परियोजना रिपोर्टों और करों आदि के सम्बन्ध में-राज्य सरकारों और राज्यस्तरीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली अनेक रियायतें और प्रोत्साहन और इस के साथ ही रियायती सहायता के लिए योग्य क्षेत्रों/जिलों की सूची और

(vii) देशी मशीनों और रासायनिक/इंजीनियरी माल की उपलब्धता के बारे में जानकारी।

29. व्यवहार्यता अध्ययन

इस वर्ष के दौरान भाग्रौवि बैंक ने अन्य आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं के सहयोग से मेघालय में 3 परियोजनाओं अर्थात् आलुओं के लिए ठंडे गोदाम, मांस अभिसंस्करण यूनिट और चमड़ा कमाने के कारखाने तथा ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरों के संयंत्र के व्यवहार्यता अध्ययन शुरु किए हैं। वित्तीय संस्थाओं ने अब तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरा के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 17 विभिन्न परियोजानओं के व्यवहार्यता अध्ययनों का श्रीगणेश किया है। संयुक्त सांस्थानिक अध्ययन दलों की सर्वेक्षण रिपोर्टों अथवा अन्य प्रकार से पता लगायी गई परियोजनाओं के प्रति उद्यमकर्ताओं की अभिरुचि जागृत करने की दृष्टि से व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के सारांश संबंधित राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्य मंडलों आदि को भेजे गए हैं। ये रिपोर्टें दिलचस्पी रखने वाले ऐसे उद्यमकर्ताओं को सुहय्या की जाती हैं जो इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करते हैं कि जब वे परियोजना को कार्यान्वित के लिए हाथ में लेंगे तब वे संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन की लागत अदा कर देंगे। असम औद्योगकि विकास निगम और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसे कतिपय राज्य औद्योगिक विकास निगमों और साथ ही कुछ व्यक्तिगत उद्यम-कर्ताओं ने इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में दिलचस्पी दिखायी है। उत्तर पूर्वी औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन, सीमित (निटको) भी इन परियोजनाओं के लिए उद्यमकर्ताओं का पता लगाने में सहायता करेगा।

30. उद्यम और प्रबंध प्रतिभाओं का विकास

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्यम प्रतिभाओं पर अधिकाधिक निर्भर रहना होगा। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है इस संबंध में कार्यवाही की पहल करने के लिए राज्यस्तरीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु भाग्रौवि बैंक ने गुजरात की राज्यस्तरीय संस्थाओं द्वारा नए उद्यमकर्ताओं के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा

परिचालित किया है। इस के प्रति विभिन्न राज्यों में स्थापित अंतर-सांस्थानिक दलों (आंसा दलों) ने काफी दिलचस्पी दिखलाई है। केरल और आंध्र प्रदेश के दलों ने इस बारे में पहले ही कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं जबकि इन में से छः दलों ने अर्थात् बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दलों ने अपने-अपने राज्यों में उद्यमकर्ताओं के प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार करने के लिए उपदलों/उपसमितियों की नियुक्ति की है।

31. उद्यमकर्ताओं को सहायता

भाओवि बैंक ने परियोजनाओं का पता लगाने, उनके निर्माण तथा कार्यान्विति में उद्यमकर्ताओं और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को सहायता देना जारी रखा है। पिछली रिपोर्टों में परामर्शदाताओं और कार्यपालकों की जिस नामिका का उल्लेख किया गया था, उसका भाओवि बैंक द्वारा बनाए रखा जाना जारी है। इस वर्ष के दौरान कतिपय अतिरिक्त नामों को शामिल करके परामर्शदाताओं की सूची को अद्यतन बना लिया गया है। संभावित उद्यमकर्ताओं/दिलचस्पी रखनेवाली पार्टियों के अनुरोध पर उन्हें परामर्शदाताओं के नाम भेजे गए थे। इसी प्रकार नामिका के जो कार्यपालक प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार थे, उनके नाम भी सुझाये गये हैं। अनुसंधान प्रयोगशालाओं से उनके द्वारा विकसित नयी प्रक्रियाओं/उत्पादनों की जो सूचना प्राप्त हुई थी उसे दिलचस्पी रखनेवाले उद्यमकर्ताओं के उपयोग के लिए राज्य स्तरीय आंसा दलों के बीच परिचालित किया गया है। इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा विकसित धान की भूसी और उसकी राख से ईंटों के निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा विकसित जस्ते के बहुत ही महीन बूरे का उत्पादन, केन्द्रीय बिजली रसायन संस्था, कराईकुडी, आदि द्वारा विकसित पेंटों, रेजिनों और अन्य बहुलकों को बिजली भराई से जमा करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित सूचना संभावित उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए राज्य स्तरीय आंसा दलों के बीच परिचालित की गई है। भाओवि बैंक के अधिकारियों का एक दल कच्चे लोहे को इस्पात में बदलने के लिए बाजू से धौंके जानेवाले संपरिवर्तक (कनवर्टर) की नयी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय धातु कर्मशाला, जमशेदपुर गया था।

32. दिलचस्पी रखनेवाली पार्टियों के अनुरोध पर उन्हें परियोजनाओं की रूपरेखाएं/सूचनाएं प्रदान की गयी हैं। जिन परियोजनाओं के बारे में उन्हें सूचनाएं प्रदान की गयी हैं उनमें अन्य परियोजनाओं के साथ कठोर पी० वी० सी० पाइप और पाइप फिटिंग, तांबा चढ़ाये गये एल्यूमिनियम के तारों, लिथो-फोनों और इस्पात तैयार करने की वायवीय प्रक्रिया के द्वारा इस्पात के पत्तरों आदि के निर्माण करने की परियोजनाएं शामिल हैं। मणिपुर सरकार को भी टसर सिल्क के उत्पादन की परियोजना को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

भावी कार्य

33. अन्वेषण के चरण में भाओवि बैंक द्वारा किये गये प्रयत्नों से ऐसी विभिन्न औद्योगिक संभावनाओं का पता लगा है जिनमें से कुछ को पहले ही ठोस परियोजना के रूप में साकार कर दिया गया है। इन परियोजनाओं का उल्लेख पूर्वगामी पैराग्राफों में किया जा चुका है परन्तु उद्यम और प्रबन्ध प्रतिभाओं के अभाव, अवस्थापना सुविधाओं की अपर्याप्तता, निवेश्य वस्तुओं की कमी, वित्तीय साधनों के निरोध, आदि जैसे विख्यात बंधनकारी तत्वों के कारण यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण रिपोर्टों में पता लगाई गई सभी औद्योगिक संभावनाओं को तुरन्त ही वास्तविक परियोजनाओं का रूप नहीं दिया जा सका। यह आवश्यक होगा कि इन संभावनाओं के लिए अग्रता निर्धारित करने की प्रणाली विकसित की जाए और उनकी कारगर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन गत्यवरोधों को दूर करने के लिए शाश्वत आधार पर प्रयत्न करने होंगे जो पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में आजकल बाधा डाल रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए निदेशन-समिति ने दो **तदर्थ** दलों की नियुक्ति की है। इनमें से एक तदर्थ दल परियोजना की कार्यान्विति में आनेवाली समस्याओं का मौके पर जाकर अध्ययन करने और विभिन्न औद्योगिक संभावनाओं के लिए कारगर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपायों का सुझाव देने के लिए और दूसरा तदर्थ दल भाओवि बैंक तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा हाथ में लिये गये विभिन्न संवर्धन उपायों का इस दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए है कि उनमें सुधार लाने की कार्रवाई का सुझाव दिया जा सके। इन दोनों दलों में अखिल भारतीय संस्थाओं अर्थात् भाओवि बैंक, भाओवि निगम और भाओआनि निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आशा की जाती है कि इन दोनों दलों के अध्ययन अगले छह महीनों में उपलब्ध हो जायेंगे।

34. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और अन्य संगठनों ने औद्योगिक संवर्धन के क्षेत्र में जो श्लाघ्य प्रयत्न किए हैं, भाओवि बैंक उनके प्रति जागरूक है। इस संदर्भ में छोटे और मझौले उद्यमकर्ताओं के विकास से संबंधित आर० एस० भट्ट समिति का उल्लेख करना आवश्यक है। इस समिति ने छोटे और मझौले क्षेत्रों की उद्यमशीलता का विकास करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर आजकल केन्द्रीय सरकार और साथ ही वित्तीय संस्थायें सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। यहां भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा स्थापित उद्यमकर्ता मार्गदर्शन केन्द्र का भी उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् भी देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार के केन्द्र खोलने के बारे में विचार कर रही है। कतिपय वाणिज्य बैंकों ने भी मझौले और छोटे उद्यमकर्ताओं को तिजारती बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्रों का पता लगाने तथा क्षेत्रीय विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

35. भाऔवि बैंक ने पिछले चार वर्षों के प्रयत्न अल्प मात्रा में लाभदायक सिद्ध होने लगे हैं। अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा विकसित विकास के युक्तितंत्र (स्ट्रेटिजी) से काफी लाभ होने की आशा की जाती है। इसके बावजूद यह युक्तितंत्र परिचालन की दृष्टि से केवल उसी समय अधिक सफल हो सकती है जब सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयत्न किए जाएं। सोद्देश्य औद्योगिक युक्तितंत्र का उद्भव और उसकी कार्याविति से यह सुनिश्चित होगा कि हम औद्योगिक विकास के लिए जो सुविचारित प्रयत्न कर रहे हैं वे संतुलित क्षेत्रीय विकास नई उद्यमशील प्रतिभा की वृद्धि और देशी प्रौद्योगिकी के विकास के मूलभूत आर्थिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। उपर्युक्त दो तदर्थ दलों की सिफारिशों से ऐसा वयस्तविक युक्ततंत्र का निरूपण करने में सहायता मिलने की आशा है ।

1973-74 का कारबार

सामान्य

36. सहायता की कुल मंजूरियों और सहायता की गई संस्थाओं द्वारा उनके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा उसकी वार्षिक प्राप्ति का स्तर पिछले किसी भी वर्ष के स्तर की अपेक्षा बहुत अधिक है। 1973-74 के दौरान सहायता की कुल प्रभावी मंजूरियां 232.6 करोड़ रुपए हैं जबकि इसके मुकाबले वे 1972-73 में 136.3 करोड़ रुपए थीं। मंजूरियों की संख्या भी 1972-73 के 2,997 से बढ़कर 3,818 हो गई है। सहायता के कुल उपयोग में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 162.2 करोड़ रुपए के नए शिखर स्तर पर पहुंच गई है।

37. समग्र स्थिति

मंजूर की गई और उपयोग में लाई गई सहायता के विवरण सारणी 6 में दिए गए हैं। इस वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सहायता का एक विशिष्ट स्वरूप यह रहा है कि निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को रियायती शर्तों पर दी गई सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । इस वर्ष के दौरान मंजूर की गई प्रत्यक्ष सहायता में से लगभग 46 प्रतिशत सहायता निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले यूनिटों को **रियायती दरों** पर दी गई है। 1972-73 का तदनुरूप यह है कि इस वर्ष मंजूर की गई प्रत्यक्ष सहायता का 70 प्रतिशत नई परियोजनाओं के लिए है जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह 40 प्रतिशत ही था ।

38. इस वर्ष मंजू की गई सहायता का लगभग 57 प्रतिशत औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त, मशीनी बिलों के पुनर्भाजन और अन्य संस्थाओं के शेयरों और बांडों के अभिदान के रूप में दी गई प्रत्यक्ष सहायता है। प्रत्यक्ष सहायता का अपेक्षाकृत अधिक अंश भाऔवि बैंक के इस महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है कि वह अन्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के लिए अनुपूरक साधनों का एक स्रोत है। लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर छोटे और मझौले क्षेत्र के यूनिटों द्वारा साज-सामान के आयात का वित्तपोषण करने के लिए अँवि संघ के ऋण की उपलब्धता तथा वाणिज्य बैंकों के साधनों की तंग स्थिति—ये सब ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप रावि निगम और बैंक भाऔवि बैंक की सहायता पर उत्तरोत्तर अधिक भरोसा करने लगे हैं।

39. 1973-74 के कारबार की विशेषताए नीचे दी गई हैं :—

(i) 1973-74 के दौरान मंजूर की गई कुल सहायता गारंटियों को छोड़ कर 232.6 करोड़ रुपए हैं जो 1972-73 की अपेक्षा 71 प्रतिशत अधिक है। आवेदनपत्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे 1972-73 के 2997 से बढ़कर 3818 हो गए हैं।

(ii) बिल पुनर्भाजन योजना के अधीन इस वर्ष सबसे अच्छा कारबार हुआ है। इस योजना की सुविधाओं का उपयोग राज्य बिजली बोर्डों और राज्य परिवहनों निगमों द्वारा विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान पुनर्भाजन किए गए बिलों का अंकित मूल्य 76.3 करोड़ रुपए है जोकि पिछले वर्ष के आंकड़ों से 53 प्रतिशत अधिक है । इस योजना के अधीन प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करने वाले निर्माताओं/विक्रेताओं की जो संख्या 1972-73 में 231 थी वह 1973-74 में बढ़कर 292 हो गई है और जिन खरीदार—उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उटाया है उनकी संख्या 693 से बढ़कर 804 हो गई है।

(iii) औद्योगिक ऋणों के पुनर्भाजन के अधीन 2,926 आवेदन पत्रों पर मंजूरियों की राशि 45.1 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है जबकि पिछले वर्ष यह राशि 2,204 आवेदन-पत्रों पर 30.7 करोड़ रुपये थी। इस वृद्धि का एक भाग अंवि संघ ऋण के अधीन भाऔवि बैंक राज्य वित्त निगम रावि निगमों से किये गये लेन-देनों के कारण बढ़ा है। लघु उद्योग यूनिटों को मंजूर किये गये पुनर्वित्त की राशि 23.1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 30.9 करोड़ रुपये हो गयी है।

(iv) औद्योगिक संस्थाओं को दी गयी प्रत्यक्ष परियोजना सहायता (निर्यात सहायता को छोड़कर) के अधीन मंजूरियों की राशि 1972-73 की 58 परियोजनाओं के 50.5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 52 परियोजनाओं के लिए 65.4 करोड़ रुये हो गयी है। इस सहायता का लगभग दो तिहाई भाग नयी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए है। इसके अलावा निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को रियायती दरों पर मंजूर की गयी सहायता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

(v) पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित/स्थापित किये जाने वाले यूनिटों को दी गयी जो परियोजना सहायता 1970-71 में 21.1 करोड़ रुपये थी वह 1972-73 में बढ़कर 42.0 करोड़ रुपये हो गयी थी और 1973-74 में और भी बढ़कर 61.3 करोड़ रुपये हो गयी है।

(vi) निर्यात सहायता की मंजूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वह 1972-73 के 2.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 35.6 करोड़ रुपये हो गयी है। इसमें बांगला देश की तीन वित्तीय संस्थाओं को दिये गये 25.0 करोड़ रुपयों का विशेष बैंक ऋण शामिल है ताकि वह देश भारत से आस्थगित ऋण आधार पर पूंजीगत माल का आयात कर सके।

(vii) 1973-74 के दौरान सहायता के नकद उपयोग में 1972-73 की अपेक्षा 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसकी राशि 162.2 करोड़ रुपये है। यह वृद्धि सहायता की सभी प्रमुख योजनाओं के कारण हुई है।

(viii) उर्वरकों और कागज की जिन बड़ी परियोजनाओं के लिए 1971-72 और 1972-73 में सहायता मंजूर की गयी थी उसका काफी मात्रा में आहरण किये जाने से प्रत्यक्ष परियोजना सहायता के कुल उपयोग में और अधिक तेजी आ गई है और वह 1972-73 के 30.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 51.5 करोड़ रुपये हो गई है।

40. भाऔवि बैंक की स्थापना से लेकर और 1973-74 तक प्रत्येक वर्ष में भाऔवि बैंक की सहायता की मंजूरियों और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा उसके उपयोग अनुबंध VI (क) VI (ख) और VI (ग) में दर्शाये गये हैं। [आफ़ 1 (क) 1 (ख) और 2 भी देखिए]।

औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात सहायता को छोड़कर)

41. सहायता की गई परियोजनाओं का स्वरूप

1973-74 के दौरान 74 आवेदनपत्रों पर जिन 52 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष सहायता दी गयी थी उनमें से 37 परियोजनाओं में नयी क्षमता स्थापित करने या वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गयी है जब कि 4 परियोजनाओं को विशाखन के लिए सहायता दी गयी है। शेष 11 संस्थाओं को उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़नेवाले दबावों को दूर करने और/या यूनिटों के पुनःस्थापन और/या परियोजना की बढ़ी हुई लागत को दूर करने के लिए दी गई है।

42. सहायता की गयी 29 नयी परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं उद्योगों के क्रोड़ क्षेत्र की हैं। इनमें से 6 परियोजनाएं पैट्रो रसायनों और औद्योगिक रसायनों के लिए हैं। इनमें से तीन परियोजनाओं का प्रवर्तन राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा किया गया है और वे उद्योगों के संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इनमें से सोडियम हाइड्रो-सल्फाइड की एक परियोजना में आधुनिक औद्योगिकी के उपयोग की शुरूआत की जायगी। इस वर्ष के दौरान टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिए 4 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं में से प्रत्येक में 20 लाख टायरों और ट्यूबों की अतिरिक्त स्थापित क्षमता परिकल्पित की गयी है और जब ये पूरी हो जायेंगी तब मोटरगाड़ियों के टायरों की मौजूदा कमी काफी हद तक दूर हो जायगी। इनमें से तीन परियोजनाएं निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित हैं और इन्हें रियायती दरों पर सहायता प्रदान की गयी है। क्रोड़ क्षेत्र की जिन सात परियोजनाओं में संयुक्त क्षेत्र की तीन परियोजनाएं शामिल हैं उन में विशेष इस्पात पतरों/पिंडों और तारों के निर्माण की परियोजनाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है। इनमें से पांच परियोजनाएं निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित हैं और उन्हें रियायती दरों पर सहायता मंजूर की गयी है। शेष चार क्रोड़ क्षेत्र के यूनिट हैं। जिनमें विभिन्न अश्वशक्ति के 10,000 कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन की परियोजना 50 लाख वर्गमीटर कांच के वार्षिक उत्पादन की परिकल्पनावाली परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र में दो पहियेवाले 10,000 और तीन पहियेवाले 30,000 स्कूटरों के उत्पादन के लिए एक परियोजना और रेफ्रिजरेटरों के लिए 2 लाख एल्यूमीनियम के रोल-बांड पैनलों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकीविदों (टेक्नोक्रेटों) द्वारा प्रवर्तित एक परियोजना शामिल है।

43. वर्ष के दौरान सहायता किये गये अन्य आठ नये यूनिट ये हैं—मैसूर राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रवर्तित एक चीनी परियोजना, तीन होटल परियोजनाएं, खाल और चमड़ा कमाने की सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना, लच्छेदार ऊनी गलीचों के निर्यातोन्मुख उत्पादन की एक परियोजना और औद्योगिगक रूप से पिछड़े राज्य मेघालय में स्थित वाणिज्यिक प्लाइवुड के उत्पादन की एक परियोजना।

44. इस वर्ष के दौरान 8 यूनिटों के विस्तार के लिए सहायता दी गई है। इनमें करीब 63,000 तकुओं की वृद्धि की परिकल्पना वाले कताई यूनिटों (सभी यूनिट सहकारी क्षेत्र के हैं) और राऔवि निगम द्वारा प्रवर्तित ऐनेमिली तांबे के तारों के उत्पादन का एक यूनिट।

सारणी 6-1972-73 और 1973-74 (जुलाई-जून) के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा मंजूर की गई और सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपयोग में लायी गई सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

सहायता का प्रकार	मंजूर की गई सहायता	
	1972-73	
	संख्या	राशि
1	2	3
1. औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	57	59.0
	(54)	(43.2)
2. औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों के लिए दी गई हामीदारी और उनके शेयरों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान	37	8.2
	(35)	(7.0)
3. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	2517	35.3
	(2204)	(30.7)
4. बिलों का पुनर्भाजन	693	49.8
	(693)	(49.8)
5. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	5	2.8
	(5)	(2.8)
कुल परियोजना सहायता (1 से 5 तक)	3309	155.1
	(2991)	(133.5)
6. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण	4	2.7
	(4)	(2.7)
7. निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	2	0.1
	(2)	(0.1)
8. विदेशी ऋणप्रणाली	—	—
1 से 8 तक का जोड़	3315	157.9
	(2997)	(136.3)
9. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियां	1	0.3
	(1)	(0.3)
10. निर्यात गारंटियां	—	—

नोट : (1) आंकड़े कुल मंजूरियों से सम्बन्धित हैं, प्रभावी मंजूरियों के आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं।

(2) मद 4 में दिए गए आवेदन-पत्रों की संख्या खरीदार उपभोक्ताओं की संख्या से सम्बन्धित है और मद 5 की संख्या वित्तीय संस्थाओं की संख्या से सम्बन्धित है।

(3) इस सारणी के आंकड़े तथा बाद की सारणियों/अनुबंधों के आंकड़े उनके जोड़ों से मेल नहीं खायेंगे क्योंकि इनका पूर्णांकन किया गया है।

*निष्पादित की गई गारंटियां।

..नगण्य।

मंजूर की गई सहायता				उपयोग में लाई गई सहायता		
1973-74		जुलाई 1964 से जून 1974 तक		1972-73	1973-74	जुलाई 1964 से जून 1974 तक
संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	राशि	राशि
4	5	6	7	8	9	10
49	60.7	264	355.8	25.2	46.8	171.3
(49)	(58.1)	(243)	(284.2)			
24	7.2	195	74.5	5.0	4.7	31.1
(24)	(7.2)	(180)	(55.1)			
2975	46.2	11134	248.8	25.0	27.7	194.8
(2926)	(45.1)	(9853)	(222.2)			
804	76.3	1963	261.3	42.5	63.7	221.5
(804)	(76.3)	(1963)	(261.3)			
5	10.2	22	49.2	2.8	11.6	47.7
(5)	(10.2)	(22)	(49.2)			
3857	200.6	13578	989.6	100.5	154.5	666.5
(3808)	(196.9)	(12261)	(872.0)			
4	7.9	52	59.0	3.9	6.7	35.7
(4)	(7.9)	(51)	(58.0)			
3	2.7	60	31.5	2.2	1.0	24.6
(3)	(2.7)	(58)	(28.6)			
3	25.0	3	25.0	—	—	—
(3)	(25.0)	(3)	(25.0)			
3867	236.3	13693	1105.2	106.6	162.2	726.8*
(3818)	(232.6)	(12373)	(983.6)			
1	0.04	19	64.6	0.4*	—	19.6*
(1)	(0.04)	(15)	(26.7)			
—	—	3	1.8	0.1*	..	1.8*
		(3)	(1.8)			

45. भाअौवि निगम ने 4 यूनिटों द्वारा हाथ में ली गयी विशाखन योजनाओं की भी सहायता की है। एक मामले में सहायता किया गया जो एक यूनिट मुख्य रूप से कच्चे मैंगनीज के खनन और निर्यात में लगा हुआ है, उसे 24,000 मीटरी टन लौह सिलीकोन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने हेतु सहायता दी गई है। दूसरे मामले में सहायता की गयी कागज परियोजना में कास्टिक सोडा/क्लोरिन के निर्माण की उत्पादन-बद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता मंजूर की गयी है। तीसरे मामले में केरल के क्विलोन जिले में केन्द्रीय खरादों के निर्माण के लिए इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा प्रवर्तित सहकारी उद्यम को सहायता प्रदान की गई है। चौथी यूनिट दस्ती आरी के फलक, औद्योगिक चाकुओं और धातु निर्मित काटने के विशेष औजारों के निर्माण में लगी है और इसमें परिवहन उद्योग के लिए गियर हबों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है।

46. इस वर्ष के दौरान भाअौवि बैंक ने सहायता की गयी 11 परियोजनाओं को अनुपूरक सहायता दी है। इनमें से आठ मामलों में अतिरिक्त सहायता बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए थी जिसकी वृद्धि के कारण इस प्रकार थे—आयात शुल्क में और मुद्राओं के पुनर्मूल्यन के कारण आयातित संयंत्र तथा साज-सामान की लागत में वृद्धि, संतुलन साज-सामान की स्थापना और निर्माण सामग्री, आदि की लागत में वृद्धि। लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए जिन परियोजनाओं को सहायता दी गई है, उनके अन्तर्गत शेषशायी इंडस्ट्रीज की उच्च और कम तनाववाले संवाहकों के निर्माण की परियोजना, बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन लि० (गुजरात पोलियामाइड यूनिट) की नाइलोन तन्तु धागा निर्माण की परियोजना, चेट्टिनाड सीमेंट कार्पोरेशन लि० की सीमेंट परियोजना, मोदी रबर लि० की टायर परियोजना, नार्दर्न इंडिया होटल्स लि० की होटल परियोजना, रीगल पेपर्स लि० की ऊंची चमक-वाले लेपित कागज की परियोजना, अशोक पेपर मिल्स लि० की पुनः स्थापन योजना और बिहार एलॉय स्टील लि० की मिश्र इस्पात की परियोजना आती है। दो मामलों में अर्थात् एसोसिएटेड ग्लास इंडस्ट्रीज लि० की कांच के पोले बर्तनों की परियोजना और तोशिबा आनंद लि० की जीएलएस लैंपों की परियोजना के लिए उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़नेवाले दबाव को दूर करने के लिए सहायता दी गई है। शेष मामलों में अर्थात् दामोदर इंटरप्राइज़ेज लि० की मशीनी औजारों, लौह और अलौह ढलवां वस्तुओं और पुर्जों के निर्माण की परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता दी गई है ताकि वह पुनःस्थापन योजना हाथ में लेकर इस परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता में सुधार ला सके।

47. 1973-74 के दौरान भाअौवि बैंक ने तकनीशन-उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित दो परियोजनाओं अर्थात् एल्यूमीनियम रोलबांड पैनलों के निर्माण के लिए डरको कूलिंग क्वाइल्स लि० और क्विलोन डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग टेकनीशियन इंडस्ट्रीयल (वर्क-शाप) को-आपरेटिव सोसाइटी लि० द्वारा हाथ में ली गयी केन्द्रीय खरादों के निर्माण की विशाखन योजना के लिए सहायता दी है। अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 तक भाअौवि बैंक ने ऐसी 15 परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है।

48. इस वर्ष के दौरान भाअौवि बैंक ने एक स्कूटर और एक चमड़ा कमाने की परियोजना स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के ऐसे दो यूनिटों को भी सहायता दी है। (इनका इससे पहले उल्लेख किया जा चुका है)। अगस्त 1970 से जून 1974 के अन्त तक भाअौवि बैंक ने सरकारी क्षेत्र की 10 परियोजनाओं के लिए 11.4 करोड़ रुपयों की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध VII में दिया गया है।

49. भाअौवि बैंक की सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

सारणी 7 में 1973-74 के दौरान भाअौवि बैंक द्वारा दी गयी प्रत्यक्ष सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण दिया गया है। भाअौवि बैंक की इस प्रत्यक्ष सहायता का बहुत बड़ा भाग ऐसी परियोजनाओं को मिला है जो तकनीकी दृष्टि से निजी क्षेत्र में हैं परन्तु जिनमें काफी सरकारी/राअौवि निगमों की सहभागिता और/अथवा उनके प्रबन्ध में नियंत्रण है। भाअौवि बैंक की सहायता सहकारी यूनिटों, प्रधानतः सूती वस्त्र क्षेत्र, के सहकारी यूनिटों को भी दी गयी है।

50. 1973-74 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के यूनिटों को भाअौवि बैंक द्वारा मंजूर की गयी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का ब्यौरा सारणी 8 में दिया गया है। (ग्राफ 3 भी देखिए)। इस वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओं को सहायता मंजूर की गयी है उनकी सूची अनुबंध VIII में दी गयी है।

51. 30 जून 1974 को समाप्त हुए 10 वर्षों के दौरान भाअौवि बैंक ने ऐसी 250 परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मंजूर की है, जिनकी कुल परियोजना लागत 1,864.1 करोड़ रुपये है। मंजूर की गयी कुल प्रत्यक्ष सहायता की राशि 366.0 करोड़ रुपये होती है जो परियोजना लागत का 19.6 प्रतिशत होती है। इस सहायता का लगभग 54 प्रतिशत (198.0 करोड़ रुपये) 148 नयी परियोजनाओं के लिए दिया गया है। भाअौवि बैंक ने विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन की 86 योजनाओं के लिए कुल 117.9 करोड़ रुपयों की राशि की भी सहायता प्रदान की है जो कुल प्रत्यक्ष सहायता का 32 प्रतिशत होती है।

सारणी 7—मंजूर की गयी प्रत्यक्ष परियोजना सहायता का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1972-73			1973-74			जुलाई 1964 से जून 1974		
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	कुल से प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	राशि	कुल से प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	राशि	कुल से प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
निजी क्षेत्र . .	40	22.3	44.2	31	35.0	53.5	197	201.7	55.1
सरकारी क्षेत्र .	4	3.6	7.1	2	2.8	4.3	10	11.4	3.1
संयुक्त क्षेत्र .	14	24.6	48.7	15	26.1	39.9	38	140.5	38.4
सहकारी क्षेत्र .	—	—	—	4	1.5	2.3	5	12.5	3.4
जोड़ .	58	50.5	100.0	52	65.4	100.0	250	366.0	100.0

सारणी 8—1972-73, 1973-74 और स्थापना से लेकर अब तक मंजूर की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

		परियोजनाओं की संख्या	
		जोड़	पिछड़े जिलों में स्थित
1.	नयी परियोजनाओं को सहायता		
	1972-73	33	11 (9)
	1973-74	29	13 (13)
	जून 1974 तक	148	40 (23)
2.	विस्तार/विशाखन के लिए सहायता		
	1972-73	10	5 (2)
	1973-74	12	2 (2)
	जून 1974 तक	70	19 (4)
3.	आधुनिकीकरण/वैज्ञानिक पुनर्गठन (रैशनलाइजेशन) के लिए सहायता		
	1972-73	5	2
	1973-74	1**	1
	जून 1974 तक	16	5 (1)
4.	औद्योगिक संस्थाओं को अनुपूरक सहायता*		
	1972-73	10	1 (1)
	1973-74	10	3 (2)
	जून 1974 तक	59	8 (3)
5.	सहायता की गयी संस्थाओं द्वारा अधिकार शेयरों में अभिदान		
	1972-73	—	—
	1973-74	—	—
	जून 1974 तक	—	—
	जोड़ 1972-73	58	19 (12)
	1973-74	52	19 (17)
	जून 1974 तक	250	65 (29)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रियायती दरों पर दी गयी सहायता के द्योतक हैं।

*अर्थात् यह सहायता (i) कार्यान्वयन में विलम्ब, मशीनों और इमारती सामान की कीमतों में वृद्धि और अनुमानित नगदी साधनों में होनेवाली कमी आदि के कारण परियोजना की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने, (ii) जिन कंपनियों

(राशि करोड़ रुपयों म)

मंजूर की गयी सहायता						जोड़	
ऋण		हामीदारी		गारंटी			
जोड़	पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाएं	जोड़	पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाएं	जोड़	पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाएं	जोड़	पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाएं
14.5	6.6 (4.5)	5.4	2.5 (1.1)	—	—	19.9	9.1 (5.6)
40.5	20.8 (20.8)	5.6	3.0 (3.0)	—	—	46.0	23.8 (23.8)
143.1	51.3 (25.3)	41.1	14.3 (4.1)	13.8	—	198.0	65.6 (29.4)
7.9	4.8 (1.0)	0.3	0.2	—	—	8.2	5.0 (1.0)
10.8	2.6 (2.6)	1.6	0.1 (0.1)	—	—	12.4	2.7 (2.7)
62.4	15.0 (3.6)	5.6	2.0 (..)	12.5	—	80.5	17.0 (3.6)
14.4	12.0	1.1	—	—	—	15.5	12.0
0.2	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2
33.2	24.4 (12.0)	4.2	2.0 (2.0)	—	—	37.4	26.4 (14.0)
6.4	0.4 (0.4)	0.1	—	0.3	0.3	6.8	0.7 (0.4)
6.6	3.8 (3.7)	—	—	—	—	6.7	3.8 (3.7)
45.6	9.2 (4.1)	2.8	—	0.3	0.3	48.7	9.5 (4.1)
—	—	0.2	0.1	—	—	0.2	0.1
—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1
—	—	1.4	0.2	—	—	1.4	0.2
43.2	23.7 (5.8)	7.0	2.9 (1.1)	0.3	0.3	50.5	(26.9) (6.9)
58.1	27.4 (27.1)	7.2	3.2 (3.1)	..	..	65.4	30.6 (30.2)
284.2	99.9 (44.9)	55.1	18.5 (6.2)	26.7	0.3	366.0	118.7 (51.1)

ने अचल आस्तियों के अर्जन के लिए पहले ही कार्यकारी पूंजी का उपयोग कर लिया है उनके नगदी साधनों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने और (iii) वित्तीय पुनर्गठन, आदि के लिए है।

**अनुपूरक सहायता। .. नगण्य

59 परियोजनाओं को 48.7 करोड़ रुपयों तक की अनुपूरक सहायता प्राप्त हुई है। 1.4 करोड़ रुपयों की शेष राशि सहायता की गयी संस्थाओं द्वारा जारी किये गये क्रयाधिकार शेयरों के अभिदान के रूप में दी गई है।

52. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी प्रत्यक्ष सहायता का 70 प्रतिशत 29 नयी परियोजनाओं के लिए है जब कि विस्तार/विशाखन योजनाओं के लिए 19 प्रतिशत सहायता दी गयी है। शेष 11 प्रतिशत सहायता, अतिरिक्त सहायता के रूप में सहायता की गयी संस्थाओं की बढ़ी हुई परियोजना लागत का वित्तपोषण करने अथवा उनकी वित्तीय स्थिति के तनाव को दूर करने के लिए दी गयी है।

53. इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी कुल वित्तीय सहायता का लगभग 47 प्रतिशत (30.6 करोड़ रुपये) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए दिया गया है। (सारणी 9) इस सहायता का निन्नानवे प्रतिशत रियायती शर्तों पर दिया गया है। पिछड़े जिलों के यूनिटों को दी गई प्रत्यक्ष परियोजना सहायता का लगभग 78 प्रतिशत भाग नई परियोजनाओं के लिए है। 1973-74 के दौरान सहायता किये गये यूनिटों का आकार के अनुसार वर्गीकरण और उन्हें मंजूर की गई प्रत्यक्ष सहायता का मात्रा के अनुसार वर्गीकरण सारणी 10 और 11 में दिया गया है।

सारणी 9—निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाओं को मंजूर की गई भाऔंवि बैंक की प्रत्यक्ष सहायता
(जुलाई 1964—जून 1974)

(राशि करोड़ रुपये में)

(जुलाई/जून)	निर्दिष्ट पिछड़े जिलों को सहायता		अखिल भारतीय सहायता		2 से 4 तक प्रतिशत	3 से 5 का प्रतिशत
	आवेदनपत्रों की संख्या	राशि	आवेदनपत्रों की संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7
1964-65	11	1.48	34	26.35	32.4	5.6
1965-66	4	1.91	42	49.08	9.5	3.9
1966-67	3	1.01	28	25.96	10.7	3.9
1967-68	4	1.58	22	15.76	18.2	10.0
1968-69	7	8.44	26	15.49	26.9	54.5
1969-70	3	5.26	28	11.06	10.7	47.6
1970-71	6	12.04	39	41.85	15.4	28.8
1971-72	9	29.47	55	64.68	16.4	45.6
1972-73	32	26.95	90	50.45	35.6	53.4
1973-74	28	30.56	74	65.36	37.8	46.8
जोड़	107	118.69	438	366.04	24.4	32.4

*इसमें ऋण, हामीदारी और गारंटी शामिल हैं।

सारणी 10—भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गई परियोजनाओं का उनके आकार के अनुसार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

परियोजना का आकार	1972-73			
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर की गई सहायता†	3 से 4 का प्रतिशत
1	2	3	4	5
0.5 करोड़ रुपयों तक	2 (3.4)	0.7 (0.2)	0.2 (0.4)	28.6
0.5 करोड़ रुपयों से 1 करोड़ रुपयों तक	8 (13.8)	6.7 (1.9)	1.3 (2.6)	19.4
1 करोड़ रुपयों से 3 करोड़ रुपयों तक	25 (43.2)	44.3 (12.9)	13.6 (26.9)	30.7
3 करोड़ रुपयों से 5 करोड़ रुपयों तक	11 (19.0)	55.8 (16.1)	8.1 (16.0)	14.5
5 करोड़ रुपयों से 10 करोड़ रुपयों तक	7 (12.1)	49.2 (14.2)	8.2 (16.2)	16.7
10 करोड़ रुपयों से 20 करोड़ रुपयों तक	2 (3.4)	42.7 (12.3)	2.0 (4.0)	4.7
20 करोड़ रुपयों से 50 करोड़ रुपयों तक	2 (3.4)	64.5 (18.6)	14.1 (27.9)	21.9
50 करोड़ रुपयों से अधिक	1 (1.7)	82.5 (23.8)	3.0 (6.0)	3.6
जोड़	58 (100.0)	346.4 (100.0)	50.5 (100.0)	14.6

(राशि करोड़ रुपयों में)

1973-74			जुलाई 1964 से जून 1974 तक				
परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर की गई सहायता†	7 से 8 का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या*	परियोजना लागत	मंजूर की गई सहायता†	11 से 12 का प्रतिशत
6	7	8	9	10	11	12	13
3 (5.8)	1.4 (0.4)	0.3 (0.5)	21.4	15 (6.0)	5.3 (0.3)	1.4 (0.4)	26.4
5 (9.6)	4.2 (1.2)	0.8 (1.2)	19.0	30 (12.1)	22.9 (1.2)	6.2 (1.7)	27.1
16 (30.8)	28.1 (7.9)	7.9 (12.1)	28.1	89 (35.7)	150.3 (8.1)	38.4 (10.5)	25.5
12 (23.1)	47.3 (13.4)	11.5 (17.6)	24.3	42 (16.9)	163.5 (8.8)	37.9 (10.3)	23.2
4 (7.6)	25.6 (7.2)	7.8 (11.9)	30.5	30 (12.0)	212.7 (11.4)	51.0 (13.9)	24.0
7 (13.5)	116.9 (33.0)	19.6 (30.0)	16.8	20 (8.0)	250.0 (13.4)	53.0 (14.6)	21.3
5 (9.6)	130.5 (36.9)	17.5 (26.7)	13.4	14 (5.6)	408.9 (21.9)	98.4 (26.9)	24.1
—	—	—	—	9 (3.6)	650.5 (34.9)	79.4 (21.7)	12.2
52 (100.0)	354.0 (100.0)	65.4 (100.0)	18.5	249* (100.0)	1864.1 (100.0)	366.0 (100.0)	19.6

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत हैं।

†इनमें ऋण, शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी, उनमें प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियां शामिल हैं।

*इसमें एक ऐसी परियोजना शामिल नहीं है जिसके लिए भाओबि बैंक ने केवल गारंटी सहायता प्रदान की है।

परियोजना पर्यवेक्षण

54. सहायता की गयी संस्थाओं के पर्यवेक्षण का उद्देश्य सहायता की गयी परियोजनाओं की प्रगति का निर्धारण करना और नियमित अंतरावधियों में यूनिटों के कार्य-परिणाम पर निगरानी रखना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है तथा यूनिटों को जिन संभाव्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भाओवि बैंक समय समय पर प्रगति रिपोर्ट मंगाता है। समय समय पर दौरों/निरीक्षणों के अलावा भाओवि बैंक कंपनियों के तुलनपत्रों और लेखों का भी अध्ययन करता है। जिन यूनिटों को बहुत अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है उन यूनिटों की प्रबंध व्यवस्था में अपनी कारगर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सहायता की गई संस्थाओं के बोर्डों में भाओवि बैंक अपने नामजद व्यक्ति नियुक्त करता रहा है। 1973-74 के दौरान भाओवि बैंक ने 19 कंपनियों में अपने नामजद व्यक्ति नियुक्त किये हैं। इस वर्ष के अंत तक भाओवि बैंक ने 85 कंपनियों के बोर्डों में 55 व्यक्तियों को नामजद किया है।

सारणी 11—मंजूर की गई प्रत्यक्ष सहायता का मात्रावार वर्गीकरण

सहायता की मात्रा	1972-73			1973-74			जुलाई 1964 से जून 1974 तक		
	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता से प्रतिशत	संचित प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता से प्रतिशत	संचित प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	कुल सहायता से प्रतिशत	संचित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 लाख रुपयों तक	13	3.1	3.1	12	2.3	2.3	65	1.8	1.8
25 लाख रुपयों से 50 लाख रुपयों तक	18	14.7	17.8	9	5.3	7.6	56	6.3	8·1
50 लाख रुपयों से 100 लाख रुपयों तक	15	20.2	38.0	13	13.6	21.2	49	9.7	17.8
100 लाख रुपयों से 200 लाख रुपयों तक	7	18.6	56·6	7	16·1	37·5	36	14·1	31·9
200 लाख रूपयों से 500 लाख रुपयों तक	4	19.6	76.2	10	54.7	92.0	29	24.3	56.2
500 लाख रुपयों से अधिक	1	23.8	100.1	1	8.0	100.0	15	43.8	100.0
जोड़	58	100.0		52	100.0		250	100.0	
(सहायता की राशि करोड़ रुपयों में)		(50.5)			(65.4)			(366.0)	

55. सहायता की गई परियोजनाओं की बढ़ती हुई संख्या तथा कार्यान्वयन और/या परिचालन अवस्था के दौरान यूनिटों के सामने जो समस्यायें आती हैं, उनके कारण पिछले 2-3 वर्षों के दौरान भाओवि बैंक के पर्यवेक्षी कार्यों के परिमाण में और अधिक व्यापकता और जटिलता आई है। यूनिटों के सामने जो सामान्य समस्याऐं आती हैं, वे इस प्रकार हैं : परिचालन की बढ़ती हुई लागतें परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, तकनीकी कमियां तथा संयंत्रों और मशीनों का असंतोषजनक रख-रखाव, अपर्याप्त आयोजनों और रूपरेखा (डिजाईन), निष्प्रभावी बाजार युक्तियों के कारण बाजार क्षमता का पूरा उपयोग करने की कमी, रुढ़िबद्ध खरीदारों की क्रय नीतियों में परिवर्तनों के कारण मांग में होनेवाली भारी कमी, प्रबंध व्यवस्था और मजदूरों के बीच के असंतोषजनक संबंध तथा निदेशक बोर्डों के सदस्यों के आपसी मतभेदों के फलस्वरूप उत्पन्न कमजोरी। भाओवि बैंक इन संस्थायों की कमियों के स्वरूप के आधार पर उन्हें दूर करने के लिए उनकी सहायता करने में एक लाभदायक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

56. सहायता की गई परियोजनाओं के संचालन की जांच की उचित व्यवस्था के फलस्वरूप भाओवि बैंक के लिए यह संभव हो सका है कि वह वाणिज्य बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से निकट का संपर्क स्थापित करके कई मामलों में समय रहते ही सुधार करने की कार्रवाई कर सके। कमजोर यूनिटों के पुनःस्थापन का कार्य जटिल और समय साध्य है और उसके लिए ऊंचे दर्जे की दक्षता की आवश्यकता होती है। भाओवि बैंक ने सहायता किये गये ऐसे चार यूनिटों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सहायता की है जो या तो बन्द पड़ गए थे अथवा जो अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं थे। नई प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन, इन सभी यूनिटों की लाभप्रदता और साथ ही उत्पादन में वृद्धि हुई है और ये यूनिट अब व्यवहार्यता की स्थिति पर आने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बंद पड़े यूनिट के एक अन्य मामले में किसी दक्ष औद्योगिक प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा उसे अपने हाथ में लिए जाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक और यूनिट की समापन कार्यवाई की याचिका के विचाराधीन रहने की अवधि में भाओवि बैंक ने अन्य संस्थाओं के साथ उसकी समापन याचिका का विरोध किया है और उसके लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन करके यूनिट को फिर से शुरू करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना को न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया

है। उक्त प्रबन्ध समिति ने यूनिट का कार्यभार संभाल लिया है और उसको फिर से चालू करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं । एक अन्य यूनिट को सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा हाथ में लिये जाने की योजना पर भाऔवि बैंक और अन्य वाणिज्य संस्थाओं द्वारा विचार किया जा रहा है। एक अन्य बीमार यूनिट के मामले में भी उसके पुनःस्थापन की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। भाऔवि बैंक ने अपने दो अधिकारियों को एक ऐसी समस्यामूलक परियोजना का प्रबंध करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है जिस की स्थापना ऐसे प्रवर्तकों द्वारा की गई थी जिन्हें औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में पर्याप्त अनुभव नहीं था। इसके प्रबन्ध को किसी पर्याप्त अनुभव वाले औद्योगिक यूनिट को सौंपने के लिए बातचीत चल रही है । एक अन्य ऐसे बीमार यूनिट के पुनःस्थापन के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं जो अपने उत्पादनों के निर्यात की मांग में भारी गिरावट आने के कारण काफी प्रभावित हुआ है । भाऔवि बैंक की एक ऐसी सहायक संस्था की वित्तीय सहायता से यह कार्य किया जायेगा जो इस तरह के कार्य करने में विशेषज्ञ है । इस प्रकार ऐसे कई मामले हैं जहां भाऔवि बैंक ने परियोजनाओं के लिए सहायता करके उन्हें समय रहते सहायता प्रदान की है और उनमें अन्य संस्थायों के निवेशों को भी डूबने से बचाया है।

57. वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्व के उत्तरदायित्व का बेहतर उपयोग करने और उनके एकत्रित साधनों तथा विशेषज्ञता का अधिकतक उपयोग करने की दृष्टि से तीन अखिल भारतीय संस्थाओं नामतः भाऔवि बैंक, भाऔवि निगम और भाऔऋनि निगम को कतिपय कठिन परियोजनाएं इसलिए सौंप दी गई हैं कि उनको शीघ्रता से अमल में लाया जा सके। प्रत्येक संस्था को उस परियोजना के लिए 'अग्रणी संस्था' अभिहित किया गया है जो उसे सौंपी गयी है। अग्रणी संस्था के लिए यह जरूरी है कि वह समस्याग्रस्त क्षेत्रों की ओर संकेत करने और समस्याओं को दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिए वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों का कार्यकारी दल गठित करे।

58. एक ओर जहां ये प्रयत्न चालू हैं वहीं दूसरी ओर अनुवर्ती उपायों में और अधिक सुधार लाने के लिए सक्रिय विचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र के अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरुक रहते हुए भाऔवि बैंक का यह प्रस्ताव है कि उभरती हुई स्थिति का अधिक कारगर ढंग से सामना करने के लिए विशेष तंत्र की स्थापना की जाए। इस प्रयोजन के लिए विशेष योग्यता प्राप्त कर्मचारियों से युक्त एक गहन सतर्कता व परामर्श सेवा कक्ष की स्थापना करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समस्यावाली परियोजनाओं पर शीघ्रता से ध्यान दिया जाता है।

59. जहां तक सहायता किए गए यूनिटों के साथ किए गए करारों के माध्यम से उन पर नियामक नियंत्रण रखने का प्रश्न है, भाऔवि बैंक सहायता किए गए यूनिटों में उनकी सहायता संस्थाओं के प्रमुख क्रय अथवा विक्रय एजेंटों के रूप में नियुक्ति ऐसे एजेंटों और साथ ही निदेशकों को गारंटी कमीशन की अदायगी, परिवर्तनीयता खण्डों, आदि का उलंघन करने के प्रयत्न जैसी हानिकारक कार्यप्रणाली के विकसित होने पर नियंत्रण रख सका है।

ऋण को इक्विटी शेयरों में बदलना

60. भाऔवि बैंक और अन्य आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा अपने ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भाऔवि बैंक सभी संबंधित ऋण करारों में परिवर्तनीयता की शर्तें निर्धारित करता आ रहा है । भाऔवि बैंक और अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं ने इक्विटी शेयरों में परिवर्तन किये जाने वाले ऋण के अनुपात और जिस मूल्य पर यह परिवर्तन होना चाहिये उसके बारे में सामान्य दृष्टिकोण अपनाया है । परिवर्तनीयता के विकल्प का उस दिनांक से दो वर्षों के भीतर चुनाव किया जाना है जिस दिनांक से कम्पनी के पर्याप्त उत्पादन प्राप्त कर लेने की आशा हो ।

61. इस वर्ष के दौरान भाऔवि बैंक ने 54.9 करोड़ रुपयों की मंजूरीवाले अपने कुल ऋण/डिबेंचर से संबंधित 43 ऋण करारों में परिवर्तनीयता खंडों की शर्तें निर्धारित की हैं । ऋण की जो राशि परिवर्तनीयता के अंतर्गत आएगी वह कुल मिला कर 10.8 करोड़ रुपए होती है । जून 1974 के अन्त तक 196.5 करोड़ रुपयों के ऋण डिबेंचर की मंजूरियों से संबंधित 153 मामलों में परिवर्तनीयता खण्डों की शर्त लगायी गई है । इनके अधीन परिवर्तनीयता के अंतर्गत आनवाले ऋण की राशि 34.5 करोड़ रुपये है । इस वर्ष के दौरान भाऔवि बैंक ने एक मामले में अपनी ऋण सहायता को इक्विटी में बदलने के विकल्प का प्रयोग किया है। एक अन्य मामले में परिवर्तनीयता के विकल्प का प्रयोग किया जाना है और संबंधित कंपनी परिवर्तनीयता की सुविधा के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जिन अन्य छः मामलों में परिवर्तनीयता विकल्प की अवधि शुरू हो गयी है उनकी सक्रिय रूप से जांच की जा रही है । शेष मामलों में परिवर्तनीयता विकल्प का उपयोग करने की अवधि अभी शुरू होनी है ।

राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना

62. राज्य वित्तीय निगमों (रावि निगम) और बैंकों द्वारा दिये गये औद्योगिक ऋणों के लिये पुनर्वित्त प्रदान करना भाऔवि बैंक के कारबार की एक प्रमुख मद है । इस योजना को लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सहायता प्रदान किये जाने का उत्तरोत्तर कारगर माध्यम बनाने की दृष्टि से उसमें विगत वर्षों में अनेक रियायतें दी गयी हैं/परिवर्तन किये गये हैं । इससे पहले की रिपोर्टों में ऐसी रियायतों का उल्लेख किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वित्त के लिये योग्य ऋण की न्यूनतम राशि में कटौती करने, (छोटे सड़क परिवहन चालकों सहित) लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिटों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा 2 लाख रुपयों तक के ऋणों

के लिये पुनर्वित्त प्राप्त करने की कार्यविधि को उदार बनाने, निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित परियोजनाओं के लिये रियायती शर्तों पर पुनर्वित्त प्रदान करने, तकनीशन-सहायता योजना के अधीन 2 लाख रुपयों तक के रावि निगमों के ऋणों पर रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने, पुनर्वित्त के आवेदनपत्र के फार्म को सरल बनाने, आदि से संबंधित हैं।

63. 1973-74 के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर और अधिक रियायतें दी गयी हैं। जनवरी 1971 में शुरू की गयी उदारीकृत पुनर्वित्त योजना के अधीन रावि निगमों द्वारा भाओवि बैंक को आवेदनपत्र भेजने की समय सीमा की अवधि वर्तमान एक महीने से बढ़ाकर उस दिनांक से तीन माह कर दी गयी है जिसको रावि निगमों द्वारा वित्त की मंजूरी दी गयी हो और पुनर्वित्त के वास्तव में दिये जाने की उक्त अवधि 12 महीनों से बढ़ाकर उस दिनांक से 18 महीने कर दी गयी है जिसको भाओवि बैंक द्वारा पुनर्वित्त की स्वीकृति की सूचना दी गयी हो। पुनर्वित्त की मंजूरी की सूचना के दिनांक से जो पुनर्वित्त 6 महीनों की अवधि तक अनाहरित रहता था उस पर उक्त अवधि के लिये वायदा प्रभार लिये जाने के बदले अब यह प्रभार 9 महीनों की अवधि के बाद लिया जाएगा। अगस्त 1973 में पुनर्वित्त के आवेदनपत्र के फार्म को और भी सरल बना दिया गया है।

64. दिसम्बर, 1972 में औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के क्षेत्र को व्यापक बनाने के संबंध में भाओवि बैंक के अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए भाओवि बैंक ने दिसम्बर 1973 में औद्योगिक बस्तियों को दिए गए ऋणों के लिये पुनर्वित्त प्रदान करने की योजना लागू की है। इस योजना के अधीन केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित औद्योगिक बस्तियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की औद्योगिक बस्तियां पुनर्वित्त प्राप्त करने के योग्य हैं। पुनर्वित्त के लिए योग्य ऋण की न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये के निम्न स्तर पर रखी गयी है। जून 1974 के अंत तक भाओवि बैंक ने इस योजना के अधीन 7 मामलों के लिये 25.4 लाख रुपयों की कुल राशि का पुनर्वित्त मंजूर किया है और इसमें से वितरित किया गए पुनर्वित की राशि 17·3 लाख रुपये हैं।

65. भाओवि बैंक अधिनियम के संशोधन का एक और परिणाम यह भी हुआ है कि औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा में मछली पकड़ने अथवा मछली पकड़ने की तटीय सुविधाएं प्रदान करने अथवा उनके रख-रखाव में लगे हुए उद्योगों को भी शामिल कर लिया गया है। अब मछली पकड़ने के यूनिटों को दिये गये रावि निगमों के ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सुविधा बैंकों को नहीं दी गयी है क्योंकि इस संबंध में कृषि पुनर्वित्त निगम उन्हें पहले ही पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है।

66. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई० डी० ए०) द्वारा भारत सरकार को 250 लाख डालरों का ऋण मंजूर किया गया है। इस ऋण की तुल्य रुपया राशि (रुपी इक्वीवैलेंट) छोटे और मझौले आकार के औद्योगिक यूनिटों को विदेशों से साज-सामान और/या तकनीकी जानकारी आयात करने के लिये रावि निगमों द्वारा दिये गये ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान करने के हेतु भाओवि बैंक को उपलब्ध की जाती है। यह ऋण जून 1973 से प्रभावी हुआ है और इसके अधीन की गयी प्रगति का ब्यौरा एक अलग खण्ड में दिया गया है (सारणी 12) (कृपया ग्राफ 4 देखिये)।

सारणी—12 औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1972–73 जुलाई-जून		1973–74 जुलाई-जून	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. प्राप्त आवेदनपत्र	3463	61.5	4353	96.9
2. स्वीकृत आवेदनपत्र*	2517	35.3	2975	46.2
3. (अवधि के अंत में) विचाराधीन आवेदनपत्र	708	27.1	942	45.9
4. कुल प्रभावी मंजूरियां	22.4	30.7	2926	45.1
5. उपयोग में लाया गया पुनर्वित्त		25.0		27.7
6. पुनर्वित्त की वापसी अदायगी		18.0		21.0
7. अस्वीकृत/वापस लिये गये-लौटाये गये आवेदनपत्र		20.7		27.0
8. (अवधि के अंत में) बकाया राशि		80.9		87.6
9. (अवधि के अंत में) मंजूरियों की उपयोग में न लाई गई राशि		25.0		38.5

*कुल मंजूरियां

67. पुनर्वित्त सहायता की मात्रा

भाऔवि बैंक की पुनर्वित्त योजना के अधीन 1973–74 के दौरान मंजूर की गयी सहायता की राशि 45.1 करोड़ रुपये है जो कि 1972–73 की 30.7 करोड़ रुपयों की राशि से 47 प्रतिशत अधिक है। मंजूर किये गये आवेदन पत्रों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और वे 2204 से बढ़कर 2926 हो गये हैं। पुनर्वित्त सहायता के उपयोग की राशि भी 25.0 करोड़ रुपयों से बढ़कर 27.7 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी है।

68. मंजूर की गई सहायता का संस्थावार वर्गीकरण

पुनर्वित्त सहायता का संस्थावार विभाजन सारणी 13 में दर्शाया गया है। वाणिज्य निगमों और वाणिज्य बैंकों, दोनों के ही द्वारा मंजूर की गई सहायता का पुनर्वित्त प्राप्त किये जाने में काफी वृद्धि परिलक्षित हुई है।

सारणी 13–पुनर्वित्त प्रदान किये गये औद्योगिक ऋणों का संस्थावार विभाजन (राशि करोड़ रुपयों में)

	1972–73		1973–74	
	मंजूर की गयी राशि*	उपयोग में लाई गयी राशि	मंजूर की गयी राशि*	उपयोग में लाई गई राशि
वाणिज्य बैंक	2.8	3.9	7.5	4.6
राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—
राज्य वित्तीय निगम	32.5	21.1	38.7	23.1
	35.3	25.0	46.2	27.7

*कुल मंजूरियां।

69. लघु उद्योग और परिवहन क्षेत्रों को दी गई सहायता

पुनर्वित्त सहायता का बहुत बड़ा भाग लघु उद्योग के यूनिटों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिया गया है। इन यूनिटों को मंजूर की गयी जो सहायता 1968–69 में केवल 2.5 करोड़ रुपये थी वह 1972–73 में बढ़कर 23.1 करोड़ रुपये हो गयी थी तथा वह और भी बढ़कर 1973–74 में 30.9 करोड़ रुपये हो गयी है। इस सहायता के अंतर्गत आने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या भी 1968–69 के 196 के मुकाबले 1973–74 में बढ़कर 2771 हो गयी है (सारणी 14) पिछले पांच वर्षों में सहायता का भौगोलिक आधार पर उत्तरोत्तर व्यापक वितरण हुआ है।

सारणी 14—लघु उद्योगों तथा छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों का पुनर्वित्त

	1971–72	1972–73	1973–74
क. लघु उद्योग			
पुनर्वित्त अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या	195	218	231
मंजूर किया गया पुनर्वित्त आवेदनपत्रों की संख्या	938	1526	2201
राशि (लाख रुपयों में)	1488	2012	2780
ख. छोटे सड़क परिवहन चालक			
पुनर्वित्त के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या	75	92	91
मंजूर किया गया पुनर्वित्त—			
आवेदनपत्रों की संख्या	634	584	570
राशि (लाख रुपयों में)	297	302	312
ग. मंजूर किया गया कुल पुनर्वित्त (क+ख)			
पुनर्वित्त के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या	201	224	242
आवेदनपत्रों की संख्या	1572	2110	2771
राशि (लाख रुपयों में)	1785	2314	3092

70. पुनर्वित्त सहायता का मात्रावार और अवधिवार वर्गीकरण पुनर्भाजन सहायता

1973-74 के दौरान मंजूर की गई पुनर्वित्त सहायता का मात्रावार वर्गीकरण सारणी 15 में दिया गया है । रावि निगम जिस सीमा तक ऋण प्रदान कर सकते थे उनकी उच्चतम सीमा में सांविधिक वृद्धि का अनुसरण करते हुए पुनर्वित्त की औसत मात्रा 1972-73 के 1.4 लाख रुपयों से बढ़कर 1.6 लाख रुपये हो गई है । इस वृद्धि में योगदान करने वाले कारण परियोजना लागत में हुई वृद्धि और अंवि संघ के अधीन किये गये कार्यकलाप रहे हैं। 1973-74 में औद्योगिक यूनिटों को मंजूर किये गये पुनर्वित्त के अवधिवार विश्लेषण से यह पता लगता है कि मंजूर की गयी राशि का 53 प्रतिशत 5 से लेकर 10 वर्ष के बीच की अवधियों के लिये मंजूर किया गया था। इस वर्ष के दौरान 10 वर्ष और उससे अधिक अवधियों के लिये मंजूर किया गया पुनर्वित्त 37 प्रतिशत है जब कि 1972-73 में यह 34 प्रतिशत था । 5 वर्ष से कम अवधियों के लिये मंजूर किये गये पुनर्वित्त की मंजूरियों में कमी हुई है और उनका अनुपात 1972-73 के 13.4 प्रतिशत से कम होकर 1973-74 में 10.1 प्रतिशत रह गया है । (सारणी 16) ।

सारणी 15—1972-73 और 1973-74 के दौरान मंजूर किये गये* औद्योगिक ऋणों के लिए मंजूर किए गए पुनर्वित्त का मात्रावार वर्गीकरण

(कुल राशि से प्रतिशत)

पुनर्वित्त सहायता की मात्रा	1972–73	संचयी प्रतिशत	1973–74	संचयी प्रतिशत
1 लाख रुपयों से कम	22.4	22.4	20.4	20.4
1 लाख रुपयों से 2 लाख रुपयों तक	25.1	47.5	19.7	40.1
2 लाख रुपयों से 5 लाख रुपयों तक	22.3	69.8	20.4	60.5
5 लाख रुपयों से 10 लाख रुपयों तक	17.2	87.0	18.0	78.5
10 लाख रुपयों से 25 लाख रुपयों तक	11.3	98.3	18.2	96.7
25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि	1.7	100.00	3.3	100.0
	100.0		100.0	
(सहायता की राशि करोड़ रुपयों में)	(35.3)		(46.2)	

*कुल मंजूरियां ।

सारणी 16—1972-73 और 1973-74 के दौरान मंजूर की गई (सकल) पुनर्वित्त सहायता (औद्योगिक ऋणों) का मात्रावार और अवधिवार वितरण

(राशि लाख रुपयों में)

मात्रा/अवधि	1972-73				
	5 वर्षों से से कम	5 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्षों से कम	7 वर्ष और उससे अधिक किंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्ष और उससे अधिक	जोड़
1	2	3	4	5	6
10,000 रुपयों से 99,999 रुपयों तक	383.9 (714)	91.7 (190)	191.0 (373)	122.8 (218)	789.4 (1495)
1 लाख रुपये और उससे अधिक किंतु 2 लाख रुपयों से कम	23.9 (20)	119.1 (85)	389.0 (272)	354.2 (242)	(886.2) (619)
2 लाख रुपये और उससे अधिक किंतु 5 लाख रुपयों से कम	16.9 (6)	110.2 (40)	375.7 (132)	284.9 (103)	787.7 (281)
5 लाख रुपये और उससे अधिक किंतु 10 लाख रुपयों से कम	20.6 (3)	73.0 (9)	219.6 (36)	294.9 (43)	608.1 (91)
10 लाख रुपये और उससे अधिक किंतु 25 लाख रुपयों से कम	—	57.6 (4)	210.6 (15)	130.3 (10)	398.5 (29)
25 लाख रुपये और उससे अधिक किंतु 50 लाख रुपयों से कम	28.0 (1)	—	28.0 (1)	—	56.0 (2)
50 लाख रुपये और उससे अधिक	—	—	—	—	—
जोड़	473.3 (744)	451.6 (328)	1413.9 (829)	1187.1 (616)	3525.9 (2117)

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मंजूरियों की संख्या दर्शाते हैं।

(राशि लाख रुपयों में)

1973-74				
5 वर्षों से कम	5 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्षों से कम	7 वर्ष और उससे अधिक किंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्ष और उससे अधिक	जोड़
7	8	9	10	11
356.9 (669)	181.9 (387)	257.7 (492)	144.1 (280)	940.7 (1828)
32.7 (25)	138.6 (106)	372.8 (262)	366.5 (248)	910.7 (641)
26.6 (10)	122.8 (41)	360.0 (126)	430.0 (154)	939.4 (331)
30.8 (5)	111.8 (16)	306.4 (44)	383.3 (52)	832.8 (117)
19.2 (1)	116.2 (7)	366.9 (24)	337.5 (21)	839.8 (53)
—	—	128.0 (4)	25.0 (1)	153.0 (5)
—	—	—	—	—
466.2 (710)	671.3 (557)	1791.8 (952)	1686.9 (756)	4616.2 (2975)

पुनर्भांजन सहायता

पुनर्भांजन सहायता का स्वरूप और मात्रा

71. आस्थगित अदायगी के आधार पर की गई बिक्रियों से संबंधित बिलों/वचनपत्रों के पुनर्भांजन की भाग्रौवि बैंक की योजना अपने परिचालन की सरलता के कारण उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है । जैसा कि सारणी 17 से देखा जा सकता है, इस योजना का अधिकाधिक उपयोग इस वर्ष के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों जैसी उपयोगी सार्वजनिक सेवाओं द्वारा किया गया है ।

सारणी 17—सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों को पुनर्भांजन सहायता (करोड़ रुपयों में)

	1972–73		1973–74		अप्रैल 1965 से जून 974 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदार-उपभोक्ता उद्योगों को सहायता	15	11.2	22	20.7	29	46.7
2. कुल पुनर्भांजन सहायता	693	49.8	804	76.3	1963	261.3
3. 1 से 2 का प्रतिशत		22.5		27.1		17.9

72. पुनर्भांजन किये गये बिलों का राशि 1965–66 के 2.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1972–73 में 49.8 करोड़ रुपये हो गई थी वह बाद में और बढ़कर 1973–74 में 76.3 करोड़ रुपये हो गई है । (कृपया ग्राफ 5 देखिये) । जिन निर्माताओं/विक्रेताओं ने सहायता प्राप्त की है उनकी संख्या भी 1972–73 की 231 से बढ़कर 1973–74 में 292 हो गई है तथा खरीदारों/उपभोक्ताओं की संख्या 1972–73 के 693 से बढ़कर 1973–74 में 804 हो गई है । इस योजना के शुरू किये जाने से लेकर अब तक जिन खरीदार/उपभोक्ताओं तथा मशीनों के विक्रेताओं को सहायता प्राप्त हुई है उनकी कुल संख्या क्रमश: 1963 और 456 है ।

73. विदेशी परियोजनाओं में भारतीय संस्थानों द्वारा इक्विटी सहभागिता पर देशी मशीनों के निर्यात के लिये पुनर्भांजन योजना के अधीन दी गई सहायता का उपयोग उल्लेखनीय है । 1973–74 के दौरान चीनी की एक परियोजना में इक्विटी सह-भागिता पर मलेशिया को निर्यात किये गये देशी मशीनों के लिये 35.8 लाख बिलों का पुनर्भांजन किया गया है। इसके अलावा, भाग्रौवि बैंक पिस्टन के निर्माण, पिस्टर संयोजन तथा लाइनों आदि के उत्पादन की एक परियोजना में इक्विटी सहभागिता के के आधार पर मलयेशिया को 18.4 लाख रुपये के मूल्य की मशीनों के निर्यात बिलों का पुनर्भांजन करने के लिये सहमत हो गया है ।

74. मशीनों के खरीदार-उपभोक्ताओं का उद्योगवार विभाजन सारणी 18 में दिया गया है । उससे यह पता लगता है कि यद्यपि आधुनिकीकरण/पुन:स्थापन के प्रयोजन के लिये सूती वस्त्र उद्योग अब भी काफी मात्रा में इन सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, तथापि बिजली की मशीनों, परिवहन के साज-सामान तथा निर्माण की अन्य इंजीनियरी मदों के खरीदार-उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सहायता म पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

सारणी 18—1973-74 और 1965—1974 के दौरान दी गई पुनर्भांजन सहायता का उद्योगवार विभाजन

(कुल सहायता से प्रतिशत)

खरीदार उपभोक्ता उद्योग	पुनर्भांजन किये गये बिल (अंकित मूल्य)		
	1972–73	1973–74	अप्रैल 1965 से जून 1974 तक
1	2	3	4
1. कृषि आधारित उद्योग	0.7	0.7	0.5
2. सीमेंट	1.8	1.8	1.6

1	2	3	4
3. वस्त्र (जूट को छोड़कर)	46.2	39.4	49.2
4. जूट	0.1	1.0	1.6
5. खनन	2.2	4.5	4.0
6. कागज	0.2	0.1	0.6
7. चीनी	2.8	1.1	2.9
8. तेल (विलायक निस्सारण संयंत्र)	1.3	0.6	2.3
9. बिजली की मशीनें (बिजली के जैनरेटरों सहित)	14.9	19.2	12.1
10. कांच	0.5	0.5	0.3
11. फिल्म	0.3	0.2	0.2
12. प्लास्टिक	1.4	1.2	1.2
13. परिवहन (मोटरगाड़ी की इंजीनियरी को मिलाकर)	11.4	13.2	8.4
14. इंजीनियरी	14.0	15.1	13.4
15. अन्य	2.2	1.4	1.7
जोड़	100.0	100.0	100.0
(सहायता की राशि, करोड़ रुपयों में)	(49.8)	(76.3)	(261.3)

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान

75. 1973-74 के दौरान, भाग्रौवि बैंक ने हरियाणा वित्तीय निगम द्वारा जारी किये गये शेयर पूंजी के निजी इजरे में 25 लाख रुपयों का अभिदान किया है। आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी राज्य वित्तीय निगम द्वारा शेयर पूंजी के सार्वजनिक इजरे नहीं किये गये हैं। यद्यपि 15 रा वि निगमों ने कुल 23.3 करोड़ रुपयों की राशि के बांड बाजार में जारी किये, फिर भी उन्हें भाग्रौवि बैंक से सहायता लिये बिना ही बंद कर दिया गया था। भाग्रौवि बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक राज्य वित्तीय निगमों के बांड इजरों में 5.3 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) और शेयर पूंजी के इजरों में 3.8 करोड़ रुपयों का अभिदान किया है।

76. भाग्रौवि बैंक ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (भाग्रौऋनि निगम) के डिबेंचरों के सार्वजनिक इजरे में 2.1 करोड़ रुपयों का तथा उक्त संस्था के विशेष डिबेंचरों में 2.85 करोड़ रुपयों का अभिदान किया है। 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में भा औ ऋनि निगम द्वारा लिये गये 2.7 करोड़ रुपयों के ऋणों के किश्तों की वापसी अदायगी कर दिये जाने के बाद भा औ ऋनि निगम के डिबेंचरों में, भाग्रौवि बैंक की धारिता जून, 1974 के अंत में 22.0 करोड़ रुपये रह गई है। भाग्रौवि बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के साधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से 5.0 करोड़ रुपयों का विशेष ऋण प्रदान किया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी में भी भाग्रौवि बैंक का भाग 50 प्रतिशत (5 करोड़ रुपये) है।

सारणी 19—निर्यात के लिए भाग्रौवि बैंक की सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	1972–73		1973–74		जुलाई 1964 में भाग्रौवि बैंक की स्थापना से लेकर जून 1974 तक	
	मंजूरियां	उपयोग	मंजूरियां	उपयोग	मंजूरियां	उपयोग
क. प्रत्यक्ष निर्यात ऋण	2.7	3.9	7.9	6.7	58.0	35.7
ख. निर्यात ऋण के लिये पुनर्वित	0.1	2.2	2.7	1.0	28.6	24.6
ग. विदेशी ऋण प्रणाली	—	—	25.0	—	25.0	—
घ. गारंटियां	—	0.1@	—	@	1.8	1.8@
जोड़ (क+ख+ग+घ)	2.8	6.2	35.6	7.7	113.4	62.1

@निष्पादित गारंटियां .. नगण्य

77. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० (भाऔपु निगम) द्वारा 2.5 करोड़ रुपयों की राशि के अभिदान के लिए दूसरी मांग करने पर भाऔवि बैंक ने अपने 50 प्रतिशत* भाग का अंशदान किया है और 1971–72 के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम ने 2.5 करोड़ रुपयों की शेयर पूंजी जुटाई है। मई 1973 में उपूतप संगठन (निटको) की स्थापना हो जाने के बाद, भाऔवि बैंक ने उसकी चुकता पूंजी के 51 प्रतिशत के लिये 2.0 लाख रुपयों का अभिदान किया है। 1973–74 के दौरान भाऔवि बैंक ने केऔतप संगठन (किटको) में 0.13 लाख रुपयों की अतिरिक्त शेयर पूंजी ली है ताकि केऔतप संगठन में एक बैंक के सम्मिलित होने के परिणाम स्वरूप उक्त कंपनी में भाऔवि बैंक की शेयरधारिता 51 प्रतिशत बनी रहे।

निर्यात सहायता

78. देश के निर्यात प्रयत्नों में भाऔवि बैंक का अंशदान दो रूपों में है :—(1) योग्य बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले मध्यावधि निर्यात ऋणों के लिये पुनर्वित्त प्रदान करना और (2) इंजीनियरी माल तथा सेवाओं के निर्यातकों को अनुमोदित वाणिज्य बैंकों की सहभागिता से प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां देना। इन योजनाओं के अधीन 1972–73 और 1973–74 के दौरान भाऔवि बैंक की निर्यात वित्त सहायता की मात्रा सारणी 19 में दी गयी है। (ग्राफ 6 भी देखिये)। आलोच्य वर्ष में भाऔवि बैंक ने सहभागिता योजना के अधीन कुल 7.9 करोड़ रुपयों के पोतलदानोत्तर, ऋण तथा पुनर्वित्त योजना के अधीन 2.7 करोड़ रुपयों के ऋण मंजूर किये हैं जिनमें चीनी और वस्त्र उद्योग की मशीनों, रेल वैगनों, पारेषण लाइन टावरों, ए० सी० एस० आर० संवाहकों, विसंवाहकों, मोटरगाड़ियों के अतिरिक्त पुर्जों, आदि का निर्यात शामिल है। (अनुबंध IX भी देखिये)। इन निर्यात सौदों के लिये कुल पोतलदानोत्तर ऋणों के लिये करीब 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष सहायता भाऔवि बैंक द्वारा दी गयी है और शेष सहायता वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान भाऔवि बैंक ने बांगला देश के तीन वित्तीय संस्थाओं को कुल 25 करोड़ रुपये का विशेष ऋण मंजूर किया है। जून 1974 के अंत में 12.7 करोड़ रुपयों की प्रत्यक्ष सहभागिता ऋण के लिये 13 आवेदनपत्र और 1.4 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता के लिये है 4 आवेदनपत्र विचाराधीन थे। इसके अलावा दोनों योजनाओं के अंतर्गत जिन प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिये भाऔवि बैंक सिद्धांततः सहमत हो गया वे 40.5 करोड़ रुपयों के मूल्य के निर्यात से संबंधित हैं।

79. जैसा कि पिछली रिपोर्ट में आशा की गयी थी, आलोच्य वर्ष में भाऔवि बैंक द्वारा चलायी जानेवाली दोनों योजनाओं अर्थात् प्रत्यक्ष सहभागिता और पुनर्वित्त के अंतर्गत स्वीकृत आवधिक निर्यात ऋणों की मात्रा में 1972-73 के मुकाबले अच्छी खासी वृद्धि हुई है।

80. भाऔवि बैंक ने अपनी स्थापना से ले कर जून, 1974 के अंत तक 86.6 करोड़ रुपयों तक का निर्यात वित्त (गारंटियों और बांगला देश के लिए विशेष ऋण को छोड़ कर) मंजूर किया है जो कि भाऔवि बैंक द्वारा अपनी निर्यात वित्तपोषण योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित आवधिक निर्यात आर्डरों का 56 प्रतिशत होता है। इस सहायता (15.4 करोड़ रुपयों) का करीब 18 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र की कंपनियों/एजेंसियों से संबंधित है। भाऔवि बैंक द्वारा अब तक विभिन्न प्रकार के जिस इंजीनियरी माल के निर्यात का वित्तपोषण किया गया है उसमें इस्पात की रेलें और छड़े, रेल वैगन, पारेषण लाइन टावरें और संवाहक, वस्त्र उद्योग की मशीनें, मोटरगाड़ियां और उनके अतिरिक्त पुर्जे, चीनी मिल की मशीनें, डीजल इंजन आदि शामिल हैं। भाऔवि बैंक की स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक उसके द्वारा प्रदान की गयी निर्यात सहायता का देशवार और पण्यवार वर्गीकरण अनुबंध X में दिया गया है।

खरीदार ऋण योजना

81. पिछली रिपोर्ट में भाऔवि बैंक अधिनियम में दिसंबर, 1972 में किये गये कतिपय संशोधनों और संकल्पित खरीदार ऋण योजना के शुरू किये जाने का उल्लेख किया गया था। आलोच्य वर्ष में भाऔवि बैंक ने खरीदार ऋण योजना शुरू की है। इससे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर परियोजनाओं को भारत से पूंजीगत माल के निर्यात के लिए भाऔवि बैंक भारत के वाणिज्य बैंकों की सहभागिता में विदेशी खरीदारों को ऋण प्रदान कर सकेगा। यद्यपि ऐसे ऋणों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है तथा सामान्यतः न्यूनतम 1 करोड़ रुपयों या इससे अधिक की भारी कीमत के करारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। वर्तमान ब्याज दरों के आधार पर, विदेशी खरीदारों को इन ऋणों की लागत 6½ प्रतिशत वार्षिक पड़ेगी।

*इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ओर से भाऔवि बैंक द्वारा अभिदत्त 5 प्रतिशत की राशि शामिल नहीं है। भाऔवि निगम अधिनियम में हाल ही में हुए संशोधन के साथ भाऔवि निगम के कोटे को उक्त निगम को अंतरित करने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

निर्यात ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि

82. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुसूचित बैंकों के आस्थगित अदायगी आधार पर निर्यात के लिए अपने पोतलदानोत्तर ऋणों पर लिये जानेवाले ब्याज दरों की अधिकतम सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत कर दिये जाने के फलस्वरूप भाग्रौवि बैंक की निर्यात वित्त योजनाओं के अंतर्गत पोतलदानोत्तर ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दरें 1 मई 1974 से 1 प्रतिशत बढ़ा दी गयी हैं। निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के लिए भाग्रौवि बैंक की ब्याज दर अब 5.5 प्रतिशत है। निर्यात वित्त ऋण की सहभागिता के लिए दर भाग्रौवि बैंक की सहभागिता के स्तर पर अलग-अलग है किन्तु संपूर्ण ऋण पर निर्यातक द्वारा देय औसत दर 6.5 प्रतिशत है। फिर भी, भाग्रौवि बैंक जिन सौदों के लिए सिद्धांत रूप से वित्तपोषण प्रदान करने के लिए पहले ही सहमत हो गया है, उनमें वह संशोधन पूर्व की ब्याज दरें लागू करेगा बशर्ते कि उधारकर्त्ता/सहभागी बैंक भी तदनुरूपी संशोधन पूर्व की दरें लागू करें।

बांगला देश को दिये गये ऋण की विशेष प्रणाली

83. भारत और बांगला देश के योजना आयोगों के मध्य मई 1973 में हुए एक करार के अनुसरण में यह तय किया गया था कि भारत से कतिपय पूंजीगत माल के आयात को वित्तपोषित करने के लिए भारत बांगला देश को 25 करोड़ रुपयों तक वाणिज्य ऋण प्रदान करेगा। इसके फलस्वरूप भाग्रौवि बैंक ने बांगला देश की तीन वित्तीय संस्थाओं अर्थात् जनता बैंक (22 करोड़ रुपये) बांगला देश शिल्प बैंक (2 करोड़ रुपये) और बांगला देश शिल्प ऋण संस्था (1 करोड़ रुपये) को कुल 25 करोड़ रुपयों का विशेष बैंक ऋण, मंजूर किया है। कुल ऋण 15 वर्षों की अवधि में अदा करना होगा। जहां तक बांगला देश के मुख्य उधारकर्त्ताओं का संबंध है, भाग्रौवि बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है किन्तु भारत में कुछ वाणिज्य बैंकों के साथ भाग्रौवि बैंक की भागीदारी इन ऋणों में होगी।

1974-75 वर्ष की संभावनाएं

84. खरीदार ऋण योजना के लागू होने के साथ, विशेष ऋण प्रणाली के अंतर्गत बांगला देश को 25 करोड़ रुपये दिये जाने से और वस्त्र उद्योग, मशीनों, चीनी मिल मशीनों, टेलीफोन उपस्करों, बजरों, इत्यादि की पूर्ति के लिए कतिपय बड़े करार सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने से 1974-75 वर्ष में भाग्रौवि बैंक की निर्यात सहायता की मंजूरियों और उपयोग की संभावनाएं उज्जवल प्रतीत होती हैं। फिर भी, बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, उत्पादन बढ़ाने-वाली चीजों की लागत पर मुद्रा स्फीति के दबाव, इत्यादि जैसे अर्थव्यवस्था में कतिपय निरोधक तत्वों के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की संभावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

निर्यात संवर्धन और सलाह देना

85. औपचारिक परामर्शदाता दल और तदर्थ कार्यकारी नीतियों, क्रियाविधियों और निर्यातकों को एकमुश्त (पैकेज) वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित अपने निर्धारित योगदान की पूर्ति करते आ रहे हैं। परामर्शदाता दल ने उपदल द्वारा प्रस्तुत "निर्यात ऋण की मूल्यांकन की कसौटी" पर रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है और इस रिपोर्ट की प्रतियां योग्य बैंकों, निर्यात और निर्यात संवर्धन से संबंधित संगठनों, संबंधित सरकारी विभागों और कतिपय निर्यात गृहों को भेजी गयी हैं। भाग्रौवि बैंक द्वारा जो परामर्श सेवा विकसित की गयी है वह इंजीनियरी माल और सेवाओं के निर्यात से संबंधित सभी संस्थाओं के लिए उत्तरोत्तर उपयोगी सिद्ध हुई है।

86. वित्तीय सहायता के अलावा, भाग्रौवि बैंक ने निर्यातकों को विदेशों में की गयी बोलियों के वित्तीय पक्ष से संबंधित विभिन्न समस्याओं, निर्यात करारों के वित्तीय प्रभावों पर सलाह और विदेश स्थित आयातकों के साथ करार करने में उन्हें सहायता देना जारी रखा है।

विदेशी मुद्रा जोखिमों की सुरक्षा

87. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार की सहमति से मई 1974 में आस्थगित अदायगी की शर्तों पर निर्यातों के संबंध में निर्यातकों को विदेशी मुद्रा दीर्घावधि वायदों के लिए सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना लागू की है। जो निर्यात यह सुरक्षा पाने के योग्य हो सकते हैं, उनके बीजक पौण्ड पावना, अमेरिकी डॉलर, ड्यूश मार्क अथवा जापानी येन में होने चाहिए। यह सुरक्षा 18 महीनों, से अधिक 10 वर्षों तक की आस्थगन अवधियों के लिए उपलब्ध की जाएगी। आलोच्य वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान किये जाने की शुरूआत एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पूंजीगत माल के भारतीय निर्यातकों द्वारा अनुभव की जानेवाली एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो गयी है।

अन्य उदारीकरण

88. निर्यात ऋण पर जिस अवधि के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जा सकता है उससे संबंधित अधिनियम के संशोधनों को भी भाग्रौवि बैंक ने आलोच्य वर्ष में लागू किया है। अब भाग्रौवि बैंक 15 वर्षों तक की अवधियों तक के मध्यावधि निर्यात ऋणों के लिए

पुनर्वित्त प्रदान करता है बशर्ते कि संबंधित सौदे इस योजना की अन्य शर्तों की पूरा करते हों। इसके साथ ही अधिनियम में एक संशोधन के फलस्वरूप, भाआवि बैंक ने अपनी सहभागिता योजना में भी संशोधन किया है ताकि वह उन निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सके जो औद्योगिक संस्थायें नहीं हैं किन्तु जो औद्योगिक संस्थाओं के उत्पादनों के निर्यात करती हैं।

छोटे और मझौले उद्यमकर्ताओं को प्रदान की गई भाआवि बैंक की सहायता

89. अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक भाआवि बैंक ने 10,102 मामलों के लिए 588.2 करोड़ रुपयों की प्रत्यक्ष परियोजना और पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। संख्या की दृष्टि से इन मंजूरियों का लगभग 99 प्रतिशत भाग छोटे और मझौले उद्यमकर्त्ताओं से संबंधित है। लघु उद्योग के यूनिटों और मझौले आकार के यूनिटों को दी गयी मंजूरियों का मूल्य एक साथ मिलकर कुल प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता का लगभग 52 प्रतिशत होता है।

90. 1973-74 के दौरान छोटे आकार और मझौले आकार के यूनिटों में भाआवि बैंक की सहायता का प्रतिशत लगभग 59 है जब कि 1972-73 में उक्त प्रतिशत लगभग 66 और 1971-72 में 42 था। (सारणी 20) पुनर्भाजन सहायता के अधीन आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रयोजन के लिए देशी मशीनों की खरीद हेतु मझौले आकार के खरीदार उपभोक्ताओं द्वारा अधिकांश सहायता प्राप्त की गयी है। इस के साथ ही मझौले आकार के यूनिटों ने भी भाआवि बैंक की निर्यात सहायता का काफी बड़ा भाग प्राप्त किया है।

भाआवि बैंक की सहायता का उद्योगवार विश्लेषण

91. 1973-74 के दौरान और अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक भाआवि बैंक द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं को दी गयी कुल सहायता का उद्योगवार विवरण सारणी 21 में दर्शाया गया है। (अनुबंध XI और XII) तथा ग्राफ 7 भी देखें।)

92. 1973-74 के दौरान भाआवि बैंक द्वारा जो सहायता मंजूर की गयी है, उसका 87 प्रतिशत तक क्रोड़ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के वर्ग से संबंधित है। 1972-73 के लिए तदनुरूप प्रतिशत 79 है। आलोच्य वर्ष के दौरान भाआवि बैंक की सहायता का आफी अधिक भाग टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिए दिया गया है। भाआवि बैंक की स्थापना से लेकर जून 1974 तक भाआवि बैंक की सहायता का चतुर्थ पंचमांश से भी अधिक भाग उर्वरकों सहित मूल औद्योगिक रसायन, अन्य रसायन उत्पादनों, कागज, सीमेंट, मूल धातुओं, टायरों और ट्यूबों तथा अन्य मशीनों के निर्माण जैसे क्रोड़ और अग्रतावाले उद्योगों को प्रदान किया गया है।

सहायता का राज्यवार वितरण

93. 1973-74 के दौरान और भाआवि बैंक की स्थापना से लेकर अब तक भाआवि बैंक की सहायता का राज्यवार वितरण (अनुबंध XIII और XIV) में दिया गया है। 1972-73 और 1973-74 के दौरान मंजूर की गयी सहायता का क्षेत्रवार/योजनावार विभाजन सारणी 22 में दिया गया है। इस सारणी में निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित यूनिटों को सामान्य और रियायती दोनों ही दरों पर तथा पिछड़े क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए मंजूर की गयी सहायता भी अलग से दर्शायी गयी है। वर्ष 1973-74 के दौरान भाआवि बैंक की सहायता (मुख्यतः प्रत्यक्ष सहायता और औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित) में से लगभग 23 प्रतिशत निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को रियायती दरों पर मंजूर किया गया था। 1972-73 के लिए इस से संबंधित आंकड़े 11 प्रतिशत हैं। योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये पिड़छे जिलों के लिए भाआवि बैंक द्वारा प्रदत्त की गयी प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

94. पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए भाआवि बैंक की सहायता की योजनाओं में हुई प्रगति का विवरण अनुवर्ती अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्य विकास

95. वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है वह भाआवि बैंक को कुछ सीमा तक पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ताकि इसके कार्यकलाप के क्षेत्र का अधिक विस्तार किया जा सके और वह उद्योगों को वित्तपोषित करनेवाली प्रमुख वित्तीय संस्था बन सके तथा उद्योगों के वित्तपोषण अथवा उनके विकास के संवर्धन कार्य में लगी हुई अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यकलापों में और अधिक ढंग से समन्वयन किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने 22 दिसंबर, 1973 को लोक सभा में सरकारी वित्तीय संस्था विधि (संशोधन, विधेयक 1973) के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया था और उक्त विधेयक संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया है।

सारणी 20—छोटे और मझौले उपक्रमों को प्रदान की गई भाओवि

(राशि करोड़

	1970-71		1971-72
	सं०	राशि	सं०
छोटे आकारवाली परियोजनायें	1273	13.4	15.72
	(90.9)	(20.3)	(91.4)
मझौले आकारवाली परियोजनाएं	116	15.8	138
	(8.3)	(24.0)	(8.0)
बड़े आकार वाली परियोजनायें	11	36.7	10
	(0.8)	(55.7)	(0.6)
जोड़	1400	65.9	1720

बैंक को प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता

रुपयों में)

1972-73		1973-74				भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1974 तक
राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
17.8	2110	23.1	2771	30.9	8738	94.2
(19.5)	(93.2)	(28.5)	93.1)	(28.4)	(86.5)	(16.0)
20.2	140	30.8	191	34.7	1291	211.9
(22.0)	(6.2)	(37.9)	(6.4)	(31.4)	(12.8)	(36.0)
53.5	12	27.5	16	44.9	73	282.1
(58.5)	(0.5)	(33.5)	(0.5)	(40.6)	(0.7)	(48.0)
91.5	2262	81.2	2978	110.5	101.2	588.2

टिप्पणी : (1) यह संख्या प्रत्यक्ष सहायता के मामले में परियोजनाओं की संख्या की द्योतक है और औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त के मामले में मंजूरियों की संख्या की द्योतक है। मझौले आकार के यूनिट की यहां जो परिभाषा की गयी है उनके अनुसार वह 5 करोड़ रुपयों से अनधिक निवेश वाला यूनिट है।

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत है।

सारणी 21—1972-73 और जुलाई 1964 में भाऔंवि बैंक स्थापना से लेकर जून 1974 तक मंजूर की गई और

सारणी 21—1972-73 और जुलाई 1964 में भाऔवि बैंक स्थापना से लेकर जून 1974 तक मंजूर की गयी और उपयोग में लायी गई सहायता* का उद्योगवार वितरण

(कुल सहायता से प्रतिशत)

	1972-73		1973-74		जुलाई 1964–जून 1974	
	मंजूरियां	उपयोग	मंजूरियां	उपयोग	मंजूरियां	उपयोग
1. पेय पदार्थों को छोड़ कर खाद्य पदार्थों का निर्माण	5.8	3.0	3.6	3.7	3.1	2.9
2. कपड़ा (जूट सहित)	4.5	2.2	2.2	1.8	5.6	7.0
3. कागज और कागज से बनी चीजें	1.3	6.8	2.4	6.8	4.0	4.0
4. रबड़ से बनी चीजों का निर्माण	0.7	1.0	9.8	2.8	2.9	1.1
5. उर्वरकों को छोड़कर अन्य मूल औद्योगिक रसायन	3.4	11.6	6.3	1.6	6.1	4.7
6. अन्य रसायन और रासायनिक चीजें	2.6	4.3	2.1	2.8	4.0	4.5
7. उर्वरक	2.3	0.1	0.2	12.3	9.0	10.2
8. सीमेंट	2.8	0.1	0.1	0.7	1.9	1.9
9. मूल धातु के उद्योग —						
(क) लोहे और इस्पात के मूल उद्योग	16.2	8.0	11.4	8.7	11.7	8.3
(ख) अलौह धातु के मूल उद्योग	0.6	0.2	..	0.1	0.8	0.9
10. मशीनों और परिवहन के उपस्कर को छोड़कर धातु से बनी चीजें	2.9	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
11. बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनों का निर्माण	40.1	45.5	44.7	45.4	35.4	39.6
12. बिजली की मशीनों और साज-सामान आदि का निर्माण	1.8	5.2	2.1	2.6	4.3	4.9
13. परिवहन उपस्कर का निर्माण	2.4	1.3	2.7	1.8	1.6	1.3
14. सेवाएं (इनमें से सड़क परिवहन चालकों को दी गई सहायता)	4.3	3.9	3.0	2.4	2.6	2.5
	(2.2)	(2.8)	(1.6)	(1.7)	(1.6)	(1.9)
15. अन्य	8.3	4.5	7.3	4.6	5.2	4.4
जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(सहायता की राशि : करोड़ रुपयों में)	(133.5)	(103.8)	(197.4)	(150.7)	(909.4)	(679.1)

*इसमें औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण, निर्यातों के लिए दिये गऐ ऋण, (बांगला देश को दिये गयें ऋण को छोड़कर) हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, पुनर्वित्त और पुनर्भाजन सहायता शामिल है।

नगण्य

सारणी 22—आईडीबीआई द्वारा मंजूर की गई सहायता का क्षेत्रवार विवरण

	निर्दिष्ट पिछड़े जिलों की परियोजनाएं	
	सामान्य दरों पर	
	1972-73	1973-74
	(1)	(2)
पूर्वी क्षेत्र		
प्रत्यक्ष सहायता	14.25	0.19
औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	0.20	0.20
बिलों का पुनर्भाजन	0.57	0.75
निर्यात वित्त	—	—
जोड़	15.02	1.14
(क्षेत्रीय जोड़ से प्रतिशत)	(53.2)	(3.5)
पश्चिमी क्षेत्र		
प्रत्यक्ष सहायता	—	—
औद्योगिक ऋणों के लिए पुन वित्त	0.90	0.77
बिलों का पुनर्भाजन	1.94	7.12
निर्यात वित्त	—	—
जोड़	2.84	7.89
(क्षेत्रीय जोड़ से प्रतिशत)	(6.3)	(10.2)
उत्तरी क्षेत्र		
प्रत्यक्ष सहायता	0.07	0.06
औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	0.52	1.00
बिलों का पुनर्भाजन	0.45	0.01
निर्यात वित्त	—	—
जोड़	1.04	2.07
(क्षेत्रीय जोड़ से प्रतिशत)	(4.1)	(6.0)
दक्षिणी क्षेत्र		
प्रत्यक्ष सहायता	5.39	0.15
औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	0.39	0.70
बिलों का पुनर्भाजन	2.31	4.59
निर्यात वित्त	—	—
जोड़	8.09	5.44
(क्षेत्रीय जोड़ से प्रतिशत)	(23.3)	(10.3)
प्रत्यक्ष सहायता	19.71	0.40
औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	2.01	2.67
बिलों का पुनर्भाजन	5.27	13.47
निर्यात वित्त	—	—
कुल जोड़	26.99	16.54
(कुल सहायता से प्रतिशत)	(20.2)	(8.4)

नोट : 1. खाना 7 और 8 के नीचे कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल अखिल भारतीय सहायता के प्रतिशतों से संबंधित हैं ।

(करोड़ रुपयों में)

रियायती दरों पर		पिछड़े निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं		जोड़	
1972-73	1973-74	1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.55	7.19	4.50	6.29	20.30	13.67
1.29	1.55	1.64	2.68	3.13	4.43
—	—	4.25	8.27	4.82	9.02
—	—	—	5.94	—	5.94
2.84	8.74	10.39	23.18	28.25	33.06
(10.0)	(26.4)	(36.8)	(70.1)	(21.1)	(16.8)
0.45	6.50	6.71	12.56	7.16	19.06
2.19	2.83	6.44	9.68	9.53	13.28
—	—	23.70	33.08	25.64	40.20
—	—	2.78	4.55	2.78	4.55
2.64	9.33	39.63	59.87	45.11	77.09
(5.8)	(12.1)	(87.9)	(77.7)	(33.8)	(39.0)
2.96	4.56	4.98	5.59	8.01	10.21
2.46	4.14	7.64	8.19	10.62	13.33
—	—	6.39	10.07	6.84	11.08
—	—	—	—	—	—
5.42	8.70	19.01	23.85	25.47	34.62
(21.3)	(25.1)	(74.6)	(68.9)	(19.1)	(17.5)
1.98	11.91	7.31	10.32	14.68	22.38
2.12	6.04	4.93	7.33	7.44	14.07
—	—	10.23	11.41	12.54	16.00
—	—	0.01	0.18	0.01	0.18
4.10	17.95	22.48	29.24	34.67	52.63
(11.8)	(34.1)	(64.8)	(55.6)	(26.0)	(26.7)
6.94	30.16	23.50	34.76	50.14	65.32
8.06	14.56	20.65	27.88	30.72	45.11
—	—	44.57	62.83	49.84	76.30
—	—	2.79	10.67	2.79	10.67
15.00	44.72	91.51	136.14	133.49	197.40
(11.2)	(22.6)	(68.6)	(69.0)	(100.0)	(100.0)

2. इन आंकड़ों में गारंटी सहायता शामिल नहीं है।

राविनिगमों द्वारा वित्तपोषित/भाऔवि बैंक द्वारा पुर्नवित प्रदान की गई छोटी और मझोली परियोजनाओं के लिए अंवि संघ का ऋण

96. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अंवि संघ ने भारत सरकार को 250 लाख डालरों का ऋण मंजूर किया गया है। इस ऋण की तुल्य रुपया राशि विदेशों से साज-सामान और या तकनीकी जानकारी को आयात करने के लिए छोटे और मझौले आकार की औद्योगिक यूनिटों को रावि निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु, भाऔवि बैंक को मुहैय्या की गयी है। उक्त ऋण राज्य वित्त निगमों को क्षेत्रीय विकास बैंकों के रूप में शसक्त बनाने और उनकी प्रभावोत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के कार्यक्रम से संबद्ध किया गया है। पिछली रिपोर्ट में इस योजना की विस्तृत रूप रेखा का पहले ही ब्यौरेवार उल्लेख किया जा चुका है।

97. इस ऋण के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने की कार्यविधि के अधीन यह आवश्यक है कि आवेदन सहायता की मंजूरी के लिए रावि निगम से प्रार्थना करे और साथ ही साथ निर्यात लाइसेंस जारी किये जाने के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सी० सी० आई० ई०) को आवेदन करे। पूंजीगत माल की तदर्थ समिति (सी० जी० ए० सी०) द्वारा रावि निगम की मोहर लगे हुए आयात लाइसेंस के आवेदनपत्र पर विचार किया जाता है और उस की अनुमति के साथ-साथ राज्य वित्त निगम द्वारा सहायता मंजूर किये जाने से आवेदक आयात लाइसेंस प्राप्त करने लायक हो जाता है। जहां तक राज्य वित्त निगम के आवेदक का संबंध है, इस अवस्था पर उसके द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा का आश्वासन उसे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आवेदक को आश्वासन दी गई विदेशी मुद्रा पर विदेशी साज-सामान को आयात करने सहित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्यान्वियन की प्राप्ति वस्तुत: अनेक कारणों पर निर्भर करती है। जिनमें विदेशी पूर्तिकार द्वारा साज-सामान को सुपुर्द करने की गति, नौवहन-स्थान की उपलब्धता और कोयला, इस्पात, सीमेंट, आदि जैसी आवश्यक देशी कच्चे माल की उपलब्धता शामिल हैं।

98. यह ऋण जून, 1973 से प्रभावी हुआ है। कार्यविधि संबंधी मामलों और इस ऋण के लेन-देनों से संबंधित सामान्य शर्तों और निबंधनों से संबंधित रावि निगमों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने जैसे प्रारंभिक कार्य पूरे करने के बाद भाऔवि बैंक ने सितंबर और नवम्बर, 1973 के दौरान क्षेत्रीय सम्मेलनों की एक श्रृखला का आयोजन किया है। ताकि रावि निगमों को ऋण के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जा सके और ऋण को शीघ्रता से उपयोग में लाये जाने के उपायों पर विचार किया जा सके।

99. जैसा कि पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका है, भारत सरकार ने अंवि संघ के अधीन निर्यात किये जाने वाले पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर अनुमति प्रदान करने के कार्यविधि को सरल बना दिया है। इस नयी सरलीकृत कार्य विधि के अनुसार इस ऋण के अधीन सहायता प्राप्त करने वाले प्रस्तावों पर पूमात समितिने अपने पास विचाराधीन पड़े हुए आयात लाइसेंसों के बहुत बड़े भाग को जहां कहीं संभव हो वहां उन्हें अंवि संघ के अधीन अंतरित कर के समाप्त कर दिया है। चूंकि अंवि संघ ऋण केवल रावि निगम के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है अतएव उक्त आवेदनपत्रों के अंतरण से यह जरूरी हो गया है कि उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तपोषण की योजनाओं का फिर से क्रम निर्धारण किया जाय।

100. जून, 1974 के अंत तक रावि निगमों को ऋण सहायता के लिए कुल 26.2 करोड़ रुपयों के 376 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। इनमें, देशी लागत और विदेशी साज-सामान के आयात का वित्तपोषण करने के लिए 11.3 करोड़ रुपयों के 178 आवेदन पत्र थे जिनका उसके द्वारा निपटान कर दिया गया है। इस ऋण के अधीन सहायता पाने के लिए अयोग्य होने के कारण, 2.9 करोड़ रुपयों के 29 आवेदन-पत्रों को नामंजूर कर दिया गया है। 12.0 करोड़ रुपयों की कुल, सहायता के 169 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। रावि निगमों द्वारा मंजूर किये गये आवेदनपत्रों और उनके पास विचाराधीन रहने वाले आवेदनपत्रों से संबंधित सहायता की कुल राशि 23.3 करोड़ रुपये है जिस के लिए लगभग 22.0 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त प्रदान किया जायगा। इस पुनर्वित्त से भाऔवि बैंक 120 लाख अमेरिकी डालरों की राशि तक के वायदे कर सकेगा यह आशा की जाती है कि अंवि संघ ऋण के 250 लाख डालरों की पूरी राशि के लिए निर्दिष्ट अवधि अर्थात जून 30, 1975 के भीतर ही वायदे किये जा सकेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भाऔवि बैंक की सहायता

101. द्रुत आर्थिक विकास तथा इस विकास के लाभों का समान रूप से क्षेत्रीय वितरण हमारी आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। चौथी योजना के प्रारंभ होने से ही इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जागरूक प्रयत्नों में तेजी लाई गई है।

102. 1970 में भाऔवि बैंक ने रियायती सहायता की दो योजनाएं प्रारंभ की हैं। पहली योजना निर्दिष्ट पिछड़े जिलों की छोटे और मझौले आकार की परियोजनाओं को प्रदान किये गये 20 लाख रुपयों के सभी योग्य ऋणों के लिए रावि निगमों/बैंकों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान कर ने से संबंधित है, तथा दूसरी योजना निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में 1 करोड़ रुपयों से अनधिक निवेश वाली नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए रियायती शर्तों पर प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने से संबंधित है। दिसम्बर, 1971 में नयी परियोजनाओं को मुहैय्या की गयी ये सुविधाएं, कतिपय शर्तों के अधीन पर्याप्त विस्तार को अपनाने वाले औद्योगिक यूनिटों को भी प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त विस्तार की परिभाषा उन नियत निवेशों के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि से है जो क्षमता के विस्तार आधुनिकीकरण, आदि के रूप में किये गये हों। पहली योजना के अधीन प्रत्येक यूनिट

अपनी वित्त की आवश्यकताओं के लिए सीधे ही रावि निगमों/बैंकों को प्रार्थना करते हैं और तत्पश्चात् ये प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं पुनर्वित्त सुविधाओं के लिए भाओवि बैंक से अनुरोध करती है। अतः ये ही प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं परियोजना चक्र के सभी चरणों में अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाओं के प्रवर्त्तकों के सीधे संपर्क में आती है । इस प्रकार की परियोजनाओं के संबंध में भाओवि बैंक का योगदान यह है कि वह रावि निगमों/बैंकों को सस्ते दरों पर अपनी सहायता दे कर उन्हें इस लायक बना दे कि वे रियायती दरों पर वित्त प्रदान कर सकें।

103. भाओवि बैंक ने इन दोनों योजनाओं को फरवरी और जून 1973 में उदार बना दिया है। यथासंशोधित, इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं : (क) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित छोटे और मझौले आकार की परियोजनाओं को रावि निगमों/बैंकों द्वारा प्रदान किये गये 30 लाख रुपयों तक के ऋणों के लिये उन्हें रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान करना बशर्ते कि प्राप्तकर्त्ता यूनिट की चुकता पूंजी और आरक्षित राशि 1 करोड़ रुपयों से अधिक न हों, और (ख) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में परियोजनाओं, चाहे उनका आकार कुछ भी क्यों न हों, की स्थापना करने वाली नई संस्थाओं को (भाओवि निगम तथा भाओऋनि निगम की सहभागिता में) 2.00 करोड़ रुपयों तक की प्रत्यक्ष रुपया ऋण सहायता तथा 1.00 करोड़ रुपयों तक की हामीदारी सहायता प्रदान करना। प्रत्यक्ष रियायती सहायता की योजना में मार्च, 1974 में और आगे संशोधन किया गया है ताकि उसके लाभ विस्तार, विशाखन, नवीकरण तथा पुनः स्थापन कार्य करनेवाली परियोजनाओं को भी प्रदान किये जा सकें।

104. पिछड़े क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को प्रदान की गयी प्रत्यक्ष सहायता के लिए दी जाने वाली रियायतों में निम्नलिखित शामिल हैं : अपेक्षाकृत कम ब्याज दर अर्थात् वार्षिक 7.5* प्रतिशत 1/2 प्रतिशत कम किया हुआ वायदा प्रभार (जो कि विशिष्ट मामलों में पूरा का पूरा छोड़ा जा सकता है)। शेयरों और डिबेंचरों के लिए क्रमशः $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 3/4 प्रतिशत कम हामीदारी कमीशन, प्रारम्भिक स्थगन काल की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष तक करना, 15 से 20 वर्षों तक की अपेक्षाकृत अधिक लम्बी परिशोधन अवधियां निर्धारित करना, और चयनात्मक आधार पर पूंजीगत जोखिमों में भाग लेना। इस के अतिरिक्त भाओवि बैंक ने विशिष्ट मामलों में गुणावगुणों के आधार पर प्रवर्तकों के अभिदान, मार्जिन की अपेक्षाओं, ऋण के चालू रहने के दौरान अदायगी की अवधि के फिर से निर्धारित किये जाने, आदि के मामलों में अनाग्रही प्रवृत्ति अपनायी है। पुनर्वित्त के लिए भाओवि बैंक ने 4.0** प्रतिशत की विशेष दर लागू की है बशर्ते कि प्राथमिक ऋणदाताओं की ब्याजदर 7.5** प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर रहे।

निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को भाओवि बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता की प्रवृत्तियां**

105. प्रत्यक्ष और साथ ही पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की रियायती योजनाएं लगभग चार वर्ष पुरानी हो गई हैं। जैसा कि निम्नलिखित सारणी से प्रतीत होता है, इस थोड़ी सी अवधि में की गई प्रगति उत्साहवर्धक है। (ग्राफ़ 8)

*ब्याज की उपयुक्त दरों को 27 जुलाई, 1974 को परिशोधित किया गया है। (परिशिष्ट XV देखिए)

**विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के उन जिलों/क्षेत्रों से संबंधित जिन्हें योजना आयोग ने निर्दिष्ट किया है तथा जो वित्तीय संस्थाओं के रियायती सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं।

सारणी 23—निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को भाओवि बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता (प्रभावी)*

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल सहायता	निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को प्रदान की गयी सहायता**
1964-65	42.1	4.9
1965-66	60.1	5.4
1966-67	44.3	5.8
1967-68	37.5	5.3
1968-69	44.0	14.2
1969-70	48.5	11.6
1970-71	92.2	21.1
1971-72	136.8	44.4
1972-73	130.7	42.0
1973-74	186.7	61.3
जोड़	822.8	216.0

*इसमें प्रत्यक्ष परियोजना सहायता, औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त तथा बिलों का पुनर्भाजन शामिल है।

**यह सहायता रियाती और सामान्य शर्तों दोनों पर प्रदान की गयी सहायता से संबंधित है।

106. 1970 से ले कर भाग्रौवि बैंक द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के यूनिटों को प्रदान की गयी सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है। केवल 1973-84 के दौरान ही निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को दी गयी सहायता 61 करोड़ रुपए थी। 1973-74 के दौरान रियायती शर्तों पर प्रदान की गयी सहायता ऐसी सहायता का लगभग 73 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में यह 1972-73 में 36 प्रतिशत ही थी। रियायती शर्तों पर मंजूर किये गये आवेदन पत्रों की संख्या मंजूर की गयी राशि से भी अधिक उत्साह वर्धक है। 1970-71 के 22 आवेदन पत्रों के मुकाबले 1973-74 के दौरान रियायती शर्तें पर मंजूर किये गये आवेदन पत्रो की संख्या 877 है (सारिणी 24)

107. भाग्रौवि बैंक द्वारा पिछड़े क्षत्रों के यूनिटों को प्रदान की गई प्रत्यक्ष सहायता का प्रयोजनवार विवरण सारणी 25 में दर्शाया गया है। निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को दी गई भाग्रौवि बैंक की प्रत्यक्ष सहायता का अधिकांश भाग नये यूनिटों को प्राप्त हुआ है।

108. रियायती सहायता का बहुत बड़ा भाग उन परियोजनाओं को दिया गाया है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित हैं। जैसे कागज, इस्पात के पतरे (मुख्यतः स्थानीय रूप से उपलब्ध इस्पात के कबाड़ पर आधारित), टायर, और ट्यूब, शीशा, चीनी, चमड़ा और फर्नीचर। इनमें से अधिकांश उद्योग उन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जहां भयंकर अभाव महसूस किया जा रहा है। इनमें से कुछ उद्योग ऐसी क्रांतिक निवेशगत वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करेंगे जो हाल ही के वर्षों में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं।

सारणी 24—निर्दिष्ट पिछड़े राज्यों के यूनिटों को भाग्रौवि बैंक द्वारा रियायती दरों पर मंजूर की गई सहायता और उसका उपयोग

	1970-71			1971-72		
क. प्रत्यक्ष सहायता :	संख्या		राशि	संख्या		राशि
	जिले	आवेदन-पत्र		जिले	आवेदनपत्र	
मंजूरियां	—	—	—	2	2	14.0
उपयोग			—			—
ख. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त						
मंजूरियां	16	22	0.3	92	253	3.5
उपयोग			0.1			1.5
क और ख का जोड़						
मंजूरियां	16	22	0.3	93	255	17.5
उपयोग			0.1			1.5

(राशि करोड़ रुपयों में)

1972-73			1973-74			जोड़		
संख्या		राशि	संख्या		राशि	संख्या		राशि
जिले	आवेदन-पत्र		जिले	आवेदन-पत्र		जिले	आवेदन-पत्र	
12	22	6.9	16	27	30.2	27	50	51.1
134	565	4.1			10.6			14.7
		8.1	138	851	14.6	331	1691	26.5
		4.4			7.5			13.5
137	587	15.0	144	877	44.8	354	1741	77.6
		8.5			18.1			28.2

सारणी 25—निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को भाओवि बैंक द्वारा मंजूर की गई प्रत्यक्ष सहायता का प्रयोजनवार वितरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	नई परियोजनाएं		विस्तार/विशाखन		आधुनिकीरण/पुनः स्थापन, आदि		कुल	
(जुलाई-जून)	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
1970-71 .	3	11.0	1	0.3	2	0.7	6	12.0
	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
1971-72 .	3	14.7	1	0.8	1	14.0	5	29.5
	(–)	(–)	(–)	(–)	(1)	(14.0)	(1)	(14.0)
1972-73 .	12	9.8	5	5.1	2	12.0	19	26.9
	(10)	(5.9)	(2)	(1.0)	(–)	(–)	(12)	(6.9)
1973-74 .	14	24.0	3	2.8	2	3.8	19	30.6
	(13)	(23.8)	(3)	(2.8)	(1)	(3.6)	(17)	(30.2)
जोड़ . .	32	59.5	10	9.0	7	30.5	48	99.0
	(23)	(29.7)	(5)	(3.8)	(2)	(17.6)	(29)	(51.1)

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े परियोजनाओं की संख्या और रियायती शर्तों पर मंजूर की गयी सहायता के द्योतक हैं।

केन्द्रीय अनुदान योजना

109. केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं को रियायती सहायता योजना द्वारा प्रदान किये गये राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ साथ केन्द्रीय सरकार ने 1971 में एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना में नये और पर्याप्त विस्तार (50 लाख रुपयों से अनधिक अतिरिक्त नियत पूंजी निवेश) की परिकल्पना करने वाले विद्यमान यूनिटों को 50* लाख रुपयों से अनधिक नियत पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत* के बराबर का अनुदान दिये जाने के लिए तत्काल स्वीकृति की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 124 जिले/क्षेत्र आते हैं।

110. वित्तीय संस्थाओं ने वितरक एजेंसियों का रूप ले लिया है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय अनुदान के वितरण के लिए एक जैसी प्रणाली विकसित करने तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति की कार्यविधि की अधिक सुविधा की दृष्टि से भाओवि बैंक ऐसे मामलों में इस योजना को उन वित्तीय संस्थाओं की ओर से चलाता है जिनमें वह सहायता मंजूर किये जाने से संबद्ध है। अन्य मामलों में जहां भाओवि निगम और/अथवा भाओऋनि निगम द्वारा सहायता स्वीकृत की गई है। वहां इनमें से कोई एक निगम उत्पादन वितरित करेगा और सरकार से उसकी प्रतिपूर्ति का दावा करेगा। किसी विशेष यूनिट को प्रदान किये गये अनुदान की मात्रा के निर्धारण में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनुमानित अनुदान को इस शर्त के साथ ऋण माना जाता कि मंजूर/वितरित ऋण की राशि को सरकार से, प्राप्त वास्तविक अनुदान की मात्रा तक कम कर दिया जाएगा।

111. जून 1974 के अंत तक अन्य संस्थाओं की सहभागिता में भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गयी 26 परियोजनाएं प्रथम दृष्ट्या केन्द्रीय अनुदान पाने योग्य हैं। इन परियोजनाओं में निहित सकल परिव्यय की राशि 160 करोड़ रुपये है। मार्च 1974 के अंत तक भाओवि बैंक की सहभागिता के बिना भाओवि निगम तथा भाओऋनि निगम द्वारा सहायता की गयी 27 परियोजनाएं भी अनुदान पाने योग्य हैं और इनमें निहित कुल परियोजना लागत 48 करोड़ रुपये है।

112. यह योजना बहुत थोड़े ही समय से लागू हुई है और अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य बहुत से यूनिटों को अभी भी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं का उपयोग करना है तथा इस प्रक्रिया में उस अनुदान के वितरण की किस्त प्राप्त करनी है जिसके लिए वे योग्य हैं।

*अनुदान के लिए योग्य निवेश की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है तथा 1 मार्च, 1973 को या उसके बाद स्थापित यूनिटों के लिए निवेश के अनुदान के प्रतिशत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपये से अधिक के नियत पूंजी निवेश वाले यूनिटों पर भी चयनात्मक आधार पर विचार किया जाता है, परन्तु उनके लिए अनुदान की अधिकतम मात्रा 15 लाख रुपये है।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान की गई सहायता

113. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, अतिरिक्त रोजगार के निर्माण, आय और साथ ही उत्पादन के साधनों का और अधिक सामयिक वितरण तथा विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के योजना-उद्देश्यों को प्राप्त करने में लघु उद्योगों को एक महत्व-पूर्ण भूमिका निभानी हैं। चूंकि इन उद्योगों की पूंजी सघनता और निर्माण-अंतराल अपेक्षाकृत कम हैं अतएव रोजगार और उत्पादन को अपेक्षाकृत थोड़ी समयावधि और कम पूंजी से बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि इन उद्योगों के संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

114. अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्व के प्रति सजग रहने के कारण भाओवि बैंक ने लघु यूनिटों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं। उसने समयानुसार इस क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली अपनी योजना को काफ़ी सरल, उदार और विकेन्द्रीकृत कर दिया है। चूंकि भाओवि बैंक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सारे देश में फैले लघु औद्योगिक यूनिटों की बहुत बड़ी संख्या तक पहुंच सके अतएव इस क्षेत्र को भाओवि बैंक की सहायता अनिवार्यतः परोक्ष रूप से ही प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र को भाओवि बैंक की जो भी सहायता प्राप्त होती है वह मुख्यतः उसकी औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त योजना और कुछ समिति मात्रा में उसकी पुनर्भाजन योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है।

115. लघु-उद्योग को राज्य वित्तीय निगमों/बैंक ऋणों के रियायती ब्याज दर और अन्य रियायती शर्तों पर पुनर्वृत्ति प्रदान किया जाता है। ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु यूनिटों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए न्यूनतम योग्य राशि क्रमशः 10,000 रु० और 20,000 रु० के निम्न स्तर पर रखी गयी है। लघु उद्योगों यूनिटों के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात को निर्धारित करने के लिए भाओवि बैंक ने अनाग्रही दृष्टिकोण अपनाया है। ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु उद्योग यूनिटों और साथ ही तकनीशियन उद्यमकर्त्ताओं द्वारा प्रवर्तित यूनिटों को राज्य निगमों द्वारा 2.00 लाख रु० तक स्वीकृत ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने की कार्यविधि को काफी उदार बना दिया गया है। उदार पुनर्वित्त योजना अधीन, राज्य निगमों को प्रत्येक प्रस्ताव के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे एक ही आवेदनपत्र के अधीन एक या एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले आवेदन-पत्र को भी सरल बना दिया गया है। विकेन्द्रित कार्यविधि के अधीन, क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अधिकार दिया गया है कि वे क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों पर 20 लाख रु० तक की सहायता मंजूर कर दें। कार्यालयों के प्रभारी प्रबंधकों को भी 2.00 लाख रु० तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त मंजूर करने का अधिकार दिया गया हैं।

116. पुनर्वित्त योजना में लगातार छूटें दिये जाने के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र को दी गयी पुनर्वित्त सहायता 1967-68 के 0.4 करोड़ रु० से बढ़कर 1973-74 में म 30.9 करोड़ रु० हो गयी है। स्वीकृति के मूल्य से अधिक प्रभावशाली उन यूनिटों की संख्या है जिन्हें सहायता वितरित की गयी है। इस क्षेत्र में पुनर्वित्त के लिए मंजूर किए गए आवेदनपत्रों की संख्या 1967-68 के 22 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1972-73 में 2110 और 1973-74 में और अधिक बढ़कर 2771 हो गयी है। पिछले तीन वर्षों में, इस संख्या के हिसाब से पुनर्वित्त सहायता का 90 प्रतिशत से भी अधिक और मूल्य के हिसाब से दो-तिहाई से भी अधिक भाग इन क्षेत्रों को प्रदान किया गया है। (देखिए सारणी 26) (ग्राफ़ 9)

सारणी 26—लघु उद्योग को दी गई पुनर्वित्त सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	औद्योगिक ऋणों के लिए दिया गया कुल पुनर्वित्त (प्रभावी)		लघु उद्योग और छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिया गया पुनर्वित्त	
	सं०	राशि	सं०	राशि
1964-65	113	20.9	2	0.04
1965-66	167	19.5	11	0.2
1966-67	136	19.4	16	0.2
1967-68	112	9.2	22	0.4
1968-69	309	13.1	196	2.5
1969-70	832	13.5	765	5.7
1970-71	1370	24.0	1273	13.4
1971-72	1684	26.8	1572	17.8
1972-73	2204	30.7	2110	23.1
1973-74	2926	45.1	2771	30.9
जोड़	9853	222.2	8738	94.2

117. लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली, सहायता में और अधिक वृद्धि होने की आशा है क्योंकि अब रावि निगमों को इस लायक बना दिया गया है कि वे अंवि संघ ऋण के अधीन लघु उद्योग यूनिटों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 1973-74 के दौरान ही, अंवि संघ के अधीन रावि निगमों द्वारा सहायता का अधिकांश भाग लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया है। अंवि संघ ऋण के अधीन भाऔवि बैंक द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त के 90 प्रतिशत आवेदनपत्रों में से 60 आवेदनपत्र लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।

118. जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, भाऔवि बैंक उन रावि निगमों के शेयरों और बांडों के इजरों में भी अभिदान करता है जो लघु उद्योग क्षेत्र को बड़ी मात्रा में वित्त प्रदान करते हैं। भाऔवि बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक रावि निगमों के बांडों और शेयर इजरों में 9.1 करोड़ रुपयों का कुल अभिदान किया है। ऐसी आशा है कि भाऔवि बैंक के प्रवर्तन कार्य-कलापों का लघु उद्योग क्षेत्र के विन्यास और विकास पर जो प्रभाव पड़ा है, वह अगले 5-10 वर्षों में काफ़ी स्थिर हो जायेगा।

बड़े औद्योगिक गृहों को सहायता

119. पिछले दस वर्षों में सहायता की विभिन्न परियोजनाओं के अधीन बड़े गृहों को दी गयी सहायता की प्रवृत्तियां सारणी 27 में दी गयी हैं। दस वर्ष की अवधि को पांच वर्षों की उपअवधियों में बांटा गया है ताकि ठीक-ठीक तुलना की जा सके।

सारणी 27—बड़े गृहों को सहायता (राशि करोड़ रुपयों में)

	पाँच वर्षों की पहली अवधि (1964-69)			पाँच वर्षों की दूसरी अवधि (1969-74)		
	कुल सहायता	बड़े गृहों की सहायता	कुल सहायता से प्रतिशत	कुल सहायता	बड़े गृहों को सहायता	कुल सहायता से प्रतिशत
1. प्रत्यक्ष सहायता	108.47	58.61	54.0	230.84	57.79	25.0
2. औद्योगिक ऋण का पुनर्वित्त	82.10	26.51	32.3	140.06	5.78	4.1
3. बिलों का पुनर्भाजन	37.35	14.87	39.8	223.98	68.54	30.6
4. परियोजना सहायता (1+2+3)	227.92	99.99	43.8	594.88	132.11	22.2
5. निर्यात सहायता	15.30	14.43	94.3	71.33*	43.32	61.0

*इसमें बांगला देश को दिये गये 25 करोड़ रुपयों का विशेष ऋण शामिल नहीं है।

120. सहायता की सारी योजनाओं के अंतर्गत बड़े गृहों से संबंधित अंश अपेक्षाकृत कम हो गया है जबकि पुनर्वित्त सहायता और परियोजना सहायता के परिमाण काफी गिरावट आई है। परियोजना सहायता, में बड़े गृहों का अंश पाँच वर्षों की दूसरी अवधि में पाँच वर्षों की पहली अवधि के 43.8 प्रतिशत से घटकर 22.2 प्रतिशत रह गया है।

121. बड़े औद्योगिक गृहों के यूनिटों के लिये स्वीकृत सहायता का अधिकांश भाग उर्वरकों, औद्योगिक रसायनों तथा सीमेंट जैसे कोड़ तथा अग्रता वाले क्षेत्रों की परियोजनाओं तथा निर्यात से संबंधित है। भाऔवि बैंक द्वारा 1964-74 के दौरान बड़े औद्योगिक गृहों के यूनिटों को स्वीकृत प्रत्यक्ष सहायता का 95 प्रतिशत तक का भाग कोड़ और अग्रतावाले क्षेत्रों के लिए था। मशीनी बिलों के पुनर्भाजन की योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल सहायता उद्योग के कोड़ क्षेत्र की निर्माण की एक मद अर्थात् औद्योगिक मशीनों की आस्थिगत अदायगी के आधार पर बिक्री के लिये दी गयी थी। बहुधा कोड़ क्षेत्र के उद्योगों के मानदंड के अनुरूप अर्थव्यवस्था में अधिक लागत और प्रबन्ध व्यवस्था के उच्च स्तर और वित्तीय दक्षता की आवश्यकता होती है और उद्योग इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने अनुभव के आधार पर इस स्थिति में होते हैं कि अपने इंजीनियरी माल की बिक्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शर्तों की पूर्ति कर सकें। यह स्पष्ट है कि इन्हीं कारणों से कोड़ क्षेत्र तथा निर्यात आधारित उद्योगों में बड़े गृहों को सहभागिता की अनुमति दी जाती है और तदनुसार सरकार द्वारा अपनी सम्पूर्ण औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में इन तत्वों का अच्छी तरह मूल्यांकन करने के पश्चात् उन्हें लाइसेंस दिये जाते हैं। इन क्षेत्रों में भाऔवि बैंक तथा अन्य संस्थाओं का वित्तपोषण राष्ट्रीय नीति के उत्क्रमित महत्व का अनुसरण करता है।

भविष्य और संभावनाएं : 1974-75

122. वर्ष के अन्त में विचाराधीन आवेदनपत्रों और प्राप्त विभिन्न पूछताछों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाऔवि बैंक के वितरण में 1974-75 के दौरान काफ़ी वृद्धि होगी। सहायता के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जून 1974 के अन्त तक विचाराधीन आवेदनपत्रों का सारांश सारणी 28 में दिया गया है।

सारणी 28—जून 1974 के अन्त तक विचाराधीन आवेदनपत्रों का सारांश

सहायता का प्रकार	आवेदनपत्रों की संख्या	मांगी गयी सहायता की राशि (करोड़ रुपयों में)
1. औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता ऋण	87*	294.9
हामीदारी	31*	22.8
2. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	9-12@	45.9
3. निर्यात सहायता	26†	54.6
4. पुनर्भाजन सहायता		24.1

*बहुत से मामलों में मांगी गयी सहायता आवधिक वित्तपोषक/संस्थाओं (जिनमें बैंक शामिल हैं) की सहभागिता में दी गयी है और इसमें भाऔवि बैंक के अंश का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा कतिपय मामलों में आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है।

@इसमें लघु यूनिटों और छोटे सड़क परिवहन चालकों से संबंधित 25.7 करोड़ रुपयों के लिए 748 आवेदनपत्र शामिल हैं।

†इसमें ऐसे 9 मामले शामिल हैं जो 40.5 करोड़ रुपयों की लागत वाले इंजीनियरी माल और सेवा के निर्यात से सम्बन्धित है। इन मामलों के लिए भाऔवि बैंक सिद्धांततः निर्यात वित्त प्रदान करने के लिए राजी हो गया है।

123. कई मामलों में, ऋण के आवेदनपत्रों के संबंध में सहायता की राशि और सहायता की हामीदारी में कम्पनियों द्वारा अन्य आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं और बैंकों से प्राप्ति की गयी सहभागिता भी शामिल है। निर्यात वित्त के मामलों में भी, दर्शायी गयी राशि में इंजीनियरी और पूंजीगत मालों का वह निर्यात मूल्य शामिल है जिनके लिए भाऔवि बैंक अनुमोदित वाणिज्य बैंकों की सहभागिता में सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धान्ततः राजी हो गया है।

124. यह मानते हुए कि भाऔवि बैंक की सहभागिता की मात्रा पिछले वर्ष के समान ही बनी रहेगी और जिन पूछताछों के ठोस परियोजना आवेदन-पत्रों का मूर्त रूप ग्रहण करने की सम्भावना है उनको ध्यान में रखते हुए भाऔवि बैंक द्वारा 1974-75 के दौरान दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता काफी अधिक होगी। इस वृद्धि के उस स्थिति में और भी अधिक होने की संभावना है जब सरकार द्वारा पहले ही किये गये निवेश अनुमोदनों की राशि 1974-75 के प्रारम्भ के भाग में ही प्राप्त हो जाएगी। सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान है कि 1974-75 के दौरान सहायता की कुल मंजूरियों की राशि 275 करोड़ रुपए तक पहुँच जायेगी।

सारणी 29—1974-75 (जुलाई-जून) के दौरान सहायता की मंजूरियों और उनके उपयोग का अनुमान

(राशि करोड़ रुपयों में)

सहायता का प्रकार	1973-74 (वास्तविक)		1974-75 (अनुमान)	
	मंजूरियां	नकद उपयोग	मंजूरियां	नकद उपयोग
1. ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	58.1	46.8	90.0	50.0
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	7.2	4.7	10.0	5.0
3. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	45.1	27.7	52.0	29.8
4. मशीन बिलों का पुनर्भाजन	76.3	63.7*	90.0	75.0*
5. निर्यात वित्त :				
निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण	32.9**	6.7	15.0	18.7
निर्यात ऋणों के लिए पुनर्वित्त	2.7	1.0	3.0	3.7
6. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	10.2	11.6	15.0	15.0
जोड़	232.6	162.0	275.0	197.2

*अर्थात् यह राशि अपने पास रखे गए पुनर्भाजन को घटाने के बाद बिलों की मुखांकित राशि है।

**इसमें बांगला देश को दिया गया 25 करोड़ रुपयों का विशेष ऋण शामिल है।

सहायता की गई संस्थाओं द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपयों का उपयोग किये जाने की परिकल्पना है। हाल ही में बांगला देश को दिये गये विशेष बैंक ऋण की मंजूरी के कारण 1974-75 के दौरान निर्यात वित्त के अधीन किये जाने वाले वितरण में वृद्धि होने की संभावना है।

भाओवि बैंक की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

125. 1973-74 के दौरान 162.2 करोड़ रुपयों की वितरित कुल नकद सहायता पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में अनुमानित 160 करोड़ रुपयों की सहायता से थोड़ी सी अधिक है। 97.6 करोड़ रुपयों के नकद स्रोतों का शुद्ध वितरण 1972-73 के स्तर (52.0 करोड़ रुपये) से प्रायः दुगना था। सारणी 30 में भाओवि बैंक की निधियों के प्रमुख स्रोतों और 1972-73 और 1973-74 के दौरान इन स्रोतों का कुल परिचालनगत साधनों में योगदान दर्शाया गया है। वर्तमान लेखा वर्ष के लिए अनन्तिम अनुमान भी दिये गए हैं। 1964-65 से लेकर प्रत्येक वर्ष के लिए निधियों के स्रोत और उनके उपयोग के ब्यौरेवार आंकड़े अनुबंध xvi में दिये गये हैं। (ग्राफ 10 भी देखें)

सारणी 30—निधियों के प्रमुख स्रोत

(करोड़ रुपये)

	1972-73	1973-74	1974-75 (अनुमान)
1. चुकता पूंजी और आरक्षित राशियों/अधिशेष में वृद्धि	3.6	14.5	4.0
	(2.6)	(7.2)	(1.6)
2. सरकार से लिए गए उधार	—	—	5.0
			(2.0)
3. रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार			
(क) राष्ट्रीय निवेश ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाएं) निधि	36.3	49.6	85.0
	(25.7)	(24.7)	(33.9)
(ख) बिलों के प्रस्तुत किये जाने के आधार पर	—	20.0	18.5
		(10.0)	(7.4)
4. बांडों के रूप में लिये गये उधार	16.0	15.2	16.5
	(11.3)	(7.6)	(6.6)
5. सहायता की वापसी अदायगी	63.3	75.9	98.2
	(44.8)	(37.9)	(39.2)
5. निवेशों की बिक्री	0.2	0.6	1.0
	(0.1)	(0.3)	(0.4)
7. अन्य	6.9	6.2	8.6
	(4.9)	(3.1)	(3.4)
8. नकदी और चलमुद्रा सहायता	14.9	18.4	13.8
	(10.6)	(9.2)	(5.5)
जोड़	141.2	200.4	250.6
	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्टकों में दिए गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

126. 1973-74 के दौरान बैंक की जिस चुकता पूंजी के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा अभिदान किया है, वह मार्च 1974 में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 10 करोड़ रुपये का और अभिदान किये जाने के कारण बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गयी है। भारत सरकार से न तो सामान्य निधि और न ही विकास सहायता निधि (विस निधि) के लिए ही कोई नई सहायता ली गयी है। सरकार को 11.9 करोड़ रुपयों की राशि की अदायगी करने के बाद जून 1974 के अन्त में सरकार से लिए गए उधारों की बकाया राशि 145.8 करोड़ रुपये है। इसमें विस निधि के 19.7 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व

बैंक के राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से लिये गये उधारों की राशि 49.6 करोड़ रुपये थी जिससे जून 1974 के अन्त तक की अवधि में इस निधि से लिए गए उधारों की राशि 178.7 करोड़ रुपये हो गयी है।

127. पिछले वर्षों के दौरान सहायता मंजूर किये गये यूनिटों द्वारा सहायता का उपयोग किये जाने में त्वरित गति आ जाने की दृष्टि से वर्ष 1973-74 भाऔवि बैंक के लिए उसकी साधन-स्थिति पर तीव्र दबाव का वर्ष रहा है। अतएव भाऔवि बैंक को अपने पुनर्भाजित बिलों को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास रखकर उससे 20 करोड़ रुपयों तक के अस्थायी उधारों का पहली बार सहारा लेना पड़ा है।

128. 1973-74 के दौरान निधियों के व्ययन का स्वरूप और इसके साथ ही 1972-73 के तद्नुरूप आंकड़ों और 1974-75 के अनुमान सारणी 31 में संक्षेप में दर्शाये गये हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 1973-74 में उद्योग को दी जाने वाली निधियों के प्रत्यक्ष प्रदान (फ्लो) में वृद्धि हुई है।

129. यह रुचिकर होगा कि 10 वर्षों के दौरान (1964-74) भाऔवि बैंक के समस्त कार्यकलापों का विश्लेषण किया जाए। तुलना के उद्देश्य से कुल अवधि को दो उप-अवधियों में बांटा गया है। पहली अवधि के अन्तर्गत 1964-65 से 1968-69 के कार्यकलाप और दूसरी अवधि के अन्तर्गत 1969-70 से 1973-74 की अवधि के कार्यकलाप आते हैं; दूसरी अवधि चौथी पंचवर्षीय

सारणी 31—निधियों के प्रमुख उपयोग

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1972-73	1973-74	1974-65 (अनुमान)
1. भाऔवि बैंक द्वारा औद्योगिक यूनिटों और निर्यातों को निधियों की प्रत्यक्ष पूर्ति	34.1 (24.1)	58.2 (29.0)	73.7 (29.4)
2. अन्य आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं और बैंकों द्वारा उद्योगों और निर्यातों को प्रदान की गयी सहायता के लिए उनकी निधियों* की अनुमति	79.9 (56.6)	116.6 (58.2)	138.5 (55.3)
3. सरकार/रिजर्व बैंक से लिये उधारों की अदायगी	8.9 (6.3)	11.9 (5.9)	32.4 (12.9)
4. अन्य	—	—	—
5. नकदी और चल साधन	18.4 (13.0)	13.8 (6.9)	6.0 (2.4)
जोड़	141.2 (100.0)	200.4 (100.0)	250.6 (100.0)

नोट : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

*बिल पुनर्भाजन योजना के अधीन दी गयी सहायता बिलों के मुखांकित मूल्य से संबंधित है।

योजना की अवधि की तद्नुरूप है। सारणी 32 में इन दो अवधियों के दौरान साधनों के निर्माण और निधियों का विनियोग दर्शाया गया है। यह सारणी अन्य वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने, मशीनी बिलों का पुनर्भाजन करने और उनके शेयरों और बांडों के इजरों में अभिदान करने के रूप में उनके पूरक साधनों के पूर्तिकार के रूप में भाऔवि बैंक के बढ़ते हुए योगदान को दर्शाती है। इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि अप्रत्यक्ष सहायता की वृद्धि कुल सहायता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त हुई है। जो अप्रत्यक्ष सहायता पांच वर्षों की पहली अवधि में दी गयी कुल सहायता का करीब 63 प्रतिशत थी वह पांच वर्षों की दूसरी अवधि में बढ़कर करीब 72 प्रतिशत हो गयी है। इस सहायता का अधिकांश भाग छोटे और लघु-मझौले औद्योगिक यूनिटों को दिया गया है। इस पर ध्यान देना भी रुचिकर होगा कि आन्तरिक रूप से उत्पादित निधियों अर्थात् आरक्षित राशियों और अदायगियों की राशियों के अंश में पांच वर्षों की पहली अवधि के दौरान करीब 32 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी उसमें पांच वर्षों की दूसरी अवधि में करीब 48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सारणी 32—निधियों के स्रोत और उनका उपयोग 1964–1974

(राशि करोड़ रुपयों में)

	पांच वर्षों की पहली अवधि	पाँच वर्षों की दूसरी अवधि	भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक
स्रोत			
1. चुकता पूंजी में वृद्धि	20.00	30.00	50.00
	(7.7)	(5.2)	(6.1)
2. आरक्षित राशियों/अधिशेषों में वृद्धि	10.30	19.15	29.45
	(3.9)	(3.3)	(3.5)
3. उधार	151.27	236.32	387.59
	(58.3)	(40.7)	(46.9)
4. उधारकर्ताओं द्वारा की गई अदायगी, बिक्री/निवेशों का विमोचन			
(क) प्रत्यक्ष सहायता	2.53	54.27	56.80
	(1.00)	(9.3)	(6.9)
(ख) परोक्ष सहायता	69.61	205.14	274.75
	(26.8)	(35.3)	(33.2)
5. अन्य	5.90	21.47	27.37
	(2.3)	(3.7)	(3.4)
6. नकदी और चल साधन	—	14.58	—
		(2.5)	
जोड़	259.61	580.93	825.96
	(100.0)	(100.0)	(100.0)
उपयोग			
1. सहायता का वितरण			
(क) प्रत्यक्ष सहायता	87.53	150.63	238.16
	(33.7)	(25.9)	(28.8)
(ख) परोक्ष सहायता	149.64	378.99	528.63
	(57.7)	(65.2)	(64.0)
2. सरकार से लिये गये उधारों की वापसी अदायगी	—	31.73	31.73
		(5.5)	(3.8)
3. अन्य	7.86	5.80	13.66
	(3.0)	(1.0)	(1.7)
4. नकदी और चलमुद्रा साधन	14.58	13.78	13.78
	(5.6)	(2.4)	(1.7)
जोड़	259.61	580.93	825.96
	(100.0)	(100.0)	(100.0)

130. पाँच वर्षों की पहली अवधि में भाआवि बैंक द्वारा लगायी गयी 259.6 करोड़ रुपयों की कुल निधि की तुलना में पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के दौरान यह राशि बढ़कर 580.9 करोड़ रुपये हो गयी है अर्थात उसमें 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। चूंकि उधारों का काफी बड़ा भाग भारत सरकार से उदार शर्तों पर प्राप्त हुआ है और उसके साथ ही

उसकी अदायगी की निर्धारित अवधियां भी अपेक्षाकृत काफी लंबी है, इसलिए पाँच वर्षों की पहली अवधि के दौरान अदायगी का कोई दायित्व नहीं आया, किन्तु पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के दौरान सरकार को की जाने वाली अदायगी के लिए 31·7 करोड़ रुपयों (5.5 प्रतिशत) का दायित्व आया है। उधारों की सापेक्ष आवश्यकता पाँच वर्षों की पहली अवधि के लगभग 58 प्रतिशत से तेजी से घटकर पाँच वर्षों की दूसरी अवधि में केवल 41 प्रतिशत रह गयी है। 1969-70 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति बन्द हो जाने से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया निधियों का मुख्य प्रदानकर्त्ता रह गया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिए गए उधार कुल निधियों का लगभग एक तिहाई हैं। उधारकर्त्ताओं द्वारा सहायता की जो वापसी अदायगी पाँच वर्षों की पहली अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत थी वह पाँच वर्षों की दूसरी अवधि में बढ़कर करीब 45 प्रतिशत हो गयी है।

131. कारोबार में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ते हुए वायदों और जिन बड़ी परियोजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है उनके कारण आगामी वर्षों में भाऔवि बैंक की निधियों की आवश्यकता अपेक्षाकृत काफी अधिक होगी। 1974-75 में ही, सहायता के वितरण और भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के ऋण की किश्तों की वापसी अदायगी के लिए कुल नकद निधियों की आवश्यकता का अनंतिम अनुमान 229.6 करोड़ रुपये लगाया गया है। साधनों के पक्ष में, उधारकर्त्ताओं द्वारा सहायता की अदायगियों, निवेशों की बिक्री आदि के रूप में होने वाली प्राप्तियों का हिसाब लगाने के बाद, साधनों में 120 करोड़ रुपयों तक की गिरावट आने का अनुमान है। इस गिरावट को रिजर्व बैंक और बाजार से उधार लेकर पूरा करने का प्रस्ताव है।

विकास सहायता निधि के कार्यकलाप*

132. 1973-74 के दौरान सरकार ने विस निधि के अधीन अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को मंजूर किये गये कुल 5.6 रुपये के अतिरिक्त सहायता ऋण में से पुनःस्थापन योजना की बढ़ी हुई लागत के एक भाग को पूरा करने तथा क्लोरिन और कास्टिक सोडा के निर्माण के लिए एक नये यूनिट की स्थापना के हेतु कुल 2·8 करोड़ रुपयों की ऋण सहायता की मंजूरी दी है।

133. भाऔवि बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 के अन्त तक विस निधि से पाँच परियोजनाओं को कुल मिला कर 43.0 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की है। इसमें 34.2 करोड़ रुपयों के ऋण, 3.7 करोड़ रुपयों की हामीदारी-सहायता और 5.1 करोड़ रुपयों की आस्थगित अदायगी की गारंटियां शामिल हैं।

134. इस निधि में से अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को जो सहायता दी गयी थी उसमें से 1973-74 के दौरान 4.1 करोड़ रुपयों (3.6 करोड़ रुपये ऋण और 0.5 करोड़ रुपये हामीदारी) की राशि का उपयोग किया गया है। सरकार ने इस मिल को 1971-72 में विस निधि में से 7 करोड़ रुपयों (6 करोड़ रुपये ऋण और 1 करोड़ रुपये हामीदारी) की सहायता मंजूर करने की अनुमति दी थी। यह राशि उक्त मिल की पुनःस्थापन योजना को कार्यान्वित करने के लिए भाऔवि बैंक द्वारा मंजूर की गयी कुल 14 करोड़ रुपयों की सहायता का 50 प्रतिशत होती है। बैंक की स्थापना से लेकर अब तक विस निधि से दी गयी मंजूरियों के उपयोग की कुल राशि 34.1 करोड़ रुपये होती है। इस वर्ष के दौरान सरकार से कोई नयी राशि उधार नहीं ली गई है। इस निधि में से लिए गये ऋणों के लिए भाऔवि बैंक ने इस वर्ष के दौरान सरकार को कुल मिलाकर 2.41 करोड़ रुपयों की किश्तों की वापसी अदायगी की है। 30 जून, 1974 को इस निधि में सरकार से लिये गए उधारों की बकाया राशि 19.72 करोड़ रुपये रह गई है। विस निधि के प्रशासन खर्च के लिए सामान्य निधि को 4.2 लाख रुपयों की राशि का अन्तरण किये जाने के बाद इस निधि में 1973-74 में 1.57 करोड़ रुपयों (1972.73 में 1.27 करोड़ रुपये) का लाभ हुआ है।

आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं के कारोबार की प्रवृत्तियाँ

135. आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं (भाऔवि बैंक, भाऔवि निगम, भाऔऋनि निगम, भाऔपु निगम, रावि निगमों और राऔवि निगमों/राऔवि निगमों) द्वारा 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर की गयी कुल वित्तीय सहायता की राशि 429.0 करोड़ रुपये हैं जिससे 1972-73 के 295.9 करोड़ रुपयों की तुलना में 45.0 प्रतिशत वृद्धि होने का पता लगता है। इस वृद्धि में भाऔवि बैंक के कार्यकलाप काफी सीमा तक परिलक्षित होते हैं; भाऔवि बैंक द्वारा दी गयी मंजूरियों में 1972-73 की तुलना में 1973-74 के दौरान 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सभी आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा दी गयी सहायता में हुई वृद्धि का करीब 69 प्रतिशत है। रावि निगमों द्वारा दी गयी मंजूरियों में भी काफी वृद्धि हुई है और उनसे अंवि संघ ऋण के अधीन किये गये कारबार का अंशतः पता लगता है।

136. वितरित की गयी सहायता की कुल राशि में 37.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और वह 1972-73 के 199.2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1973-74 में 274.0 करोड़ रुपये हो गयी है। जिन प्रमुख उर्वरक और कागज परियोजनाओं को 1971-72 और 1972-73 के दौरान सहायता मंजूर की गयी थी, उनके द्वारा निधियों का आहरण किये जाने से रुपया ऋण सहायता के वितरण

*यह निधि, भाऔवि बैंक की सामान्य निधि से अलग रखी जाती है, और इसकी स्थापना मार्च 1965 में भाऔवि बैंक अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत की गयी है ताकि इससे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसी योग्य परियोजनाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने सामान्य कारोबार के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की संभावना न हो।

में तेजी से वृद्धि हुई है, जब कि विदेशी मुद्रा ऋण और हामीदारी कारोबार में थोड़ी से गिरावट आई है । 1973-74 के दौरान मंजूर/वितरित की गयी सहायता की मात्रा के आंकड़े और साथ ही सहायता के विन्यास सारणी-233 में दर्शाय गये हैं। [अनुबंध XVII (क) और XVII (ख) भी देखें]

सारणी 33—1972-73 और 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी सहायता और सहायता की गयी संस्थाओं द्वारा उसका उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

		1972-73	1973-74	प्रतिशत वृद्धि + कमी (−)
रुपया ऋण	मंजूरियां	239.7	366.1	+52.7
	उपयोग	152.1	231.2	+52.0
शेयरों और डिबेंचरों की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान	मंजूरियां	22.9	24.0	+4.8
	उपयोग	15.0	13.5	−10.0
विदेशी मुद्रा ऋण	मंजूरियां	33.3	39.0	+17.1
	उपयोग	22.1	29.3	−8.7
जोड़	मंजूरियां	295.9	429.0	+45.0
	उपयोग	199.2	274.0	+37.6

137. इन संस्थाओं के अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी उद्योगों को आवधिक ऋण प्रदान करते रहे हैं। इन संस्थाओं की 1973-74 के दौरान मंजूरियों की कुल राशि 33.8 करोड़ रुपये है जबकि 1972-73 के दौरान उनकी यही राशि 30.0 करोड़ रुपये थी। उनके वितरणों की राशि 1972-73 के 19.6 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष 27.9 करोड़ रुपये है ।

138. चौथी योजना के समाप्त हो जाने से यह उपयोगी होगा कि इस योजना अवधि के दौरान आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित की गयी वित्तीय सहायता की मात्रा को दर्शाया जाए। इससे संबंधित आंकड़ों का संक्षेप सारणी 34 में दिया गया है ।(ग्राफ 11 देखें) ।

सारणी 34—चौथी योजना में आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई सहायता *संस्थावार

(करोड़ रुपयों में)

	भाऔवि बैंक	भाऔवि निगम	भाऔऋनि निगम	भाऔपु निगम	रावि निगम	राऔ विकास निगम	जोड़
1. वार्षिक योजना (1966-69)	134.1	64.3	70.4	—	61.3	11.3	341.4
(वार्षिक औसत) .	(44.7)	(21.4)	(23.5)	—	(20.4)	(3.8)	113.8
2. चौथी योजना . .	541.5	162.1	217.1	19.9**	331.5	118.1	1390.2
(वार्षिक औसत) .	(108.3)	(32.4)	(43.4)	(6.6)	(66.3)	(23.6)	(280.6)

*इन आंकड़ों में औद्योगिक संस्थाओं को दिये गए ऋण और हामीदारी-प्रत्यक्ष अभिदान शामिल हैं। भाऔवि बैंक के मामले में बैंकों को दी गयी सहायता और बिलों का पुनर्भाजन भी शामिल है, परन्तु इसके आंकड़ों में रावि निगमों को दिया गया पुनर्वित्त शामिल नहीं किया गया है ताकि इसे दुबारा हिसाब में न ले लिया जाए ।

**भाऔपु निगम के आंकड़े चौथी योजना के केवल तीन वर्षों से ही संबंधित हैं ।

139. चौथी योजना की समूची अवधि के दौरान आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा (i) ऋण और (ii) हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में कुल मिलाकर 1390.2 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है । वार्षिक योजनाओं की तीन अवधियों 1966–69 के लिए सभी आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं की राशि 341.4 करोड़ रुपये होती है। चौथी योजना की अवधि के दौरान मजूरियों का वार्षिक औसत स्तर सबसे अधिक 280.6 करोड़ रुपये था जो 1966–69 की अवधि के वार्षिक औसत स्तर 113.8 करोड़

रुपयों के दुगने से भी अधिक है। (280.6 करोड़ रुपयों की जो औसत निकाली गई है, इसे निकालते समय भाओपु निगम से संबंधित केवल तीन वर्षों के आंकड़े ही हिसाब में लिए गए हैं।) वार्षिक योजनाओं और चौथी योजना अवधि दोनों के ही दौरान भाओवि बैंक की मंजूरियां सबसे अधिक रही हैं और वे कुल सहायता की 40 प्रतिशत रही हैं। लघु उद्योग के विकास को दिये गये प्रोत्साहन और भाओवि बैंक से उदार पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त होने के कारण चौथी योजना अवधि के दौरान राज्य निगमों के कार्यकलापों में काफी वृद्धि हुई है और उनके द्वारा चौथी योजना अवधि के दौरान वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गयी सहायता की राशि 61.3 करोड़ रुपयों से बढ़कर 331 करोड़ रुपये हो गई है। परियोजना सहायता के मामले में सभी राज्य निगम मिलाकर भाओवि बैंक के बाद दूसरे मुख्य प्रदानकर्ता के रूप में सामने आये हैं।

140. आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी सहायता का विन्यास सारणी 35 में दिया गया है।

सारणी 35—चौथी योजना के दौरान आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई सहायता-विन्यास के अनुसार

(करोड़ रुपये)

	रुपया ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	विदेशी मुद्रा ऋण	कुल सहायता
1. तीन वार्षिक योजनाओं का जोड़ (1966–69) .	251.1	41.9	48.4	341.4
(वार्षिक औसत)	(83.7)	(14.0)	(16.1)	(113.8)
2. चौथी योजना का जोड़* . . .	1113.3	109.5	147.4	1390.2
(वार्षिक औसत)	(229.2)	(21.9)	(29.5)	(280.6)

*भाओपु निगम के आंकड़े चौथी योजना के केवल तीन वर्षों से संबंधित हैं।

141. आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं के कार्यकलापों में रुपया ऋण सहायता का वर्चस्व बना रहा है, और वह चौथी योजना के दौरान दी गई कुल सहायता का लगभग 82 प्रतिशत है। यद्यपि विदेशी मुद्रा ऋण के मूल्य में निरपेक्ष वृद्धि हुई है, परन्तु कुल सहायता में इसके हिस्से में बराबर गिरावट आई है और वह तीसरी योजना अवधि के 15 प्रतिशत से घटकर चौथी योजना के दौरान 11 प्रतिशत रह गयी है जो अंशतः उसे पूंजीगत माल के देश में उपलब्ध होने का द्योतक है जो पहले भारी मात्रा में आयात किया जाता था।

142. इस वर्ष आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा 920.8 करोड़ रुपयों की कुल सहायता का वितरण किया गया है जब कि तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि के दौरान सहायता के वितरणों की राशि 316.4 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार तीन वार्षिक योजना वर्षों 1966–69 (सारणी 36) में से प्रत्यक के दौरान वितरित की गई 105.5 करोड़ रुपयों की राशि की तुलना में चौथी योजना अवधि के दौरान सहायता के नकद वितरणों का औसत 185.4 करोड़ रुपये है।

सारणी 36—चौथी योजना में आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा वितरित संस्थावार सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	भाओवि बैंक	भाओवि निगम	भाओ ऋण नि० निगम	भाओपु निगम	राज्य निगम	राओवि निगम	जोड़
1. वार्षिक योजना अवधियां							
1966–69 . .	119.7	74.4	59.1	—	52.9	10.2	316.4
(वार्षिक औसत) .	(39.9)	(24.8)	(19.7)	(–)	(17.6)	(3.4)	(105.5)
2. चौथी योजना* . .	364.6	115.1	162.4	9.8*	196.7	72.2	920.8
(वार्षिक औसत) .	(72.9)	(23.0)	(32.4)	(3.3)	(39.3)	(14.4)	(185.4)

*भाओपु निगम के आंकड़े चौथी योजना के केवल तीन वर्षों से ही संबंधित हैं।

143. चौथी योजना और तीन वार्षिक योजनाओं के वर्षों 1966–69 के दौरान भाओवि बैंक द्वारा सबसे अधिक वितरण किये गये हैं और उनकी वार्षिक औसत क्रमशः 72.9 करोड़ रुपये और 39.9 करोड़ रुपये हैं। चौथी योजना के दौरान राज्य निगमों द्वारा 39.3 करोड़ रुपयों के औसत वार्षिक वितरण किये गये हैं जिनमें वार्षिक योजना अवधि 1966–69 की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

144. चौथी योजना में सभी आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित की गई सहायता का विन्यास सारणी 37 में दर्शाया गया है।

सारणी 37—चौथी योजना में आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा सहायता का वितरण-विन्यास के अनुसार

(करोड़ रुपयों में)

	रुपया ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	विदेशी मुद्रा ऋण	कुल सहायता
1. वार्षिक योजना की अवधि 1966–69 . .	231.2	38.4	46.8	316.4
(वार्षिक औसत)	(77.1)	(12.8)	(15.6)	(105.5)
2. चौथी योजना*	739.7	58.4	122.7	920.8
(वार्षिक औसत)	(149.2)	(11.7)	(24.5)	(185.4)

*भाआपु निगम के आंकड़े चौथी योजना के तीन वर्षों से ही सम्बन्धित हैं।

145. चौथी योजना अवधि के दौरान रुपया ऋण सहायता के अन्तर्गत किये गए वितरण, कुल वितरणों का करीब 80 प्रतिशत हैं। कुल ऋण सहायता में विदेशी मुद्रा ऋण का भाग करीब 13 प्रतिशत होता है।

146. भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीबी निगम द्वारा चौथी योजना के दौरान दी गई मंजूरियों का वार्षिक औसत स्तर 31.2 करोड़ रुपये है जब कि 1966–67 से 1968–69 तक के प्रत्येक वर्ष में दिया गया वार्षिक औसत स्तर 26.5 करोड़ रुपये था। 1966–67 से 1968–69 के प्रत्येक वर्ष के दौरान किये गये औसत वितरणों की राशि के 24.5 करोड़ रुपयों की तुलना में चौथी योजना के दौरान औसत वितरणों की राशि 18.8 करोड़ रुपये है।

147. चौथी योजना अवधि में आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की गई कुल सहायता स्थूल अनुमानों के अनुसार निजी क्षेत्र के कुल अनुमानित निवेश का करीब 30 प्रतिशत होती है; जब कि वह वार्षिक योजना अवधियों में बहुत कम अर्थात् निवेश की गई राशि का लगभग 19 प्रतिशत ही थी। उद्योग को आवधिक वित्त प्रदान करने के वित्तीय तंत्र को उत्तरोत्तर सुदृढ बनाये जाने के परिणाम स्वरूप देश के औद्योगिक प्रगति में आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं के योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

148. 1973-74 और साथ ही सम्पूर्ण चौथी योजना अवधि से संबंधित आवधिक वित्त पोषक संस्थाओं के निधियों के स्रोत और उनके उपयोग के आंकड़े अनुबंध XVIII में दर्शाये गये हैं।

149. चौथी योजना अवधि के दौरान आवधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा सहायता वितरण, ऋण की वापसी अदायगी और अन्य मदों, आदि के रूप में कुल 1296.0 करोड़ रुपयों की निधियां प्रदान की गई हैं। आन्तर संस्थानिक निधियों के आदान-प्रदान का समंजन करने के बाद निधियों का शुद्ध प्रदान (फ्लो) 1161.5 करोड़ रुपये होता है।

150. स्रोतों के पक्ष में उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों की अदायगियों, गारंटियों की वसूलियों और निवेश की बिक्री से प्राप्त आय करीब 39 प्रतिशत (456.2 करोड़ रुपये) है जबकि पूंजी और आरक्षित राशियों में से प्रत्येक में करीब 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाजार से लिये गये उधारों की राशि 166.2 करोड़ रुपये है जो कुल स्रोतों की आवश्यकता का लगभग 14 प्रतिशत होती है। भाआऋनि निगम और भाआवि निगम द्वारा उधार ली गयी विदेशी मुद्रा करीब 11 प्रतिशत होती है। रिज़र्व बैंक से राष्ट्रीय निवेश ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि के माध्यम में मुख्यतः भाआवि बैंक द्वारा लिए गए उधारों की राशि करीब 204.1 करोड़ रुपये (लगभग 18 प्रतिशत) होती है। यदि संस्थाओं के अनुसार देखा जाए तो भाआवि निगम, भाआवि बैंक और रावि निगमों के लिए बाजार ऋण एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत बने हुये हैं। भाआऋनि निगम के मामले में विदेशी मुद्रा के उधार उसकी निधियों की आवश्यकताओं का लगभग 45 प्रतिशत थे। इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हाल ही के वर्षों में रावि निगम, भाआवि बैंक पर अधिकाधिक निर्भर रहने लगे हैं। रावि निगमों के ऋण वितरण उनके पुनर्वित उधारों का लगभग 41 प्रतिशत हैं। भाआवि बैंक के लिए रिजर्व बैंक से लिए गये उधार उसके वित्त के साधनों के मुख्य स्रोत बने हुए हैं। भाआवि बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों और साथ ही इसकी रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णतः अभिदत्त शेयर पूंजी में हुई वृद्धि इसके साधन की कुल आवश्यकताओं का लगभग 34 प्रतिशत है।

सहयोगी संस्थाओं अर्थात् भाआवि निगम, भाआपु निगम, केरल औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (किटको), उत्तरपूर्व औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (निटको) और बिहार औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (बिटको) के कार्यकलाप

151. इस खंड में भाआवि बैंक की सहयोगी संस्थाओं के कार्यकलापों की संक्षेप में समीक्षा की गई है। जिस भाआवि निगम में भाआवि बैंक की 50 प्रतिशत शेयर पूंजी है, उसके काम-काज का पर्यवेक्षण औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भाआवि बैंक द्वारा किया जाता है। भाआवि बैंक की पहल पर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० (भाआपु निगम)

की स्थापना अप्रैल 1971 में की गई थी ताकि वह ऐसे औद्योगिक यूनिटों को पुनःस्थापन अथवा पुनःनिर्माण सहायता प्रदान कर सके जो बीमार हो गये थे और/अथवा बंद होने की स्थिति में आ गये थे परन्तु जिनका उचित सहायता से पुनःस्थापन किया जा सकता था । भाआपु निगम की शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत भाग भाआवि बैंक का है ।

152. परियोजना सूक्ष्म-वृक्षों का पता लगाने, परियोजना की रूपरेखाएं तैयार करने, व्यवहार्यता और पूर्व-अध्ययन की दृष्टि से भाआवि बैंक ने तकनीकी परामर्श संगठनों की स्थापना करने में पहल की है। 1971–73 के दौरान दो ऐसे संगठनों की स्थापना की गई है । इन में से एक कोचीन (केरल) में फरवरी, 1972 में और दूसरी गौहाटी में (उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मई 1973 में) स्थापित किया गया है । इन में भाआवि बैंक की शेयरधारिता 51 प्रतिशत है । इस वर्ष के दौरान भाआवि बैंक ने पटना में बिहार औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन (बिटको) नामक एक और तकनीकी परामर्श संगठन की स्थापना की है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔवि निगम)

153. 1973-74 के दौरान भाआवि बैंक निगम ने 90 परियोजनाओं को 39.3 करोड़ रुपयों (1972-73 के दौरान 90 परियोजनाओं को मंजूर किये गये 46.2 करोड़ रुपयों की तुलना में) की कुल सहायता मंजूर की है । इस वर्ष के दौरान प्रदान की गई मंजूरियों के अन्तर्गत 14 राज्य और एक संघशासित क्षेत्र आते हैं और इन मंजूरियों के अन्तर्गत कृत्रिम रेज़िन, प्लास्टिक सामग्री, रबड़ से बनी चीजों, धातु से बनी चीजों, अन्य रसायनों, सूती कपड़ा, परिवहन उपकरण और मोटर गाड़ियों के अनुषंगी सामान, तथा कांच और कांच की बनी चीजों, आदि की परियोजनाओं जैसी अनेक परियोजनाओं के अलावा 6.8 करोड़ रुपयों की कुल सहायता वाले सहकारी क्षेत्र के 10 यूनिट (चीनी के 5 और कपड़ों के 5 यूनिट), लोहा और इस्पात उद्योग की 8.0 करोड़ रुपयों की 13 परियोजनाएं, औद्योगिक रसायन बनाने वाली 3.7 करोड़ रुपयों की 6 परियोजनायें, बिजली की मशीनें और उपकरण उद्योग की 1.8 करोड़ रुपयों वाली 5 परियोजनायें आती हैं । इस वर्ष के दौरान जिन 90 परियोंजनाओं को सहायता मंजूर की गयी है उन में से 14.6 करोड़ रुपयों (कुल सहायता का 37 प्रतिशत) की सहायता वाली 29 परियोजनायें निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित हैं/स्थापित की जाने वाली हैं । इस वर्ष के दौरान (1972-73 के 33 करोड़ रुपयों के मुकाबले) 30.3 करोड़ रुपयों की सहायता वितरित की गई है ।

154. भाआवि निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 के अन्त तक मंजूर की गयी (प्रभावी) सहायता की कुल राशि (गारंटियों को छोड़कर) 421.7 करोड़ रुपये है । इसमें 327.5 करोड़ रुपयों के रुपया ऋण, 54.6 करोड़ रुपयों के विदेशी मुद्रा ऋण और 39.6 करोड़ रुपयों के औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों/डिबेंचरों की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान शामिल हैं । इस के अलावा उसने ऋणों और आस्थगित अदायगियों की गारंटियों के रूप में कुल 52.2 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की है । इस सहायता के नकदी उपयोग की राशि 352.3 करोड़ रुपये होती है ।

भाऔवि निगम के कार्य-कलापों का पर्यवेक्षण

155. भाआवि, बैंक, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भाआवि निगम के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करता रहा है । मेसर्स रे एण्ड रे, कलकत्ता जो 1972-73 के लिए भाआवि बैंक द्वारा निगम के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गए थे, वे 1973-74 के लिए भी निगम के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करते रहे । भाआवि निगम के बोर्ड में भाआवि बैंक द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । भाआवि बैंक के महाप्रबन्धक श्री सी० एस० वेंकटराव के अतिरिक्त सर्वश्री विष्णु बैनर्जी, श्री एफ० के० एफ० नरीमन, और डा० सेम्युअल पाल भाआवि निगम के बोर्ड में भाआवि बैंक द्वारा नामित निदेशकों के रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

156 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० (भाऔपु निगम)

भाआवि निगम की स्थापना अप्रैल 1971 में इसलिए की गई थी कि वह बीमार और बंद यूनिटों के लिए पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन सहायता की व्यवस्था करके औद्योगिक विन्यास को सुदृढ़ बनाये ।

157. इस वर्ष के दौरान भाआपु निगम को बीमार बंद यूनिटों से पुनर्निर्माण सहायता के लिए 62 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे अब तक प्राप्त हुए इन आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 480 हो गई है । इन 480 आवेदन-पत्रों में से भाआपु निगम ने 412 आवेदन-पत्रों के संबंध में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और उसने 79 मामलों में (इन में दो यूनिटों के विलयन से सम्बन्धित एक मामला भी शामिल है) 22.5 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की है । 332 आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सम्बन्धित यूनिटें एक तो व्यवहार्य नहीं थीं या निगम के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आती थीं । शेष 68 मामलों में से 4 मंजूरी दिये जाने के लिए तैयार हैं और 64 मामलों का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

158. सहायता किए गए यूनिटों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाआपु निगम ने बैंकों से कुल 17.7 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की । भाआपु निगम से सहायता प्राप्त होने से 71743 कामगारों को फिर से रोजगार प्राप्त हुआ

है/ रोजगार में स्थिरता आयी है। निगम द्वारा मंजूर की गयी कुल सहायता का दो-तिहाई भाग इंजीनियरी उद्योग के यूनिटों को प्राप्त हुआ है और कपड़ा उद्योगों को कुल सहायता का लगभग 8 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। (सारणी 38)।

159. जून 1974 के अन्त तक उपयोग में लाई गई सहायता की कुल राशि 12.4 करोड़ रुपये हैं।

160. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भाऔपु निगम द्वारा केन्द्रीय अभिसंस्करण गृह के रूप में कपड़ा अभिसंस्करण निगम लि० के प्रवर्तन करने का उल्लेख किया गया था। इस बीच यह परियोजना कार्यान्विति के अग्रिम चरण में पहुंच चुकी है।

161. सहायता किए गए यूनिटों के उत्पादनों को मुख्य रूप से आपूर्ति करने के लिए भाऔपु निगम द्वारा प्रारम्भ की गयी आन्तर-यूनिट सेवा, एक दूसरे को आपस में आवश्यक सामग्री प्रदान करने के मामले में लाभप्रद सिद्ध हुई है। सहायता किए गए यूनिटों की बिक्री में वृद्धि करने के अतिरिक्त इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सहायता किए गए यूनिटों को कतिपय कच्ची सामग्री और घटकों की उचित मूल्य पर समय रहते यथोचित पूर्ति हो रही है।

सारणी 38—भाऔपु निगम द्वारा अप्रैल 1971 में अपनी स्थापना से लेकर जून 1974 तक मंजूर और वितरित की गई सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

उद्योग	यूनिटों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि			बैंकों/अन्य संस्थाओं के माध्यम से जुटायी गयी राशि)	निहित रोजगार (श्रमिकों की संख्या)
			ऋण	गारंटी	जोड़		
खाद्यान्न उत्पादन	6	1.84	0.64	—	0.64	2.59	2120
कपड़ा	6	1.84	0.87	0.13	1.00	1.77	5450
रसायन	9	1.63	0.26	—	0.26	2.12	3173
बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनों का उत्पादन	6	1.03	0.65	—	0.65	0.92	6508
बिजली की मशीनों का उत्पादन	7	0.76	0.38	0.11	0.49	0.72	1052
परिवहन उपकरण	13	9.40	5.07	1.03	6.10	4.55	29057
धातु से बनी अन्य वस्तुएं	17	3.29	1.54	0.09	1.63	3.36	6694
अन्य उद्योग	15	2.74	1.67	—	1.67	1.69	17689
जोड़	79	22.53	11.08	1.36	12.44	17.72	71743

162. भारत सरकार ने जिन यूनिटों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम अथवा किसी विशेष अधिनियम के अधीन अपने अधिकार में ले लिया है उनका अध्ययन करने और उन्हें वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए वह निगम की सेवाओं का उपयोग करती रही है। अब तक भाऔपु निगम से ऐसे 9 यूनिटों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। ऐसे दो यूनिटों में निगम उनके अधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य करता आ रहा है। अन्य मामलों में अधिकृत नियंत्रक अथवा व्यक्तियों के अधिकृत निकायों की नियुक्ति निगम के परामर्श से और बहुधा निगम के प्रतिनिधियों में से की गई है।

केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि० (किटको)

163. 1973-74 के दौरान के औतप संगठन (किटको) को 281 परियोजना संबंधी पूछताछें प्राप्त हुई हैं जो मझौले और लघु उद्योगों के व्यापक क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें से लगभग 92 प्रतिशत (258 पूछताछें) उद्यमकर्ताओं से प्राप्त हुई हैं और शेष (राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों जैसी) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं। उद्यमकर्ताओं से प्राप्त 258 पूछताछों में से 9.1 करोड़ रुपयों के निवेशवाली 31 पूछताछों ने परियोजना सूझबूझों का मूर्तरूप धारण कर लिया है। इस में एक ऐसी परियोजना सूझबूझ शामिल है जो 2.5 करोड़ रुपयों के निवेशवाली उत्पादन रूपरेखा में विकसित हो गई है और इसे संबंधित पार्टी को भेज दिया गया है।

पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि केओतप संगठन ने 31.2 करोड़ रुपयों के कुल निवेशवाली 66 योजनाएं 9 मूल्यांकन मामले अपने हाथ में ले रखे हैं जिससे इस वर्ष के दौरान विचारार्थ योजनाओं और मूल्यांकन मामलों की संख्या कुल मिलाकर क्रमशः 97 और 32 हो गयी है।

164. इन 97 योजनाओं में से केओतप संगठन ने 4.1 करोड़ रुपयों के कुल निवेश वाली 23 रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। 49 परियोजनाओं को उनके विभिन्न चरणों में या तो औद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता के कारण समाप्त कर दिया गया है अथवा इसलिए समाप्त कर दिया गया है कि संबंधित उद्यमकर्ताओं ने उन में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है अथवा वे अन्य कारणों से बंद कर दी गई हैं तथा शेष 25 योजनाएं विचाराधीन हैं। (सारणी 39)

165. 1973-74 के दौरान केओतप संगठन ने वित्तीय संस्थायों के लिए 1.9 करोड़ रुपयों वाले 15 मूल्यांकन पूरे कर लिए हैं और 15 अन्य मामले कार्रवाई किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। दो मूल्यांकन मामले संबंधित वित्तीय संस्थाओं के कहने पर छोड़ दिए गए हैं।

166. इसके अलावा केओतप संगठन को ऐसी 9 पूछताछें प्राप्त हुई हैं जो बाजार सर्वेक्षणों के रूप में साकार हो गयी हैं। इनमें से 5 ने परियोजना सूझबूझों का मूर्तरूप ग्रहण कर लिया है और इनमें 2.2 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा। 30 जून, 1974 तक केओतप संगठन ने 3 रिपोर्टें पूरी कर ली हैं और शेष 2 परियोजना सूझबूझों को इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वे व्यवहार्य नहीं हैं। इसके अलावा केओतप संगठन ने अपने आप ही ऐसी परियोजना सूझबूझों का व्यवहार्यता अध्ययन हाथ में लिया है जिनका उसके द्वारा पता लगाया गया था अथवा जिन्हें अभिरुचि की कमी के कारण अन्य पक्षों द्वारा छोड़ दिया गया था। इस तरह हाथ में लिए गए 50 अध्ययनों में से 10 अध्ययन पूरे हो गये हैं और शेष 40 अध्ययन प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

167. फरवरी 1972 में अपनी स्थापना से लेकर केओतप संगठन को अब तक कुल 655 पूछताछें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मूल्यांकन के लिए उद्यमकर्ताओं से 587 और वित्तीय संस्थाओं से 68 पूछताछें प्राप्त हुई हैं। उद्यमकर्ताओं से प्राप्त 587 पूछताछों में से 117 ने परियोजना सूझबूझों का मूर्तरूप धारण कर लिया है। केओतप संगठन ने 7.7 करोड़ रुपयों के निवेशवाली और 2729 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमतावाली 37 परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। पचपन योजनाओं को उद्यमकर्ताओं में अभिरुचि की कमी के कारण अथवा प्रौद्योगिक/आर्थिक कारणों से छोड़ दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं से मूल्यांकन के लिए प्राप्त 68 योजनाओं में से 15.9 करोड़ रुपयों के निवेश वाली और 3548 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमतावाली 49 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं और अन्य 4 अन्य योजनाओं के प्रस्ताव समाप्त कर दिये गए हैं। (सारणी 40)

सारणी 39—1973-74 (जुलाई-जून) के दौरान केओतप संगठन के काम-काज का सारांश

	उद्यमकर्ताओं से प्राप्त परियोजनाएं		वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त मूल्यांकन के मामले		जोड़	
	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)
1. प्राप्त हुई पूछताछों की कुल संख्या	258	मूल्यांकन नहीं किया गया	23	3.76	281	मूल्यांकन नहीं किया गया
2. (क) मूर्त रूप धारण करने वाली परियोजनाएं/मूल्यांकन के मामले	31	9.10	23	3.76	54	12.86
(ख) 1-7-1973 को विचाराधीन मूर्त रूप धारण करनेवाली परियोजनाएं/मूल्यांकन के मामले	66	30.32	9	0.88	75	31.20
3. जोड़ (2क+2ख)	97	39.42	32	4.64	129	44.06
4. पूरी की गई रिपोर्टें	23	4.09	15	1.87	38	5.96
5. समाप्त की गई योजनाएं	49	23.82	2	0.19	51	24.01
6. हाथ में ली गई परियोजनाएं	25	8.10	15	2.30	40	10.40

सारणी 40—फरवरी 1972 से जून 1974 तक केऔतप संगठन द्वारा निपटायी गई पूछताछें

	उद्यमकर्ताओं से प्राप्त परियोजनाएं		वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त मूल्याकन के मामले/		जोड़	
	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)	मामलों की संख्या	निहित निवेश की राशि (करोड़ रु० में)
1. प्राप्त हुई पूछताछों की कुल संख्या .	587*	निर्धारण नहीं किया गया	68	18.86	655	निर्धारण नहीं किया गया
2. मूर्त रूप धारण करनेवाली परियोजनाएं/मूल्यांकन के मामले (3+4+5) .	117*	43.19	68	18.86	185	62.05
3. पूरी की गई रिपोर्टें . . .	37*	7.69	49	15.87	86	23.56
4. बंद की गई परियोजनाएं/मूल्यांकन के मामले	55	24.02	4	0.40	59	24.42
5. 30 जून 1974 को विचाराधीन पूछताछें	25	8.10	15	2.30	40	10.40
6. कार्यान्वयन के अधीन रहनेवाले मूल्यांकन	7	2.59	22	11.49	29	14.08

*इसमें एक ऐसी परियोजना सूझबूझ शामिल है जो 2.50 करोड़ रुपयों के निवेश वाली उत्पादन-रूपरेखा में विकसित हो गयी है।

168. अब तक केऔतप संगठन ने जिन 89 योजनाओं (बाजार सर्वेक्षण से संबंधित 3 योजनाओं सहित) को पूरा कर लिया है उनके निवेशों का मात्रावार वितरण सारणी 41 में दिया गया है। इन में से 64 प्रतिशत योजनाएं लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। मझौले आकार के यूनिटों से लगभग 32 प्रतिशत मामले प्राप्त हुए हैं जब कि 1 करोड़ से अधिक के निवेशोंवाले बड़े आकार के यूनिटों से केवल 4 प्रतिशत मामले ही प्राप्त हुए हैं।

सारणी 41—जून 1974 के अन्त तक केऔतप संगठन द्वारा पूरी की गई परियोजना रिपोर्टों और पूरे किए गए मूल्यांकनों तथा बाजार अध्ययनों का वितरण

निवेश की मात्रा	परियोजना की संख्या	कुल से प्रतिशत
1 लाख रुपयों तक	8	8.9
1 लाख रुपयों से अधिक परन्तु 10 लाख रुपयों तक	49	55.0
10 लाख रुपयों से अधिक परन्तु 50 लाख रुपयों तक	27	30.5
50 लाख रुपयों से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपयों तक	1	1.1
1 करोड़ रुपयों से अधिक	4	4.5
जोड़	89	100.0

उत्तर-पूर्वी औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि० (नेटको)

169. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना के निर्माण, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए मई 1973 में उत्तर-पूर्वी औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन, लि० (उऔतप संगठन) की स्थापना की गयी थी। जून 1974 को समाप्त हुए पहले 13 महीनों के दौरान उऔतप संगठन को 102 पूछताछें प्राप्त हुई हैं जिनमें से पूछताछ के 64 मामले निजी उद्यमकर्ताओं से प्राप्त हुए हैं और शेष मामले सरकार/निजी क्षेत्र के निकायों से प्राप्त हुए हैं। अब तक 72.8 करोड़ रुपयों के निवेश वाले 35 मामले विभिन्न वर्गों के अधीन निर्धारण का निश्चित मूर्तरूप धारण कर चुके हैं। इनमें से 7 परियोजना रिपोर्टों, 6 व्यवहार्यता रिपोर्टों/रूपरेखाओं, प्रबंध, तकनीकी और परामर्श संबंधी 10 निर्धारणों और एक परियोजना मूल्यांकन से संबंधित निर्धारण के 24 मामले पूरे कर लिए गए हैं। पूरे किए गए इन निर्धारणों में 55.4 करोड़ रुपयों का कुल पूंजीगत परिव्यय निहित है और उनके रोजगार की क्षमता लगभग 7000 व्यक्ति होगी। इसके आलावा 11 योजनाओं के संबंध में कार्य चल रहा है तथा 23 महत्वपूर्ण पूछताछों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है तथा इनके अलावा 44 प्रारंभिक पूछताछें विचाराधीन हैं। (सारणी 42) उऔतप संगठन परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए जिन परियोनाओं/योजनाओं से संबंधित हैं उनकी कुल संख्या में से एक योजना में उत्पादन होने लगा है 12 योजनाएं सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं और 26 प्रस्तावों के बारे में प्रवर्तकों/उद्यमकर्ताओं द्वारा निवेश के पक्के निर्णय ले लिये गए हैं।

सारणी 42—मई 1973 से जून 1974 तक उओतप संगठन द्वारा निपटायी गई पूछताछें

	मामलों की संख्या	निहित निवेश (करोड़ रुपये)
1. प्राप्त हुई पूछताछों की कुल संख्या (2+6)	102	मूल्यांकन नहीं किया गया
2. मूर्तरूप धारण करने वाली परियोजनाएँ/ मूल्यांकन के मामले (3+4+5)	58	93.43
3. पूर्ण की गई रिपोर्टें	24	55.42
4. विचाराधीन रिपोर्ट	11	17.35
5. कार्रवाई की जा रही पूछताछें	23	20.66
6 विचाराधीन प्रारम्भिक पूछताछें	44	मूल्यांकन नहीं किया गया
7. पूरी की गई/ कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएँ	13	28.81

170. उओतप संगठन द्वारा जो अन्य कार्यकलाप और निर्धारण हाथ में लिए गए हैं उनमें संबंधित राज्य एजेंसियों के सहयोग से कुछ थोड़े से विकास केन्द्रों का पता लगाना तथा किसी क्षेत्र में स्थापना की संभावना वाली परियोजना-रूपरेखा का खाका तैयार करने का कार्यक्रम उल्लेखनीय है।

171. बिहार सरकार के आग्रह पर उओतप संगठन दरभंगा के पास अन्तर्देशीय नदी परिवहन सेवा और मुख्य नदी पर चुने हुए स्थानों में नौका सेवाओं की व्यवस्था करने की योजना का इस दृष्टि से व्यवहार्यता अध्ययन हाथ में ले रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित की जा सके।

बिहार औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (बिटको)

172. भाओवि बैंक, भाओऋनि निगम, भाओवि निगम तथा बिहार राज्य के पांच राष्ट्रीकृत 'अग्रणी' बैंकों (अर्थात स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक), बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रवर्तित बिहार औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन (बिओतप संगठन) का उद्घाटन जून 1974 में किया गया है। इसका कंम्पनी अधिनियम के अधीन शीघ्र ही औपचारिक पंजीयन किया जाने वाला है। अन्य दो परामर्श संगठनों के मामले के समान ही बिओतप संगठन का प्रबंध एक निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष भाओवि बैंक के अध्यक्ष होंगे। अन्य निर्देशकों में राओवि निगम, रावि निगम, भाओऋनि निगम, भाओवि निगम और अग्रणी बैंकों में से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि शामिल रहेगा। उसकी दैनिक प्रबंध व्यवस्था की देखरेख भाओवि बैंक द्वारा नियुक्त प्रबंध-निदेशक के माध्यम से की जाएगी। उसमें औद्योगिक वित्त विपणन और प्रबन्ध व्यवस्था के क्षेत्रों के विशेषज्ञ कर्मचारी रखे जाएगें। आवश्यकता पड़ने पर उसमें अंशकालिक आधार पर उपयुक्त विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाएगी।

भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गई कम्पनियों के कार्य

173. पिछली दो वार्षिक रिपोर्टों में 1970-71 और 1972 के वर्षों के दौरान भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कंपनियों के कार्य की कतिपय प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था। वर्तमान अध्ययन में वर्ष 1973 का विश्लेषण प्रस्तुत किये जाने के अलावा कतिपय महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कंपनियों की क्षमता के उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। जो 88 कंपनियां पहले के तीन वर्षों के अध्ययन में हर बार शमिल की गई थीं, उनके तीन वर्षों का कार्य भी अलग से दर्शाया गया है।

174. इस अध्ययन के अंतर्गत आनेवाली कंम्पनियों की संख्या वर्ष 1973 में 128 थी जबकि वह इसके मुकाबले इससे पिछले वर्ष में 118 थी और 1971 तथा 1970 वर्षों में उनकी संख्या क्रमशः 95 और 90 थी। किसी कंपनी को अध्ययन में शामिल करने का निर्णय आंकड़ों की उपलब्धता के अलावा इस बात पर विचार करने के बाद किया जाता है कि क्या कंपनी निर्माण कर रही है और क्या उसने संबंधित वर्ष तक की भाओवि बैंक की सहायता का उपयोग कर लिया है। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कार्य के अध्ययन के लिए कंपनी के संबंधित कैलेंडर वर्ष के वार्षिक समापन लेखों में से आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और कंपनियों द्वारा भाओवि बैंक को प्रस्तुत की गयी प्रगति रिपोर्टों से एकत्रित की गयी सूचना से इन आंकड़ों की अनुपूर्ति की जाती है।

भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गई कम्पनियों का समग्र कार्य

175. भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गई कम्पनियों की लगायी गयी पूंजी (सकल अचल आस्तियों और सूचीगत वस्तुओं) से सकल कमाई (मूल्य ह्रास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ) के प्रतिशत के अनुसार वर्ष 1972 और 1973 के लिए उनका आवर्तता-वितरण सारणी 43 में दिया गया है:—

सारणी 43—लगायी गई पूंजी से कमाई के प्रतिशत के अनुसार भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कम्पनियों का आवर्तता (फ्रीक्वेंसी)-वितरण

कमाई का प्रतिशत	1971		1972	
	संख्या	लगाई गयी पूंजी में प्रतिशत अंश	संख्या	लगाई गयी पूंजी में प्रतिशत अंश
5 तक	34 (28.8)	7.3	32 (25.0)	8.8
5 से 15 तक	45 (38.1)	56.5	54 (42.2)	67.2
15 से 20 तक	18 (15.3)	12.3	20 (15.6)	11.2
20 से 30 तक	14 (11.9)	20.9	16 (12.5)	10.3
30 से अधिक	7 (5.9)	3.0	6 (4.7)	2.5
	118 (100.0)	100.0	128 (100.0)	100.0
पूंजी से प्राप्त औसत आय	13.1		11.8	

नोट : कम्पनियों की संख्या के नीचे दिये कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कम्पनियों की कुल संख्या के प्रतिशत के द्योतक हैं।

176. उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि लगायी गयी पूंजी से सकल कमाईयों का औसत प्रतिशत लगायी गयी पूंजी के तुलनात्मक अंकों के आधार पर (तुलना की गयी औसत के हिसाब से लगाए गये अनुसार) कम हो गया है। निरपेक्ष संख्या और साथ ही लगायी गयी पूंजी से 5 प्रतिशत से कम आय प्राप्त करने वाली कम्पनियों का प्रतिशत 1972-73 के 34 (28.8 प्रतिशत) से कम होकर 1973 में 32 (25.0 प्रतिशत) रह गया है। 5 से 15 प्रतिशत तक के बीच की आय वाली कम्पनियों की संख्या 45 (38.1%) से बढ़कर 54 (42.2%) हो गयी है। इससे यह पता लगता है कि पिछले वर्ष जो कम्पनियां अच्छी तरह नहीं चल रही थीं और जिनकी कमाई की दरें कम थीं, उनके काम में इस वर्ष के दौरान सुधार हुआ है।

177. सारणी 44 में भाओवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कम्पनियों में लगायी गयी पूंजी (कुल अचल आस्तियों और सूचीगत वस्तुओं) का ब्याज और कर से पहले प्राप्त हुई सकल आय से मूल्यांकन करने के बाद उनके कार्य का उद्योगवार विवरण दिया गया है। इस सारणी से यह पता लगता है कि लगायी गयी पूंजी से सकल कमाई का अनुपात 1970 के 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 14.7 प्रतिशत हो गया था, परन्तु वह बाद के दो वर्षों में कम होकर क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत रह गया है। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, वर्ष 1972 के अनुपात में अपेक्षाकृत थोड़ी सी कमी होने का मुख्य कारण यह है कि अध्ययन में ऐसी 13 नई कम्पनियों को शामिल किया गया है जिन्होंने इसी वर्ष में ही उत्पादन शुरू किया था। वर्ष 1973 में उल्लेखनीय कमी होने का मुख्य कारण यह है कि बिजली की अत्यधिक कटौती, परिवहन-गत्यवरोध, कच्ची सामग्री की कमी और कतिपय उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्धों के तनाव जैसे कारणों की वजह से सभी उद्योगों में क्षमता का अपेक्षाकृत कम उपयोग हुआ है। सीमेंट, कागज, मूल रसायन और मूल धातुओं के उद्योगों में यह कमी विशेष रूप से दृष्टिगत हुई है। यह कमी औद्योगिक क्षेत्र की समग्र निष्पत्ति के अनुरूप ही है जिसमें 1973 के पहले छः महीनों के दौरान उत्पादन में 0.8 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि 1972 की तदनुरूपी अवधि में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी।

सारणी 44—भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों में लगाई गई पूंजी (सूचीगत वस्तुओं को मिलाकर कुल अचल आस्तियों) से उनकी कुल कमाई से ब्याज और कर घटाने के बाद के उद्योगवार अनुपात को दर्शानेवाला विवरण

अनुक्रम	उद्योग समूह	अध्ययन में शामिल कंपनियों की संख्या				लगाई गयी पूंजी से कुल कमाई का औसत अनुपात			
		1970	1971	1972	1973	1970 %	1971 %	1972 %	1973 %
1.	सूती कपड़ा	12	13	13	13	8.2	5.3	11.3	15.1
2.	कागज	7	7	8	8	12.3	15.8	14.2	10.6
3.	मूल औद्योगिक रसायन	9	9	11	14	16.5	18.6	20.0	17.0
4.	उर्वरक	6	6	8	7	14.7	15.9	15.3	13.9
5.	अन्य रसायन	5	6	7	6	7.5	12.7	21.0	20.2
6.	सीमेंट	7	7	7	8	12.3	11.7	11.1	7.2
7.	मूल धातुएँ	15	16	23	25	14.5	13.7	10.1	8.9
8.	बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनें	12	13	16	17	6.5	4.2	9.8	14.5
9.	बिजली की मशीनें	10	10	12	13	19.5	28.2	22.7	19.7
10.	बिजली की उत्पादन और पूर्ति	—	—	—	3	—	—	—	11.3
11.	अन्य	7	8	13	14	2.8	4.2	0.6	7.6
	सभी उद्योग	90	95	118	128	13.8	14.7	13.1	11.8

178. सारणी 45 में कतिपय महत्वपूर्ण उद्योगों में भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कम्पनियों की स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता के उपयोग दिये गये हैं।

सारणी 45—कतिपय उद्योगों में भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई कम्पनियों की स्थापित क्षमता और उत्पादन

उद्योग	कम्पनियों की संख्या		क्षमता का यूनिट और उत्पादन	स्थापित क्षमता		उत्पादन		स्थापित क्षमता से उत्पादन का अनुपात	
	1972	1973		1972	1973	1972	1973	1972	1973
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सीमेंट	7	8	(मीटरी टनों में)	1,05,46,000	1,10,03,505	86,78,239	82,98,279	82.3	75.4
2. कागज	8	8	"	2,66,500	2,71,500	2,46,358	2,43,222	92.4	89.6
3. मूल औद्योगिक रसायन									
(1) कास्टिक सोडा	3	3	"	1,67,350	1,85,521	1,28,477	1,61,889	76.8	87.3
(2) सल्फ्यूरिक अम्ल	1	2	"	36,000	52,500	17,939	23,212	49.8	44.2
(3) जन्तुनाशक दवाईयां (पेस्टीसाइड्स)	2	2	"	5,200	5,200	2,661	2,320	51.2	44.6
(4) पी वी सी	1	2	"	7,500	19,500	7,061	13,525	94.1	69.4
(5) पालिथेलीन	2	2	"	31,500	31,500	37,402	41,536	118.7	131.9
(6) पट्रो-रसायन	2	2	"	3,07,512	3,09,243	2,05,658	2,60,653	66.9	84.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(7) पॉलिएस्टर के लम्बे रेशे	—	1	मीटरी टनों में	—	6,100	—	2,329	—	38.2
4.	मूल धातुएं									
	(1) एल्यूमिनियम	2	2	"	92,170	94,170	92,768	85,094	100.6	90.4
	(2) तांबा .	1	1	"	16,500	18,000	10,334	13,512	62.6	75.1
	(3) जस्ता .	1	1	"	17,000	17,000	10,284	10,183	60.5	59.9
	(4) फैरो-मैंगनीज	1	1	"	30,500	30,500	31,619	27,504	103.7	90.2
	(5) मिश्र इस्पात	1	1	"	24,000	24,000	29,780	27,486	124.1	114.5
	(6) इस्पात के शुंडक .	2	2	"	10,800	11,400	8,278	6,625	76.6	58.1
	(7) लौह और इलवां इस्पात	5	6	"	2,80,686	2,83,486	1,67,984	1,63,853	59.8	57.8
5.	मशीनों का निर्माण									
	(1) आटोमोबाईल पारेषण गियर	1	1	(मीटरी टनों में)	650	800	609	754	93.7	94.3
	(2) कृषि ट्रैक्टर	1	2	(संख्या)	13,000	16,000	10,454	14,631	80.4	91.4
6.	उर्वरक									
	(1) यूरिया .	4	5	(मीटरी टनों में	6,65,500	14,10,500	6,18,553	10,50,950	92.9	74.5
	(2) अमोनियम सल्फेट और फास्फेट	3	4	"	6,48,000	7,25,000	5,11,171	5,16,490	78.9	71.2

भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई कतिपय कंपनियों के कार्य की प्रवृत्ति

179. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, विभिन्न वर्षों के अध्ययन में शामिल की गई कंपनियों में से 88 कंपनियां समस्त चार वर्षों में सामान्य रूप से शामिल हैं। उनके कार्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण नीचे के पराग्राफ में किया गया है।

180. 88 कंपनियों के कार्य के कतिपय महत्वपूर्ण निर्देशक अंक सारणी 46 में दर्शाये गये हैं।

सारणी 46—भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई 88 कंपनियों के कार्य के निर्देशक अंक

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लगाई गयी पूंजी	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि का %	उत्पादन का मूल्य	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि का %	जोड़ा गया शुद्ध मूल्य	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि का %	कुल कमाई	पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि/ह्रास का %
1970 .	1012.6		673.4		187.9		140.7	
1971 .	1097.2	8.4	779.5	15.7	228.7	21.7	165.7	17.7
1972 .	1359.2	23.9	925.1	18.7	259.2	13.3	204.0	23.6
1973 .	1468.2	8.0	1059.2	14.5	269.1	3.8	200.0	−2.0
1970–73 के लिए संचयी वृद्धि दर		13.1		16.2		12.8		12.2

उर्युक्त विश्लेषण से यह पता लगता है कि 88 कंपनियों द्वारा लगायी गयी पूंजी में 13.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। उनके उत्पादन के मूल्य में 16.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक दर से वृद्धि हुई है जो क्षमता के उपयोग में हुई वृद्धि की द्योतक है। इसके साथ ही उत्पादन के अंतिम मूल्य पर नियंत्रण और कच्चे माल तथा उत्पादन बढ़ानेवाली अन्य चीजों के मूल्यों में हुई वृद्धि जैसे कारणों की वजह से जोड़े गये शुद्ध मूल्य तथा कुल कमाई में हुई वृद्धि क्रमशः 12.8% और 12.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर को दर्शाते हैं। इससे यह भी मालूम होता है कि आस्तियों के निर्माण की वृद्धि तथा उत्पादन के मूल्य और साथ ही शुद्ध

मूल्य तथा जोड़े गये शुद्ध मूल्य की वृद्धि में वर्ष 1973 के दौरान कमी हुई है। कुल कमाई में दो प्रतिशत की कमी हुई है यह औद्योगिक क्षेत्र की गत्यवरोधी परिस्थितियों के अनुरूप ही है।

181. 1970–73 वर्षों के लिए इन कंपनियों के पूंजी उत्पादन अनुपात, जोड़े गये शुद्ध मूल्य तथा लगाई गई पूंजी से प्राप्त आय के पूंजी से अनुपात सारणी 47 में दर्शाये गये हैं।

सारणी 47—भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों की पूंजी सघनता के अनुपात तथा लगायी गई पूंजी से प्राप्त आय

वर्ष	पूंजी/उत्पादन	पूंजी/जोड़ा गया शुद्ध मूल्य	लगायी गयी पूंजी से प्राप्त कुल आय का प्रतिशत
1970	1.50	5.39	13.9
1971	1.41	4.80	15.1
1972	1.47	5.24	15.0
1973	1.39	5.46	13.6

जैसी कि आशा की गयी थी, पूंजी-उत्पादन अनुपात नये यूनिटों में क्षमता के उपयोग में होनेवाले उत्तरोत्तर सुधार के कारण कम हो गया है। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ानेवाली चीजों के मूल्यों में हुई अपेक्षाकृत अधिक अधिक वृद्धि और लगाई गयी पूंजी की वृद्धि सारणी 47 में दिये गये अन्य दो अनुपातों में हुए परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है।

182. यह भी ध्यान देना रोचक है कि 1971, 1972 और 1973 के तीन वर्षों के अध्ययन में शामिल की गयी समस्त कंपनियों की अपेक्षा इन 88 कंपनियों में लगाई गयी पूंजी से प्राप्त आय भी अपेक्षाकृत अधिक है। यह इस तथ्य से समझा जा सकता है कि हर वर्ष जिन अधिकांश कंपनियों को वर्षानुवर्ष नमूनों के रूप में शामिल किया जाता है, वे ऐसी नयी कंपनियां होती हैं जिनमें उसी वर्ष उत्पादन शुरु होता है।

183. इन 88 कंपनियों के उद्योगवार पूंजी सघनता के अनुपात तथा लगायी गयी पूंजी से कमाई के प्रतिशत अनुबंध XIX में दर्शाये गये हैं।

राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार तथा सरकारी राजस्व में योगदान

184. भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गयी कंपनियों का राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार और राजस्व में योगदान सारणी 48 में दर्शाया गया है। उससे यह पता लगता है कि भाऔवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों का जोड़े गये मूल्य, रोजगार तथा सरकारी राजस्व में योगदान वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है।

सारणी 48—भाऔवि बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित कंम्पनियों का राष्ट्रीय उत्पादन, सरकारी राजस्व और रोजगार में योगदान

	1970	1971	1972	1973
1	2	3	4	5
क. राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान—				
(1) उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपये)	675.76	796.33	1225.27	1433.63
(2) जोड़ा गया शुद्ध मूल्य (करोड़ रुपये)	189.46	233.17	352.43	393.75
ख. निजी कंपनी क्षेत्र द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य की तुलना में भाऔवि बैंक द्वारा वित्तपोषित कंपनियों द्वारा जोड़े गये मूल्य का प्रतिशत	7.4	8.0	11.4	12.8*
ग. सरकारी राजस्व में योगदान (कंपनी-कर और सीमा शुल्क) (करोड़ रुपये)	71.48	91.24	147.28	224.93

*यह संख्या अनंतिम अनुमान पर आधारित है।

1	2	3	4	5
घ. भाग्रौवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों का कंपनी कर और सीमा शुल्क के रूप में सरकारी राजस्व में किये गये अंशदान का प्रतिशत . . .	3.8	4.3	5.8	6.8
ङ. भाग्रौवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया रोजगार (संख्या) . . .	137,000	143,000	159,500	206,100
च. निजी संगठित औद्योगिक क्षेत्रों के कुल रोजगार से भाग्रौवि बैंक द्वारा सहायता की गई कंपनियों ने जो रोजगार प्रदान किया है उसका प्रतिशत . .	3.5	3.6	4.0	5.0

185. इस पर ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त अध्ययन भाग्रौवि बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहायता की गई कतिपय कंपनियों तक ही सीमित है। फिर भी, देश का शिखर विकास बैंक होने के नाते भाग्रौवि बैंक अपनी पुनर्वित्त और पुनर्भाजन योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक संस्थाओं को इससे भी अधिक सहायता प्रदान करता है । भाग्रौवि बैंक द्वारा सहायता किये गये समस्त यूनिटों में लगाई गई पूंजी, उसके उत्पादन का मूल्य और उसके द्वारा उत्पन्न किए गये रोजगार का सही निर्धारण करना कठिन है । फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भाग्रौवि बैंक ने 9853 आवेदनपत्रों पर कुल 222.2 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है तथा 261.3 करोड़ रुपयों के मशीनी बिलों का पुनर्भाजन किया है, यह प्रतीत होता है कि भाग्रौवि बैंक की सहायता से उत्पन्न कुल रोजगार लगभग पांच लाख होगा और उनकी पूरी क्षमता के उपयोग में लाये जाने पर पूंजी का वार्षिक मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपये होगा ।

भाग्रौवि बैंक के सचिवालय के कार्यकलाप

186. भाग्रौवि बैंक का निदेशक बोर्ड रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के समान ही है। 26 जुलाई 1973 से श्री शेषाद्रि की रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति हो जाने पर वे भाग्रौवि बैंक के निदेशक हो गये हैं। इस वर्ष के दौरान जो दो निदेशक नामतः डा० पी० बी० गजेंद्रगडकर और डा० ए० एम० खुसरो, फरवरी 1974 में अपने पद की अवधि समाप्त होने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड से निवृत्त हो गये थे और इसके फलस्वरूप वे भाग्रौवि बैंक के निदेशक बोर्ड से भी निवृत्त हो गये थे। उन्हें 27 मार्च, 1974 से दोनों बोर्डों में पुनः नामित किया गया है। श्री सी० पी० श्रीवास्तव की अंतर-सरकारी समुद्री (मेरीटाइम) परामर्श संगठन, लंदन के महासचिव के रूप में नियुक्ति हो जाने पर उन्होंने 31 दिसम्बर, 1973 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड और तदनुसार भाग्रौवि बैंक के निदेशक बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है। बोर्ड श्री श्रीवास्तव की बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रगट करता है ।

187. इस वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की सात बठकें हुई हैं। इनमें से दो बैठकें बम्बई में तथा एक एक बैठक भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और नयी दिल्ली में हुई है ।

कार्यकारिणी समिति

188. बोर्ड द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य आठ निदेशक हैं, और उसकी इस वर्ष में बारह बैठकें हुई हैं, ये सभी बैठकें बंबई में हुई हैं ।

तदर्थ सलाहकारी समिति

189. भाग्रौवि बैंक अपनी निर्दिष्ट परियोजनाओं के बारे में सलाह देने के लिए तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं की परामर्श सेवाओं का उपयोग करता आ रहा है। इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर परामर्शदाताओं की तदर्थ समितियां गठित की गई हैं। इस वर्ष के दौरान परामर्शदाताओं की तदर्थ समितियों की तेरह बैठकें हुई हैं। परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों ने भाग्रौवि बैंक को जो बहुमूल्य सहायता प्रदान की है, उनके लिए निदेशक बोर्ड उनके प्रति अपना आभार प्रगट करता है ।

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों का कार्य-संचालन

190. कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को संबंधित क्षेत्रीय समितियों की सक्रिय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इस वर्ष के दौरान पूर्वी क्षेत्रीय समिति की चार बैठकें हुई हैं। इनमें से कलकत्ता में दो और पटना और गौहाटी में एक एक बैठकें हुई हैं। उत्तरी क्षेत्रीय समिति की चार बैठकें हुई हैं जिनमें से एक लखनऊ में और तीन नई दिल्ली में हुई हैं । दक्षिणी क्षेत्रीय समिति की पांच बैठकें—तीन मद्रास में और दो बंगलूर में हुई हैं।

191. 30 जून, 1974 की स्थिति के अनुसार भाअौवि बैंक के पटना, चंडीगढ़, कोचीन, भोपाल, गौहाटी, बंगलूर, जम्मू, हैदराबाद, कानपुर, भुवनेश्वर, जयपुर तथा अहमदाबाद में 12 शाखा कार्यालय कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यरत प्रत्येक शाखा कार्यालय प्रारंभिक संपर्क स्थल तथा सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करता है और उसे विभिन्न राज्यों में कार्यशील औद्योगिक, वित्तीय और विकास एजेंसियों से संपर्क बनाये रखना पड़ता है ताकि भाअौवि बैंक ने प्रत्येक राज्य में जिन संवर्धन कार्यकलापों का जिम्मा लिया है उनको पूरा करने में सुविधा हो।

192. कार्य की बढ़ती हुई मात्रा और नए उत्तरदायित्व ग्रहण करने के कारण इस वर्ष के दौरान भाअौवि बैंक के प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बना दिया गया है। चूंकि नयी दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के अधीन प्राप्त पुनर्वित्त के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने तथा ऋण गारंटी तदर्थ समिति को सहायता प्रदान करने के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं, अतएव उसे एक उप-महाप्रबंधक के अधीन रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

193. महाप्रबन्धक ने जून 1974 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ट्यूनिस में "औद्योगिक विकास वित्त-पोषक संस्थाओं के बीच सहयोगिता" पर आयोजित उक्त संगठन की पांचवीं बैठक में भाग लिया है।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

194. पिछले वर्षों के समान ही भाअौवि बैंक देश के भीतर और बाहर उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाता रहा है। आर्थिक विकास और योजना की एशियाई संस्था, बैंकाक में 'परियोजना विकास और विकास बैंकरों के लिए मूल्यांकन' पर आयोजित एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था।

195. इसके अतिरिक्त भाअौवि बैंक के अधिकारियों ने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय बम्बई, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज) हैदराबाद, राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान बम्बई, और एन० आई० टी० आई० ई०, बम्बई जैसे देश के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा प्रबन्ध संस्थानों द्वारा विकासोन्मुख वित्तपोषण तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। भाअौवि बैंक ने भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) हैदराबाद की सहभागिता में अपने अधिकारियों की सुविधा के लिए बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय बम्बई में "जोखिम विश्लेषण" पर एक त्रिदिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया है।

196. इस वर्ष के दौरान भाअौवि बैंक ने विकास वित्त संस्थान, मनीला की सहयोगिता में "लघु और मझौले उद्योग परियोजना विकास" पर आयोजित कार्यक्रम म भाग लेने वाले आर्थिक विकास और योजना के एशियाई संस्थान के व्यक्तियों को अंत सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उसने बैंक आफ थाइलैंड के एक अर्थशास्त्री को भी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रशिक्षणार्थियों के जिस एक दल ने आर्थिक विकास और योजना के एशियाई संस्थान के 'परियोजना विकास और विकास बैंकरों के मूल्यांकन' के विशेष पाठ्यक्रम में भाग लिया था। यह दल एक अल्पावधि प्रशिक्षण के लिए भाअौवि बैंक में आया था।

197. विगत वर्षों के समान ही भाअौवि बैंक ने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई, वित्तीय प्रबंध व्यवस्था तथा अनुसंधान संस्थान, मद्रास, एन० आई० टी० आई० ई०, बजाज प्रबन्ध संस्थान, बम्बई, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, स्टेट बैंक स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, हैदराबाद तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कक्षाएं लेने के लिए अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके अपना सहयोग प्रदान किया है। इस वर्ष के दौरान, भाअौवि बैंक तथा रिज़र्व बैंक के औद्योगिक वित्त विभाग ने राज्य वित्त निगम के माध्यम स्तरीय अधिकारियों की सुविधा के लिए पूना, अहमदाबाद और बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय बम्बई में तीन सप्ताह की अवधि के तीन रिहायशी पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

लेखे-सामान्य निधि

198. भाअौवि बैंक की सामान्य निधि के लेखे विकास सहायता निधि (डी० ए० एफ०) से अलग रखे जाते हैं।

आय-व्यय

199. 1973-74 के लेखा वर्ष में बैंक की सामान्य निधि म 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 18.55 करोड़ रुपयों से बढ़कर 22.30 करोड़ रुपए हो गई है तथा उसके कुल व्यय में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 14.94 करोड़ रुपयों से बढ़कर 18.51 करोड़ रुपए हो गई है। भाअौवि बैंक की कुल आय उसके कारोबार में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है इसका मुख्य कारण यह है कि कुल सहायता में रियायती सहायता का अपेक्षाकृत बहुत अधिक अंश है। 3 1/2 प्रतिशत और 5 1/2 प्रतिशत के बीच घट-बढ़वाली ब्याज दरों पर (जबकि भाअौवि बैंक की उधार लेने की दर 6 1/2 प्रतिशत है) लघु उद्योगों को पुनर्वित के अधीन प्रदान की गई सहायता और पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दरों पर प्रदान की गई सहायता की (30 जून 1974 को बकाया रहनेवाली) राशि 55.46 करोड़ रुपए है और निर्यात सहायता की बकाया राशि 41.31 करोड़ रुपये है। मुख्यतः उधारों की अपेक्षाकृत अधिक लागत, स्थापना-व्यय में हुई वृद्धि और संवर्धन कार्यकलापों में वृद्धि किए जाने के कारण व्यय में वृद्धि हुई है।

200. अतः 1973-74 का शुद्ध लाभ 1972-73 के 3.61 करोड़ रुपये से केवल थोड़ा सा ही बढ़कर 3.79 करोड़ रुपये हो गया है। इस लाभ में से 2.15 करोड़ रुपयों की राशि (1972-73 की 2.11 करोड़ रुपयों के मुकाबले) आरक्षित निधि को अंतरित की गयी है जिससे 30 जून 1974 को उक्त निधि की राशि बढ़कर 21.02* करोड़ रुपये हो गई है। शेष 164 लाख रुपयों की राशि (1972-73 में 150 लाख रुपये की राशि की तुलना में) रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अंतरित कर दी गयी है और इस प्रकार लाभांश की दर को 3.75 प्रतिशत बनाये रखा गया है।

लेखा परीक्षक

201. भाऔवि बैंक अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नियुक्त की गई मेसर्स के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा बैंक के लेखों का लेखा परीक्षण किया गया है।

भाऔवि बैंक—कार्य संपादन का एक दशक

202. देश की अग्रणी विकास वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔवि बैंक) के स्थापित किए जाने के बाद से अब तक 10 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हालांकि एक संस्था के जीवन में दस वर्ष की अवधि कम ही होती है फिर भी अब तक की गयी प्रगति का इस स्थिति में मूल्यांकन कर लेना अधिक उपयुक्त होगा।

203. अपनी स्थापना के तत्काल बाद ही भाऔवि बैंक औद्योगिक संस्थानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के अलावा औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त तथा मध्यावधि निर्यात ऋणों की ऐसी योजनाएं चलाने लगा था जो उसे तत्कालीन उद्योग पुनर्वित निगम से विरासत में मिली थीं। मशीनी बिल पुनर्भाजन-योजना का श्रीगणेश 1965 में किया गया था और उसका प्राथमिक उद्देश्य मशीनों के निर्माताओं को अपने उत्पादनों का ऋण की आसान शर्तों पर विपणन करने में सहायता पहुंचाना है। शुरु में यह योजना थोड़े से मशीन निर्माता उद्योगों तक ही सीमित थी पर नवम्बर 1966 से इसे सारे मशीन-निर्माता उद्योगों पर लागू कर दिया गया है। यह योजना जनवरी 1969 में स्वायत्त निकायों, बिजली उपक्रमों, परिवहन निगमों और सरकारी कम्पनियों जैसे सरकारी क्षेत्र के खरीदार उपभोक्ताओं पर भी लागू कर दी गई थी। मंदी से प्रभावित मशीन-निर्माता उद्योगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मूलत बनाई गई यह योजना छोटे और मझौले आकार के उद्योगों के लिए अपने साज-समान का आधुनिकीकरण और विस्तार करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है।

204. भाऔवि बैंक ने औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त-पोषण की योजना के क्षेत्र को भी व्यापक बना दिया है। बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को छोटे सड़क परिवहन चालकों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाऔवि बैंक नवम्बर 1968 से इस क्षेत्र को भी पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। हाल ही में, अंविसंघ से भारत सरकार को 250 लाख डालर का ऋण मंजूर किया गया है और इसके बाद भाऔवि बैंक ने एक ऐसी योजना प्रारंभ की है जिससे छोटे और मझौले यूनिट रावि निगमों से ऋण लेकर विदेशों से मशीनों और विशेष मामलों में तकनीकी सेवायें प्राप्त कर सकते हैं और रावि निगमों द्वारा ऐसे जो ऋण लिए जाएंगे उनके लिए वे भाऔवि बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं।

205. निर्यात वित्त के क्षेत्र में भाऔवि बैंक ने निर्यात के आवधिक ऋणों की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वायदों में वृद्धि कर दी है जिन्हें वाणिज्य बैंक अपने आप पूरा न कर पाते। अगस्त 1967 में मध्यावधि निर्यात ऋण के लिए प्रदान किए जाने वाले पुनर्वित्त की योजना के क्षेत्र को इस उद्देश्य से विस्तृत बना दिया गया है कि निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रदान किये जाने में प्रोत्साहन मिले तथा पूंजीगत और इंजीनियरी माल के भारतीय निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक कारगर ढंग से स्पर्धा कर सकें। यह सुविधा जोसामान्यतः पूंजीगत और इंजीनियरी माल के निर्यात के लिए दी गई थी, भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशों में निष्पादित की जानेवाली निर्माण परियोजनाओं के ऐसे निर्माण करारों के लिए भी दी जाती है जिन में लगनेवाला अधिकांश साज-समान, कच्चा माल और सेवाएं, आदि भारतमूल की हों। इस योजना के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के निर्यातकों को भी प्रदान की जाती हैं। निर्यात ऋण के लिए रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

206. दिसम्बर 1968 में वाणिज्य बैंकों की सहभागिता में इंजीनियरी माल के निर्यातकों को रियायती दर पर प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने की एक योजना प्रारम्भ की गयी थी। जो प्रत्यक्ष सहायता केवल पूर्तिकारों के ऋण के रूप में मुहैया की जाती थी उसके क्षेत्र को दिसम्बर 1973 में व्यापक बना दिया गया है और अब वह खरीदार—ऋण के लिए भी मुहैया की जाती है। खरीदार—ऋण योजना के अधीन भाऔवि बैंक वाणिज्यक बैंकों की सहभागिता में भारत से निर्यात किए जानेवाले पूंजीगत माल के लिए विदेशी आयातकों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। अब भाऔवि बैंक उन संस्थानों को भी निर्यात वित्त प्रदान करता है जो औद्योगिक संस्थाएं नहीं हैं।

207. वित्तपोषण के अलावा भाऔवि बैंक निर्यातकों को निर्यात के लिए परामर्श प्रदान करता है तथा विदेशी आयातकों के साथ सौदे करने में भी उनकी सहायता करता है। इस प्रकार निर्यात वित्तपोषण के क्षेत्र में भाऔवि बैंक निर्यात बैंक की भूमिका अदा कर रहा है।

---

*इसमें 30 जून, 1974 को निवेशों की बिक्री को दर्शाने वाली 157.5 लाख रुपयों की निवेश की आरक्षित राशि शामिल नहीं है।

आंतर-सांस्थानिक समन्वय

208. जैसाकि पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया जा चुका है, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने में भाओवि बैंक का दृष्टिकोण उसकी शिखर संस्था के रूप में जो भूमिका है उससे संबंधित है। उसकी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का कारोबार अधिकांशत: अन्य संस्थाओं विशेषकर भाओवि निगम, भाओऋनि निगम, जीबी निगम तथा भायू ट्रस्ट की सहभागिता में किया जाता है। कार्य-संचालन में इन संस्थाओं के साथ निकटवर्ती सम्बन्ध बनाए रखने के लिए भाओवि बैंक ने सितम्बर 1965 में भाओवि निगम, भाओऋनि निगम, जीबी निकम और भायूट्रस्ट के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की त्रिमासिक आंतर-सांस्थानिक बैठकों का आयोजन करने में पहल की है। इन बैठकों में परियोजना, वित्तपोषण के क्षेत्र की व्यापक नीतियों पर विचार-विमर्श किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है तथा वित्तीय और तकनीकी सुविधा प्रदान करने के प्रस्तावों पर सहभागिता (कनसर्शियम) आधार पर विचार किया जाता है। भाओवि बैंक ने जून 1971 में जारी किये गए सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण के एक भाग को इक्विटी शेयरों में बदलने की शर्तों को निधारित करने के लिए समन्वयकर्ता की भूमिका निभाने का जिम्मा भी ले लिया है।

209. समन्वय के क्षेत्र में भी क्रमश: विस्तार किया गया है। संयुक्त सहभागिता के आधार पर सहायता की गई परियोजनाओं के मूल्यांकन और पर्यवेक्षण को इस प्रकार समन्वित किया जा रहा है कि अनावश्यक पुनरावृत्ति तथा विलम्ब से बचा जा सके। समस्त केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए परियोजना आंकड़े एकत्रित करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए एक जैसा आधार और इसके साथ ही आवेदनपत्रों तथा ऋण दस्तावेजों के मानकीकरण का विकास किया जा रहा है। भाओवि बैंक ने अपने समन्वय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात वित्त को भी शामिल कर लिया है। उसने (क) परामर्श दल और (ख) तदर्थ कार्यकारी दल नामक दो दल गठित किए हैं। एक ओर जहां परामर्श दल निर्यात वित्त से सम्बन्धित व्यापक समस्याओं और नीतियों से संबंधित है वहां दूसरी ओर तदर्थ कार्यकारी दल विशिष्ट निर्यात प्रस्तावों पर विचार करता है ताकि काम की अनावश्यक पुनरावृत्ति और विलम्ब से बचने के लिए शीघ्र ही समन्वित निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

210. उद्योगों का वित्तपोषण करने से सम्बद्ध कार्यकलापों की उत्तरोत्तर वृद्धि और बढ़ती हुई जटिलताओं को देखते हुए भाओवि बैंक ने अपनी संगठन व्यवस्था को सरल और कारगर बना लिया है। उसने दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न राज्यों में में 12 शाखा कार्यालय खोले हैं। शाखा कार्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे विभिन्न राज्यों के औद्योगिक, वित्तीय और विकास एजेंसियों से निकटवर्ती सम्पर्क बनाए रखें और भाओवि बैंक के संवर्धन कार्यकलापों के लिए संपर्क स्थलों के रूप में कार्य करें। क्षेत्रीय कार्यालयों को कतिपय निर्धारित सीमाओं तक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार की सहायता प्रदान करने के अधिकार सौंप दिये गये हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त निगम द्वारा दिए गए दो लाख रुपये तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने की क्रियावधि को उदार बना दिया गया है—इस उदारीकरण से क्षेत्रीय कार्यालय प्राय: स्वचालित आधार पर इस प्रकार का पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं।

211. औद्योगिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक बेहतर क्षेत्रीय वितरण लाने के लिए भाओवि बैंक ने 1970 में रियायती, प्रत्यक्ष और पुनर्वित्त सहायता की योजनाएं प्रारंभ की थीं जो निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों पर लागू होती हैं। प्रत्यक्ष सहायता योजना के अधीन दी जानेवाली रियायतों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दर, ऋण-स्थगन और वापसी अदायगी की लंबी अवधियां, पूंजी जोखिम के लिए अधिक मात्रा में अभिदान, आदि शामिल हैं। निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में स्थित छोटे और मझौले आकार के यूनिटों को पूरी की पूरी पुनर्वित्त सहायता अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर प्रदान की जाती है। इसके पहले के एक खण्ड में रियायती सहायता योजना के अधीन की गई प्रगति का कुछ ब्यौरों सहित वर्णन किया गया है।

212. जिन कार्यकलापों का उल्लेख परम्परागत कार्यकलापों के रूप में किया जा सकता है उनमें कुछ अंश तक परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद भाओवि बैंक ने अपने बाद के पांच वर्षों के चरण में नवीन क्रियाओं और संवर्धन कार्यों का श्रीगणेश किया है। यदि परम्परागत कार्यकलाप का उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना है तो संवर्धन कार्यकलापों का उद्देश्य उसका क्षेत्रों तथा छोटे और नए उद्यमकर्ताओं दोनों के बीच सामाजिक रूप से अपेक्षित वितरण करना है। इनका व्यापक उद्देश्य यह है कि अल्प विकसित क्षेत्रों में उद्योगों का प्रवर्तन करके क्षेत्रीय संतुलन लाया जाए।

213. पहला प्रधान कार्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की खाइयों को पाटा जाए तथा इन क्षत्रों के औद्योगिक विकास की संभावना का मूल्यांकन किया जाए। 1970 में भाओवि बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता में पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्णित क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराने में पहल की थी। इस समय तक इन सभी पिछड़े क्षेत्रों के पर्यवेक्षण पूरे हो चुके हैं। इन पर्यवेक्षणों से अनेक परियोजना सूझ-बूझ सामने आई हैं तथा भाओवि बैंक संबंधित राज्यस्तरीय एजेंसियों से इस बात के लिए सक्रिय आग्रह कर रहा है कि वे इन परियोजना सूझ बूझों को मूर्त रूप प्रदान करें।

214. औद्योगिक संवर्धन में राज्य स्तरीय एजेंसियों के प्रयास में समन्वयन लाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंतर-सांस्थानिक दलों (आंसां दल) का गठन किया गया है जिसमें संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन आंसां दलों (आई० आई० जी०)

की स्थापना में यह उद्देश्य निहित है कि सम्प्रेषण के माध्यमों में सुधार लाया जाए और एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जाए जहां परियोजना से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई तथा राज्य के औद्योगिक विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर रचनात्मक विचार-विमर्श किया जा सके । ये दल अन्य बातों के साथ साथ परियोजना सूझ-बूझों पर विचार-विमर्श करते हैं तथा औद्योगिक संवर्धन के क्षेत्र से संबंधित विचारों और अनुभव का आदान-प्रदान करते हैं तथा प्रवर्तित की जानेवाली योजनाओं के बारे में सलाह देते हैं तथा नए उद्यमकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन दलों ने परियोजनाओं का पता लगाने के विकास से संबंधित सभी पहलुओं और उनके कार्यान्वियन के संबंध में जिला-सर्वेक्षण अथवा विशिष्ट अध्ययन भी सतत आधार पर शुरू कराये हैं ।

215. साधनों और परियोजना सूझ-बूझों का पता लगाने और उनके बारे में कारगर सूचना देने भर से ही औद्योगिक विकास का सतत आधार पर प्रवर्तन नहीं हो सकता । किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास अंततः अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं की उपलब्धि एवं स्थानीय उद्यमकर्ताओं की संख्या पर अत्यधिक निर्भर रहता है। उद्यमशीलता के ठोस आधार का अभाव एक ऐसा तत्व रहा है जिसके कारण इन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया है। इस तथ्य के प्रति जागरूक रहते हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं राज्य स्तरीय एजेंसियों की सहायता से छोटे और मझौले उद्यमकर्ताओं का पता लगाने, उन्हें प्रशिक्षण देने, उनका संवर्धन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्न करती आ रही है ।

216. भाऔवि बैंक ने बीमार और बंद यूनिटों को पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की कलकत्ता में स्थापना की थी ।

217. भाऔवि बैंक ने कोचिन (केरल), गौहाटी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) और पटना (बिहार) में तकनीकी परामर्श सेवा संगठनों की भी स्थापना की है। इन संगठनों के बहुमुखी उद्देश्य है जिनमें से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं : परियोजना सूझ-बूझों का पता लगाना, विशिष्ट उद्योगों के संबंध में परियोजनाओं की रूप रेखा तैयार करना, संभाव्यता रिपोर्टें तथा निवेश से पूर्व के अध्ययन तैयार करना, परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए संभावित उद्यमकर्ताओं का पता लगाना, उद्योगों के संवर्धन और उनकी प्रबंध व्यवस्था के लिए उद्यमकर्ताओं की तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, विशिष्ट उत्पादनों के लिए विपणन का अनुसंधान और सर्वेक्षण हाथ में लेना तथा वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की ओर से परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक मूल्यांकन कराने का काम हाथ में लेना ।

218. विगत वर्षों में मूल्यांकन के रीति विधान में सुधार लाने के लिए इस दृष्टि से सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि मूल्यांकन के मानदंडों में सख्ती लाई जा सके। जो बड़ी परियोजनाएं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखती हैं उनके प्रस्तावों को प्रौद्योगिक आधारित आर्थिक व्यवहार्यता की सलाह के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की तदर्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस तदर्थ समिति के सदस्य उद्योग, सरकारी विभागों तथा अनुसंधान संस्थाओं से लिए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है राज्य वित्त निगम भाऔवि बैंक के पास उपलब्ध विशेषज्ञता उत्तरोत्तर अधिक उपयोग कर रहे हैं। भाऔवि बैंक ने रिज़र्व बैंक के सहयोग से राज्य वित्त निगमों के मूल्यांकन स्तर को बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं ।

219. यद्यपि संवर्धन प्रयासों के लिए अब तक प्रदान की गई सहायता से प्राप्त सभी परिणामों को मात्रा में सरलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता फिर भी निम्नलिखित कुछ पैराग्राफों में भाऔवि बैंक की सहायता का स्थूल मूल्यांकन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है ।

220. यद्यपि विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रदान की गई मंजूरियों और वितरणों की मात्रा में वार्षिक घट-बढ़ें हुई हैं तथापि समग्र प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की ओर उन्मुख है । वार्षिक घट-बढ़ें विभिन्न कारणों अर्थात् अर्थ व्यवस्था का सामान्य औद्योगिक स्वास्थ्य, किसी निवेशगत निर्णय में उत्पादन बढ़ानेवाली अनुपूरक चीजों की उपलब्धि तथा जो परियोजनाएं सहायता के लिए प्रस्तुत की जाती हैं उनके विभिन्न आकारों की अपरिहार्यता पर निर्भर हैं। अतः दस वर्षों की अवधि में हुई प्रगति की सार्थक तुलना के लिए यह प्रस्ताव है कि दस वर्षों को पांच वर्षों की दो अवधियों में वितरित कर दिया जाए : पहली अवधि में वर्ष 1964–1969 (जुलाई-जून) और दूसरी अवधि में वर्ष 1969–1974 (जुलाई-जून) शामिल हैं ।

221 सहायता की प्रवृत्ति

सारणी 49 से यह पाया जाता है कि परियोजना सहायता (अर्थात् निर्यात सहायता गारंटियों को छोड़कर अन्य सहायता)

सारणी 49—भाऔवि बैंक द्वारा मंजूर की गई (प्रभावी) सहायता और वितरित सहायता का योजनावार विवरण—1964-65 से 1973-74 जुलाई-जून

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	योजना	मंजूरियां (प्रभावी)				उपयोग			
		पांच वर्षों की पहली अवधि (1964–69)		पांच वर्षों की दूसरी अवधि (1969–74)		पांच वर्षों की पहली अवधि (1964–69)		पांच वर्षों की दूसरी अवधि (1969–74)	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	प्रत्यक्ष सहायता (हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान सहित)	108.5	40.6	230.8	32.2	87.5	37.7	114.8	23.2
2.	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	82.1	30.7	140.1	19.6	84.4	36.4	110.4	22.3
3.	बिलों का पुनर्भाजन	37.3	14.0	224.0	31.3	32.1	13.8	189.4	38.3
4.	वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	23.9	9.0	25.3	3.5	23.8	10.3	23.9	4.8
	1 से 4 का जोड़	251.8	94.3	620.2	86.6	227.8	98.2	438.6	88.6
5.	निर्यात (पुनर्वित्त सहित)	15.3	5.7	96.3	13.4	4.1	1.8	56.3	11.4
	1 से 5 तक का जोड़	267.1	100.0	716.5	100.0	231.9	100.0	494.9	100.0
6.	गारंटियां (निर्यात गारंटियों सहित)	24.8	—	3.7	—	19.0@	—	2.3@	—

@प्रदान की गई गारंटियां।

के अधीन दी गई कुल प्रभावी मंजूरियों की राशि पांच वर्षों की पहली अवधि के 252 करोड़ रुपयों से बढ़कर पांच वर्षों की दूसरी अवधि में 620 करोड़ रुपए हो गई है अर्थात् उसमें 146 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, परियोजना सहायता के उपयोग में 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 228 करोड़ रुपयों से बढ़कर 439 करोड़ रुपए हो गई है। यदि इसमें निर्यात सहायता को भी शामिल कर लिया जाए तो इस अवधि के दौरान दी गई कुल सहायता के अधीन दी गई प्रभावी मंजूरियों और उनके उपयोग की राशि में क्रमशः 168 प्रतिशत तथा 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (कृपया ग्राफ 12 भी देखें)।

222. भाऔवि बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता के वितरण की बदलती हुई प्रवृत्ति उल्लेखनीय है। परोक्ष सहायता का (निर्यात वित्त को छोड़कर अन्य सहायता का) अंश मंजूरियों और उपयोग दोनों के ही अधीन उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। यह ध्यान रखने पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं रह जाती कि शिखर बैंक के रूप में भाऔवि बैंक से यह आशा की जाती है कि वह वित्त पोषण की ऐसी खाइयों को पाटने के लिए अंतिम उधारकर्ता का कार्य करे जो अपेक्षाकृत बड़ी परियोजनाओं के मामले में अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नहीं पाटी जाती तथा वह लघु और मझौले उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाओं के लिए आश्रयदाता का कार्य करे। अनेक मामलों में वह सहायता मंजूर करनेवाली प्रथम संस्था होने के बावजूद भी उस स्थिति में अपनी सहायता के अंश को कम कर लेता है जब अन्य संस्थाएं सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हों।

223. निर्दिष्ट पिछड़े जिलों को दी गई सहायता

औद्योगिक यूनिटों को प्रदान की गई परियोजना संबंधी कुल सहायता में निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को दी गई सहायता का भाग पांच वर्षों की पहली अवधि के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर पांच वर्षों की दूसरी अवधि के दौरान 30.3 प्रतिशत हो गया है।

224. यह पता लगता है कि सहायता की सभी योजनाओं के अधीन वृद्धि हुई है। यह इस बात की द्योतक है कि विगत वर्षों के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता देश के औद्योगिक विकास में पाए जाने वाले क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायक हुई है।

225. यह उल्लेखनीय है कि भाऔवि बैंक ने निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को रियायती दरों पर सहायता प्रदान करने की योजना 1970 में प्रारंभ की थी। जैसा कि सारणी 24 में पहले ही दर्शाया जा चुका है, इस योजना के अधीन हुई प्रगति काफी उत्साहवर्धक है। 1970 से 1974 तक के चार वर्षों में सहायता प्रदान की गई राशि और साथ ही उसके अन्तर्गत आनेवाले जिलों, दोनों ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सारणी 50—निर्दिष्ट पिछड़े जिलों के यूनिटों को मंजूर की गई सहायता (प्रभावी)

(राशि करोड़ रुपए में)

	पांच वर्ष की पहली अवधि (1964–69)			पांच वर्ष की दूसरी अवधि (1969–74)		
	कुल	निर्दिष्ट पिछड़े जिले	प्रतिशत	कुल	निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्र	प्रतिशत
प्रत्यक्ष सहायता@ . . .	108.5	14.4	13.3	230.7	104.0	45.1
पुनर्वित्त . . .	82.1	16.0	19.5	140.1	40.8	29.1
जिलों का पुनर्भाजन . .	37.3	5.2	13.9	224.0	35.6	15.9
कुल . .	227.9	35.6	15.6	594.8	180.4	30.3

@गारंटी सहायता को छोड़कर।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रदान की गई सहायता

226. लघु उद्योग क्षेत्र तथा छोटे सड़क परिवहन चालकों को प्रदान की जानेवाली भाऔवि बैंक सहायता मुख्यत: पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से ही उनके पास पहुंचती है। भाऔवि बैंक लघु उद्योग को रियायती दर पर सहायता प्रदान करता है तथा उसने लघु उद्योग के अपेक्षाकृत छोटे यूनिटों को सहायता प्रदान के लिए प्राय: स्वचालित उदार प्रणाली अपनायी है। इस क्षेत्र को सहायता की राशि का थोड़ा सा अंश बिलों की पुनर्भाजन योजना तथा वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान के माध्यम से भी प्रदान किया जाता है। नीचे दी गई सारणी में लघु क्षेत्र को प्रदान किये गये पुनर्वित्त की प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं।

सारणी 51—लघु उद्योग को प्रदान की गयी पुनर्वित्त सहायता (प्रभावी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	पांच वर्षों की पहली अवधि (1964–69)		पांच वर्षों की दूसरी अवधि (1969–74)	
	सं०	राशि	सं०	राशि
1. कुल पुनर्वित्त	837	82.1	9016	140.1
2. लघु उद्योग और छोटे सड़क परिवहन चालकों के लिय प्रदान किया गया पुनर्वित्त . .	247	3.3	8491	90.9
3. 2 से 1 का प्रतिशत भाग . .	29.5	4.0	94.2	64.9

227. इससे यह मालूम होता है कि पुनर्वित्त सहायता में लघु उद्योग क्षेत्र का जो भाग पांच वर्षों की पहली अवधि के दौरान केवल 4.0 प्रतिशत था वह पांच वर्षों की दूसरी अवधि में बढ़कर 64.9 प्रतिशत तक हो गया है। संख्या के अनुसार छोटे आकार के यूनिटों का भाग इसी अवधि में प्राय: 30 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत हो गया है।

उद्योगवार सहायता

228. इन दोनों अवधियों के दौरान भाऔवि बैंक की सहायता का पांच-चौथाई से भी अधिक भाग मूल पदार्थों उत्पादक पदार्थों तथा पूंजीगत माल के क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। उपभोक्तामाल क्षेत्र को प्रदान की गयी सहायता का भाग प्रथम पांच वर्षों की पहली अवधि के 15.0 प्रतिशत से घटकर पांच वर्षों की दूसरी अवधि में 8.6 प्रतिशत रह गया है। (अनुबंध XX देखें)। इसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता-माल क्षेत्र, अर्थात् कपड़ा और चीनी, के जो प्रमुख उधारकर्ता भाऔवि बैंक से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं उनसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। यह प्रणाली इसलिए विकसित हुई है कि वित्तीय संस्थाओं ने विगत वर्षों में सहायता किये जाने वाले उद्योगों के संबंध में कुछ अंश तक विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। भाऔवि बैंक अधिकांशत: उत्पादक माल तथा पूंजीगत माल के उद्योगों की सहायता करता है।

229. इस दशक में भाऔवि बैंक ने बहुधा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से 8 बड़े उर्वरक यूनिटों, 4 बड़ी पेट्रो-रासायनिक परियोजनाओं तथा भारी लागतवाली अन्य परियोजनाओं की सहायता की है। सारणी 52 में भाऔवि बैंक द्वारा 27 बड़ी परियोजनाओं को दी गई सहायता की मात्रा दर्शाई गई है।

सारणी 52—भारी निवेशवाली परियोजनाओं को प्रदान की गई भाऔवि बैंक की सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	भाऔवि बैंक की सहायता*	3 से 4 का अनुपात
1	2	3	4	5
				(प्रतिशत)
उर्वरक	8	471.1	89.6	18.9
टायर	5	123.4	21.4	17.3
पेट्रो-रसायन	4	105.1	24.2	23.0
सीमेंट	2	68.8	10.2	14.8
कागज	4	60.1	26.5	44.1
एल्यूमिनियम	2	55.1	4.5	8.2
मिश्र इस्पात	2	41.5	7.0	16.9
जोड़	27	928.1	183.4	19.8

*इसमें गारंटी सहायता शामिल है।

भाऔवि बैंक का विकास पर प्रभाव

230. भाऔवि बैंक के कार्य संपादन—का निर्णय केवल उसकी वित्तीय निष्पत्तियों से नहीं किया जा सकता जो अपने आप में काफी प्रभावशाली हैं। इस दशक के दौरान उसने 251 परियोजनाओं के लिए कुल 366.0 करोड़ रुपयों की प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात सहायता को छोड़कर अन्य) और 483.5 करोड़ रुपयों की परोक्ष सहायता 9,853 आवेदनपत्रों पर 222.2 करोड़ रुपयों के औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त और मशीनों के 1963 खरीदार-उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने वाली 261.3 करोड़ रुपयों की पुनर्भाजन सहायता प्रदान की है। उसके कार्यकलापों के संपूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन इन परियोजनाओं से उत्पादित राष्ट्रीय आय, निर्मित किये गये रोजगार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा प्राप्त सरकार को अंतरित किये जाने के लिए उपलब्ध किये गये साधनों, परियोजनाओं द्वारा कमाई अथवा बचाई गई विदेशी मुद्रा और नयी तकनीकों के अंतरण या अपनाये जाने, आदि से ही किया जा सकता है। कुछ स्थूल आकलन से यह पता लगता है कि भाऔवि बैंक द्वारा अपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष योजनाओं के माध्यम से सहायता किये गये यूनिटों में 5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए नौकरियों का निर्माण हुआ है। परियोजना के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त उससे अन्य उद्योगों को उसके सहवर्ती प्रभावों के रूप में अप्रत्यक्ष सुविधायें भी प्राप्त हुई हैं। अल्प विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक यूनिटों का प्रवर्तन, छोटे और नये उद्यमकर्ताओं का संवर्धन, देशी औद्योगिकी का प्रवर्धन—ये सब सामाजिक लाभ वास्तविक हैं परन्तु इनको मात्रा में सरलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

अनुबंध I

चौथी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन

उद्योग	यूनिट	तुलनात्मक सूचकांक	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1973-74 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. मूल उद्योग									
कोयला	दस लाख मीटरी टनों में	6.697	71.4	75.7	72.9	72.1	77.6	80.2	93.5
कच्चा लोहा	"	0.583	28.1	29.3	31.8	33.6	35.1	34.1	51.4
नाईट्रोजन उर्वरक एन	हजार मीटरी टनों में	0.336	541	716	830	952	1060	1060	2500
सीमेंट	दस लाख मीटरी टनों में	1.170	12.2	13.8	14.4	15.0	15.5	15.0	18
तैयार इस्पात	"	3.800	4.90	5.05	4.89	4.96	5.51	4.61	8.1
एल्यूमिनियम	हजार मीटरी टनों में	0.144	125	135	167	182	174	140	220
उत्पादित बिजली	जी० डब्ल्यू० एच०	5.370	51.7	58.5	60.1	60.7	63.6	63.5	86
समूह सूचकांक		25.110	198	217	224	239	257	251	317
II. पूंजीगत माल का उद्योग									
बॉल तथा रॉलर बियरिंग्ज	दस लाख म	0.086	12.7	—	—	—	21.8	23.9	20
मशीनी औजार	करोड़ रुपयों म	0.387	24.7	32.9	43.0	550	66.3	71.2	65
धातुकर्मक तथा अन्य साज सामान	हजार मीटरी टनों में	0.360	25	—	—	—	—	30	75
सूती वस्त्रों की मशीनें	करोड़ रुपयों में	0.280	13.8	19.6	30.3	33.5	30.9	35.0	45
कृषि ट्रैक्टर	हजारों में	0.005	15	18.1	20.7	16.6	20.2	22.4	50
वाणिज्य वाहन	"	2.110	35.9	35.4	41.2	39.7	38.4	42.6	85
रेल वैगन	"	2.370	16.5	14.9	11.1	8.5	10.8	12	21.5
समूह सूचकांक		11.760	211	214	227	227	251	281	468
III. उत्पादक पदार्थ उद्योग									
जूट से बना माल	हजार मीटरी टनों में	3.970	1088	944	958	1129	1074	959	1400
सूत की कताई	दस लाख किलोग्राम में	11.790	959	962	929	902	972	973	1150
मनुष्य निर्मित धागे	हजार मीटरों में	0.612	1090	863	947	968	—	1500	1500
मोटर गाड़ियों के टायर	दस लाख में	1.188	3.75	3.62	3.79	4.33	4.34	4.5	6
साइकिल के टायर	"	0.093	24.6	21.3	19.2	22.4	19.6	20.8	35
पट्रोलियम से बनी वस्तुएं	दस लाख मीटरी टनों में	1.340	15.4	16.6	17.1	18.6	17.9	19.7	26
समूह सूचकांक		25.880	150	156	157	163	170	168	199
IV. उपभोक्ता माल उद्योग									
सिलाई मशीनें	हजारों में	0.224	427	340	235	312	343	277	600
चीनी	दस लाख मीटरी टनों में	3.580	3.56	4.26	3.74	3.11	3.90	3.76	4.7
वनस्पति	हजार मीटरी टनों में	1.090	466	477	558	594	580	449	625
मिल का सूती कपड़ा	दस लाख मीटरों में	9.390	4297	4191	4055	4039	4224	4030	5100
विकेन्द्रीकृत सूती कपड़ा	"	9.390	3584	3594	3742	3444	3694	3834	4250
कागज तथा गत्ता	हजार मीटरी टनों में	1.530	647	723	755	803	713	765	850
साबुन	हजार मीटरी टनों में	0.844	190	224	233	320	281	196	250
समूह सूचकांक		37.250	135	149	155	163	166	162	175
सामान्य सूचकांक		100	166	178	184	190	200	210	244—267

—आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

टिप्पणी:—(i) समूह के सूचकांकों तथा सामान्य सूचकांकों का हिसाब औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों (आधार 1960=100) से लगाया गया है। 1973-74 के समूह के सूचकांकों का अनुमान ऐसे चुने हुए 50 उद्योगों में पाई गई वृद्धि की दर के आधार पर लगाया गया है जो कुल तुलनात्मक अंकों के 67% के लिए जिम्मेदार है । सामान्य सूचकांकों का अनुमान अप्रैल 1973—फरवरी 1974 के दौरान इन सूचकांकों में पिछली वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में हुई वृद्धि के आधार पर लगाया गया है ।

(ii) उत्पादन के आंकड़े पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से लिये गये हैं। 1972-73 के आंकड़ों को अद्यतन बना दिया गया है और 1973-74 के आंकड़ों का अनुमान अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों की सहायता से लगाया गया है ।

अनुबंध II

चौथी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन (प्रतिशत में परिवर्तन)*

उद्योग	तुलनात्मक अंक	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	चक्रवृद्धि दर से वृद्धि	लक्ष्य की वृद्धि (चक्रवृद्धि दर से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. मूल उद्योग								
कोयला	6.697	6	−5	—	8	3	2.3	5.6
कच्चा लोहा	0.583	4	9	6	4	−3	3.9	13.0
नाइट्रोजन उर्वरक (एन)	0.336	32	16	15	11	—	14.4	36.0
सीमेंट	1.170	13	4	4	3	−3	4.2	8.1
तैयार इस्पात	3.800	3	−3	14	11	−16	−1.0	10.6
एल्यूमिनियम	0.144	8	24	9	−4	−20	2.3	12.0
उत्पादित बिजली	5.370	13	3	1	5	—	4.2	10.7
समूह सूचकांक में परिवर्तन	25.110	9.4	3.4	6.9	7.3	−2.4	4.9	9.9
II. पूंजीगत माल उद्योग								
बॉल तथा रोलर बियरिंग	0.086	..	..	..	..	9	13.5	9.5
मशीनी औजार	0.387	33	31	28	21	7	24.0	21.4
धातु कर्मक तथा अन्य भारी साज-सामान	0.360	..	..	..	..	..	3.7	24.6
सूती कपड़े की मशीनें	0.280	42	55	11	−8	−13	20.5	26.7
कृषि ट्रेक्टर	0.005	21	14	−20	22	11	8.3	27.1
वाणिज्य वाहन	2.110	−1	16	−4	−3	11	3.7	18.9
रेल वैगन	2.370	−10	−26	−23	27	11	−5.5	5.4
समूह सूचकांक में परिवर्तन	11.760	1.4	6.0	0.4	10.4	11.9	5.9	17.1
III. उत्पादक पदार्थ उद्योग								
जूट से बनी चीजें	3.970	−13	1	18	−5	−11	−2.5	5.1
सूत कताई	11.790	—	−4	−3	8	—	0.2	3.6
मानव निर्मित रेशे	0.612	−26	10	2	..	..	6.6	6.9
मोटर गाड़ियों के टायर	1.188	−4	5	14	—	4	3.8	9.9
साइकल के टायर	0.093	−13	−10	17	−12	6	−3.5	7.3
पेट्रोलियम से बनी चीजें	1.340	8	3	9	−4	10	5.1	10.9
समूह सूचकांकों में परिवर्तन	25.880	3.8	1.2	3.6	4.3	−1.1	2.3	5.8
IV. उपभोक्ता माल उद्योग								
सिलाई की मशीनें	0.223	−20	−31	33	10	−19	−9.0	7.0
चीनी	3.580	20	−12	−17	24	−3	1.1	5.8
वनस्पति	1.090	24	17	6	−3	−23	−0.8	6.1
मिल का सूती कपड़ा	9.390	−2	−3	—	5	−5	−1.3	3.4
विकेन्द्रीकृत सूती कपड़ा	,,	—	4	−8	7	4	1.4	3.4
कागज तथा गत्ता	1.530	12	4	6	−5	−1	3.4	5.6
साबुन	0.844	18	4	37	−12	−30	0.6	5.6
समूह सूचकांक में परिवर्तन	37.250	10.2	4.5	5.2	1.4	−2.9	3.6	5.3
सामान्य सूचकांक में परिवर्तन	100	7.4	3.0	3.3	5.3	0.5	3.9	8−10

*ये आंकड़े अनुबंध 1 पर आधारित हैं । ..आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अनुबंध III

1968-69 और 1973-74 के दौरान चुने हुए उद्योगों में क्षमता का उपयोग

उद्योग	यूनिट	तुलनात्मक अंक	1968-69 उत्पादन	1968-69 क्षमता	1968-69 उपयोग का अनुपात	1973-74 उत्पादन (अनुमानित)	1973-74 क्षमता	1973-74 उपयोग का अनुपात	अनुपात में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. मूल उद्योग									
नाइट्रोजन उर्वरक (एन)	हजार मीटरी टनों में	0.336	541	1024	53	1060	1938	55	2
सीमेंट	दस लाख मीटरी टनों में	1.170	12.2	15.4	79	15	19.8	76	(3)
तैयार इस्पात	"	3.800	4.9	6.9	71	4.61	8.1	56	(14)
एल्यूमिनियम	हजारी मीटरी टनों में	0.144	125	117	107	140	195	72	(35)
12 उद्योगों की तुलनात्मक औसत के आंकड़े		6.070			73			63	(10)
II. पूंजीगत माल उद्योग									
बॉल और रोलर बियरिंग	संख्या दस लाख में	0.086	12.7	12.7	100	23.9	22.6	106	6
मशीनी पुर्जे	करोड़ रुपयों में	0.387	24.7	61	40	71.2	95	75	35
धातुकर्मक और अन्य भारी साज-सामान	हजार मीटरी टनों में	0.360	25	85	29	30	90	33	4
सूती वस्त्रों की मशीनें	करोड़ रुपयों में	0.280	13.8	49	34	35	50	70	36
कृषि ट्रैक्टर	संख्या हजारों में	0.005	15	20	75	22.4	47	48	(27)
वाणिज्य गाड़ियां	"	2.110	35.9	57.6	62	42.6	73.4	58	(4)
13 उद्योगों की तुलनात्मक औसत के आंकड़े		4.046			54			59	5
III. उत्पादक पदार्थ उद्योग									
जूट से बना माल	हजार टनों में	3.970	1088	1500	73	959	1300	74	1
मोटर गाड़ियों के टायर	संख्या दस लाख में	1.188	3.75	3.34	112	4.5	5.5	82	(30)
बाइसिकल के टायर	"	0.093	24.6	21.29	115	20.8	28.0	74	(41)
पेट्रोलियम उत्पाद	दस लाख टनों में	1.340	15.4	16.25	94	19.7	24	82	(12)
9 उद्योगों के तुलनात्मक औसत के आंकड़े		7.687			83			75	(8)
IV. उपभोक्ता माल उद्योग									
सिलाई की मशीनें	संख्या हजारों में	0.223	427	450	95	227	537	52	(43)
बिजली के पंखे	"	0.411	1481	1810	82	2267	3050	74	(8)
चीनी	मीटरी टनों में	3.580	3.56	3.3	108	3.76	4.3	87	(21)
वनस्पति	हजार टनों में	1.090	466	623	75	449	1250	36	(39)
कागज और गत्ता	हजार टनों में	1.530	647	730	89	765	962	80	(9)
साबुन	"	0.844	190	212.6	89	196	219	90	1
6 उद्योगों के तुलनात्मक औसत के आंकड़े		7.678			95			77	(18)
41 चुने हुए उद्योगों के तुलनात्मक औसत के आंकड़े		25.481			78			70	8

टिप्पणी:—(i) क्षमता के आंकड़े पांचवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों से लिये गये हैं।

(ii) 1973-74 के उत्पादन-आंकड़ों का अनुमान अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है।

(iii) समूहों के तुलनात्मक आंकड़े अलग अलग उद्योगों के तुलनात्मक आंकड़ों से मेल नहीं खायेंगे क्योंकि जिन उद्योगों को अपेक्षाकृत कम तुलनात्मक आंकड़े प्रदान किये गये हैं, उन्हें अलग से नहीं दर्शाया गया परन्तु उनको समूह के सूचक अंकों का हिसाब लगाते समय गिना गया है।

अनुबंध IV

चौथी योजना के दौरान चुने हुए उद्योगों में क्षमता निर्माण की प्रगति

उद्योग	यूनिट	तुलनात्मक अंक	क्षमता निर्माण		1968-69 की अपेक्षा प्रतिशत
			1968-69 (वास्तविक)	1973-74 (अनुमानित)	
1	2	3	4	5	6
I. मूल उद्योग					
नाइट्रोजन उर्वरक (एन)	हजार मीटरी टनों में	0.336	1024	1938	80
सीमेंट	दस लाख मीटरी टनों में	1.170	15.4	19.8	28
तैयार इस्पात	,,	3.800	6.9	8.1	17
एल्यूमिनियम	हजार मीटरी टनों में	0.144	117	195	67
उत्पादित बिजली	दस लाख किलो वाट	5.370	14.3	18.9	32
14 उद्योगों के तुलनात्मक अंक		11.440	100	129	29
II. पूंजीगत माल उद्योग					
बॉल और रोलर बियरिंग	संख्या दस लाख में	0.086	12.7	25.6	78
मशीनी पुर्जे	करोड़ रुपयों में	0.387	61	95	56
धातु कर्मक और अन्य भारी साज-सामान	हजार मीटरी टनों में	0.360	85	90	6
सूती वस्त्रों की मशीनें	करोड़ रुपयों में	0.280	40	50	25
कृषि ट्रैक्टर	संख्या हजार में	0.005	20	47	135
वाणिज्य गाड़ियां	,,	2.110	57.6	73.4	27
13 उद्योगों के तुलनात्मक अंक	—	4.046	100	145	45
III. उत्पादक पदार्थ उद्योग					
जूट से बना माल	हजार टनों में	3.970	1500	1300	−13
सूती धागा	तकुये दस लाख में	11.790	17.5	18.4	5
मोटर गाड़ियों के टायर	संख्या दस लाख में	1.188	3.3	5.5	67
साइकिल के टायर	,,	0.093	21.3	28.0	31
पेट्रोलियम उत्पादन	दस लाख टनों में	1.340	16.3	24.0	47
10 उद्योगों के तुलनात्मक अंक	—	19.477	100	111	11
IV. उपभोक्ता माल उद्योग					
सिलाई की मशीनें	संख्या हजारों में	0.223	450	537	19
बिजली के पंखे	,,	0.411	1810	3050	69
चीनी	मीटरी टनों में	3.580	3.3	4.3	30
वनस्पति	हजार मीटरी टनों में	1.090	623	1250	101
सूती कपड़ा मिल	करघे हजारों में	9.390	208	207	—
कागज और गत्ता	हजार टनों में	1.530	730	962	32
साबुन	,,	0.844	212.6	219	3
8 उद्योगों के तुलनात्मक अंक	—	17.118	100	118	18
45 चुने हुए उद्योगों के सूचकांक	—	52.081	100	120	20

टिप्पणी (1) क्षमता के आंकड़े पांचवीं पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना से प्रारूप के लिए गए हैं और उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सूचित किए गए क्षमता के आंकड़ों के आधार पर अद्यतन बनाया गया है।

(2) वर्गों के सूचकांक चुने हुए 45 उद्योगों में क्षमता के निर्माण पर आधारित हैं; जिन चुने हुए उद्योगों के अधिक तुलनात्मक अंक (वेट्स) हैं, उनका उल्लेख कर दिया गया है।

अनुबंध V

कार्यान्वित अथवा कार्यान्वयन के अधीन तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिए विचाराधीन परियोजनाएं

(जून 1974 के अंत तक)

क. कार्यान्वित/कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

(राशियां करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	राज्य	परियोजना का नाम	प्रवर्तक	परियोजना की लागत	किसने सहायता दी है
1.	असम	संश्लिष्ट सरेस	(असम पेट्रो केमिकल्स)	9.00	भाऔवि बैंक
2.	-वही-	कास्टिक सोडा/क्लोरिन	(अशोक पेपर मिल्स)	3.15	भाऔवि बैंक
3.	-वही-	इस्पात की छड़ें	(ईस्टर्न स्टील एण्ड एलाय कं० लि०)	0.40	यूको बैंक
4.	-वही-	लुगदी और कागज	(अशोक पेपर मिल्स)	16.20	भाऔवि बैंक
5.	बिहार	अति कार्बन इस्पात	(उषा मार्टिन ब्लेक वायररोप्स लि०)	2.00	भाऔवि बैंक
6.	-वही-	दानेदार उर्वरक	(बिहार सहकारी विपणन संघ)	1.16	अनु०
7.	-वही-	मृत्तिका शिल्प	(नालंदा सेरमिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०)	2.55	भाऔवि बैंक
8.	हिमाचल प्रदेश	गंधराल और तारपीन	(शिवालिक रोजिन एण्ड जनरल मिल्स)	0.25	अनु०
9.	-वही-	-वही-	(नेवल स्टोर्स कारपोरेशन)	0.06	अनु०
10.	-वही-	-वही-	(भगवान फाइनेंस कारपोरेशन)	0.04	अनु०
11.	-वही-	तारपीन रसायन	मेसर्स टर्पीन इंडस्ट्रीज	1.00	हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम
12.	-वही-	-वही-	(हिमाचल टर्पीन प्राडक्टस प्राइवेट लिमिटेड)	0.28	अनु०
13.	-वही-	सुरा कर्मशाला व मद्यशाला	(मोहन मीकिन्स)	2.00	अनु०
14.	-वही-	दानेदार उर्वरक	(हिमाचल प्रदेश मझौले उद्योग विकास निगम)	0.40	अनु०
15.	जम्मू और कश्मीर	होटल परियोजना	(होटल जहांगीर)	0.83	जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम
16.	-वही-	-वही-	(पिकनिक होटल्स)	0.50	-वही-
17.	-वही-	-वही-	(ब्रॉड वे इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड)	1.00	-वही-
18.	-वही-	सुरा कर्मशाला	(दीवान मार्डन ब्रुअरीज लिमिटेड)	0.23	-वही-
19.	मध्य प्रदेश	अखबारी कागज	(नेपा मिल्स)	13.45	केन्द्रीय सरकार
20.	-वही-	कास्टिक सोडा/क्लोरीन	(ग्वालियर रेयॉन सिल्क मिल्स)	6.29	अनु०
21.	-वही-	नायलन तंतु रेशा संयंत्र	(श्री सिंथटिक्स)	7.35	भाऔवि बैंक
22.	-वही-	तार खींचने का संयंत्र	(भलाई वायर्स लिमिटेड)	0.98	मध्य प्रदेश वित्त निगम मध्य प्रदेश औद्योगिक वित्त निगम
23.	-वही-	सूखी सेल बेटरियां	(ज० एण्ड के० ग्रुप)	2.27	राज्य वित्त निगम/ भाऔऋनि निगम/ भाऔवि निगम

अनुबंध V (क्रमशः)

(राशियां करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	राज्य	परियोजना का नाम	प्रवर्तक	परियोजना की लागत	किसने सहायता दी है
24.	मणिपुर	खांडसारी चीनी यूनिट	(अनु०)	0.10	अनु०
25.	-वही-	कताई मिलें	(राज्य सरकार)	2.50	अनु०
26.	-वही-	डिब्बे बनानेवाले एक छोटे यूनिट सहित फलों की डिब्बाबंदी करने की मझोले आकार की यूनिट	(--वही-)	1.00	राज्य सरकार
27.	-वही-	एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का यूनिट	(अनु)	2.00	अनु०
28.	नागालैंड	चीनी मिल समूह	(नागालैंड शुगर मिल्स)	3.70	भाऔवि बैंक
29.	उड़ीसा	वनस्पति तेल (तेल निकाली हुई चावल की भूसी का यूनिट)	(मेसर्स इंडो-ईस्ट एक्सट्रक्शन)	0.39	राज्य सरकार/उड़ीसा राज्य वित्त निगम आदि
30.	-वही-	अनन्नास का रस निचोड़ने और उसे बोतल में बंद करना	(राज्य सरकार)	0.25	अनु०
31.	-वही-	सोडियम डायक्रोमेट	(उड़ीसा केमिकल्स)	2.00	भाऔवि बैंक
32.	-वही-	फैरो सिलिकॉन	इंडियन मेटल एण्ड फैरो एलॉयज लिमिटेड	2.74	अनु०
33.	-वही-	उष्मसह भट्टियां	(उड़ीसा इंडस्ट्रीज)	2.26	भाऔवि बैंक
34.	-वही-	मशीनें	(उत्कल मशीनरी)	6.00	भाऔवि बैंक
35.	राजस्थान	ग्वार गोंद संयंत्र	(जोधपुर वुलन मिल्स)	1.90	राज्य वित्त निगम
36.	-वही-	-वही-	(हरगम गम इंडस्ट्रीज)	1.90	राज्य वित्त निगम
37.	-वही-	जस्ता प्रद्रावण	(राजस्थान जिंक स्मेलटिंग कंपनी)	10.00	केन्द्रीय सरकार
38.	-वही-	सीमेंट	(जे० के० सीमेंट वर्क्स)	8.00	स्टेट बैंक आफ इंडिया/ राज्य सरकार
39.	-वही-	मोटरगाड़ियों के टायर और ट्यूब	(जे० के० इन्डस्ट्रीज)	25.00	भाऔवि बैंक
40.	-वही-	विलायक निस्सारण संयंत्र	(जयपुर आयल प्राडक्ट्स)	0.24	राजस्थान वित्त निगम
41.	-वही-	लघु इस्पात सयंत्र	(आर०जी० इस्पात लिमिटेड)	1.20	राजस्थान वित्त निगम
42.	उत्तर प्रदेश	ट्रैक्टर	(हर्ष ट्रैक्टर्स)	अनु०	अनु०
43.	-वही-	-वही-	(जे० के० सतोह)	1.24	भाऔवि निगम
44.	-वही-	डेड बर्नट मैगनीसाइट	(उप्रलउवि निगम)	2.00	पंजाब नेशनल बैंक
45.	-वही-	टायर और ट्यूब	(मोदी रबर लिमिटेड)	18.00	भाऔवि बैंक
46.	-वही-	-वही-	(यूनीवर्सल टायर्स लिमिटेड)	अनु०	अनु०
47.	-वही-	रबड़ संशोधन	(सिथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स)	5.56	भाऔवि निगम
48.	-वही-	लघु इस्पात संयंत्र	(अमृत स्टील लिमिटेड)	2.09	भाऔवि बैंक
			जोड़	171.46	

अनुबंध V

ख. वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान किए जाने के लिए विचाराधीन परियोजनाएं

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	राज्य	परियोजना का नाम	प्रवर्तक	परियोजना लागत	किस संस्था के पास आवेदनपत्र विचाराधीन है।
1.	असम	चीनी मिल	(असम औद्योगिक वित्त निगम)	4.10	भाऔवि बैंक/भाऔनि निगम
2.	-वही-	दानेदार उर्वरक	–(वही)–	0.63	भाऔवि बैंक
3.	जम्मू और कश्मीर	लिपटवां किवाड़, फाटक और झंझरी का यूनिट	(श्री मोहम्मद ए० टी० बाकौल)	0.01	जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम
4.	मध्य प्रदेश	केलिशयम कार्बाइड यूनिट	(बी० डी० नागौरी)	4.35	भाऔवि बैंक/भाऔऋनि निगम भाऔनि निगम
5.	-वही-	सीमेंट (टाकू में)	(गेंजीस मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी)	12.00	मध्य प्रदेश औवि निगम
6.	-वही-	सीमेंट (पथरिया, दमोह में)	(मैसूर सीमेंट लिमिटेड)	15.00	भाऔवि बैंक
7.	-वही-	कागज और लुगदी समह	(बांगुर्स)	72.00	भाऔवि बैंक/भाऔवि निगम/भाऔऋनि निगम
8.	-वही-	प्लाइवुड	(आलोक उद्योग वनस्पति एंड प्लाइवुड लि०)	0.62	राज्य वित्त निगम
9.	-वही-	(टायर और ट्यूबों के लिए) काला कार्बन	(हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड)	14.00	भाऔवि बैंक/भाऔवि निगम
10.	नागालैंड	कागज और लुगदी मिल	(हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार)	31.57	भाऔवि बैंक/भाऔवि निगम
11.	उड़ीसा	जूट मिल	(औ०वि० निगम)	4.50	भाऔवि बैंक/भाऔवि निगम
12.	-वही-	कागज	(उड़ीसा पेपर मिल्स)	32.65	भाऔवि बैंक
13.	उत्तर प्रदेश	सीमेंट	(राज्य सीमेंट निगम)	25.00	भाऔवि बैंक
14.	-वही-	कागज और लुगदी	(सूरज पैकिंग इण्डस्ट्रीज)	64.00	भाऔवि निगम (प)
15.	-वही-	स्कूटर	(यू० पी० स्कूटर्स)	4.43	भाऔवि बैंक
			कुल जोड़	284.86	

टिप्पणी : 'कार्यान्वित परियोजना' का अर्थ ऐसी परियोजना है जिसमें उत्पादन शुरू हो जाने की सूचना दी गई है जबकि 'कार्यान्वयन के अधीन रहनेवाली योजना' का अर्थ ऐसी परियोजना है जिसके लिए वित्तीय सहायता मंजूर कर दिये जाने की सूचना दी गई है।

अनु० = सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध

भाआवि बैंक : 1964-65 से 1973-74 (जुलाई-जून) तक

	1964-65		1965-66		1966-67		1967-68		1968-69	
	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़ कर . .	8	16.2	23	35.6	19	40.5	13	17.9	16	15.0
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	29	6.8	23	7.6	10	2.4	10	2.3	11	9.7
3. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त .	124	24.6	1.82	22.2	145	20.8	117	10.1	336	15.2
4. बिलों का पुनर्भाजन .	2	0.1	49	2.2	131	7.1	237	12.4	335	15.5
	(2)		(14)		(26)		(54)		(104)	
5. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान . .	8	6.3	6	1.7	9	9.4	7	1.9	3	4.5
1 से 5 तक का जोड़	171	54.0	283	69.3	314	80.2	384	44.6	701	59.9
	(171)		(248)		(209)		(201)		(470)	
6. निर्यात वित्त										
(1) प्रत्यक्ष वित्त .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.5
(2) पुनर्वित्त . .	1	0.5	3	0.8	4	0.8	3	0.3	11	7.5
(3) ऋण की विदेशी प्रणाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 से 6 तक का जोड़ .	172	54.6	286	70.1	318	81.0	387	44.9	714	74.0
	(172)		(251)		(213)		(204)		(483)	
7. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियाँ . .	3	7.8	5	19.3	4	31.9	—	—	1	0.01
8. निर्यात गारंटियाँ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6

नोट : मद 4 के आवेदन-पत्रों की संख्या खरीदारों/उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित है और मद 5 के आवेदन-पत्रों की संख्या वित्तीय संस्थाओं से संबंधित है । पुनर्भाजन योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का लाभ उठानेवाले निर्माताओं/विक्रेताओं की संख्या मद 4 में कोष्ठकों में दी गयी है ।

VI (क)

मंजूर की गई सहायता (सकल) की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

1969-70		1970-71		1971-72		1972-73		1973-74		जुलाई 1964 में भाग्रौवि बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का कुल जोड़	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
18	11.7	26	43.2	35	56.0	57	59.0	49	60.7	264	355.8
16	7.9	14	5.7	21	16.6	37	8.2	24	7.2	195	74.5
992	16.2	1552	26.1	2194	32.2	2517	35.3	2975	46.2	11134	248.8
455	24.1	553	28.5	593	45.3	693	49.8	804	76.3	1963	261.3
(129)		(152)		(204)		(231)		(292)		(456)	
1	0.5	6	8.6	4	3.2	5	2.8	5	10.2	22	49.2
1482	60.3	2151	112.1	2847	153.4	3309	155.1	3857	200.6	13578	989.6
(1156)		(1750)		(2458)		(2847)		(3345)		(12071)	
14	11.2	16	11.3	12	19.3	4	2.7	4	7.9	52	59.0
5	1.3	18	14.1	10	3.3	2	0.1	3	2.7	60	31.5
—	—	—	—	—	—	—	—	3	25.0	3	25.0
1501	72.8	2185	137.5	2869	176.0	3315	157.9	3867	236.3	13693	1105.2
(1175)		(1784)		(2480)		(2853)		(3355)		(12186)	
2	2.6	2	2.6	—	—	1	0.3	1	0.04	19	64.6
—	—	2	1.1	—	0.1	—	—	—	—	3	1.8

अनुबंध

भाऔवि बैंक : 1964-65 से 1973-74 (जुलाई-जून) तक

	1964-65		1965-66		1966-67		1967-68		1968-69	
	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर) . .	6	14.8	19	32.4	16	16.9	13	14.6	15	13.2
(क) पिछड़े जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के लिए दिये गये ऋण . .		14.4		30.5		15.9		13.3		6.3
(ख) पिछड़े जिलों को दिये गये ऋण (इनमें से रियायती दरों पर) . .		0.4		1.9		1.0		1.3		6.9
		(–)		(–)		(–)		(–)		(–)
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान .	26	6.2	20	6.0	8	0.9	9	1.2	10	2.3
(क) पिछड़े जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के लिए दिये गये ऋण . .		5.2		6.0		0.8		0.9		0.8
(ख) पिछड़े जिलों को दिए गए ऋण (इनमें से .		1.1		0.02		0.1		0.3		1.5
रियायती दरों पर) .		(–)		(–)		(–)		(–)		(–)
3. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त .	113	20.9	167	19.5	136	19.4	112	9.2	309	13.1
(क) सामान्य और रियायती दरों पर (पिछड़े जिलों के लघु उद्योगों, छोटे सड़क परिवहन चालकों और यूनिटों को दिए गए ऋणों को छोड़ कर) .		20.9		19.3		19.2		8.8		10.6
(ख) रियायती दरों पर– .										
(1) लघु उद्योगों को .		0.4		0.2		0.2		0.4		2.4
(2) छोटे सड़क परिवहन चालकों को .		–		–		–		–		0.1
(3) पिछड़े जिलों को .		–		–		–		–		–
4. बिलों का पुनर्भाजन . .	2	0.1	49	2.2	131	7.1	237	12.4	335	15.5
	(2)		(14)		(26)		(54)		(104)	
5. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान . .	8	6.3	6	1.7	9	9.4	7	1.9	3	4.5
1 से 5 तक का जोड़ .	155	48.4	261	61.8	300	53.7	378	39.4	672	48.5
	(155)		(226)		(195)		(195)		(441)	

IV (ख)

मंजूर की गई (प्रभावी) सहायता की प्रवृत्तियां

(राशि करोड़ रुपयों में)

1969-70		1970-71		1971-72		1972-73		1973-74		जुलाई 1964 में भाग्रौवि बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का कुल जोड़	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	**4.8**	**25**	**35.6**	**34**	**50.5**	**54**	**43.2**	**49**	**58.1**	**243**	**384.2**
	3.2		23.6		26.9		19.4		30.7		184.3
	1.7		12.0		23.6		23.8		27.4		99.9
	(–)		(–)		(12.0)		(5.8)		(27.1)		(44.9)
15	**6.1**	**12**	**4.1**	**21**	**14.2**	**35**	**7.0**	**24**	**7.2**	**180**	**55.1**
	2.5		4.0		8.3		4.1		4.0		36.6
	3.6		0.3		5.9		2.9		3.2		18.5
	(–)		(–)		2.0		(1.1)		(3.1)		(6.2)
832	**13.5**	**1370**	**24.0**	**1684**	**26.8**	**2204**	**30.7**	**2926**	**45.1**	**9853**	**22.2**
	7.8		10.3		9.0		6.3		8.2		120.4
	3.3		10.7		11.3		13.3		19.5		61.3
	2.4		2.7		3.0		3.0		2.8		14.0
	–		0.3		3.5		8.1		14.6		26.5
455	**24.1**	**553**	**28.5**	**593**	**45.3**	**693**	**49.8**	**804**	**76.3**	**1963**	**261.3**
(129)		(152)		(204)		(231)		(292)		(456)	
1	0.5	6	8.6	4	3.2	5	2.8	5	10.2	22	49.2
1315	**49.0**	**1966**	**100.8**	**2336**	**140.0**	**2991**	**133.5**	**3808**	**196.9**	**12261**	**872.0**
(989)		(1565)		(1947)		(2529)		(3296)		(10754)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. निर्यात वित्त . .	1	0.2	3	0.7	4	0.5	3	0.3	12	13.6
(1) प्रत्यक्ष . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.5
(2) पुनर्वित्त . .	1	0.2	3	0.7	4	0.5	3	0.3	10	7.1
(3) विदेशी ऋण की प्रणाली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 से 6 तक का जोड़ .	156 (156)	48.6	264 (229)	62.5	304 (199)	54.2	381 (198)	39.7	684 (453)	62.1
7. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटियाँ .	2	5.3	3	10.6	4	8.2	—	—	1	0.01
8. निर्यात गारंटियाँ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.6

नोट : मद 4 के आवेदन-पत्रों की संख्या खरीदारों/उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित है और मद 5 के आवेदन-पत्रों की संख्या वित्तीय संस्थाओं की संख्या से संबंधित है । पुनर्भाजन योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले निर्माताओं/विक्रेताओं की संख्या मद 4 में कोष्ठकों में दी गयी है ।

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19	11.8	32	23.9	22	22.1	6	2.8	10	35.6	112	111.6
14	10.6	15	11.3	12	19.0	4	2.7	4	7.9	51	58.0
5	1.2	17	12.6	10	3.1	2	0.1	3	2.7	58	28.6
–	–	–	–	–	-	–	–	3	25.0	3	25.0
1334 (1008)	60.8	**1998** (1597)	124.7	**2358** (1969)	162.1	**2997** (2535)	136.3	**3818** (3306)	232.6	**12373** (10866)	983.6
1	0.1	2	2.1	–	–	1	0.3	1	0.04	15	26.7
–	–	2	1.1	–	0.1	–	–	–	–	3	1.8

अनुबंध

भाग्रौवि बैंक : 1964-65 से 1973-74 (जुलाई-जून)

	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
1	2	3	4	5
1. प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	—	19.9	20.7	18.0
(क) पिछड़े ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िलों को दिये गये ऋण	—	18.7	20.5	16.1
(ख) पिछड़े ज़िलों को दिये गये ऋण	—	1.2	0.2	1.9
(इन में से रियायती दर पर)	(–)	(–)	(–)	(–)
2. हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	0.4	5.3	5.2	1.1
(क) पिछड़े ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िलों को	0.2	4.7	5.0	1.0
(ख) पिछड़े ज़िलों को (इनमें से रियायती दर पर)	0.2	0.6	0.2	0.1
	(–)	(–)	(–)	(–)
3. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	21.2	21.4	19.5	10.8
(क) सामान्य दरों पर	21.2	21.4	19.5	7.3
(ख) रियायती दरों पर (पिछड़े ज़िलों के लघु उद्योगों, छोटे सड़क परिवहन चालकों और यूनिटों को दिये गये ऋणों को छोड़कर)	—	—	—	3.4
(ग) रियायती दरों पर				
(1) लघु उद्योगों को	—	—	—	0.1
(2) छोटे सड़क परिवहन चालकों को	—	—	—	—
(3) पिछड़े ज़िलों को	—	—	—	—
4. बिलों का पुनर्भाजन	0.1	1.9	6.1	10.6
5. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	6.3	1.7	6.4	3.9
1 से 5 तक का जोड़	**28.0**	**50.2**	**58.9**	**44.4**
6. निर्यात वित्त	—	0.9	0.4	0.3
(1) प्रत्यक्ष	—	—	—	—
(2) पुनर्वित्त	—	0.9	0.4	0.3
(3) ऋण की विदेशी प्रणाली	—	—	—	—
1 से 6 तक का जोड़	**28.0**	**51.1**	**59.3**	**44.7**

VI (ग)

तक उपयोग में लाई गई सहायता की प्रवृत्तियाँ

(करोड़रुपयों में)

1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जुलाई 1964 में भाग्रौबि बैंक की स्थापना से लेकर अब तक का कुल जोड़
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.3	10.9	4.9	9.6	25.2	46.8	171.3
12.3	9.0	4.1	6.6	16.2	22.4	125.9
3.0	1.9	0.8	3.0	9.0	24.4	45.4
(–)	(–)	(–)	(–)	(3.1)	(9.6)	(12.7)
1.6	2.2	3.7	1.8	5.0	4.7	31.1
0.4	1.5	1.5	1.8	2.9	2.3	21.4
1.2	0.7	2.2	1.01	2.1	2.4	9.7
(–)	(–)	(–)	(–)	(1.0)	(1.1)	(2.1)
11.6	12.5	21.2	24.0	25.0	27.7	194.8
4.4	3.5	4.1	1.0	1.5	7.1	91.0
5.7	7.0	8.7	8.5	5.8	0.8	39.9
1.5	1.9	7.6	10.0	10.4	12.2	45.7
—	0.1	0.7	3.0	2.9	0.2	6.9
—	—	0.1	1.5	4.4	7.5	13.5
13.3	20.6	24.3	38.3	42.3	63.7	221.5
4.5	0.5	3.8	5.3	2.8	11.6	47.7
46.3	46.7	57.9	79.0	100.5	154.5	666.5
2.5	5.6	21.9	15.0	6.1	7.7	60.3
—	2.9	12.0	10.2	3.9	6.7	35.7
2.5	2.7	9.9	4.8	2.2	1.0	24.6
—	—	—	—	—	–	—
48.7	52.3	79.8	94.0	106.6	162.2	726.8

अनुबंध VII

भाऔवि बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को दी गई प्रत्यक्ष सहायता

कंपनी का नाम	परियोजना का स्वरूप	उत्पादन	स्थान जिला/राज्य	मंजूर की गई सहायता (लाख रुपयों में)		वितरित की गयी सहायता (लाख रुपयों में)
1 2	3	4	5	6	7	8
1. इंडो-निप्पोन प्रिसीजन बियरिंग लि०	नयी	बाल, बियरिंग, शुण्डक रोलर और बेलनाकार रोलर बियरिंग	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	ऋण	50.00	50.00
2. ट्रैंको केबल कं० लि०	विशाखन योजना	बिजली के तार, कागज बिसंवाहित दूर संचार के तार	एर्णाकुलम (केरल)	ऋण	50.00	45.00
3. एन० जी० ई० एफ० लि०	विशाखन-सं-तुलन योजना	बिजली के उपकरण, बिजली के ट्रांसफार्मर, मोटरें स्विच गियर और स्विच बोर्ड	बंगलौर (कर्नाटक)	ऋण	100.00	100.00
4. ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि०	विस्तार	कास्टिक सोडा, क्लोरीन तथा सोडियम सल्फाइड	एर्णाकुलम (केरल)	ऋण	305.00	200.00
5. नागालैण्ड शुगर मिल्स क० लि०	नयी	चीनी	कोहिमा (नागालैण्ड)	ऋण	50.00	45.00
6. पंजाब ब्रूअरीज लि०	नयी	बीयर	लुधियाना (पंजाब)	ऋण	35.00	—
7. चित्रदुर्ग कापर कं० लि०	नयी	कच्चे तांबे की खोज और संसाधन	चित्रदुर्ग (कर्नाटक)	ऋण	50.00	—
8. असम पेट्रोकेमिकल्स लि०	नयी	यूरिया, फार्मेल्डिहाइड और ग्लू तथा ढलाई पाउडर के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स (समूह)	लक्ष्मीपुर (असम)	ऋण हामीदारी	110.00 111.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राजस्थान स्टेट टेनेरीज़ लि०	नयी	चमड़े के जूते– चमड़ा कमाने का कारखाना	टोंक (राजस्थान)	ऋण	56.00	—
10.	स्कूटर्स इंडिया लि०	नयी	2 पहियोंवाले स्कूटरों अर्थात् "लैम्ब्रटा", का निर्माण 3 पहियों वाले स्कूटर	लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश	ऋण	220.00	—
					ऋण	1026.00	440.00
				जोड़	हामीदारी	111.50	—

अनु-

भाऔवि बैंक द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दी गई प्रत्यक्ष

अनुक्रम संख्या	कंपनी का नाम (जिला/राज्य)	परियोजना की लागत @@@	वित्त पोषण के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि*	आस्थगित अदायगियां
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दामोदर एण्टरप्राइजेस लि० (बर्दवान, पश्चिम बंगाल) @@	22.74 (69.24)	—	—	22.80 (1.30)	—
2.	स्टार टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वर्क्स लि० (थाना, महाराष्ट्र)	107.00	40.00	—	67.00 (7.00)	—
3.	तिरूमलाई केमिकल्स लि० (उत्तरी आर्काट, तमिलनाडु) @@	425.00	160.00	—	265.00	—
4.	बिहार फाउन्डरी एण्ड कास्टिंग्स लि० (हजारी-बाग, बिहार)	105.00	45.00	—	60.00	—
5.	गुजरात अल्कलीज एण्ड केमिकल्स लि० (बड़ौदा, गुजरात)	1140.00	425.00	—	715.00	—
6.	किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लि० (नासिक, महाराष्ट्र)	750.00	250.00	—	500.00	—
7.	एसोसियेटेड ग्लास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)	25.00 (451.29)	—	—	25.00	—
8.	तोसिबा आनंद लैम्प्स लि० (एर्णाकुलम, केरल)	40.00 (190.00)	—	—	40.00	—
9.	सान्दुर, मैग्नीज एण्ड आयरन ओर्स लिमिटेड (बेलारी, कर्नाटक)	611.00	125.00	—	486.00 (96.00)	—
10.	यशवंत सहकारी सूत गिरनी नियमित सहकारी समिति लि० (सोलापुर, महाराष्ट्र)	134.00	53.00	—	80.40 (15.40)	—
11.	कोलंबियन कार्बन (इंडिया) लि० (चिंगलपेट, तमिलनाडु)	485.00	180.00	—	305.00	—
12.	इस्टकोस्ट, ब्रुअरीज डिस्ट्लरीज लि० (गंजम, उड़ीसा)	180.00	75.00	—	105.00	—
13.	गंगप्पा केबल्स लि० (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)	140.50	46.00	—	94.50 (8.00)	—
14.	उड़ीसा केमिकल्स लि० (कटक, उड़ीसा)	200.00	80.00	—	120.00	—
15.	दावनगिरी शुगर कंपनी लि० (चित्रदुर्ग, कर्नाटक)	400.00	160.00	—	240.00	—

बंध VIII

वित्तीय सहायता—1973-74 के दौरान मंजूरियों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपयों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान			भाऔवि बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता					2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
			ऋण@	हामीदारी		10 और 12 का जोड़	गारंटी@		
प्रवर्तक, निदेशक, आदि*	सहभागी	7 और 8 का जोड़**		सामान्य और अधिमान शेयर@	डिबेंचर@				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.80	—	3.80	19.00†	—	—	19.00	—	16.7	83.6
				(4.00)		(23.00)			(33.2)
20.00	—	20.00	40.00	—	—	40.00	—	18.7	37.5
64.00	—	64.00	74.00††	16.50††	—	90.50	—	15.1	21.3
18.00	—	18.00	50.00	2.40	—	52.40	—	17.1	49.9
170.00	—	170.00	315.00$$	75.00	—	390.00	—	14.9	34.2
112.50	—	112.50	340.00$$	37.50$$	—	377.50	—	15.0	50.3
—	—	—	10.00	—	—	10.00	—	—	40.0
			(121.00)	(50.00)		(171.00)			(37.9)
—	—	—	25.00	—	—	25.00	—	—	62.5
			(85.00)			(85.00)			(44.7)
96.00	—	96.00	180.00$$	45.00	—	225.00	—	15.7	36.8
69.00	—	69.00	15.00	—	—	15.00	—	51.5	11.2
48.00	52.00	100.00	130.00$$	—	—	130.00	—	20.6	26.8
45.50	—	45.50	55.00	—	—	55.00	—	25.3	30.6
21.00	—	21.00	30.00	5.00	—	35.00	—	14.9	24.9
(7.00)		(7.00)							
40.80	—	40.80	90.00	29.20	—	119.20	—	20.4	59.6
105.00	—	105.00	70.00	10.00	—	80.00	—	26.3	20.00

अनु-

अनुक्रम संख्या	कंपनी का नाम (जिला/राज्य)	परियोजना की लागत @@@	वित्त पोषण के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि*	आस्थगित अदायगियाँ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि० (सिंहभूमि, बिहार)	1400.00	375.00	—	1025.00 (175.00)	—
17.	प्राची रिसोर्ट्स लि० (भुवनेश्वर, उड़ीसा) .	25.00	10.00	—	15.00	—
18.	अशोक पेपर्स मिल लि० (ग्वालपाड़ा, असम)@@.	400.19	—	—	400.00	—
19.	ओरियेन्टल होटल्स लि० (मद्रास, तमिलनाडु) .	400.00	145.00	—	255.00	—
20.	शेषशायी इण्डस्ट्रीज लि०, (दक्षिणी अर्काट, तमिलनाडु)@@	10.40 (50.90)	—	—	10.40 (1.90)	—
21.	तमिलनाडु केमिकल्स प्राडक्ट्स लि० (रामनाथपुरम, तमिलनाडु)@@ . . .	445.00	155.00	—	290.00	—
22.	क्विलोन डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग टैक्नीशियन्स इंडस्ट्रीयल (वर्कशाप) को-ओपरेटिव सोसायटी लि० (क्विलोन, केरल) . . .	65.00	21.00	—	44.00	—
23.	ट्रेको कार्बाइट लि० (बरद्वान, पश्चिम बंगाल)@@	323.06	140.00	—	210.00	—
24.	इस्टर्न इंटरनेशनल होटल (प्राइवेट) लि० (बंबई, महाराष्ट्र)	215.00	83.00	—	132.00	—
25.	गोगटे स्टील्स लि० (थाना, महाराष्ट्र) . .	390.00	160.00	—	230.00	—
26.	इण्डो फ्रेंच टाइप इंडस्ट्रीज लि० (बम्बई, महाराष्ट्र)	141.50	11.25	—	130.25 (31.45)	—
27.	मेघालय प्लाइवुड लि० (खासी पहाड़ियाँ, मेघालय)@@	63.00	17.00	—	46.60	—
28.	रमन एण्ड डेम लि० (थाना, महाराष्ट्र) .	555.00	50.78	—	494.22 (134.22)	10.00
29.	बड़ौदा रेयन कार्पोरेशन लि० (सूरत, गुजरात) .	304.37 (1404.53)	—	—	297.64 (270.41)	6.73

बंध—VIII (जारी)

(राशि लाख रुपयों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान			भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता						
			ऋण@	हामीदारी		10 और 12 का जोड़	गारंटी@	2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
प्रवर्तक, निदेशक, आदि**	संहभागी	7 और 8 का जोड़**		सामान्य और अधिमान शेयर@	डिबेंचर@				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
210.00	—	210.00	225.00	100.00	—	325.00	—	15.0	23.2
5.00	—	5.00	—	3.25	—	3.25	—	20.0	13.0
100.00 (100.00)	—	100.00 (100.00)	200.00‡††	—	—	200.00	—	25.0	50.0
43.00	11.00	54.00	35.00 (85.00)	— (20.00)	—	35.00 (105.00)	—	13.5	8.8 (26.3)
1.90	—	1.90	8.50†† (33.50)	—	—	8.50 (33.50)	—	18.3	81.7 (65.8)
66.30	—	66.30	143.00$$††§	48.70††$$	—	191.70	—	14.9	43.1
21.00	—	21.00	34.00	—	—	34.00	—	32.3	52.3
54.20	—	54.20	70.00††	10.00††	—	80.00	—	16.8	24.8
33.20	—	33.20	30.00	15.00	—	45.00	—	15.4	20.9
63.75	—	63.75	81.00	10.00	—	91.00	—	16.3	23.3
42.70 (5.00)	—	42.70 (5.00)	40.00	—	—	40.00	—	30.2	28.3
6.00	—	6.00	—	4.0 †	—	4.00	—	9.5	6.3
185.00	—	185.00	160.00		—	160.00	—	33.3	28.8
270.41	—	270.41	— (127.50)	— (43.81)	—	— (171.31)	3.66***	88.8 (46.01)	— (12.2)

अनु-

अनुक्रम संख्या	कंपनी का नाम (जिला/राज्य)	परियोजना की लागत @@@	वित्त पोषण के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि*	आस्थगित अदायगियाँ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	चेट्टीनाड सीमेंट कार्पोरेशन लि० (त्रिचुनापल्ली, तमिलनाडु) @@	61.00 (645.00)	—	—	61.00 (26.00)	—
31.	मोदी रबर लि० (मेरठ, उत्तर प्रदेश)	588.00 (2388.00)	150.00	—	438.00	—
32.	नदर्न इंडिया होटल्स लि० (आगरा, उत्तर प्रदेश)	89.00	35.00	—	54.00	—
33.	रीगल पेपर्स लि० (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश)	41.11 (121.11)	7.00	—	34.11	—
34.	सिद्धार्थ स्टील्स लि० (हुगली, पश्चिम बंगाल) @@	111.00	45.00	—	66.00	—
35.	नदर्न इंडिया ग्लास इंडस्ट्रीज लि० (रोहतक, हरियाणा)	340.00	130.00	—	210.00	—
36.	राजस्थान स्टेट टेन्नरीज लि० (टोंक, राजस्थान) @@	122.00	60.00	—	62.00 (6.00)	—
37.	बिहार एलाय स्टील्स लि० (हजारीबाग, बिहार)	665.00 (3097.20)	—	—	665.00	—
38.	अशोक पेपर मिल्स लि० (गोलपाड़ा, असम) @@	555.00 (2515.92)	—	—	555.00	—
39.	एंग्लो अमेरिकन मेरिन कंपनी लि० (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) @@	212.44	61.00	—	151.44 (25.21)	—
40.	डेरको कूलिंग कॉइल्स लि० (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश)	80.00	30.00	—	50.00	—
41.	हरियाणा पोलिस्ट्रील्स लि० (हिसार, हरियाणा) @@	360.00	150.00	—	210.00	—
42.	कोल्हापुर जिल्हा शेतकरी विनकरी सहकारी सूत गिरनी लि० (सहकारी समिति) (कोल्हापुर, महाराष्ट्र)	240.00	34.00	—	206.00 (91.00)	—
43.	पुरलिया स्टील्स लि० (पुरलिया, पश्चिम बंगाल) @@	113.00	44.00	—	69.00	—

बंध—**VIII**—(जारी)

(राशि लाख रुपयों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान			भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता						
			ऋण@	हामीदारी		10 और 12 का जोड़@	गारंटी@	2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
प्रवर्तक, निदेशक, आदि**	सहभागी	7 और 8 का जोड़**		सामान्य और अधिमान शेयर@	डिबेंचर@				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26.00	—	26.00	15.00 (100.00)	—	—	15.00 (150.00)	—	42.6	24.6 (23.3)
175.00 (25.00)	—	175.00 (25.00)	140.00 (415.00)	—	—	140.00 (465.00)	—	29.8	23.8 (19.5)
13.70	—	13.70	25.00	— (5.15)	—	25.00 (30.15)	—	15.4	28.1 (33.9)
2.62	—	2.62	6.10 (13.10)	1.39£ (13.29)	—	7.49 (26.39)	—	6.4	10.2 (21.8)
18.00	—	18.00	36.00††	—	—	36.00	—	16.2	32.4
63.00 (15.00)	—	63.00 (15.00)	102.76$$	8.00	—	110.76	—	18.5	32.6
66.00	—	66.00	56.00††	—	—	56.00	—	54.1	45.9
—	—	—	75.00 (525.00)	— (80.00)	—	75.00 (665.00)	—	—	11.3 (19.5)
105.00 (105.00)	—	105.00 (105.00)	360.00‡†† (1560.00)	— (200.00)	—	360.00 (1760.00)	—	18.9	64.9 (69.9)
34.77	—	34.77	60.16††§	5.00††	—	65.16	—	16.4	30.7
8.00	—	8.00	—	8.00	—	8.00	—	10.0	10.0
65.02	—	65.02	75.00††§	—	—	75.00	—	18.1	20.8
120.00	—	125.00	42.00	—	—	42.50	—	52.1	17.7
17.60	—	17.60	39.00††§	—	—	39.00	—	15.6	34.5

अनु-

अनुक्रम संख्या	कंपनी का नाम (जिला/राज्य)	परियोजना की लागत @@@	वित्त पोषण के साधन			
			सामान्य और अधिमान शेयर	डिबेंचर	ऋण आदि*	आस्थगित अदायगियां
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	रायपुर वायर एण्ड स्टील्स लि० (रायपुर, मध्य प्रदेश) @@	120.05	40.00	—	80.00	—
45.	टफटेड कार्पेट्स एण्ड वुलन इंडस्ट्रीज लि० (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश)	310.00	140.00	—	170.00	—
46.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० (चंद्रपुर, महाराष्ट्र) @@	1520.00	500.00	—	1020.00	—
47.	विश्वभारती स्पिनिंग एण्ड वीविंग्ज को-आपरेटिव सोसायटी लि० (थाना, महाराष्ट्र)	280.00	15.27	—	264.73 (79.73)	—
48.	जे० के० इंडस्ट्रीड लि० (उदयपुर, राजस्थान) @@	2500.00	800.00	—	1700.00	—
49.	विक्रांत टायर्स लि० (मैसूर, कर्नाटक) @@	2350.00	750.00	—	1243.00	357.00
50.	स्कूट्र्स इंडिया लि० (लखनऊ, उत्तर प्रदेश)	1320.00	500.00	—	820.00	—
51.	अपोलो टायर्स लि० (पालघट, केरल)	2550.00	850.00	—	1700.00	—
52.	तमिलनाडु रबर लि० (रामनाथपुरम्, तमिलनाडु) @@	2550.00	850.00	—	1700.00	—
	उप जोड़	**26580.30 (35200.87)**	**7998.90**		**18207.49 (968.62)**	**373.73**
	क्याधिकार शेयरों में अभिदान :					
	एलाइड इंटरनेशनल प्राडक्ट्स लि० (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश)	— (200.00)	40.00	—	—	—
	कुल जोड़	**26589.30 (35400.78)**	**8033.90**		**18207.49 (968.62)**	**373.73**

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सहायता मंजूर करते समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। कुल परियोजनाओं के संबंध में प्रवर्तकों निदेशकों आदि के अंशदान के आंकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो संबंधित कम्पनियों के विवरण-पत्रों में उपलब्ध हैं।

2. सहकारी क्षेत्र और ऊपर के रीगल पेपर्स लि० (मद सं० 33) की संख्याओं द्वारा मंजूर की गयी ऋण सहायता 25 लाख रुपये से कम है। इनको छोड़कर ऋण के सभी मामलों में शर्त के बतौर परिवर्तनीय खण्ड निर्धारित किया गया है।

*कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मुख्य आंकड़ों में शामिल आंतरिक साधन और प्रोद्भूत नकदी राशियों आदि से संबंधित हैं।

**इन आंकड़ों में आंतरिक साधन, प्रोद्भूत नकदी राशियाँ शामिल हैं। मुख्य आंकड़ों में शामिल प्रवर्तकों और सहभागियों द्वारा ऋण जमा-राशियाँ आदि के रूप में किये गये अंशदान कोष्ठकों में अलग से दिखाये गये हैं।

@@@कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल परियोजना लागत से संबंधित हैं।

बंध VIII—(जारी)

(राशि लाख रुपयों में)

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों और सहभागियों का अंशदान			भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता					2 से 9 का प्रतिशत	2 से 13 का प्रतिशत
			ऋण@	हामीदारी		10 और@ 12 का जोड़	गारंटी@		
प्रवर्तक, निदेशक, आदि**	सहभागी	7 और 8 का जोड़ **		सामान्य और अधिमान शेयर@	डिबेंचर@				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
21.65	—	21.65	60.00††	—	—	60.00	—	18.0	50.0
55.00	—	55.00	50.00	5.00	—	55.00	—	17.7	17.7
490.00 (245.00)	—	490.00 (245.00)	475.00$$†‡§	50.00††	—	525.00	—	32.2	34.5
140.00 (45.00)	—	140.00 (45.00)	55.00	—	—	55.00	—	50.0	19.6
350.00	—	350.00	250.00†† §	75.00††	—	325.00	—	14.0	13.0
325.00	—	325.00	400.00†† §	50.00†	—	450.00	—	13.8	19.1
285.00	—	285.00	220.00$$	—	—	220.00	—	21.6	16.7
350.00	—	350.00	400.00	50.00	—	450.00	—	13.7	17.6
508.00	—	508.00	400.00†† §	50.00††	—	450.00	—	19.9	17.6
5160.42 (547.00)	**63.00**	**5223.42** (547.00)	**5812.02** (8202.52)	**713.94** (1178.80)	—	**6525.96** (9431.32)	**3.66** (46.01)	**19.7**	**24.5** (26.8)
15.00	—	15.00	— (37.50)	6.30 (22.72)	—	6.30 (60.22)	— (31.28)	—	—
5175.42 (547.00)	**63.00**	**5238.42** (547.00)	**5812.02** (8155.02)	**720.24** (1251.52)	—	**6532.26** (9491.54)	**3.66** (77.29)	**19.7**	**24.6** (26.8)

@ कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल सहायता से संबंधित हैं, जिनमें भा० औ० वि० बैंक द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मंजूर की गई अतिरिक्त सहायता शामिल है।

† पुनःस्थापन/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजना के लिए सहायता।

@@ निर्दिष्ट पिछड़े जिले।

†† ये आंकड़े रियायती शर्तों पर दी गई सहायता के हैं।

$$ इसे ऐसी राशि से घटाया जाना है जो अन्य वित्तीय संस्थाओं/दलालों द्वारा मंजूर की जाए।

‡ क्रयाधिकार शेयर

†† यह राशि प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का 50 प्रतिशत है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

£ इस राशि को केन्द्रीय सरकार के उपदान की मात्रा तक घटाया जाएगा।

*** इतावली ऋण में से विदेशी सहभागिता की अदायगी के लिए आस्थगित अदायगी के हेतु अतिरिक्त गारंटी।

अनुबंध IX

निर्यातों के लिए भाओवि बैंक के प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां—1973-74 में प्रदान की गई मंजूरियों का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

अनुक्रम संख्या	निर्यात की मद	अदायगी की चलमुद्रा	भाओवि बैंक और वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित कुल सहायता		मंजूर की गयी कुल सहायता में भाओवि बैंक का अंश	
			पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी	पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निर्यात ऋण 1	गन्ना बिसारक सयंत्र और उससे संबंधित अन्य मशीनें .	. भारतीय रुपये	43.68	—	21.84 (50 प्रतिशत)	—
,, 2	चीनी मिलों की मशीनें और सेवायें	. पौण्ड पावना	107.00	—	53.50* (50 प्रतिशत)	—

अनुबंध IX—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निर्यात ऋण	3 रेलवे वैगन . . .	भारतीय रुपये	891.10	—	594.07 (66⅔ प्रतिशत)	—
,,	4 पारेषण लाइन टावर एसीएसआर संवाहक, विसंवाहक आदि। .	लिबियाई दीनार	181.04	—	90.52 (50 प्रतिशत)	—
,,	5 सूती कपड़ों की मशीनें और उनके अतिरिक्त पुर्जे . .	भारतीय रुपये	69.04	—	34.52 (50 प्रतिशत)	—
		जोड़	**1291.86**	—	**794.45**	—

नोट : कोष्ठकों में दिये गये प्रतिशत भाआवि बैंक की सहायता के अंश के द्योतक हैं।

*ये पहले मंजूर की गयी सहायता में वृद्धि के द्योतक हैं।

अनुबंध X

निर्यात के गंतव्य स्थानों और निर्यात की गई वस्तुओं के अनुसार भाओवि बैंक द्वारा जून 1974 के अंत तक मंजूर

देश का नाम	भाओवि बैंक/ बैंकों द्वारा वित्तपोषित निर्यातों का मूल्य	भाओवि बैंक की सहायता की राशि	पारेषण लाइन टावर्स और संवाहक	कपड़े की मशीनें	इस्पात की रेलें, छड़ें और रेल के उपस्कर	इस्पात से वस्तुएं बनाने की सहायक वस्तुयें	रेल वैगन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ईरान	45.53	23.76	15.80	0.11	5.34	—	2.51
यूगोस्लाविया	28.46	17.00	—	—	—	—	17.00
मिश्र का अरब गणतन्त्र (ए० आर० ई०)	15.91	10.66	—	9.53	—	0.62	—
कोरिया गणतन्त्र	14.58	8.38	—	2.50	5.88	—	—
हंगेरी	8.35	4.27	—	—	—	—	4.27
बर्मा	6.86	4.10	—	—	4.10	—	—
नाइजीरिया	5.40	3.76	0.17	—	—	—	—
मलेशिया	5.34	2.59	—	—	—	—	—
उगाण्डा	4.42	2.14	—	—	—	—	—
श्री लंका	2.06	1.56	—	—	—	—	—
अर्जन्टाइना	1.93	1.04	—	—	1.04	—	—
लीबिया	1.81	0.91	0.91	—	—	—	—
सूडान	3.98	0.86	0.24	0.62	—	—	—
थाइलैंड	2.15	0.87	0.75	0.12	—	—	—
न्यूजीलैंड	1.30	0.53	—	—	0.53	—	—
इंडोनेशिया	2.05	0.82	—	0.35	0.21	—	—
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य (पूर्व जर्मनी)	0.39	0.39	—	0.39	—	—	—
पश्चिम जर्मनी	0.30	0.28	—	—	—	—	—
चेकोस्लोवाकिया	0.39	0.08	—	0.08	—	—	—
केन्या	0.21	0.12	—	—	—	—	—
पोलैंड	0.19	0.14	—	0.14	—	—	—
एल साल्वेडोर	0.07	0.05	—	—	—	—	—
लेबनान	0.01	0.01	—	0.01	—	—	—
अन्य	3.17	2.31	—	—	—	—	—
जोड़	**154.86**	**86.63**	**17.87**	**13.85**	**17.10**	**0.62**	**23.78**

*निर्यातों और मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त के लिए दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों को मिलाकर ।

* किये गये निर्यात वित्त का वर्गीकरण

(करोड़ रुपये में)

वस्तुयें							
डीजल इंजन	चीनी कारखानों की मशीनें	मोटर गाड़ियां और उनके अतिरिक्त पुर्जे	जल शोधन संयंत्र	अग्निशामक उपस्कर	वाष्पित्र	वातानुकूलन और प्रशीतन उपस्कर	अन्य
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.17	0.18	0.16	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3.50	—	—	—	0.09	—
—	1.36	—	—	—	1.23	—	—
—	2.14	—	—	—	—	—	—
—	—	1.53	—	—	—	—	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.26
—	—	—	—	—	—	—	—
0.28	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0.12
—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.05	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2.06	—	—	—	—	—	—	0.25
2.34	3.55	5.20	0.18	0.16	1.23	0.09	0.66

अनु-

भाऔवि बैंक मंजूर की गयी (वित्तीय) सहायता प्रभावी और

उद्योग	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता						
	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात के लिए ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कोयला खनन .	—	—	—	0.2	—	—	0.2
2. पत्थर, खदान, मिट्टी और रेत की खानें . .	—	—	—	83.9	—	—	83.9
3. धातु खनन .	—	—	—	3.0	—	—	3.0
4. खाद्य पदार्थ निर्माण उद्योग सिवाय पेय उद्योगों के							
(क) चीनी . .	70.0	—	10.0	632.0	—	—	712.0
(ख) अन्य .	—	—	—	—	—	—	—
5. पेय उद्योग .	55.0	—	—	—	—	—	55.0
6. तम्बाकू निर्माण उद्योग .	—	—	—	0.8	—	—	0.8
7. कपड़ों का निर्माण							
(क) सूती कपड़े .	162.5	—	5.0	275.2	—	—	442.7
(ख) अन्य .	—	—	—	—	—	—	—
8. लकड़ी और कार्क का निर्माण सिवाय फर्नीचर के निर्माण के . . .	—	—	4.0	84.6	—	—	88.6
9. फर्नीचर और जुड़नारों का निर्माण . .	—	—	—	40.2	—	—	40.2
10. कागज और उससे बनी चीजों का निर्माण .	366.1	—	1.4	112.4	—	—	479.9
11. मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध उद्योग . .	—	—	—	81.4	—	—	81.4
12. चमड़े तथा उससे बनी चीजों और फर की चीजों का निर्माण, सिवाय जूते और पहनने के अन्य परिधानों के	—	—	—	25.5	—	—	25.5
13. चमड़े के बने हुए जूते और और फर की चीजों पहनने के परिधानों का निर्माण . .	56.0	—	—	2.5	—	—	58.5
14. रबड़ से बनी चीजों का निर्माण . .	1590.0	—	225.0	126.5	—	—	1941.5

बन्ध XI

उसके 1973-74 के दौरान उपयोग का उद्योगवार वर्गीकरण

(राशि लाख रुपयों में)

उपयोग में लाई गई सहायता								
गारंटियां	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात के लिये ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	41.5	—	—	41.5	—
—	—	—	—	1.3	—	—	1.3	—
—	95.0	—	27.1	436.3	—	—	558.4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	56.5	—	—	215.0	—	—	271.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	37.1	—	—	37.1	—
—	—	—	—	25.4	—	—	25.4	—
—	850.6	—	107.8	37.2	—	—	995.6	—
—	—	—	—	51.3	—	—	51.3	—
—	—	—	—	5.6	—	—	5.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	375.0	—	—	53.2	—	—	428.2	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. रसायन और रासायनिक चीजों का निर्माण .							
(क) मूल औद्योगिक रसायन सिवाय उर्वरकों के . .	1022.0	—	179.4	31.2	—	—	1232.6
(ख) उर्वरक. .	—	—	—	26.8	—	—	26.8
(ग) वनस्पति और जैव तेल और चिकनाई (खाद्य तेलों को छोड़कर)	—	—	—	21.8	—	—	21.8
(घ) कृत्रिम रेशों का निर्माण	—	—	—	3.0	—	—	3.0
(च) रसायन और घुलनशील लुगदी (रेयन ग्रेड) का निर्माण .	—	—	—	—	—	—	—
(छ) रंगों, वार्निशों और लैकर का निर्माण	—	—	—	18.0	—	—	18.0
(ज) विविध रासायनिक चीजों का निर्माण	—	—	—	377.7	—	—	377.7

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
—	200.0	—	4.9	32.5	—	—	237.4	—
—	1671.4	—	141.4	32.3	—	—	1845.1	—
—	—	—	—	10.8	—	—	10.8	—
3.7	100.7	—	4.5	0.3	—	—	105.5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.6	—	—	10.6	—
—	10.3	—	—	288.0	—	—	298.3	—

अनु-

उद्योग	मंजूर की गई वित्तीय सहायता						
	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात के लिए ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. पैट्रोलिम और कोयले की चीजों का निर्माण	—	—	—	29.4	—	—	29.4
17. अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण सिवाय पेट्रोलियम और कोयले की चीजों के							
(क) इमारती मिट्टी की चीजों का निर्माण	—	—	—	120.2	—	—	120.2
(ख) कांच और कांच की चीजों का निर्माण	112.7	—	8.0	45.2	—	—	165.9
(ग) मृत्तिका भाण्ड, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स)	—	—	—	67.2	—	—	67.2
(घ) सीमेंट	15.0	—	—	2.0	—	—	17.0
(ङ) चक्की के पाट और अपघर्षी	—	—	—	—	—	—	—
(च) एस्बेस्टस	—	—	—	—	—	—	—
(छ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीज	—	—	—	85.0	—	—	85.0
18. मूल धातुओं के उद्योग							
(क) लोहे और इस्पात के मूलोद्योग	1296.0	594.1	207.4	164.0	—	—	2261.5
(ख) अलौह धातु के मूलोद्योग	—	—	—	5.4	—	—	5.4
19. धातु की बनी हुई चीजों का का निर्माण सिवाय मशीनों और परिवहन उपस्कर के	—	—	—	417.4	—	—	417.4
20. मशीनों का निर्माण सिवाय बिजली की मशीनों के	493.2	109.8	56.8	254.8	272.1	7630.1	@8816.8
21. बिजली की मशीनों, उपकरणों साधित्रों और पूर्ति सामग्री का निर्माण	63.5	90.5	5.0	248.5	—	—	407.6
22. परिवहन उपस्करों का निर्माण	380.0	—	—	150.8	—	—	530.8
23. निर्माण के विविध उद्योग—							
(क) भाप और नियंत्रण के वृत्तिक वैज्ञानिक औजारों का निर्माण	—	—	—	5.3	—	—	5.3
(ख) घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण	40.0	—	—	141.3	—	—	181.3

बंध XI (जारी)

(राशि लाख रुपयों में)

उपयोग में लाई गई सहायता								
गारंटियां	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात के लिये ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
—	—	—	—	11.8	—	—	11.8	—
—	7.0	—	—	59.5	—	—	66.5	—
—	40.4	—	18.7	15.1	—	—	74.2	—
—	35.0	—	4.1	38.6	—	—	77.7	—
—	102.0	—	9.4	0.8	—	—	112.2	—
—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
—	—	—	—	0.7	—	—	0.7	—
—	—	—	—	42.4	—	—	42.4	—
—	855.0	314.1	19.5	128.4	3.7	—	1320.7	—
—	12.0	—	2.4	8.3	—	—	22.7	—
—	—	—	—	279.1	—	—	279.1	—
—	69.8	162.4	6.0	160.3	71.6	6374.9	6845.0	—
—	50.5	198.0	4.3	125.6	24.9	—	403.3	0.23
—	143.0	—	5.1	121.2	—	—	269.3	—
—	—	—	—	2.7	—	—	2.7	—
—	—	—	—	5.4	—	—	5.4	—

अनु-

उद्योग	मंजूर की गयी वित्तीय सहायता						
	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात के लिए ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋण का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ग) प्लास्टिक की ढली हुई चीजें	—	—	—	77.0	—	—	77.0
(घ) शल्य चिकित्सा की पट्टियां, आदि	—	—	—	3.7	—	—	3.7
(ङ) सिगरेट के फिल्टर	—	—	—	—	—	—	—
(च) लेखन सामग्री की चीजें	—	—	—	6.9	—	—	6.9
(छ) पानी के मीटर, भाप के मीटर और बिजली के मीटर	—	—	—	—	—	—	—
(ज) छत बनाने की सामग्री	—	—	—	—	—	—	—
(झ) वाद्य यंत्र	—	—	—	—	—	—	—
(ट) ऊष्मीय और ध्वनिक विसंवाहकों का निर्माण	—	—	—	—	—	—	—
(ठ) फोटोग्राफी और प्राकाशिक (आप्टिकल) उपकरण	—	—	—	2.3	—	—	2.3
(ड) पैक करने की सामग्री	—	—	—	48.4	—	—	48.4
(ढ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें	—	—	—	137.5	—	—	137.5
24. बिजली, गैस, पानी और सफाई सेवाएं, गैस निर्माण और वितरण (औद्योगिक गैस)	—	—	—	66.4	—	—	66.4
25. सेवाएं							
(क) होटल उद्योग	90.0	—	18.2	133.0	—	—	241.2
(ख) सड़क परिवहन	—	—	—	312.6	—	—	312.6
(ग) अन्य	—	—	—	40.5	—	—	40.5
जोड़	5812.0	794.5	720.2	4511.5	272.1	7630.1	19740.3

टिप्पणी : इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और आंकड़ों में अभिदान तथा बांगला देश को दिया गया विशेष ऋण शामिल है।

@इसमें बिजली की मशीनों और परिवहन उपस्करों के निर्माण को दी गई सहायता शामिल है ।

अनुबंध XI (जारी)

(राशि लाख रुपयों में)

उपयोग में लाई गई सहायता								
गारंटियां	ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	निर्यात के लिए ऋण	हमीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	—
—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
—	—	—	—	33.4	—	—	33.4	—
—	—	—	—	52.5	—	—	52.5	—
—	—	—	99.5	34.0	—	—	133.5	—
—	10.0	—	13.1	65.3	—	—	88.4	—
—	—	—	—	253.4	—	—	253.4	—
—	—	—	—	18.1	—	—	18.1	—
3.7	4684.2	674.5	467.8	2771.3	100.3	6374.9	15073.0	0.23

अनु-

भाऔवि बैंक द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता (प्रभावी) का उद्योगवार वर्गीकरण

उद्योग	मंजूर की गई वित्तीय सहायता										
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. कोयला खनन .	0.32	0.03	0.16	—	0.16	0.08	—	0.05	0.08	..	0.88
2. पत्थर, खदान, मिट्टी और रेत की खानें .	0.24	—	..	—	0.08	0.01	0.09	0.19	0.50	0.84	1.95
3. धातु खनन .	0.08	0.04	0.22	—	0.16	—	—	0.78	—	0.03	1.31
4. खाद्य पदार्थ निर्माण उद्योग सिवाय पेय उद्योगों के											
(क) चीनी .	0.26	1.16	1.38	0.75	0.75	1.15	3.17	3.55	7.77	7.12	27.05
(ख) अन्य .	—	—	—	—	—	0.05	—	0.76	—	—	0.81
5. पेय उद्योग .	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.55	0.90
6. तम्बाकू निर्माण उद्योग	—	—	—	—	—	—	0.02	0.01	..	0.01	0.04
7. कपड़ों का निर्माण											
(क) सूती कपड़े .	9.62	8.32	5.35	2.67	3.88	4.61	3.24	1.20	6.06	4.43	49.38
(ख) अन्य .	—	0.64	—	—	1.50	—	—	—	—	—	2.14
8. लकड़ी और कार्क का निर्माण सिवाय फर्नीचर के निर्माण के .	—	0.16	—	—	0.01	0.02	0.35	0.07	0.25	0.89	1.75
9. फर्नीचर और जुड़नारों का निर्माण .	—	0.04	—	—	0.02	..	0.07	0.15	0.19	0.40	0.87
10. कागज और उससे बनी चीजों का निर्माण . .	1.28	2.21	1.53	0.90	3.86	0.29	4.24	15.96	1.70	4.79	36.76
11. मुद्रण, प्रकाशन और सम्बद्ध उद्योग .	0.05	0.17	0.23	—	0.21	0.29	0.38	0.51	0.27	0.81	2.92
12. चमड़े तथा उससे बनी चीजों और फर की चीजों का निर्माण, सिवाय जूते और पहनने के अन्य परिधानों के .	—	0.01	—	—	0.04	0.01	0.06	0.04	0.13	0.25	0.54
13. चमड़े के बने हुए जूते और पहनने के परिधानों का निर्माण	—	—	—	—	0.33	0.09	0.14	0.08	—	0.58	1.22
14. रबड़ से बनी चीजों का निर्माण . .	0.05	0.11	0.36	0.18	0.18	0.35	0.67	3.94	0.97	19.42	26.22
15. रसायन और रासायनिक चीजों का निर्माण											
(क) मूल औद्योगिक रसायन सिवाय उर्वरकों के .	1.48	15.51	2.42	4.50	2.00	1.98	7.92	3.42	4.59	12.32	56.14
(ख) उर्वरक .	16.88	8.20	10.15	—	0.27	3.24	11.03	28.69	3.07	0.27	81.79

बंध XII

और उसका उपयोग : 1964-65 से लेकर (जुलाई–जून) 1973-74 तक (राशि करोड़ रुपयों में)

उपयोग में लाई गयी सहायता*										
1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972 73	1973-74	जोड़
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.64	0.25	0.18	0.01	—	0.24	..	—	0.14	—	2.46
—	0.24	—	..	0.08	—	0.07	0.13	0.36	0.42	1.30
0.08	—	0.24	0.03	—	0.14	—	—	0.03	0.01	0.53
0.40	0.49	1.80	0.48	1.31	0.50	2.84	3.12	3.16	5.58	19.68
—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	0.04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.02	0.01	..	—	0.03
8.58	9.72	6.07	3.22	2.97	3.89	3.29	2.81	2.28	2.72	45.55
—	—	0.64	—	—	0.90	—	0.58	—	—	2.12
0.35	0.08	0.08	—	0.01	..	0.22	0.13	0.13	0.37	1.38
—	0.03	0.01	—	—	0.02	0.04	0.08	0.07	0.26	0.52
0.49	0.84	2.39	1.44	1.43	0.27	1.12	2.01	7.08	9.95	27.02
—	0.21	0.23	—	0.15	0.08	0.53	0.39	0.40	0.51	2.50
—	—	—	0.01	0.03	—	0.03	0.05	0.08	0.06	0.26
—	—	—	—	—	0.28	0.14	0.22	..	—	0.64
0.15	0.09	0.10	0.05	0.41	0.40	0.36	0.66	1.00	4.28	7.50
0.86	6.19	5.85	6.22	2.00	4.64	3.17	0.37	0.38	2.38	32.06
0.09	11.88	14.41	5.36	2.47	1.71	1.78	0.75	12.10	18.46	69.01

अनुबन्ध XII (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

उद्योग	मंजूर की गई वित्तीय सहायता									
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(ग) वनस्पति और जैव तेल और चिकनाई (खाद्य तेलों को छोड़कर) .	0.04	—	—	0.30	0.25	0.02	0.13	0.25	0.16	0.22
(घ) कृत्रिम रेशों का निर्माण .	1.11	0.48	0.50	—	0.17	0.88	4.64	2.64	0.70	0.03
(ङ) रसायन और घुलनशील लुगदी (रेयन ग्रेड) का निर्माण .	—	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—
(च) रंगों, वार्निशों और लैकर का निर्माण	0.44	—	0.20	—	0.03	0.34	0.14	0.04	0.09	0.18
(छ) विविध रसायनिका चीजों का निर्माण.	2.27	1.05	2.02	1.87	0.36	0.81	2.37	2.74	2.47	3.78
16. पेट्रोलियम और कोयले की चीजों का निर्माण	—	—	—	—	—	0.45	—	0.08	0.90	0.29
17. अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण सिवाय पेट्रोलियम और कोयले की चीजों के .										
(क) इमारती मिट्टी की चीजों का निर्माण .	—	0.18	0.35	0.01	0.08	0.03	0.09	0.45	1.14	1.20
(ख) कांच और कांच की चीजों का निर्माण .	0.50	0.12	—	0.08	0.24	1.81	0.58	1.12	1.75	1.66
(ग) मृत्तिका भाण्ड, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन (सिरेमिक्स) .	0.16	0.02	—	0.16	0.29	0.28	0.04	0.08	1.50	0.67
(घ) सीमेंट .	0.85	7.25	0.95	2.45	1.90	—	—	0.05	3.76	0.17
(ङ) चक्की के पाट और अपघर्षी	—	—	—	—	—	..	—	0.02	—	—
(च) एस्बेस्टस .	—	0.04	0.20	—	0.04	—	0.15	0.01	—	—

अनुबन्ध XII (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

	उपयोग में लाई गई सहायता										
जोड़	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1868-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.37	0.08	0.03	—	0.17	0.20	0.04	0.11	0.21	0.11	0.11	1.07
11.15	1.12	0.32	0.16	0.50	0.01	0.06	0.18	2.82	2.57	1.05	8.79
2.00	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	—	2.00
1.46	0.36	0.08	0.20	—	—	0.03	0.10	0.38	0.03	0.11	1.29
19.74	1.66	1.65	1.30	0.90	0.90	1.68	1.65	2.62	1.87	2.98	17.21
1.72	0.30	—	—	—	—	0.04	0.04	0.29	0.04	0.12	0.83
3.53	—	0.18	0.35	—	0.06	0.02	0.08	0.12	0.49	0.66	1.96
7.86	0.45	0.17	—	0.05	0.23	0.11	1.68	0.79	0.47	0.74	4.69
3.20	0.02	0.12	0.04	—	0.34	0.28	0.06	0.09	0.17	0.78	1.90
17.38	0.32	3.83	0.12	4.15	2.17	1.06	—	0.04	0.12	1.12	12.92
0.02	0.03	—	0.01	—	—	—	—	..	0.01	0.01	0.06
0.44	—	0.03	0.16	0.03	0.02	0.02	0.13	0.02	—	0.01	0.42

अनुबन्ध XII (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

उद्योग	मंजूर की गई वित्तीय सहायता									
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(छ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें .	—	—	—	—	0.02	0.72	0.35	0.73	0.45	0.85
18. मूल धातुओं के उद्योग										
(क) लोहे और इस्पात के मूलोद्योग .	1.34	4.26	3.37	3.31	4.87	4.37	19.07	21.43	21.79	22.61
(ख) अलौह धातु के मूलोद्योग .	—	0.36	0.67	2.15	2.26	—	0.51	0.28	0.75	0.05
19. धातु की बनी हुई चीजों का निर्माण सिवाय मशीनों और परिवहन उपस्कर के .	0.26	0.66	0.65	0.65	0.38	0.62	2.40	2.85	3.84	4.17
20. मशीनों का निर्माण सिवाय बिजली की मशीनों के .	1.82	5.70	10.98	13.73	21.60	32.30	42.05	51.94	53.50	88.17
21. बिजली की मशीनों, उपकरणों, साधित्रों और पूर्ति सामग्री का निर्माण .	2.24	2.93	2.30	1.30	9.96	1.83	6.80	5.75	2.36	4.09
22. परिवहन उपस्करों का निर्माण . .	0.73	0.63	0.73	0.21	0.30	0.48	1.13	2.21	3.22	5.31
23. निर्माण के विविध उद्योग										
(क) भाप और नियंत्रण के वैज्ञानिक वृत्तिक औजारों का निर्माण .	—	—	—	—	0.12	0.09	0.02	0.01	0.01	0.05
(ख) घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण .	0.11	—	—	—	—	—	0.09	—	0.02	1.82
(ग) प्लास्टिक की ढली हुई चीजें	—	—	—	0.06	0.01	0.18	0.31	0.38	0.35	0.77
(घ) शल्य चिकित्सा की पट्टियां आदि .	—	0.07	—	—	—	0.01	0.04	0.02	0.17	0.04

अनुबन्ध XII (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

उपयोग में लाई गई सहायता											
जोड़	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.12	—	—	—	—	0.01	0.39	0.22	0.61	0.43	0.42	2.08
106.42	1.13	3.42	2.32	2.31	2.31	3.55	10.25	9.46	8.29	13.21	56.25
7.03	0.43	0.20	0.42	0.81	2.45	0.75	..	0.81	0.18	0.22	6.27
16.48	0.38	0.34	0.41	0.53	0.40	0.39	1.69	2.74	2.40	2.79	12.07
321.79	1.05	4.72	9.37	12.77	18.88	25.16	34.34	46.85	47.22	68.45	268.81
39.46	0.67	3.06	3.96	1.11	2.05	2.85	6.72	3.17	5.36	4.04	32.99
14.95	0.80	0.72	0.90	0.35	0.31	0.39	0.53	1.00	1.35	2.69	9.04
0.30	0.03	—	—	—	0.11	..	0.10	..	0.01	0.03	0.28
2.04	0.07	0.02	0.01	—	—	—	0.09	—	0.01	0.05	0.25
2.06	—	0.01	—	—	0.06	0.06	0.28	0.22	0.49	0.24	1.36
0.35	—	0.04	0.03	—	—	—	0.05	0.02	0.04	0.05	0.23

अनु-

उद्योग	मंजूर की गई वित्तीय सहायता									
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ङ) सिगरेट के फिल्टर .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(च) लेखन सामग्री की चीजें .	—	—	—	—	0.02	0.05	0.11	0.09	0.07	0.07
(छ) पानी के मीटर, भाप के मीटर और बिजली के मीटर .	0.12	—	—	—	0.03	0.19	—	—	—	—
(ज) छत बनाने की सामग्री .	—	—	—	0.05	—	..	0.09	—	—	—
(झ) वाद्य यंत्र .	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—
(ट) ऊष्मीय और ध्वनिक विसंवाहकों का निर्माण .	—	—	0.02	—	0.23	—	—	—	—	—
(ठ) फोटोग्राफी और प्रकाशिक (आप्टिकल) उपकरण .	—	—	—	—	0.01	—	—	..	0.03	0.02
(ड) पैक करने की सामग्री .	—	—	—	0.10	0.07	0.02	0.51	0.97	0.24	0.48
(ढ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें .	—	—	—	—	0.02	0.17	0.17	0.69	0.28	1.38
24. बिजली, गैस, पानी और सफाई सेवाएं, गैस निर्माण और वितरण (औद्योगिक गैस)	—	0.01	—	0.02	0.04	—	0.05	0.12	2.21	0.67
25. सेवाएं										
(क) होटल उद्योग	—	0.36	0.04	0.26	0.69	0.07	0.09	1.23	2.42	2.41
(ख) सड़क परिवहन	—	—	—	—	0.09	2.47	2.69	2.97	3.02	3.13
(ग) अन्य .	—	0.08	—	0.05	0.07	—	0.11	0.32	0.36	0.40
जोड़ .	42.25	60.80	44.77	37.76	57.65	60.35	116.10	158.87	133.49	197.40

@इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान तथा बांगला देश को दिया गया विशेष ऋण और गारंटी सहायता शामिल नहीं हैं।

००=नगण्य

बन्ध XII (जारी)

(राशि करोड़ रुपयों में)

उपयोग में लाई गयी सहायता*

जोड़	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04
0.41	—	—	—	—	—	—	0.08	0.11	0.05	0.06	0.30
0.34	—	0.10	0.01	—	0.03	—	0.19	—	—	—	0.33
0.14	—	—	—	0.02	0.02	—	0.08	0.01	—	—	0.13
0.05	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05
0.25	—	—	—	0.02	—	0.23	—	—	—	—	0.25
0.06	—	—	—	—	0.01	0.01	..	..	..	0.01	0.03
2.39	—	—	—	0.06	0.09	0.03	0.37	0.79	0.28	0.33	1.95
2.71	—	—	—	—	..	0.06	0.21	0.32	0.56	0.52	1.67
3.12	0.10	0.02	0.01	—	0.02	0.05	0.01	0.16	..	1.33	1.70
7.51	—	0.27	0.11	0.13	0.54	0.29	0.08	0.76	0.66	0.88	3.72
14.37	—	—	—	—	0.07	1.19	2.95	2.98	2.95	2.53	12.67
1.39	—	0.08	—	0.05	0.07	—	0.11	—	0.44	0.18	0.93
909.44	21.68	49.44	51.90	40.77	44.27	51.81	76.03	88.70	103.81	150.73	679.145

*इसमें सितम्बर 1964 में औद्योगिक पुनर्वित्त निगम समिति का भारतीय रिजर्व बैंक में विलय होने से पहले मंजूर किये गये पुनर्वित्त के लिए किये गये वितरण शामिल हैं।

अनु-

1973-74 में भाऔबि बैंक द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता (प्रभावी)

राज्य	मंजूर की गयी सहायता							
	ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीवारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. आन्ध्र प्रदेश	40.0	—	13.0	236.3	—	273.6	562.9	—
2. असम	560.0	—	—	76.6	—	13.6	650.2	—
3. बिहार	350.0	—	102.4	214.9	—	588.1	1255.4	—
4. गुजरात	315.0	—	75.0	618.5	—	528.8	1600.3	3.7
5. हरियाणा	177.7	—	8.0	202.7	—	218.7	607.1	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	88.8	—	—	88.8	—
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	53.2	—	—	53.2	—
8. कर्नाटक	650.0	—	105.0	433.8	—	458.3	1647.1	—
9. केरल	459.0	—	50.0	244.4	—	109.6	863.0	—
10. मध्य प्रदेश	60.0	—	—	72.7	—	180.5	312.2	—
11. महाराष्ट्र	1338.7	200.4	117.5	528.3	254.7	2829.7	5269.3	—
12. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	4.0	9.5	—	—	13.5	—
14. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	145.0	—	32.4	49.0	—	131.5	357.9	—
16. पंजाब	—	—	—	295.0	—	25.1	320.1	—
17. राजस्थान	306.0	—	75.0	225.0	—	5.9	611.9	—
18. तमिलनाडु	805.5	—	115.2	488.9	17.4	1333.7	2760.7	—
19. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	441.1	—	12.7	335.5	—	4.6	793.9	—
21. पश्चिम बंगाल	164.0	594.1	10.0	93.4	—	860.5	1722.0	—
22. संघशासित क्षेत्र	—	—	—	181.9	—	67.9	249.8	—
जोड़	**5812.0**	**794.5**	**720.2**	**4511.5**	**272.1**	**7630.1**	**19740.3**	**3.7**

टिप्पणी : (i) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गयी है, उनका वर्गीकरण निर्माण स्थल के आधार पर किया गया है। कुछ मामलों में एक से अधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भाजन का वर्गीकरण मशीनों के निर्माताओं/विक्रेताओं के स्थान के आधार पर किया गया है।

(ii) इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान तथा बांगला देश को दिया गया विशेष ऋण शामिल नहीं हैं।

बन्ध XIII

और उसके उपयोग का राज्यवार वितरण

(राशि लाख रुपयों में)

उपयोग में लाई गई सहायता							
ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)	निर्यात ऋण	हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त	निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	निष्पादित गारंटियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
116.5	—	5.2	191.3	—	228.9	541.9	—
719.1	—	99.3	41.7	—	11.8	871.9	—
473.0	—	4.1	128.6	—	497.6	1103.3	—
750.8	—	—	453.4	—	444.0	1648.2	—
29.0	—	7.9	111.8	—	183.3	332.0	—
—	—	—	47.5	—	—	47.5	—
—	—	—	40.7	—	—	40.7	—
449.7	—	146.2	303.7	—	381.5	1281.1	—
265.3	—	8.2	106.8	—	90.7	471.0	—
—	142.1	—	51.0	—	150.5	343.6	—
133.0	501.7	105.6	326.9	84.1	2354.2	3505.5	0.23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	6.9	—	—	6.9	—
45.0	—	—	—	—	—	45.0	—
60.0	—	—	28.5	—	113.2	201.7	—
—	—	1.5	171.3	—	21.4	194.2	—
89.0	—	2.0	163.5	—	5.0	259.5	—
714.5	0.7	57.5	281.9	16.2	1113.8	2184.6	—
—	—	—	—	—	—	—	—
478.5	—	25.1	157.7	—	4.0	655.3	—
305.0	30.0	5.2	62.3	—	716.9	1119.4	—
55.8	—	—	105.8	—	58.1	219.7	—
4684.2	674.5	567.8	2771.3	100.3	6374.9	15073.0	0.23

अनु-

1964-65 से 1973-74 (जुलाई-जून) के दौरान भाऔवि बैंक द्वारा

राज्य	मंजूर की गई वित्तीय सहायता									
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. आन्ध्र प्रदेश	0.41	10.10	3.26	2.20	1.25	1.32	4.68	3.17	5.23	5.63
2. असम .	0.08	0.04	—	—	—	—	0.06	14.05	2.33	6.50
3. बिहार .	0.17	0.39	0.71	4.43	1.60	0.74	7.24	7.43	6.37	12.55
4. गुजरात .	19.35	2.05	5.52	1.69	3.02	4.91	25.87	7.85	8.84	16.00
5. हरियाणा	0.07	0.85	0.67	0.42	0.57	1.55	2.89	3.25	3.58	6.07
6. हिमाचल प्रदेश .	—	—	—	—	—	—	0.29	0.56	0.27	0.89
7. जम्मू और कश्मीर .	—	—	—	—	—	—	0.09	0.22	0.12	0.53
8. कर्नाटक .	0.97	0.79	2.53	1.19	4.89	3.31	4.40	19.07	10.45	16.47
9. केरल .	0.04	0.60	1.02	1.38	1.33	0.81	1.64	6.30	3.23	8.63
10. मध्य प्रदेश	2.02	0.71	0.60	0.40	1.70	6.90	7.34	3.83	3.96	3.13
11. महाराष्ट्र .	8.43	29.70	12.05	9.77	19.87	20.66	31.03	33.62	31.02	52.69
12. मणिपुर .	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—
13. मेघालय .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14
14. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	—
15. उड़ीसा .	0.26	0.97	0.12	0.20	3.48	0.13	0.10	1.18	1.78	3.58
16. पंजाब .	0.12	0.16	0.33	0.23	0.17	0.24	0.53	0.92	4.06	3.20
17. राजस्थान	0.11	0.20	1.56	2.54	3.07	0.99	0.43	2.26	2.77	6.12
18. तमिलनाडु	6.03	8.21	7.23	7.89	5.76	6.60	7.96	29.76	19.06	27.62
19. त्रिपुरा .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	0.54	0.78	5.71	0.55	0.95	1.68	4.53	6.63	7.83	7.94
21. पश्चिम बंगाल .	3.14	3.74	3.14	4.02	9.63	6.67	13.46	16.29	20.45	17.22
22. संघशासित क्षेत्र .	0.51	1.51	0.32	0.85	0.42	3.84	3.56	2.47	1.64	2.50
जोड़	**42.25**	**60.80**	**44.77**	**36.76**	**57.65**	**60.35**	**116.10**	**158.87**	**133.49**	**197.40**

टिप्पणी : (1) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायता दी गई है, उनका वर्गीकरण निर्माण स्थल के आधार पर किया गया है। कुछ मामलों में एक से अधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी, ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भाजन का वर्गीकरण मशीनों के निर्माताओं/विक्रेताओं के स्थान के आधार पर किया गया है।

(2) इन आंकड़ों में वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में किये गये अभिदान तथा बांगला देश को दिया गया विशेष ऋण और गारंटी सहायता शामिल नहीं है।

बन्ध XIV (जारी)

मंजूर की गई कुल सहायता (प्रभावी) का राज्यवार वितरण और उसका उपयोग

(राशि करोड़ रुपयों में)

	उपयोग में लाई गई सहायता*										
जोड़	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	जोड़
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
37.25	1.17	1.34	9.31	2.96	1.60	1.12	3.23	4.40	4.46	5.42	35.01
23.06	0.20	0.04	—	—	—	—	—	0.12	4.25	8.72	13.33
41.63	0.53	0.12	0.92	0.18	2.67	3.04	1.81	3.95	6.89	11.03	31.14
95.10	1.81	14.41	9.08	3.18	3.02	3.78	6.23	5.68	11.01	16.48	74.68
19.92	0.04	0.74	0.67	0.53	0.53	0.76	2.47	2.64	3.49	3.32	15.19
2.01	—	—	—	—	—	—	0.16	0.34	0.43	0.47	1.40
0.96	0.30	—	—	—	—	—	0.05	0.20	0.06	0.41	1.02
64.07	1.30	0.88	0.33	3.44	2.63	2.79	3.98	3.64	9.07	12.81	40.87
24.98	0.27	0.29	0.81	1.37	0.69	1.69	0.94	2.07	2.93	4.72	15.78
30.59	0.61	2.18	0.56	0.38	1.44	1.72	8.41	5.78	1.89	3.44	26.41
248.84	8.27	15.11	17.19	17.26	11.01	15.14	26.99	29.83	25.94	35.06	201.80
0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07
0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.45
11.80	0.54	0.59	0.27	0.37	0.46	0.15	9.93	1.76	1.10	2.02	8.19
9.96	0.42	0.21	0.21	0.37	0.14	0.10	0.57	0.79	1.71	1.94	6.46
20.05	0.52	0.25	—	1.56	1.81	2.10	1.03	0.79	0.91	2.59	11.56
126.06	2.48	7.84	7.33	3.67	8.01	8.23	6.46	14.31	16.69	21.85	96.87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37.14	0.26	0.57	0.55	2.31	3.43	1.96	1.70	3.97	3.01	6.55	24.31
97.76	2.56	3.55	4.11	3.08	6.56	7.14	5.98	7.27	7.92	11.19	59.36
17.61	0.40	1.32	0.56	0.11	0.27	2.09	5.09	1.16	2.05	2.19	15.24
909.44	**21.68**	**49.44**	**51.90**	**40.70**	**44.27**	**51.81**	**76.03**	**88.70**	**103.81**	**150.73**	**679.14**

*इसमें सितम्बर 1964 में भाऔवि बैंक के साथ उद्योग पुनर्वित्त निगम लिमिटेड के विलयन होने के पहले निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त के संबंध में किये गये वितरण शामिल हैं।

अनुबन्ध XV

भाश्रौवि बैंक की ब्याज दरों का विन्यास

(प्रति सैकड़ा वार्षिक)

	27 जुलाई 1974 से पहले की लागू दर		27 जुलाई 1974 से प्रभावी परिशोधित दर	
	भाश्रौवि बैंक की दर	प्राथमिक उधारदाताओं द्वारा ली जानेवाली दर की अधिकतम सीमा	भाश्रौवि बैंक की दर	प्राथमिक उधारदाताओं द्वारा ली जानेवाली दर की अधिकतम सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता (निर्यात सहायता को छोड़कर)				
(क) सामान्य दर	9.00		10.25	
(ख) पिछड़े क्षेत्रों के यूनिटों के लिए रियायती दर	7.50		8.50	
2. औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त				
(क) सामान्य दर	7.00	10.50	8.50	12.00
(ख) ऋण गारंटी योजना तथा तकनीशन-उद्यमकर्ता योजनाओं के अंतर्गत आनेवाले लघु उद्योग के यूनिटों के लिए विशेष दर	(25,000 रु० तक की सहायता के लिए) 5.00	8.50	7.00	10.50
	(25,000 रु० से अधिक की सहायता के लिए) 5.50	9.00		
(ग) निर्धारित पिछड़े जिलों के यूनिटों के लिए विशेष दर	4.00	7.50	5.50	9.00
(घ) अंवि संघ की ऋण प्रणाली (लाइन) के अंतर्गत (विदेशी मुद्रा का भाग)				
(i) ऋण गारंटी योजना, तकनीशन-उद्यमकर्ता योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों और निर्दिष्ट पिछड़े जिले के यूनिटों को	6.50	9.00	8.00	10.50
(ii) अन्य मामले	6.75	9.50	8.25	11.00
3. निर्यात ऋण				
(क) मध्यावधि निर्यात ऋण पर पुनर्वित्त	5.50	7.00	5.50 (कोई परिवर्तन नहीं)	7.00

(ख) सहभागिता निर्यात वित्त योजना (ग) खरीददार ऋण योजना	भाआवि बैंक के ऋण के अंश पर ली जाने वाली दर इस प्रकार है कि सहभागी बैंक की दर का हिसाब लगाने के बाद निर्यातक से पूरे ऋण पर ली जाने वाली औसत दर आम तौर पर 6.50 प्रतिशत ही रहती है।

4. बिल पुनर्भाजन योजना

बिलों/प्रामिसरी नोटों की अनतीत व्यवहार्य अवधि				
(अ) 6–36 महीने . . .	7.00	8.00	9.00	10.00
(ब) 36 महीनों से अधिक तथा 84 महीनों तक .	6.50	7.50	8.50	9.50

अनुबंध-

1964-65 से 1973-74 तक भाऔवि बैंक की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग और

(राशि करोड़

	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68
1. चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों में वृद्धि :—				क. निधियों
(क) चुकता पूंजी	10.0	—	10.0	—
(ख) आरक्षित निधि	0.8	1.3	2.1	2.8
2. निम्नलिखित से लिए गए उधार :—				
(क) सरकार	22.5	37.9	34.6	25.0
(ख) रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया :—				
(1) राष्ट्रीय निवेश ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाएं) निधि	2.2	1.7	1.4	0.8
(2) बिलों के सौंपे जाने पर	—	—	—	—
3. बांडों/डिबेंचरों के रूप में लिए गए उधार	—	—	—	—
4. औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों, डिबेंचरों में लिए गए निवेशों की बिक्री	—	—	—	—
5. उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी	5.5	8.6	11.7	24.8
(क) औद्योगिक संस्थाओं के दिए गए ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	—	—	—	1.2
(ख) निर्यात ऋण	—	—	—	—
(ग) पुनर्वित्त-औद्योगिक ऋण	5.5	8.2	10.1	19.2
(घ) पुनर्वित्त-निर्यात	0.05	0.4	0.5	0.4
(ङ) बिलों का पुनर्भंजन	—	0.02	1.1	4.0
(च) बांडों/डिबेंचरों का विमोचन	—	—	—	—
6. अन्य**	2.2	11.4	8.7	8.9
जोड़	**43.1**	**60.8**	**68.5**	**62.3**
1. निम्नलिखित रूपों में सहायता का वितरण :—				ख. निधियों
(क) औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए ऋण (निर्यात ऋणों को छोड़कर)	—	19.9	20.7	18.0
(ख) निर्यात ऋण	—	—	—	—
(ग) हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	0.4	5.3	5.2	1.1
(घ) पुनर्वित्त औद्योगिक ऋण	21.2	21.4	19.5	10.8
(ङ) पुनर्वित्त निर्यात ऋण	—	0.9	0.4	0.3
(च) बिलों का पुनर्भंजन†	0.1	2.2	7.1	12.4
(छ) वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में अभिदान	6.3	1.7	7.4	3.9
	28.0	**51.4**	**60.3**	**46.5**
2. लिए गए उधारों की वापसी अदायगी :—				
(क) सरकार से	—	—	—	—
(ख) रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया से	—	—	—	—
3. अन्य**	15.1	9.4	8.3	15.8
जोड़	**43.1**	**60.8**	**68.5**	**62.3**

*इसमें विकास सहायता निधि में समंजित न किए गए लाभ की राशि शामिल है।

†ये आंकड़े पुनर्भंजन किए गए बिलों के अंकित मूल्य के हैं।

XVI

1974-75 (जुलाई-जून) के लिए अनुमान

रुपयों में)

1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75 (अनुमान)
के स्रोत						
—	—	10.0	10.0	—	10.0	—
3.3	4.3	3.6	3.2	3.6	4.5	4.0
25.0	—	—	—	—	—	5.0
0.2	20.0	28.8	37.8	36.3	49.6	85.0
—	—	—	—	—	20.0	18.5
—	—	—	12.7	16.0	15.2	16.5
—	2.4	0.3	—	0.2	0.6	1.0
21.6	27.9	36.9	51.9	63.3	75.9	98.2
1.4	4.5	6.9	8.6	9.2	10.9	10.5
—	—	0.9	2.1	3.3	4.3	6.4
14.4	14.0	15.1	16.4	18.0	21.0	23.0
0.3	1.4	1.5	5.5	5.6	3.0	2.7
5.5	8.0	12.5	18.5	26.4	35.7	54.3
—	0.03	0.03	0.8	0.8	1.1	1.3
16.7	17.2	17.0	12.6	21.8	24.9	22.4
66.8	**71.8**	**96.6**	**128.2**	**141.2**	**200.4**	**250.6**
के उपयोग						
15.3	10.9	4.9	9.6	25.2	46.8	50.0
—	2.9	12.0	10.2	3.9	6.7	187
1.6	2.2	3.7	1.8	5.0	4.7	5.0
11.6	12.5	21.2	24.0	25.0	27.7	29.8
2.5	2.7	9.9	4.8	2.2	1.0	3.7
15.5	24.1	28.5	45.3	49.8	76.3	90.0
4.5	0.5	3.8	5.3	2.8	11.6	15.0
51.0	**55.8**	**84.0**	**101.0**	**113.9**	**174.8**	**212.2**
—	0.7	3.7	6.6	8.9	11.9	12.4
—	—	—	—	—	—	20.0
15.8	15.3	9.0	20.6	18.4	13.8	6.0
68.8	**71.8**	**96.6**	**128.2**	**141.2**	**200.4**	**250.6**

**इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चलसाधन शामिल हैं।

अनुबंध

चौथी योजना के दौरान और 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में आबंधित

(राशि करोड़

	रुपया ऋण			विदेशी मुद्रा के ऋण		
	1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना
भाऔवि बैंक	87.0* (25.2)	176.1* (34.5)	505.6* (103.6)	–	–	–
भाऔ वित्त निगम	37.3	36.2	130.4	4.3	4.3	18.4
भाऔऋनि निगम	13.4	19.8	59.0	29.0	34.7	129.0
भाऔपु निगम	6.1	7.2	19.9	–	–	
रावि निगम**	77.8	104.9	328.0	–	–	
राऔवि निगम**	18.1	21.9	90.4	–	–	
जोड़	**239.7**	**366.1**	**1133.3**	**33.3**	**39.0**	**147.4**
भारतीय यूनिट ट्रस्ट @	–	–	–	–	–	
जीवन बीमा निगम @	11.6	17.1	53.1	–	–	

*इनमें प्रत्यक्ष ऋणों, बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भाजन और बांगला देश को दिया गया विशेष ऋण शामिल हैं और इनमें राज्य वित्त ये आंकड़े राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं।

**ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

@ 1973–74 के आंकड़े अनंतिम हैं और 1972–73 के आंकड़े संशोधित हैं।

XVII (क)

वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई सहायता

रुपयों में)

हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान						जोड़		
सामान्य और अधिमान शेयर			डिबेंचर					
1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना
3.4	8.3	33.2	2.1	–	2.7	92.5	184.4	541.5
						(25.2)	(34.5)	(103.6)
3.1	3.4	11.5	1.0	–	1.8	45.7	43.9	162.1
3.7	5.1	17.9	3.3	1.6	11.2	49.4	61.1	217.1
–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	19.9
0.9	0.8	3.5	–	–	–	78.7	105.7	331.5
5.4	4.8	27.5	–	–	0.2	23.5	26.7	118.1
16.5	**22.4**	**93.6**	**6.4**	**1.6**	**15.9**	**295.9**	**429.0**	**1390.2**
3.2	3.8	15.2	6.7	4.1	34.6	9.9	7.9	49.8
4.8	4.9	22.3	3.7	3.9	31.0	20.1	25.9	106.4

निगमों को दी गई पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाए गए आंकड़े शामिल नहीं हैं ताकि इन्हें दुबारा गिनने से बचा जा सके क्योंकि

अनुबन्ध

चौथी योजना के दौरान और 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक

(राशि करोड़

	रुपया ऋण			विदेशी मुद्रा के ऋण		
	1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना
भाऔवि बैंक	62.4* (19.1)	113.4* (22.8)	347.6* (78.7)	–	–	–
भाऔ वित्त निगम	21.5*	27.4*	93.4	4.1	3.0	15.0
भाऔष्कृनि निगम	7.9	13.8	38.7	28.0	26.3	107.7
भाऔपु निगम	3.5	5.2	9.8	–	–	–
रावि निगम	44.1†	56.1†	194.3	–	–	–
राऔवि निगम	12.7	15.3	55.9	–	–	–
जोड़	**152.1**	**231.2**	**73.97**	**32.1**	**29.3**	**122.7**
भारतीय यूनिट ट्रस्ट@	–	–	–	–	–	–
जीवन बीमा निगम @	4.2	10.7	26.0	–	–	–

*इनमें प्रत्यक्ष ऋण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता और पुनर्भाजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें राज्य वित्त निगमों को दी गई पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाये गये आंकड़े शामिल नहीं हैं ताकि इन्हें दुबारा गिनने से बचा जा सके क्योंकि ये राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं।

†इसमें गारंटियों के संबंध में किए गए यदि कोई वितरण हों तो वे शामिल हैं।

**ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

@1973–74 के आंकड़े अनन्तिम हैं और 1972–73 के आंकड़े संशोधित हैं।

XVII (ख)

वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित सहायता

रुपयों में)

हामीदारी और प्रत्यक्ष ऋण						जोड़		
सामान्य और अधिमान शेयर			डिबेंचर					
1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना	1972–73	1973–74	चौथी योजना
3.5	4.9	15.3	0.8	–	1.7	66.7 (19.1)	118.3 (22.8)	364.6 (78.7)
1.6	1.5	5.1	0.8	–	1.5	28.0	31.9	115.1
2.5	1.9	9.3	1.3	1.5	6.7	39.7	43.5	162.4
–	–	–	–	–	–	3.5	5.2	9.8
0.6	0.5	2.4	–	–	–	44.7	56.6	196.7
3.9	3.2	16.3	–	–	0.05	16.6	18.5	72.2
12.1	**12.0**	**48.4**	**2.9**	**1.5**	**10.0**	**199.2**	**274.0**	**920.8**
1.7	2.3	8.0	4.0	5.5	20.8	5.6	7.8	28.8
4.0	3.8	15.9	5.8	5.6	23.1	14.0	20.1	65.0

अनुबंध

चौथी योजना के दौरान 1973-74 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक वित्त पोषक

	भाऔवि बैंक		भाऔवि निगम		भाऔऋनि निगम	
	चौथी योजना		चौथी योजना		चौथी योजना	
	जोड़	1973-74	जोड़	1973-74	जोड़	1973-74
						क. निधियों
1 चुकता पूंजी में वृद्धि	30.00	10.00	1.65	—	5.00	2.50
2 रक्षित निधियों में वृद्धि	19.79*	4.44*	8.96	2.34	7.24	1.50
3 भारत में निम्नलिखित से लिए गए (सकल) उधार						
(i) सरकार	—	—	2.15	1.94	0.77	0.37
(ii) रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया	148.20	59.19	9.09	0.82	—	—
(iii) भाऔवि बैंक	—	—	—	—	8.25	2.85
(iv) बैंक	—	—	—	—	—	—
(v) अन्य	—	—	—	—	—	—
4 बांडों/डिबेंचरों के रूप में लिए गए उधार	28.69	—	43.43	13.17	20.00	8.00
5 विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार						
(i) उपलब्ध ऋण प्रणाली की कुल सीमा	—	—	(58.09)	(6.63)	(156.97)	(46.87)
(ii) उपयोग की गई राशि	—	—	15.03	3.01	107.74	26.30
6 स्वीकार की गई जमा राशियां	—	—	—	—	—	—
7 निम्नलिखित में किए गए निवेशों की बिक्री						
(i) सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां	—	—	3.31	—	0.48	—
(ii) शेयर डिबेंचर आदि (इनमें हामीदारी शामिल है)	3.22	0.48	5.18	1.67	8.45	1.94
8 उधारकर्ताओं द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी						
(i) रुपया ऋण	242.86	73.36	53.87	12.57	22.91	5.15
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	—	—	12.15	2.89	52.31	13.93
9 गारंटियों की वसूली	—	—	1.46	1.27	—	—
10 अन्य**	49.29	25.72	13.96	6.46	7.86	9.02
जोड़	**522.05**	**173.19**	**170.24**	**46.14**	**241.01**	**71.56**
1 निम्नलिखित रूप में साहयता का वितरण						**ख. निधियों**
(i) ऋण						
(क) रुपया ऋण	457.86† (426.26)	147.38† (136.18)	90.85	25.68	38.72	13.84
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	—	—	15.03	3.01	107.74	26.30
(ii) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों, डिबेंचरों आदि में अभिदान	17.03	4.89	10.76$	4.25$	15.94	3.48
(iii) वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों में अभिदान	17.25	3.26	—	—	0.13	—
(iv) गारंटियां	—	—	2.43	1.65	—	—
2 सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश	—	—	3.31	—	0.50	—
3 ऋणों की अदायगी (भारत में)						
(i) सरकार	19.87	8.88	16.75	5.31	10.38	3.53
(ii) रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया	—	—	8.27	1.24	—	—
(iii) भाऔवि बैंक	—	—	—	—	1.60	0.80
(iv) बैंक	—	—	—	—	—	—
(v) अन्य	—	—	—	—	—	—
4 बांडों/डिबेंचरों का विमोचन	—	—	5.49	—	—	—
5 विदेशी मुद्रा के ऋणों की वापसी अदायगी	—	—	11.60	2.43	52.13	13.74
6 जमाराशियों की वापसी अदायगी	—	—	—	—	—	—
7 अन्य**	10.04	8.78	5.75	2.57	13.87	9.87
जोड़	**522.05**	**173.19**	**170.24**	**46.14**	**241.01**	**71.56**

@ये आंकड़ें अनन्तिम हैं। *इसमें विकास सहायता निधि में समंजित न किए गए लाभ की राशि शामिल है।

†इसमें शामिल किए गए पुनर्भाजन के आंकड़े पुनर्भाजन किए गए बिलों के अंकित मूल्य से संबंधित हैं।

XVIII

संस्थाओं की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

(राशि करोड़ रुपयों में)

भाग्रौपु निगम		राज्य वित्त निगम@		जोड़		जोड़ (इनमें संस्थाओं के आपसी आदान प्रदान शामिल नहीं है ।	
चौथी योजना		चौथी योजना		चौथी योजना		चौथी योजना	
जोड़	1973–74	जोड़	1973–74	जोड़	1973–74	जोड़	1973–74
के स्रोत							
5.00	–	6.10	0.65	47.75	13.15	41.51	12.74
0.35	0.14	9.65	2.15	45.99	10.57	45.99	10.57
10.00	–	3.55	0.20	16.47	2.51	16.47	2.51
–	–	46.84	13.59	204.13	73.60	204.13	73.60
–	–	78.68£	22.79£	86.93	25.64	–	–
–	–	6.04	2.50	6.04	2.50	6.04	2.50
–	–	2.89	0.51	2.89	0.51	2.89	0.51
–	–	76.82	18.12	168.94	39.29	166.19	39.29
–	–	–	–	(215.06)	(53.50)	(215.06)	(53.50)
–	–	–	–	122.77	29.31	122.77	29.31
–	–	15.30	4.10	15.30	4.10	15.30	4.10
5.04	3.40	2.74	0.39	11.57	3.79	11.57	3.79
–	–	1.29	0.16	18.14	4.25	18.14	4.25
0.01	0.01	77.78	23.36	397.43	114.45	358.87	101.99
–	–	–	–	64.46	16.82	64.46	16.82
–	–	1.73	0.20	3.19	1.47	3.19	1.47
–	7.17	12.85	17.78	83.94	66.15	83.94	66.15
20.40	**10.12**	**342.25**	**106.50**	**1295.95**	**408.11**	**1161.46**	**369.60**
के उपयोग							
9.79	5.15	192.97	55.84	790.19	247.89	711.51	225.10
–	–	–	–	122.77	29.31	122.77	29.31
–	–	2.35	0.54	46.08	13.16	46.08	13.16
–	–	–	–	17.38	3.26	0.13	–
–	–	1.33	0.22	3.78	1.87	3.76	1.87
5.36	0.32	1.03	0.04	10.20	0.36	10.20	0.36
–	–	3.43	0.19	50.43	17.91	50.43	17.91
–	–	48.44	13.10	56.71	14.34	56.71	14.34
–	–	36.96£	11.66£	38.56	12.46	–	–
–	–	7.67	2.36	7.67	2.36	7.67	2.36
–	–	5.21	0.02	5.21	0.02	5.21	0.02
–	–	10.27	2.60	15.76	2.60	15.76	2.60
–	–	–	–	63.73	16.17	63.73	16.17
–	–	15.14	3.81	15.14	3.81	15.14	3.81
5.25	5.25	17.45	16.12	52.36	42.59	52.36	42.59
20.40	**10.72**	**342.25**	**106.50**	**1295.95**	**408.11**	**1161.46**	**369.60**

$इसमें सहायता प्राप्त कंपनियों पर बकाया रहने वाले ब्याज की अतिदेय राशि शामिल है जो उनकी शेयर पूंजी में बदल दी गई हैं।

£ये आंकड़े पुनर्वित्त सहायता के हैं। **इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चल साधन शामिल हैं।

अनुबंध

भारतीय बैंक द्वारा सहायता की गई 88 कंपनियों और उनमें लगाई गई पूंजी से

अनु० सं०	उद्योग समूह	कंपनियों की संख्या	पूंजी उपादन का मूल्य			
			1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
1.	(जूट सहित) कपड़ा	12	0.96	0.96	0.83	0.83
2.	कागज और उससे बनी चीजें	7	2.28	1.95	1.93	2.03
3.	उर्वरकों को छोड़कर मूल औद्योगिक रसायन	9	1.45	1.36	1.30	1.20
4.	उर्वरक	6	1.58	1.51	1.30	1.20
5.	अन्य रसायन और रासायनिक चीजें	4	1.95	1.64	1.18	1.02
6.	सीमेंट	7	1.71	1.61	1.55	1.76
7.	मूल धातुओं के उद्योग	14	2.00	1.95	2.09	2.35
8.	बिजली की मशीनों को छोड़कर मशीनों का निर्माण	12	1.55	1.50	1.30	1.06
9.	बिजली की मशीनों का निर्माण	10	0.69	0.66	0.80	0.92
10.	आय उद्योग	7	1.43	1.38	1.89	2.04
	समस्त उद्योग	**88**	**1.50**	**1.41**	**1.47**	**1.39**

XIX

की पूंजी की सघनता (इंटेंसिटी) के अनुपात
सकल कमाई का अनुपात

पूंजी/जोड़ा गया शुद्ध मूल्य				लगाई गई पूंजी से सकल कमाई का अनुपात			
1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
4.07	4.58	3.15	2.67	8.2	5.6	13.0	17.5
7.82	6.02	5.59	7.90	12.3	15.8	15.8	11.0
4.40	3.92	4.00	4.04	16.5	18.6	19.8	20.0
6.98	6.31	5.50	5.50	14.7	15.9	17.6	15.6
5.81	4.39	4.11	3.40	13.6	11.9	17.6	23.6
6.28	5.56	5.16	7.70	12.3	11.7	11.1	7.3
5.50	5.81	6.80	7.70	14.8	14.1	14.0	11.5
5.20	5.90	5.30	4.27	6.5	4.3	8.3	9.4
2.15	1.92	2.78	2.78	19.5	28.2	25.1	21.8
10.67	8.04	73.97	46.65	2.9	4.2	−5.0	−4.0
5.39	**4.80**	**5.24**	**5.46**	**13.9**	**15.1**	**15.0**	**13.6**

अनुबंध

भाऔबि बैंक को सहायता का औद्योगिक क्षेत्रों के

उद्योग	मंजूरियां			
	पांच वर्षों की पहली अवधि-जुलाई 1964 से जून 1969 तक		पांच वर्षों की दूसरी अवधि-जुलाई 1969 से जून 1974 तक+	
	राशि	कुल से प्रतिशत	राशि	कुल से प्रतिशत
1	2	3	4	5
मूल उद्योग :				
1. मूल धातु उद्योग	22.59	9.3	90.86	13.6
2. मूल उद्योग रसायन	8.29	3.4	25.89	3.9
3. उर्वरक	35.50	14.6	46.30	6.9
4. सीमेंट	13.40	5.5	3.98	0.6
5. अन्य (खनन, बिजली, उत्पादन, आदि)	1.56	0.6	5.70	0.9
	81.34	33.4	172.73	25.9
पूंजीगत माल के उद्योग :				
6. मशीन (बिजली की मशीनों को छोड़कर)	53.83	22.1	267.96	40.2
7. बिजली की मशीनें	18.73	7.7	20.83	3.1
8. परिवहन उपस्कर	2.60	1.1	12.35	1.9
	75.16	30.9	301.14	45.2
उत्पादक पदार्थ उद्योग :				
9. जूट	2.14	0.9	—	—
10. मनुष्य निर्मित रेशे	4.26	1.7	8.89	1.4
11. टायर और ट्यूब	0.88	0.4	25.35	3.8
12. पेट्रो रसायन	17.62	7.2	4.34	0.7
13. विविध रसायन	7.57	3.1	12.17	1.8
14. अन्य (फर्नीचर, जुड़नार, लकड़ी के डाट, इमारती मिट्टी)	2.94	1.2	14.72	2.2
15. धातु से बनी चीजें	2.60	1.1	13.88	2.1
16. कागज और कागज से बनी चीजें	9.78	4.0	26.98	4.0
17. कांच और कांच से बनी चीजें	0.94	0.4	6.92	1.0
	48.73	20.0	113.25	17.0
उपभोक्ता माल के उद्योग :				
18. चीनी	4.30	1.8	22.76	3.4
19. खाद्य उद्योग (चीनी को छोड़कर)	—	—	1.71	0.3
20. कपड़ा (मुख्यतः बुनाई वाले कपड़े)	29.84	12.3	19.54	2.9
21. अन्य	2.23	0.9	13.41	2.0
	36.37	15.0	57.42	8.6
सेवाएं :				
22. होटल, सड़क परिवहन और अन्य	1.64	0.7	21.69	3.3
कुल जोड़	243.23	100.0	666.21	100.0

नोट : इसमें वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों में किया गया अभिदान शामिल नहीं है परंतु गारंटी सहायता शामिल है।

+इसमें बांगला देश को ऋण शामिल नहीं है। ..नगण्य।

XX

अनुभाग वर्गीकरण जुलाई 1964 से जून 1974 तक

(राशि करोड़ रुपयों में)

वितरण							
स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक		पांच वर्षों की पहली अवधि-जुलाई 1964 से जून 1969 तक		पांच वर्षों की दूसरी अवधि-जुलाई 1969 से जून 1974 तक		स्थापना से लेकर जून 1974 के अंत तक	
राशि	कुल से प्रतिशत	राशि	कुल से प्रतिशत	राशि	कुल से प्रतिशत	राशि	कुल से प्रतिशत
6	7	8	9	10	11	12	13
113.45	12.5	15.80	7.6	46.72	9.9	62.52	9.2
34.18	3.7	6.79	3.3	7.33	1.6	14.12	2.1
81.79	9.0	34.21	16.4	34.80	7.4	69.01	10.2
17.38	1.9	10.58	5.1	2.34	0.5	12.92	1.9
7.26	0.8	2.90	1.4	3.09	0.6	5.99	0.9
254.06	27.9	70.28	33.8	94.28	20.0	164.56	24.3
321.79	35.4	46.79	22.5	222.02	47.1	268.81	39.6
39.56	4.4	10.85	5.2	22.14	4.7	32.99	4.9
14.95	1.6	3.08	1.5	5.96	1.3	9.04	1.3
376.30	41.4	60.72	29.2	250.12	53.1	310.84	45.8
2.14	0.2	0.64	0.3	1.48	0.3	2.12	0.3
13.15	1.5	4.11	2.0	6.68	1.4	10.79	1.6
26.22	2.9	0.80	0.4	6.70	1.4	7.50	1.1
21.96	2.4	14.33	6.9	3.61	0.8	17.94	2.6
19.74	2.2	6.41	3.1	10.80	2.3	17.21	2.5
17.66	1.9	3.12	1.5	9.08	1.9	12.23	1.8
16.48	1.8	2.06	1.0	10.01	2.1	12.07	1.8
36.76	4.0	6.59	3.2	20.43	4.4	27.02	4.0
7.86	0.9	0.90	0.4	3.79	0.8	4.69	0.7
161.97	17.8	38.96	18.7	72.58	15.4	111.57	16.4
27.05	3.0	4.48	2.2	15.20	3.2	19.68	2.9
1.71	0.2	—	—	0.04	..	0.04	..
49.38	5.4	30.56	14.7	14.99	3.2	45.55	6.7
15.64	1.7	1.72	0.8	7.86	1.7	9.58	1.4
93.78	10.3	36.76	17.7	38.09	8.1	74.85	11.0
23.33	2.6	1.32	0.6	16.00	3.4	17.32	2.5
909.44	100.0	208.06	100.0	471.08	100.0	679.14	100.0

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1974 को

पिछला वर्ष	देयताएं		यह वर्ष
रु०		रु०	रु०
	1. पूंजी		
50,00,00,000	अधिकृत		50,00,00,000
40,00,00,000	जारी की गई और प्रदत्त . . .		50,00,00,000
	2. आरक्षित राशियां और आरक्षित निधि . .		
18,86,31,000	(i) आरक्षित निधि	21,01,67,000	
	(ii) अन्य आरक्षित राशियां . . .		
82,19,058	(क) निवेश की आरक्षित राशि . .	1,57,51,959	22,59,18,959
	3. उपहार, अनुदान, चंदे और दान		
	(i) सरकार से		—
	(ii) अन्य स्रोतों से		—
	4. बांड और डिबेंचर		
28,69,00,000	5¾% बांड, 1984 (पहली और दूसरी श्रेणियां) .	28,69,00,000	
	6% बांड, 1986 (तीसरी श्रेणियां) . .	15,20,26,000	
			43,89,26,000
—	**5. जमा राशियां**		—
	6. उधार ली गई राशियां		
	(i) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से		
	(क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों की जमानत पर . . .	—	
—	(ख) विनियम बिलों या वचनपत्रों की जमानत पर	20,00,00,000	
1,29,09,35,519	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से	1,78,69,55,519	
	(ii) भारत सरकार से		
10,00,00,000	(क) निर्व्याजी ऋण . . .	10,00,00,000	
1,25,49,67,391	(ख) अन्य ऋण	1,16,04,22,962	
—	(iii) अन्य स्रोतों से	—	
—	(iv) विदेशी चल मुद्रा में . . .	—	
			3,24,73,78,481
13,99,32,336	**7. चालू देयताएँ और व्यवस्थाएँ** . . .		20,28,07,033
3,66,95,85,304	आगे ले जाया गया . .		4,61,50,30,473

विकास बैंक

तुलन-पत्र **सामान्य निधि**

पिछला वर्ष	आस्तियां	यह वर्ष	
रु०		रु०	रु०
	1. नकदी और बैंक शेष		
4,03,722	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के पास शेष	17,34,653	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष		
21,049	(क) चालू खाते में . . .	15,197	
	(ख) जमा खाते में . . .	—	
			17,49,850
	2. निवेश (टिप्पणी सं० 1)		
12,52,44,185	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में .	8,36,72,956	
34,06,20,519	(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में	45,08,80,519	
19,75,36,994	(iii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टॉकों, शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में (टिप्पणी सं० 2) . .	23,37,51,152	
			76,83,04,627
	3. ऋण और अग्रिम		
88,93,27,235	(i) अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को . . .	93,65,29,226	
96,98,95,687	(ii) औद्योगिक संस्थाओं को . . .	1,35,26,84,150	
			2,28,92,13,376
1,09,00,94,045	**4. विनिमय बिल और वचनपत्र जिनका भाजन या पुनर्भाजन किया गया**		1,49,62,36,861
	5. परिसर		
—	(लागत में से मूल्यह्रास घटाकर) . . .		
	6. अन्य अचल आस्तियां		
10,29,132	(लागत में से मूल्यह्रास घटाकर) . . .		11,12,929
5,54,12,736	7. **अन्य आस्तियां** (टिप्पणी सं० 3) . . .		5,84,12,830
3,66,95,85,304	आगे ले जाया गया		4,61,50,30,473

भारतीय औद्योगिक
30 जून 1974 को

पिछला वर्ष		देयताएं		यह वर्ष	
रुपए			रु०	रु०	
3,66,95,85,304		आगे लाया गया जोड़ . .			4,61,50,30,473
		8. **लाभ-हानि लेखा**			
	3,60,65,823	संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ शेष . . .	3,79,13,702		
	2,10,65,000	घटाइए : आरक्षित निधि को अंतरित	2,15,36,000		
	1,50,00,823	घटाइए : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22(2) के अनुसार रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को अंतरित किया जाने वाला शेष . .	1,63,77,702		—
3,66,95,85,304					4,61,50,30,473
		फुटकर देयताएं			
	4,45,060	(1) बैंक पर किए गए दावे जिनकी ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया . .	—		
	55,25,05,578	(2) जारी की गई गारंटियों के लिए (टिप्पणी सं० 4) . .	33,72,08,094		
	4,69,09,000	(3) हामीदारी की वचनबद्धता के लिए .	6,89,69,000		
	4,61,63,020	(4) अंशतः प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांग न की गई राशियों के लिए . . .	1,65,93,285		
	—	(5) वे राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हैं .	—		
	64,60,22,658		42,27,70,379		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी,
सनदी लेखाकार

बंबई, 12 अगस्त 1974

विकास बैंक

तुलन-पत्र **सामान्य निधि**

पिछला वर्ष	आस्तियां	यह वर्ष	
रु०		रु०	रु०
3,66,95,85,304	आगे लाया गया जोड़		4,61,50,30,473
	8. **लाभ-हानि लेखा**		
—	पिछले तुलन-पत्र का शेष	—	
—	संलग्न लेखे से अंतरित लाभ-हानि . .		
3,66,95,85,304			4,61,50,30,473

	बहि मूल्य रु०	बाजार मूल्य रु०
टिप्पणियां :		
1. (क) निवेश जिनका भाव लगाया गया है . .	21,47,64,611	34,46,18,411
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया है .	55,35,40,016	—
	76,83,04,627	34,46,18,411
2. हामीदारी के दायित्वों के पूरे होने के कारण अर्जित .	21,11,52,942	
'क्रयाधिकार शेयरों' और प्रयक्ष अभिदानों के कारण अर्जित	2,25,98,210	
		23,37,51,152
3. अर्जित आय	4,40,92,043	
निवेशों के आवेदन की राशि . . .	1,10,08,657	
वसूली के लिए भेजे गए चेक . . .	7,48,207	
अन्य	25,63,923	
		5,84,12,830

4. सहभागी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किए जाने के लिए सहमत दायित्वों सहित 14,69,15,097 रुपए .

बोर्ड के आदेशानुसार

सी० एस० वेंकट राव,
महा प्रबंधक

एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष
बी० बी० चारी, उपाध्यक्ष
भवतोष दत्त, निदेशक
सी० रामकृष्ण, निदेशक

बंबई, 12 अगस्त 1974

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1974 को समाप्त हुए

पिछला वर्ष	व्यय	यह वर्ष
रुपये		रुपये
13,49,18,492	1. जमाराशियों, उधारों आदि पर अदा किया गया ब्याज . . .	16,57,16,486
1,01,92,333	2. स्थापना खर्च	1,45,97,323
41,291	3. निदेशकों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की फीस और खर्च . .	40,688
10,500	4. लेखापरीक्षकों की फीस	10,500
25,73,543	5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था, आदि	26,46,469
1,79,405	6. विधि-प्रभार	5,27,484
54,875	7. डाक, तार और मुद्रांक	70,706
2,66,688	8. लेखन-सामग्री, छपाई, विज्ञापन, आदि	2,96,550
1,33,182	9. मूल्यह्रास	1,52,813
—	10. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	—
10,27,670	11. अन्य खर्च	10,54,524
3,60,65,823	12. लाभ शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	3,79,13,702
18,54,63,802		22,30,27,245

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

बंबई, 12 अगस्त 1974

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1974 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संलग्न तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के बैंक के लाभ-हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :—

(1) हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं वे सब हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक हैं।

(2) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है, उसके अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें ऐसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं जिनसे 30 जून, 1974 तक के बैंक के कार्यकलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन-पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की शर्तों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी,

सनदी लेखाकार

बंबई, 12 अगस्त 1974

विकास बैंक

वर्ष — — — — सामान्य निधि

पिछला वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उचित व्यवस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान की गई व्यवस्था को घटाने के बाद)	यह वर्ष
रुपए		रुपए
14,65,61,708	1. ब्याज और भांजन . .	19,05,23,005
3,26,70,278	2. निवेशों से आय	2,55,98,107
54,27,462	3. कमीशन, दलाली, आदि	61,08,686
—	4. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे में जमा नहीं किया गया है)	—
8,04,354	5. अन्य आय (टिप्पणी सं० 5)	7,97,447
—	6. हानि-शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	
18,54,63,802		22,30,27,245

टिप्पणी सं० 5 : इसमें "निधि के प्रशासन और उपयोग" से संबंधित खर्च के लिए विकास सहायता निधि से प्राप्त 4,22,498 रु० शामिल हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

सी० एस० वेंकट राव,
महा प्रबंधक

बंबई, 12 अगस्त 1974

एस० जगन्नाथ, अध्यक्ष
बी० बी० चारी, उपाध्यक्ष
भवतोष दत्त, निदेशक
सी० रामकृष्ण, निदेशक

भारतीय औद्योगिक
30 जून 1974 को

पिछला वर्ष	देयताएं		यह वर्ष
रुपए		रुपए	रुपए
	1. ऋण		
22,12,96,582	(i) सरकार से	19,71,83,246	
—	(ii) अन्य स्रोतों से		—
			19,71,83,246
	2. उपहार, अनुदान, चंदे और दान		
—	(i) सरकार से	—	
—	(ii) अन्य स्रोतों से	—	
			—
4,64,338	**3. अन्य देयताएं और व्यवस्थाएं** . . .		20,47,836
	4. लाभ-हानि लेखा		
4,00,68,318	पिछले तुलन-पत्र का शेष	5,28,16,193	
1,27,47,875	संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ शेष . .	1,57,39,257	
			6,85,55,450
27,45,77,113			26,77,86,532

आकस्मिक देयताएं

—	(i) बैंक पर किए गए दावे जिनको ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	—
2,67,15,615	(ii) जारी की गई गारंटियों के लिए .	29,62,376
—	(iii) हामीदारी की वचनबद्धता के लिए	—
—	(iv) अंशतः प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदी पर मांगी न गई राशियों के लिए	—
—	(v) वे राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है .	—
2,67,15,615		29,62,376

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

बंबई, 12 अगस्त 1974

विकास बैंक

तुलन-पत्र

विकास सहायता निधि

पिछला वर्ष	आस्तियां	यह वर्ष	
रुपए		रुपए	रुपए
	1. नकदी और बैंक शेष		
68	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास शेष	4,812	
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष		
–	(क) चालू खाते में	–	
–	(ख) जमा खाते में	–	
			4,812
	2. निवेश (टिप्पणी सं० 1)		
5,81,43,851	(1) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में .	5,23,50,695	
1,69,85,583	(2) औद्योगिक संस्थाओं के स्टॉकों, शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में (टिप्पणी सं० 2) . .	2,41,56,601	
			7,65,07,296
18,35,82,045	3. ऋण और अग्रिम		18,32,86,452
1,58,65,566	4. अन्य आस्तियां		79,87,972
	5. लाभ-हानि लेखा		
–	पिछले तुलन-पत्र का शेष	–	–
–	संलग्न लेखे से अंतरित लाभ/हानि . .	–	–
27,45,77,113			26,77,86,532

टिप्पणियां:	बही मूल्य रु०	बाजार मूल्य रु०
1. (क) निवेश जिनका भाव लगाया गया है . .	6,67,01,447	13,89,33,695
(ख) निवेश जिनका भाव नहीं लगाया गया है .	98,05,849	–
	7,65,07,296	13,89,33,695

2. हामीदारी दायित्वों के पूरे होने के कारण अर्जित।

बोर्ड के आदेशानुसार

सी० एस० वेंकट राव,
महा प्रबंधक

बंबई, 12 अगस्त 1974

एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष
वी० वी० सारी, उपाध्यक्ष
भवतोष दत्त, निदेशक
सी० रामकृष्ण, निदेशक

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1974 को समाप्त हुए

पिछला वर्ष	व्यय	यह वर्ष
रुपए		रुपए
1,34,28,033	1. उधारों पर अदा किया गया ब्याज	1,21,70,983
4,60,298	2. स्थापना खर्च (टिप्पणी सं० 3)	4,22,498
—	3. लेखा परीक्षकों की फीस	—
—	4. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था, आदि	—
—	5. विधि प्रभार	—
—	6. डाक, तार और मुद्रांक	—
—	7. लेखन-सामग्री, छपाई विज्ञापन, आदि	—
—	8. निवेशों की बिक्री पर वास्तविक हानि (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	—
—	9. अन्य खर्च	—
1,27,47,875	10. लाभ शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	1,57,39,257
2,66,36,206		2,83,32,738

टिप्पणी सं० 3 : इसमें निधि के प्रशासन और उपयोग से संबंधित खर्च के लिए सामान्य निधि को की गई प्रतिभूति दर्शायी गई है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के० एस० अय्यर एण्ड कंपनी,

बंबई, 12 अगस्त 1974 सनदी लेखाकार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1974 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकास सहायता निधि के संलग्न तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की और हम अपनी रिपोर्ट देते हैं कि :—

(1) हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं वे सब हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक हैं।

(2) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार, उक्त तुलन-पत्र पूर्ण/और सही तुलन-पत्र हैं जिसमें ऐसी सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं जिनसे 30 जून 1974 तक के निधि के कार्यकलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन-पत्र भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की शर्तों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

के० एस० अय्यर एण्ड कम्पनी,

बंबई, 12 अगस्त 1974 सनदी लेखाकार

विकास बैंक
वर्ष का लाभ-हानि लेखा

विकास सहायता निधि

पिछला वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उचित व्यवस्थाओं के लिए की गई व्यवस्था को घटाने के बाद)	यह वर्ष
रुपए		रुपए
1,46,13,425	1 ब्याज	1,16,46,027
80,68,122	2 निवेशों से आय	45,06,485
1,84,369	3 कमीशन, दलाली आदि	1,49,611
37,70,290	4 निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे आरक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे में जमा नहीं किया गया है)	1,20,30,615
—	5 अन्य आय	—
—	6 हानि-शेष जिसे तुलन-पत्र में ले जाया गया है	—
2,66,36,206		2,83,32,738

बोर्ड के आदेशानुसार

सी० एस० वेंकट राव,
महा प्रबंधक

बंबई, 12 अगस्त 1974

एस० जगन्नाथन	अध्यक्ष
वी० बी० चारी	उपाध्यक्ष
भवतोष दत्त	निदेशक
सी० रामकृष्ण	निदेशक

प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

सी० एस० वेंकटराव

संयुक्त महा प्रबंधक

डी० शर्मा

उप महा प्रबंधक

एस० ए० दवे, डी० एम० दीक्षित, डी० पी० गुप्ता, एम० एन० काले, वाई० एस० केदारे, एम० आर० बी० पुंजा, (नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय), बी० के० सरकार।

विविध परामर्शदाता

आर० एम० हालास्यम्

अतिरिक्त विधि सलाहकार

एन० वी० सुंदरम्

उप विधि परामर्शदाता

एस० ए० नाइक

सचिव

एस० कृष्णमूर्ति

प्रबंधक

एस० अनन्तनारायणन्, ओ० पी० बेरी, एस० एम० चिटणीस, के० डी० दूधमल, टी० एन० गिडवानी, एस० गोपालन, आर० जगन्नाथन, (मद्रा क्षेत्रीय कार्यालय),

पी० सी० जैन, एन० डी० जोशी, एस० एच० खान, एस० डी० खोसला, आई० जे० लाल, जी० पी० मुखर्जी, सी० एस० पानी, एम० एस० पारी (कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय),

बी० प्रसाद, एस० राजेन्द्रन्, एम० रामस्वामी, एन० जी० सेन, सी० आर० सेन गुप्ता (कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय) ।

मुख्य/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के पते

मुख्य कार्यालय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

न्यू इंडिया सेंटर,

17 कूपरेज

पोस्ट बाक्स सं० 1241,

बम्बई–39

तार : "INDBANKIND"

क्षेत्रीय कार्यालय	पता	शाखा कार्यालय	पता
कलकत्ता	रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, 15, नेताजी सुभाष रोड़, पोस्ट बैग सं० 45, कलकत्ता–1 (पश्चिम बंगाल)	**चंडीगढ़**	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कामर्स बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, पोस्ट बैग सं० 27, चंडीगढ़
मद्रास	'कुर्लगम' बिल्डिंग, एस्प्लेनेड पोस्ट बैग सं० 5030, मद्रास–1 (तमिलनाडु)	**कोचीन**	शेमा बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड़, एर्णाकुलम, कोचीन–16 (केरल)
नई दिल्ली	बैंक ऑफ़ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पोस्ट बैग सं० 231, नई दिल्ली–1	**गौहाटी**	शेख बिल्डिंग, पान बाजार, गोहाटी–1 (असम)
		हैदराबाद	आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, टूप बाजार, हैदराबाद–1 (आंध्र प्रदेश)
अहमदाबाद	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग, लाल दरवाजा, 7वीं मंजिल, अहमदाबाद-380001 (गुजरात)	**जयपुर**	रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, संसारचन्द्र रोड़, पोस्ट बैग सं० 22, जयपुर (राजस्थान)
बंगलूर	रिज़र्व बैंक एनेक्स बिल्डिंग, 10/3/8 नृपथुंगा रोड़, बंगलूर-2 (कर्नाटक)	**जम्मू**	15, सी० ब्लॉक एक्स्टेंशन, गांधी नगर, जम्मू–4 (जम्मू और कश्मीर)
भोपाल	40 न्यू मार्केट टी० टी० नगर, भदभदा रोड़, भोपाल–3 (मध्य प्रदेश)	**कानपुर**	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया न्यू बिल्डिंग महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
भुवनेश्वर	प्लॉट नं० 5, उद्यान मार्ग, फारेस्ट पार्क, भुवनेश्वर–9 (उड़ीसा)	**पटना**	रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, गांधी मैदान के दक्षिण में, पोस्ट बैग सं० 162, पटना–1 (बिहार)

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF ACCOUNTS AND EXPENDITURE

BOMBAY

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of India of the 20th April, 1946 (as amended under Notification No. F. (8) (70)-B/52 dated the 29th April, 1954) the following list (for the quarter ended 30th September, 1974) is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the securities have been lost and that the claim of applicants is just. persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Accounts & Expenditure, Central Debt Section, Bombay.

LIST 'A'

Number of Security :	Value Rs. Grams :	In whose name issued.	From what date bearing interest :	Name(s) of the claimant (S) (s) for issue of duplicate and/or payment of discharged value :	Number and date of order issued :
1	2	3	4	5	6
		BOMBAY CIRCLE			
		3% Conversion Loan, 1946			
BY398329	1000	Clara Symons and Eric D'Souza or Ether of them.	16-3-1967	Eric D'Souza (Survivor of Clara Symons	Case No. L-1530 Dy. Manager's Orders Diary No. C.O. 40, dated 3-8-1974.
		4½ % Loan, 1985			
BY006375	100	Hormusji Ratanji Kolhapurwala	12-7-1972	Hormusji Ratanji Kolhapurwala	Case No. L-1601, Dy. Manager's orders Diary No. C.O. 123 dated 27-9-1974.
BY006376	200				
BY006377	200				
BY006378	500				
BY006379	1000				
BY006380	1000				
		5½ % Loan, 1992			
BY005721—23 (3×1000)	3000	The Bank of Baroda Ltd.	15-7-1970	Acharya Shri Narendraprasadji Anandprasadji & Patel Popatlal Padamshi.	Case No. L-1528, Dy. Manager's orders Diary No. C. O. 91, dated 7-9-1974.
		National Defence Gold Bonds, 1980 ('A' Series)			
BY00575	702 gms.	Anantrai P. Mehta	25-2-1966	Anantrai P. Mehta	Case No. L-1590, Dy. Manager's orders Diary No. C. O. 7, dated 9-7-1974.
BY000568	1171 gms.	Prabhavati Anantrai Mehta	15-1-1966	Prabhavati Anantrai Mehta	Case No. L-1592, Dy. Manager's Orders Diary
BY005477	351 gms.	Do.	25-1-1966	Do.	No. C. O. 73, dated 27-7-1974.
BY006060	1374 gms.	Vinod Shivprasad Vaid	7-1-1966	Vinod Shivprasad Vaid	Case No. L-1608, Dy. Manager's Orders Diary No. C.O. 71, dated 30-8-1974.
		National Defence Gold Bonds, 1980 ('B' Series)			
BY002637	107 gms.	Vinod Shivprasad Vaid	7-1-1966	Vinod Shivprasad Vaid	Case No. L-1608, Dy. Manager's Orders Diary No. C. O. 71, dated 30-8-1974.

1	2	3	4	5	6
		CALCUTTA CIRCLE			
		3% Conversion Loan, 1946			
**CA200512	25000	Maiya Saheba Raj Kumari Debi and Major General Shankar Shum Shere Jung Bahadur Rana.	16-3-1967	Maiya Saheba Raj Kumari Deb and Major General Shankar Shum Shere Jung Bahadur Rana.	Case No. 782, I·2179 Dy. Manager's Orders dated, 9-8-1974.
CA112959	1000	Haripada Coomer	16-3-1967	Provat Chandra Coomer	Case No. 784, I.2263 Dy. Manager's Order dated, 11-9-1974.
		3% 1896-97			
*CA026721	400	Nilmony Banerjee	31-12-1970	Nilmony Banerjee	Case No. 783, I.2269, Dy. Manager's Order dated 11-9-1974.
		4% 1960—70			
CA062675-81	1000 each	Haripada Coomer	15-3-1953	Provatchandra Coomer	Case No. 784, I. 2263, Dy. Manager's Order dated 11-9-1974.
CA062682-83	5000 each	Do.	Do.	Do.	Do.
		NEW DELHI CIRCLE			
		3½ National Plan Loan, 1964			
*DH035168	100	Reserve Bank of India	19-4-1954	Kewalkrishan (through his attorney Shri Durga Dass).	LN 532 dated 16-7-1974.
		3½% First Development Loan, 1970—75			
*DH018273	500	Reserve Bank of India	1-1-1949	Sirichand Obhrai	LN 533 dated 5th September, 1974.
		6½ %Gold Bonds, 1977			
DH010045	10000	Krishanchand Malhotra	12-5-1973	Krishanchand Malhotra	LN. 534 dated 28th Sept. 1974.
DH010044	10000	Ishwar Devi	12-5-1973	Ishwar Devi	LN-535 dated 28th Sept. 1974.
DH010037	20	Shanno Devi	12-5-1973	Shanno Devi	LN. 536 dated 28th Sept 1974.
DH010038	500	Do.	Do.	Do.	Do.
DH010039—42	1000 each	Do.	Do.	Do.	Do.
DH010043	5000	Do.	Do.	Do.	Do.
DH010046	10000	Prem Lata	Do.	Prem Lata	LN. 537 dated 28th Sept. 1974.
DH010088	10000	Munishwar Lal Malhotra	Do.	Munishwar Lal Malhotra	LN.538 dated 28th Sept. 1974.
		MADRAS CIRCLE			
		National Defence Gold Bonds, 1980 ('A' Series)			
@MS008806	10 gms.	K. Govinda Achan	27-10-1966	K. Govindaswamy Achan	Manager's Order No. Dy. CO. 422/LN. 1068 dated 12th July, 1974.

1	2	3	4	5	6
		3½ %National Plan, 1964			
MS044651	100	Srimanthula Gopala Rao	19-4-1954	Srimanthula Gopala Rao	Manager's Order No. Dy. CO. 498/LN. 1016 dated 22nd August, 1974.

*Issue of duplicate/payment of discharge value after three years under relaxed procedure authorised.

**Half note.

@Immediate issue of duplicate and payment of accrued interest authorised.

W. J. F. VAZK
Chief Accountant,
Reserve Bank of India,
Central Office,
Department of Accounts & Expenditure,
Central Debt Section,
Bombay-400038.

LIST OF DEPOSITS UNDER SECTION 7 OR 98 OF THE INSURANCE ACT, 1938 HELD IN THE CUSTODY OF THE RESERVE BANK OF INDIA AS ON THE 31ST DECEMBER 1973

Name of the Depositor	Loan or Nature of Deposit	Amount	Total Face Value	Cash	Total Book Value of Securities and Cash
1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
CALCUTTA AREA :					
Atlas Assurance Co. Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1953—83	£ 15,200			
	Do. 1954—84	£ 36,700	51,900	—	3,55,314·98
British Aviation Insurance Co. Ltd., Calcutta	5¾% West Bengal 1984	Rs. 4,87,600	Rs. 4,87,600	1,77,543·13	6,65,143·13
British Traders' Insurance Co. Ltd., Calcutta	—	—	—	1,61,200·00	1,61,200·00
Calcutta Hospital & Nursing Home Benefits Association Ltd., Calcutta..	2½% 1976	38,800			
	5½% 2000	50,500			
	5¾% 2002	1,01,100	1,90,400	—	1,88,799·50
Commercial Union Assurance Co. Ltd., Calcutta	5% 1982	5,10,000			
	5% 1983	1,05,500			
	5% 1984	65,300			
	5½% 1987	25,000			
	5½% 2000	1,63,200			
	4½% I.F.C. 1974	1,00,000			
	5½% Do. 1983	1,50,000			
	5¾% West Bengal 1982	34,300			
	5¾% ,, ,, 1983	25,000			
	5% U.P.S.E.B. Bonds 1976	2,00,000	13,78,300	136·89	13,48,954·39
Fire & General Insurance Co. of India Ltd., Calcutta (In Liquidation)	—	—	—	98,473·06	98,473·06
General Assurance Society Ltd., Calcutta	3% Con. 1946	5,06,900			
	4½% 1975	3,27,500			
	4½% 1977	26,000			
	4½% 1986	1,66,200			
	5% 1983	1,01,200			
	5% N.D. Loan 1981	3,36,900	14,64,700	71·23	13,41,730·96
Guardian Assurance Co. Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1953—83	£ 12,000			
	Do. 1954—84	£ 47,900	£59,900	—	4,76,134·97
Liverpool & London & Globe Insurance Co. Ltd., Calcutta	4½% 1975	Rs. 3,73,000			
	4½% 1976	14,000	Rs. 3,87,000	4·62	3,87,676·52
London Guarantee & Accident Co. Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1953—83	£ 7,200			
	Do. 1954—84	£ 2,600	£9,800	—	
	5½% West Bengal 1982	Rs. 1,70,000			
	5¾% Do. 1984	Rs. 1,83,400	Rs. 3,53,400	2,726·96	4,93,006·96
London & Lancashire Insurance Co. Ltd., Calcutta	4½% 1975	Rs. 2,27,800			
	4½% 1976	2,75,700	5,03,500	594·01	5,03,852·34
New Zealand Insurance Co. Ltd., Calcutta	4% 1979	Rs. 3,35,000			
	5% 1984	1,29,900			
	4½% I.F.C. 1974	25,000			
	5¾% West Bengal 1984	1,82,400	Rs. 6,72,300	53·86	6,71,079·36

1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
CALCUTTA AREA—(Contd)					
Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1954—84	£ 12,000	96,900	—	96,900·00
Perless General Insurance & Investment Co. Ltd., Calcutta	3% Con. 1946	Rs. 20,00,000	20,00,000	—	11,82,640·00
Phoenix Assurance Co. Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1953—83	£ 6,800			
	Do. 1954—84	4,600	£11,400		
	3% 1896-97 (Non-terminable)	Rs. 35,000			—
	5¼% Gujarat 1981	1,48,800			
	5¾% Maharashtra 1982	49,500			
	5¾% West Bengal 1982	1,41,100			
	5¼% Do. 1984	69,200	Rs. 4,43,600	3,93,963·14	9,75,751·04
Prachi Insurance Co. Ltd., Cuttack	6% Maharashtra S.E.B. Bonds 1982	40,000	40,000	—	39,960·00
Prudential Assurance Co. Ltd., Calcutta	4¼% 1978	3,61,600	3,61,600	12·00	3,61,612·00
Reliance Marine Insurance Co. Ltd., Calcutta	Port of Calcutta 5% Debentures 1953—83	£ 10,900			
	Do. 1954—84	£ 13,300	£24,200	1,28,000·00	3,66,503·28
Royal Insurance Co. Ltd., Calcutta	4¼% 1975	Rs. 6,02,800			
	4¼% 1976	17,000			
	5% 1982	1,50,000	7,69,800	1,207·03	7,70,391·43
Ruby General Insurance Co. Ltd., Calcutta	5% N.D. 1981	3,25,000			
	5% 1983	3,51,700			
	5¾% West Bengal 1979	5,00,000			
	5¼% Orissa 1979	1,75,000	13,51,700	58·50	13,53,900·00
Triton Insurance Co. Ltd., Calcutta	4¼% 1979	10,29,800	10,29,800	—	10,29,800·00
United Scottish Insurance Co. Ltd., Calcutta	4¼% 1975	2,74,800			
	4¼% I.F.C. 1974	75,000			
	5¼% West Bengal 1984	2,61,900	6,11,700	29·42	6,10,431·50
Welfare Insurance Co. Ltd., Calcutta	5% 1984	4,82,700			
	5¼% West Bengal 1984	24,000	5,06,700	83·08	5,04,369·58
Western Assurance Co., Calcutta	4¼% 1975	4,60,700			
	4¾% 1978	8,06,900	12,67,600	35·48	12,67,635·48
BOMBAY AREA :					
Alco Company Ltd., Bombay	3¾% 1974	15,600	15,600	288·60	15,600·00
All India Motor Transport Mutual Insurance Co. Ltd., Poona (In Liquidation)	3% 1896-97	37,500			
	3% Con. 1946	37,500	75,000	—	74,671·87
Bhabha Marine Insurance Co. Ltd., Porbander	5¾% A.R.C. Bonds 1982 (II Series)	18,000			
	4¼% Ten-Years D.D. Certificates	10,000			
	4¾% 1978	18,000			
	5% Loan 1983	18,000	64,000	90·00	64,000·00

1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
BOMBAY AREA (Contd.)					
British India General Insurance Co. Ltd., Bombay	4 % Calcutta Port Trust Debentures 1915-75	60,000			
	5½% Loan 2000	3,35,000			
	3¾% B.M.D. 1947-77	50,000			
	5½% B.C. 1999	3,40,000			
	5½% 1986	4,00,000			
	5¼% 2002	2,64,300	14,49,300	—	14,27,397·50
Cornhill Insurance Co. Ltd., Bombay	5½% 2000	59,500	59,500	95·00	59,595·00
Government of Maharashtra	4¾% Maharashtra 1976	10,17,900	10,17,900	—	10,00,086·75
Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd., (Unit. Gerling Global)	5 % Maharashtra S.E.B. Bonds 1976	2,50,000			
	5 % B.M.D. 1964-76	4,00,000			
	5¼% Loan 1986	3,65,100	10,15,100	181·48	9,94,329·13
Great Eastern Life Assurance Co. Ltd., Bombay	3 % Con. 1946	2,00,000	2,00,000	—	2,00,000·00
Habib Insurance Co. Ltd., Bombay	—	—	—	2,03,649·94	2,03,649·94
Harilal Jethabhai Vimawala, Bombay	—	—	—	76·20	76·20
Helvetia Swiss Fire Insurance Co. Ltd., Bombay	5½% 1999	1,40,700			
	4½% 1976	1,00,000			
	4¾% 1979	1,14,600	3,55,300	400·00	3,55,700·00
Jalanath Insurance Limited	6 % Bombay Mun. Debs. 1981	1,50,000			
	4¼% 1976	1,75,000			
	3½% 1974	1,80,000			
	5¼% Maharashtra 1982	1,00,000			
	5½% Do. 1980	1,00,000			
	5½% 2000	1,50,000	8,55,000	—	8,43,355·00
Kalyan Marine Insurance Co. Ltd., Porbandar	4¾% 1978	36,000			
	P.O. 7-Year N.S.C.	10,000			
	5 % 1983	18,000	64,000	90·00	64,000·00
Merchants' General Insurance Co. Ltd., Bombay	4 % 1979	10,000	10,000	—	10,000·00
National Insurance Co. Ltd., (Unit : Milowners'—Mutual)	5½% 2000	10,00,000	10,00,000	—	9,81,050·00
Motor Owners' Insurance Co. Ltd., Belgaum	3 % C.L. 1946	3,07,100	3,07,100	—	2,39,603·00
Naranji Bhanabhai & Co. Ltd., Bhavnagar	4¾% 1978	18,000			
	Shares of the Maharashtra State Financial Corpn.	4,500			
	N.D. Certificate	5,600			
	6 % A.P.S.E.B. Bonds 1982	18,000			
	5 % 1983	18,000	64,100	135·00	64,112·50
National Insurance Co. Ltd., (Unit : N.E.M.)	4 % 1980	5,00,000			
	4¾% 1989	3,50,000			
	3 % C.L. 1946	10,000			
	5 % 1983	2,51,900	11,11,900	59·50	10,89,987·50
National Security Assurance Co. Ltd. (In Liquidation), Bombay	5½% 1995	1,50,400			
	4½% 1975	1,50,100	3,00,500	66·62	3,00,116·32

1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
New Merchants' Insurance Co. Ltd., Porbandar	12-Yr. N.D. Certificate 5 % 1983 4½% 1978	25,000 18,000 21,000	64,000	189·12	64,099·12
Porbandar Insurance Co. Ltd., Porbandar	5% 1984 3% Porbandar Water Project Loan 1950-75 P. O. 12-Yr. N.D. Certificate	10,000 50,000 5,000	65,000	50·00	60,134·00
United India Fire & General Insurance Co. Ltd. (Unit : Provincial)	5 % Port of Calcutta Deb. Loan 1923 5 % Port of Calcutta Deb. Loan 1924	£ 2,100 £ 19,000	£ 21,100	—	1,76,889·16
Shree Mahasagar Vima Co. Ltd., Porbandar	4 % T.S.D. Certificates 3 % Porbandar Water Project Loan 1950-75 5 % 1983 4½% 1978	10,000 25,000 18,000 12,800	65,800	163·70	65,875·00
Warden Insurance Co. Ltd. (In Liquidation), Bombay	—	—	—	409·00	409·00
Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd. (Unit : Yorkshire)	5 % Calcutta Port Debs. 1924	£ 12,900	£ 12,900	—	1,79,955·00
NEW DELHI AREA :					
Bharat General Reinsurance Ltd., New Delhi	5¾% I.F.C. Bonds 1982 5¾% ,, ,, 1980 6 % U.P. Financial Corpn. Bonds 1981	2,50,000 2,00,000 1,00,000	5,50,000	—	5,47,650·00
Bharat Insurance Co. Ltd., New Delhi	3½% Loan 1974	24,200	24,200	—	23,837·00
Muslim Insurance Co. Ltd., Lahore	3 % Loan 1896-97 3 % U.P. Loan 1961-66 Post Office Cash Certificates 3 % Con. Loan 1946	87,600 2,000 7,500 67,600	1,64,700	54,356·25	2,01,616·62
Northern India Transporters Insurance Co. Ltd., Jullundur City	5½% Loan 2000	1,50,000	1,50,000	1,153·34	1,51,153·34
Central Mercantile Assurance Co. Ltd	—	—	—	92·17	92·17
Sterling General Insurance Co. Ltd., New Delhi	4½% T.D.D.C. 5¾% Orissa S.F.C. Bonds 1979 J.K. S.F.C. Shares 5¾% U.P. F.C. Bonds 1978 6 % J.K. S.F.C. Bonds 1981	50,000 20,000 30,000 30,000 50,000	1,80,000	28·62	1,78,028·62
MADRAS AREA :					
Legal & General Assurance Society Ltd., Madurai	Port of Calcutta 5% Deb. 1923 Do. 1924	£ 2,000 £ 6,000	£ 8,000	—	94,550·00
Co-operative Fire & General Insurance Society Ltd., Madras	4½% MCCLM Bank Debs. 1967-77 4¾% ACCLM Do. 1971-76 4½% MCCLM Do. 1964-74 4¾% Do. Do. 1971-78 4¾% Do. Do. 1971-81 4¾% Do. Do. 1972-82 5¼% Do. Do. 1981(71st Series) 5¾% Do. Do. (73rd ,,)	10,000 52,600 70,000 25,000 5,500 10,000 70,000 22,400			

1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MADRAS AREA (Contd.)					
	4 % 10 Year T.S.D.C.	40,000			
	5½% I.F.C. Bonds 1980	2,00,000			
	5¾% Do. 1981	78,000			
	3 % Con. Loan 1946	1,26,600			
	4½% Loan 1989	20,000			
	5½% Loan 1992	5,000			
	5¾% Madras Loan 1979	51,000			
	5¾% Tamil Nadu Loan 1981	3,35,700	10,71,800	11,636·25	10,74,685·75
Indian Mutual General Insurance Society Ltd., Madras . . .	5 % National Defence Loan 1981	2,00,000			
	5 % Loan 1983	17,600			
	3 % Con. Loan 1946	1,74,000			
	3½% Loan 1974	4,900			
	4 % Loan 1979	30,000			
	5½% Loan 1999	25,600			
	5½% Loan 2000	2,00,000			
	4½% Madras Loan 1974	10,000			
	5½% Do. 1977	19,500			
	5½% Do. 1978	1,400			
	5¾% Do. 1979	2,100			
	5¾% Do. 1980	24,500			
	5¾% Tamil Nadu Loan 1982	6,000			
	5½% Andhra Pradesh State Dev. Loan 1978	2,100			
	6 % Tamil Nadu Elec. Board Loan 1982	49,000	7,66,700	—	7,64,437·40
Premier Insurance Co. Ltd., Madras .	5½% Kerala State Dev. Loan 1979	1,500			
	4¾% Madras Loan 1976	42,700			
	5¾% Mysore State Dev. Loan 1979	59,200	1,03,400	50,361·89	1,51,875·39
PROVIDENT COMPANIES					
Calcutta Area :					
Nalanda Provident Insurance Ltd., Barisal	—	—	—	5,590·69	5,590·69
Non-Gazetted Officers Provident Society Ltd., Chittagong . .	12 Yr. N.S. Certificates	5,000	5,000	—	5,000·00
Suburban Provident Insurance Co. Ltd., Calcutta	—	—	—	5,000·00	5,000·00
Bombay Area :					
East & West Provident Society Ltd., Bombay	—	—	—	600·00	600·00
Maharashtra Provident Insurance Co. Ltd., (In Liquidation), Karad .	3 % Con. Loan 1946	5,500	5,500	1,659·94	7,159·94
Substantial Provident Insurance Co. Ltd., Bombay	—	—	—	5,712·21	5,712·21
New Delhi Area :					
Indian Posts & Telegraphs Workers' Mutual Provident Society (In Liq.), New Delhi	—	—	—	6,426·55	6,426·55
Swastika Provident Insurance Co. Ltd., Delhi	—	—	—	5,060·19	5,060·19

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600034, the 29th November 1975

No. 5SCA(1)/7/75-76—With reference to this Institute's Notification No. (1) 4CA(1)/19/73-74 dated 21st January 1974 and (2) 4CA(1)/6/75-76 dated 31st July, 1975, it is hereby noti ed in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964 that in exercise of the powers conferred by regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names the name of the following gentlement:

Sl. No.	Member-ship Number	Name and Address	Date of Restoration
1.	8166	Shri K. Joseph George ACA Chartered Accountant Elenjickal Buildings Palace Ward, Alleppey (Kerala)	13-11-1975
2.	15405	Shri Roy K. Lukose ACA Chartered Accountant, A/26, Kilpauk Garden Colony, Madras-600 010	17-11-1975

The 18th December 1975

No. 4 SCA(1)/9/75-76.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause(a) of Sub-Section(1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death, with effect from 9th November, 1975 the name of Shri P. K. Pattabiraman, Assistant Division Manager, LIC of India, Divisional Officer, P. B. No. 3810, Coimbatore-641018. His Membership Number is 2590.

No. 4-CA(1)/12/75-76.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause(b) of Sub-Section(1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute at his own request with effect from 1-7-1975 the name of Shri V. V. Bhagwat (M. No. 2982) 1182, Sadashiv Peth, Poona.

No. 8CA(A)/14/75-76.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

Sl. No.	Member-ship No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand Cancelled.
1.	13304	Shri S. Sankaranaraynan, Ayyar, A-23, Shri Vishnu Bhagawan Co-op. Housing Society Ltd., Vishnu Baug, 137-S. V. Road, Andheri (West), BOMBAY-400058.	A.C.A. 1-12-75
2.	16571	Shri V. K. Sawhney, D-13/2, Model Town, DELHI.	A. C.A.. 11-9-75

No. 8 SCA(1)/3/75-76.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to Shri A. S. Krishnan, F.C.A., 4-6-528/31 Meghraj Bldg., Isamia Bazar, Hyderabad-27, shall stand cancelled from 15th October, 1975, as he does not desire to hold his Certificate of Practice. His Membership Number is 1708.

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secy.

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700016, the 22nd November 1975

No. 18-CWR(23)/75.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, that in exercise of the power conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 10th November 1975 the name of Shri K. M. Thomas, BA., AICWA, Kottiath House, P.O. Vennala, Cochin-682 025 (Membership No. 406).

(COST ACCOUNTANTS)

The 8th December 1975

No. 16-CWR(154)/75.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, on account of death, the name of Shri Subodh Kumar Basu, MA, AICWA, FCMA, 1/1, Ram Swarup Khettry Road, Calcutta-53, (Membership Number 676), with effect from 23rd November 1975.

S. N. GHOSE, Secy.

CENTRAL SILK BOARD
(MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES) (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

Bombay-400 002, the 8th October 1975

No. C.S.B.-16(5)/74-FS.—In exercise of the powers conferred by Rule 28 of the Central Silk Board Rules 1955, the Board has been pleased to appoint Dr. G. Subha Rao, Senior Research Officer (Physiology), Central Sericultural Research & Training Institute, Mysore as Assistant Director (Seri) in the same Institute in the scale of Rs. 1100-50-1600 with effect from 30th May, 1975 (FN) and posted to the Central Muga & Eri Research Station, Titabar in the same capacity.

S. MUNIRAJU, Chairman

DIRECTORATE GENERAL NAVAL PROJECT

Visakhapatnam-14, the

No. DG/1052/EI.—In pursuance of sub rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, the Director General Naval Project Visakhapatnam hereby gives notice to Shri P. APPALANARASIMHA RAJU, Peon that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date of publication of this notice in the Gazette of India.

No. DG/1052/EI.—In pursuance of sub rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, the Director General Naval Project Visakhapatnam herby gives notice to Shri P. THAMMANNA Mazdoor that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date of publication of this notice in the Gazette of India.

THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

THE BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-1, the 8th September 1975

Re. : AUDIT OF ACCOUNTS OF THE BAR COUNCIL OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1975

Gentlemen,

We have audited the accounts of the Bar Council of India for the year ended 31-3-1975, and are sending herewith 4 copies of the Income and Expenditure Account for the year, together with the Balance Sheet as on that date, which may be returned to us duly approved and signed by the Chairman and the Members of the Executive Committee, for our certification.

Our observations on the accounts are as follows :—

1. ENROLMENT FEE—Rs. 8,27,561/-.

(a) The Audited Accounts from the following State Bar Councils have not been received till the date of our report, thus we are unable to verify that the Bar Council of India has received the amounts which are actually due.

(i) Bar Council of Punjab and Haryana (Since 1972-73),

(ii) Bar Council of Delhi,

(iii) Bar Council of Karnataka,

(iv) Bar Council of Gujarat, and

(v) Bar Council of Kerala.

(b) Though Enrolment Fee has been received from all the State Bar Councils 10 of them paid the fees after the stipulated time. Under Section 46 of the Advocates Act they are required to remit their respective share of 40% of the Enrolment Fees by the end of 30th April after the close of the financial year. In future all the State Bar Councils should be asked to remit the money in time.

2. TRANSFER OF FUNDS TO THE TRUST Rs. 60,05,000.

During the year a Trust duly registered on 27-4-1974 called by name of "The Bar Council of India Trust" was formed for the purpose of fixing standards of professional conduct among advocates and promoting legal education.

A sum of Rs. 5,000/- initially and further a sum of Rs. 60,00,000/- (Rupees Sixty Lakhs only) were transferred from the funds of the Council to the Bar Council of India Trust on 27th April, 1974, and 3rd November, 1974, respectively, vide Resolutions duly passed by the Council. The interest due or accrued on the above transferred amounts before the date of transfer have been included in the accounts of the Council.

3. JOURNAL EXPENSES

As two issues of November, 1974, and February, 1975, had not been published till the date of our audit, it was not possible to exactly determine the amount of expenditure expected to be incurred on it. For this reason a provision of Rs. 20,000/- has been made in the accounts after adjusting excess provisions made in earlier years amounting to Rs. 5,946.40. We feel that in view of the increased printing charges the subscription fee should be increased from the existing rate of Rs. 12/-.

4. ADVANCE FOR PURCHASE OF LAND

As reported in the previous year's audit report an advance of Rs. 42,030/- paid to the Land and Development Officer, Government of India, during the year 1968 towards the cost of land allotted to the Council remains to be adjusted due to non-execution of the lease deed on account of certain administrative problems of the Department.

5. INCOME TAX ASSESSMENT :

The Income Tax assessment has been completed upto to assessment year 1973-74. A sum of Rs. 2,77,000/- has been provided for taxation during the year under audit as per the revised estimated income on account of transfer of funds to the Trust during the same year against which Rs. 2,86,820/- has been paid as advance tax for the assessment year 1975-/6.

In conclusion we wish to express our thanks to the Secretary, the Accountant and other members of the Staff for the co-operation extended during the course of our audit.

Your faithfully,
Sd./- THAKUR VAIDYANATH AIYAR & CO.
Chartered Accountants.

Seal :

Sd/- R. Jethmalani, Chairman,
The Bar Council of India.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th December 1975

No. 12-(1)/30/71-Med.II.—In pursuance of the resolution passed by the E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and in supersession of the notification No. 12-(1)/1/67-Med.II dated 6-6-1969 and of even number dated 24-12-1971, I hereby authorise Dr. S. S. Minocha, A-1/7 Sector-11, Faridabad, as medical authority with effect from 1-1-1976 for Faridabad and Ballabgarh Centres for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

The 18th December 1975

No. 12(1)27/71-Med. II.—In continuation to Employees' State Insurance Corporation Notifications of even No. dated 10th June, 1975 and 21st July, 1975 and in pursuance of the resolution passed by the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon me the powers of the Corporation under regulation 105 of the Employees' State Insurance Corporation (General) Regulation 1950, I hereby authorise the following medical Officers to Continue to function as medical authority with effect from the dates shown against each till further orders for the jurisdiction already assigned to them for the purposes of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Sl. No.	Medical Officer	Date from which appointment is extended
1	2	3
1.	Dy. Director of Medical and Health Services E.S.I. Scheme, Andhra Pradesh, Chikadapally, 1. 8. 60., Hyderabad.	16-12-1975
2.	Civil Surgeon, E.S.I. Hospital, Sanatnagar.	16-12-1975
3.	Distt. Medical & Health Officer, Eluru (West Godwari).	16-12-1975
4.	Superintendent, E.S.I. Hospital, Vijayawada.	16-12-1975
5.	Superintendent, E.S.I. Hospital, Sirpur—Kagaznagar.	16-12-1975

1	2	3
6.	Superintendent, E.S.I. Hospital, Adoni.	16-12-1975
7.	Distt. Medical & Health Officer, Kakinada.	16-12-1975
8.	Superintendent, E.S.I. Hospital, Vishakhapatnam.	15-1-1976
9.	Superintendent, E.S.I. Hospital, Warrangal.	15-1-1976

No. 12-(1)/27/71-Med.II.—In continuation to E.S.I. Corporation Notification of even number dated 9th June, 1975 and in pursuance of the resolution passed by the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon me the powers of the Corporation under Regulation 105 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, I hereby authorise Dr. P. Sheshagiri Rao, No. 30, Vigyan Puri, Vidya Nagar, Hyderabad to function as Medical authority for 6 months more with effect from 16-12-1975 to 15-6-76 for Hyderabad City for the purposes of Medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

T. N. LAKSHMI NARAYANAN,
Director General

Madras-600034, the 15th December 1975

No. TNR/CO-3(34)/70.—It is hereby notified that the Local Committee set up for Shencottah area vide this office notification No. MR/CO-3(30)/64(i) dated 2-8-66 under regulation 10A(1) of E.S.I. (General) Regulations, 1950 is hereby reconstituted consisting of the following members with effect from 15-12-1975.

Chairman

Under Regulation 10*A*(1)(*a*)

1. The District Medical Officer, Tirunelveli.

Members

Under Regulation 10*A*(1)(*b*)

2. The Labour Officer, Tirunelveli.

Under Regulation 10*A*(1)(*c*)

3. The Medical Officer in-charge, E.S.I. Dispensary, Shencottah.

Under Regulation 10*A*(1)(*d*) (*Employers' side*)

4. Thiru V. Shanmugam, Spinning Supervisor, The Balarama Varma Textile Mills Ltd., Shencottah.
5. Thiru A. S. Palaniswami, Factory Manager, Balarama Varma Textile Mills Ltd., Shencottah.
6. Thiru A. Ramaswamy Nadar, Partner, M/s. Dawn and Company (Saw Mill) Tenkasi Road, Shencottah.

Under Regulation 10*A*(1)(*e*) (*Employees' side*)

7. Thiru C. Velayudham, Secretary, Dravida Panchalai Thozhilalar Munnetra Sangam, Shencottah.
8. Thiru G. Ganapathy, Secretary, The Shencottah Electric Supply Agency, Employees' Union, Shencottah.
9. Thiru M. Paramasivam, National Mill Workers' Union, Shencottah.

Under Regulation 10*A*(1)(*f*)

10. The Manager, Local Office, E.S.I. Corporation, Vickramasingapuram. *Member-Secretary.*

BY ORDER

S. ARUNACHALAM,
Regional Director and *Ex-officio* Member-Secretary,
Regional Board, Tamil Nadu.

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

Jaipur, the 30th December 1975

No. Advt./III(IV)/28/75.—Notice is hereby given that the fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of the State Bank of Bikaner and Jaipur will be held at the Bank's Head Office, Sawai Mansingh Highway, Jaipur on Monday, the 23rd February 1976 at 11.00 A.M. (Standard Time) to discuss the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the State Bank of Bikaner and Jaipur for the year ended the 31st December 1975, the report of the Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditor's report on the Balance Sheet and Accounts.

By order of the order.

SATYA DEV,
Managing Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976